राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 16वां दिवस संख्या 12

मंगलवार

दिनांक 10 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[परिवार नियोजन, राजस्व समाज कल्याण, भाषा, पंचायत उपनिवेशन, सिंचाई चिकित्सा, वित्त, वन, विकास, अकाल सहायता विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामानंद अग्रवाल।

जिला परिवार नियोजन अधिकारी अलवर के विरुद्ध जांच

293. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डा. आर. एन. शुक्ला, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर के विरुद्ध राजस्थान सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक केस की जांच भ्रष्टाचार विभाग को गत मार्च महीने में सौंपी है?

(2) क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री विष्णुदत्त शर्मा ने गत मई महीने में इसकी जांच भी है जिसके दौरान डा. शुक्ला के मकान और दफ्तर की तलाशी भी ली गई है जिसमें काफी मैटीरियल अभियोग से सम्बंधित बरामद हुआ है और कुछ रसीदें फर्जी पाई गई हैं?

(3) क्या यह सही है कि डा. सुषमा परिवार नियोजन विभाग अलवर ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अलवर को एक पत्र लिखकर डाक्टर शुक्ला और उनके समर्थकों द्वारा इस जांच के सम्बन्ध में दिलचस्पी लेने पर जान की असुरक्षा का भय जाहिर किया है तथा प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेन्द्र मोहन ने जिलाधीश, अलवर को अपने पत्र दिनांक 6-5-1968 को इन्हीं डा. शुक्ला से असुरक्षा का भय जाहिर किया है?

(4) क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने भी विभाग को यह लिखकर दिया है कि जब तक डा. शुक्ला इस पद पर रहेंगे तब तक अधीनस्थ स्टाफ द्वारा बयान देना संभव नहीं है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त डा. शुक्ला को निलम्बित करने के आदेश भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास ने दिये थे लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उपशासन सचिव, परिवार नियोजन विभाग द्वारा 15–7–68 को डा. शुक्ला को पदावनत करने के आदेश जारी किये गये हैं और उन्हें

Page No. 2

(श्री रमानन्द अग्रवाल)
तुरन्त अपने पद का चार्ज देने की हिदायत की गई है ?

( ) क्या यह सही है कि इस आदेश के बावजूद डा. शुक्ला ने अभी तक अपने पद का चार्ज नहीं दिया है और वे अपने उसी पद पर ज्यों के त्यों काम कर रहे हैं।

(8) क्या यह सही है कि इन्हीं डा. शुक्ला के विरुद्ध 1965 में जब ये मेडिकल अफ़सर इंचार्ज मलेरिया विभाग, अलवर कार्य कर रहे थे, राजस्थान सतर्कता आयोग ने एक केस भ्रष्टाचार सम्बन्धी नं. एफ. 108 (4) रा.स.आ।65 रजिस्टर किया था जिसकी जांच सी. आई. डी से करवाई गई थी। जिसमें बहुत सा सरकारी माल इनके घर से बरामद हुआ था और 600) रु. का दफ्तर किराया फर्जी बनाकर भुगतान लेना सिद्ध हुआ था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में डा. शुक्ला के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा):

(1) जी हां, वर्तमान जानकारी के अनुसार डा. शुक्ला के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

( ) जांच की निरन्तरता में उप अधीक्षक आरक्षी (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) ने डा. शुक्ला के निवास स्थान तथा कार्यालय की तलाशी ली, परन्तु अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से यह सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है कि तलाशी के दौरान क्या तथ्य सामने आये।

(3) जी हां, डा. सुषमा के पत्र पर पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व ही डा. सुषमा का अलवर से स्थानान्तरण हो गया। इसलिये उनकी जांच बन्द कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी के पत्र को जिलाधीश, अलवर ने पुलिस अधीक्षक को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया था; इसके तुरन्त बाद श्री सक्सेना लम्बे अवकाश पर प्रस्थान कर गये और बाद में उनका स्थानान्तरण भी हो गया इसलिये पुलिस अधीक्षक जांच नहीं कर सके।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(6) जी हां, यह सही है।

(7) जी हां, डा. शुक्ला के स्थान पर परिवार नियोजन अधिकारी, अजमेर का स्थानान्तरण किया गया था किन्तु राजहित में उन्हें क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में रखना उचित समझा गया और उनका स्थानान्तरण आदेश संशोधित कर दिया गया। अलवर में परिवार नियोजन अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(8) डा. शुक्ला के विरुद्ध सतर्कता आयोग के निर्देशों पर वर्ष 1965 में सी. आई.डी. विभाग ने जांच की थी। जांच में यह प्रकट हुआ कि दफ्तर के स्टोर से दो आराम कुर्सी व एक टेबिल फेन कम पाया गया तथा गोविन्दगढ के दफ्तर के किराये का बकाया बताया गया। सतर्कता आयोग के निर्देशों पर चिकित्सा निदेशक ने अलवर स्थित

Page No. 3

(श्रीमती सुमित्रा)
वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. एन. एम. शर्मा द्वारा स्टाक की जांच करवाई । जांच पर कोई सामान कम नहीं पाया गया। जांच से यह भी पाया गया कि सी.आई.डी. की जांच के समय श्री शिवदयाल स्टोरकीपर ने उनको बतला दिया था कि यह दो आरामकुर्सी व एक टेबिल फेन उसके पास स्टोर में मौजूद था। यह सूचना सतर्कता आयोग को भेजी गई और उन्होंने कुछ और सूचना चाही है। वह सतर्कता आयोग को भिजवाई जा रही है। 600) रु. का दफ्तर का किराया की फर्जी रसीद बनाकर प्राप्त करना सिद्ध नहीं हुआ। मकान मालिक का खुद का कथन है कि उसे केवल डेढ माह का छोडकर बाकी सारा किराया प्राप्त हो गया है। इस प्रकरण पर सतर्कता आयोग के निदशानुसार ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, एन्टी करप्शन के लिखने पर सतर्कता आयोग ने भी डाइरेक्टर आफ मैडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, राजस्थान को लिखा है कि डा. शुक्ला के वहां पर रहते हुए इन्क्वायरी नहीं हो सकती। इसलिये इन्हें वहां से फौरन हटा दिया जाय ?

श्रीमती समित्रा : मैंने विभाग से फाइल मंगाकर पता करने की कोशिश की लेकिन ऐसा लिखा हुआ प्राप्त नहीं हो सका। मेरे विभाग के पास में ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुवे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सतर्कता आयोग आदेश नहीं दे सकता। वह सिफारिश कर सकता है। सतर्कता आयोग के आयुक्त श्री पी. आर. टंडन से पर्सनली, टेलिफोन पर मेरी बात हुई थी और उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने डाइरेक्टर आफ मैडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज को ऐसा लिखा है कि वहां से इनको रिमूव करें। करें या न करें यह गवर्नमेन्ट की जिम्मेवारी है।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने कहा है कि मेरे विभाग के पास ऐसी कोई रिकमन्डेशन नहीं आयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जब इन डा. शुक्ला से वहां के डाक्टर को फिजिकल असाल्ट का खतरा हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर ने भी कहा है कि उन्हें इनसे फिजिकल असाल्ट का खतरा है। वहां का डिप्टी एस.पी. कहता है कि आगे इन्क्वायरी नहीं हो सकती, उनको पदावनत कर दिया जाता है। फिर भी उनको वहां रखने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने उत्तर शायद ठीक से नहीं सुना। डा. सुषमा को फिजिकल असाल्ट का खतरा था, तो उनका तबादला कर दिया गया है। दूसरे श्री नरेन्द्रमोहन सक्सेना को खतरा था। वे छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं इसलिये इन्क्वायरी कसे होती। यह भ्रष्टाचार की कार्यवाही में नहीं आता। जिनको खतरा था उन्हें वहां से हटा दिया गया है और जिस दूसरे को खतरा था, वह आदमी वहां नहीं हो तब तक कार्यवाही, जांच कैसे हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां जो डाक्टर काम करने वाले है, कर्मचारी हैं, उन्होंने यह लिख दिया है कि जब तक डा. शुक्ला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यहां है; बयान देना मुश्किल है। जो कलीग्स हैं उन्होंने भी लिख दिया है। फिर आप इन्हीं का ट्रान्सफर कर देते हैं और इन डाक्टर को जिनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं उनको वहीं रखते हैं, इसमें क्या कारण है?

श्रीमती सुमित्रा: हमने वहां नहीं रखा है। 15–7–68 को रिवर्जन पर, है। उनको रिवर्ट कर दिया गया था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जबकि भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, उस हालत में उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया गया?

श्रीमती सुमित्रा : रिवर्ट कर दिया है। सस्पेन्शन के लिये रिकमन्डेशन नहीं पहुंची है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और सतर्कता आयोग की रिकमन्डेशन मेरे विभाग के पास नहीं आयी है। काम सन्तोषजनक नहीं था। शिकायतें आयी थीं इसलिये रिवर्ट कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : रिवर्ट किया। जब यह आदमी दोषी है, उस हालत में क्या रिवर्ट करते हैं या सस्पेन्ड करते हैं?

श्रीमती सुमित्रा: मैंने कहा है, चूंकि रिकमन्डेशन नहीं पहुंची, फिर भी काम सन्तोषजनक नहीं था, इसलिये उनको रिवर्ट कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डिप्टी एस.पी. एन्टी करप्शन ने जो इन्क्वायरी की है उसमें इन डाक्टर के खिलाफ किशनगढ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और तिजारा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में नसबन्दी की 25 रसीदें मोटिवियेशन की बिल्कुल फर्जी पायी गयी है? उन लोगों ने जिनके नाम की रसीदें हैं, उन्होंने दफा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करवा दिये हैं?

श्रीमती सुमित्रा : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की अभी तक हमारे पास इस सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आयी है कि क्या क्या तथ्य सामने आये हैं। कौनसी शिकायतें सही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि सन् 1965 में विजिलेंस कमीशन के द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में जब डा. शुक्ला मलेरिया विभाग अलवर के मेडिकल आफिसर इंचार्ज थे, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करायी गयी थी उस पर गवर्नमेन्ट ने यह डिसीजन लिया था उप शासन सचिव, मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट द्वारा कि यह आँफिसर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अयोग्य है। इसलिये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी नहीं दी जाय। इसकी सिफारिश की है।

श्रीमती सुमित्रा: जी नहीं। जब सन् 65 में ये मलेरिया में थे, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इसकी जांच की और जांच में कोई शिकायत सही नहीं पायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस प्रश्न में यह क्लीयरली साफ है कि यह डाक्टर जो मलेरिया डिपार्टमेंट में था, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनमें से कई साबित हैं। यह अलग है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उन्हीं को फेमिली प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का इन्चार्ज बना दिया गया है। उनके खिलाफ चार्ज है झूठी रसीदें बनाने का। इस तरह की रसीदें बनाकर हजारों रुपयों का गबन किया गया है।

Page No. 5

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ऐसी 27 रसीदें साबित हो गयी हैं और 360 रसीदें और हैं। ये डाक्टरों को फिजिकल असाल्ट करने की धमकी देते हैं। उनके समर्थक कहते हैं डाक्टर सुषमा संभल कर रहना। कोई कार्यवाही नहीं करना। तुम्हारी यहां खैर नहीं है। डा. शुक्ला इस तरह की धमकी देता है। किन्तु उसको पदोवनत कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद उसको वहां से नहीं हटाया जाता है। उसको वहीं रखा जाता है। उस पद पर रहने के लिये उसे सहूलियतें दी जाती है ऊपर से यह किया जाता है। ऊपर से पावर एक्सरसाईज की जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं एक एम. एल. ए. के कहने पर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुख्य मंत्री जी के इस प्रकार के आदेश हैं कि उनको वहां से नहीं हटाया जाय क्यों कि उनके पीछे वहां के एम. एल.ए. के जाने का खतरा है जिनके नाराज होने पर इनकी सरकार खत्म हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। जिस डाक्टर को निलंबित कर सरण्डर किया जाना चाहिये उसको उसी जगह पर रख रखा है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। श्री मनोहरसिंह मेहता।

मांडलगढ़ तहसील में जमीन का एलाटमेन्ट

294. **श्री मनोहर सिंह मेहता** : (मांडलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडलगढ तहसील भीलवाडा में किन किन व्यक्तियों को सरकार द्वारा बाला बाला जमीन अलोट की गई है ?

(2) क्या जिन जिन को जमीन अलाट की गई हैं वे हाथ से खेती करने वाले हैं और उनका मुख्य व्यवसाय खेती ही है ?

(3) क्या जिन जिन को जमीन अलोट करने के आदेश हुए हैं तथा अलोट की गई है उनके नाम पर पहले भी जमीन है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) जिन जिन को जमीन देने के आदेश हुए हैं वह जमीन कमान्ड एरिया की है या बारानी ?

(5) बारानी तथा कमान्ड एरिया की जमीन अलोट करने के लिए कमेटी बनी हुई है, ऐसी स्थिति में बाला बाला जमीन अलोट करने की क्यों जरूरत पेश आई ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसकी सूचना पूरी प्राप्त नहीं हुई है अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय फिर तो असेम्बली स्थगित होने वाली है लोग हजारों बीघा जमीन दबा लेंगे। इसका जवाब दिलवाया जाना चाहिये।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): मेरा जुलाई का दिया हुआ प्रश्न है उसका जवाब भी नहीं आया है।

श्री गंगाराम चौधरी: 16 सितम्बर को जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया। श्री नत्थीसिंह।

छात्रावासों में प्रवेश पाने के लिये समिति

298. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास में प्रवेश पाने के लिये कोई समिति बनी हुई है? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष उक्त छात्रावासों में प्रवेश के लिये समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त समिति की बैठक की कोई विधिवत् सूचना सदस्यों को नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? यदि दी गई तो किस किस मीटिंग की सूचना किन किन सदस्यों को कब कब दी गई?

(3) क्या उक्त छात्रावासों में प्रवेश देने के कोई आधार नियत किये गये हैं? यदि हां, तो क्या और क्या इन्हीं आधारों पर छात्रों को प्रवेश दिया गया है?

(4) क्या जिन छात्रों को प्रवेश इस वर्ष दिया गया है उसमें प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत निवासी छात्रों को प्रवेश मिल सके तथा गरीबों को प्राथमिकता दी जाय, इस बात का भी ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? पंचायत समिति वार प्रवेश पाने वाले छात्रों की सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी हां। छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति के सदस्य निम्न प्रकार है:

(1) श्री रामकिशन जिला प्रमुख, भरतपुर।
(2) श्री नत्थीसिंह सदस्य, विधान सभा।
(3) श्री नत्थीलाल सदस्य, विधान सभा।
(4) उप-निरीक्षिका, शिक्षा विभाग भरतपुर।
(5) निरीक्षक विद्यालय, भरतपुर।

(2) यह सही नहीं है। सदस्यों की सूचना सर्व प्रथम इस कार्यालय पत्र संख्या 1202–16 दिनांक 20-6-68 तथा दिनांक 12-7-68 को नहीं आने पर कार्यालय पत्र संख्या 1346–49 दिनांक 12-7-68 से दिनांक 15-7-68 को मीटिंग की सूचना विधिवत् दी गई यह सूचना उपरोक्त सभी सदस्यों को दी गई।

(3) जी हां, छात्रावास में छात्रों को प्रवेश देते समय विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा सलाहकार समिति की सहमति के साथ प्रवेश दिये गये हैं। प्रतिलिपि सलाहकार समिति के निर्णय की संलग्न है। छात्रावास में प्रवेश के नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पंचायत समितियों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिये विभागीय कोई नियम नहीं है। जो छात्र प्रवेश के लिये

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं उन्हीं छात्रों के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाता है। पुराने छात्रों को लिये जाने के उपरान्त प्रथम श्रेणी से पास छात्रों को प्रवेश दिया जाता है उसके बाद विज्ञान तथा तक्नीकी शिक्षा के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रवेश से पूर्व प्रत्येक छात्र से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाता है कि उसकी आय की स्थिति अच्छी नहीं है तथा घर का वातावरण अनुकूल नहीं है। इससे गरीब को स्वत: प्राथमिकता मिल जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रामकिशन जी कब कब मिटिंग में आये यही बता दी जिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

स्वर्णकारों को सहायता

296. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व स्वर्ण नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 66-67 में स्वर्णकारों की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 80 लाख रुपये प्रदान किये थे ? यदि हां, तो इनमें से कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से कोई धनराशि नहीं मांगी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास स्वर्णकारों के कोई आवेदन-पत्र इस दृष्टि से विचाराधीन नहीं हैं ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): 1 जी नहीं। वर्ष 66-67 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को केवल 27 लाख रुपये की राशि स्वर्णकारों को ऋण स्वरूप वितरण करने हेतु स्वीकार की गई थी एवं इस राशि में से 18,40,000 रुपया वास्तव में स्वर्णकारों को ऋण के रूप में वितरण किया गया।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस वर्ष भारत सरकार से 28,85,000 रुपये की मांग की थी परन्तु भारत सरकार ने 8,00,000 रुपये की राशि ही स्वीकार की तथा गत वर्षों में (64-65, 65-66, 66-67) में स्वीकृत राशि में से बची हुई राशि भी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार 7,61,000 रुपये गत वर्षों की शेष राशि की स्वीकृति भी मिली थी। इस वर्ष कुल राशि जो स्वर्णकारों को ऋण स्वरूप वितरित करनी है वो 15,61,000 रुपये है। इसका वितरण जिलाधीशों को उनकी मांग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वर्णकारों के कितने प्रार्थना-पत्र ऋण और अनुदान के लिये 66-67 में राज्य सरकार को प्राप्त हुए ?

श्री गंगाराम चौधरी: टोटल नम्बर मैं बता नहीं सकता। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कुल कितने प्रार्थना-पत्र गत वर्ष प्राप्त हुए और उनको कितनी धनराशि दी गई और कितनी सरेन्डर हुई ?

Page No. 8

श्री गंगाराम चौधरी: 15 लाख 61 हजार रुपये दिये गये जिसमें से अलवर जिले को 1.50 हजार ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 66-67 में जो भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ वह 27 लाख रुपया था उसमें से 18.49 हजार वितरित किया बाकी का लेप्स क्यों किया ?

श्री गंगाराम चौधरी: मार्च 66 में जिलास्तर पर जितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उन्हीं को ऋण दिया जा सकता था और उन्हीं को दिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 64 से 66 तक जो राशि आपको मिली उसमें से आपने 7 लाख 61 हजार की धनराशि ड्रा नहीं की इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्या की ?

श्री गंगाराम चौधरी: सभी जिलाधीशों को लिखा है जिन स्वर्णकारों के प्रार्थना-पत्र 31 मार्च सन् 66 तक के पडे हुए हैं और उसके बाद में भी जो अतिरिक्त राशि मांगते हैं 68 तक भी मांग पत्र प्राप्त हो जाय तो उनको स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 68-69 के लिये आपने कितनी धनराशि की मांग की है ?

श्री गंगाराम चौधरी : 12 लाख रुपया भारत सरकार से मांगा गया है ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढदार

न्यायालय में हिन्दी में कार्य

297. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर): क्या भाषा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 26-1-68 से राज्य में हिन्दी में समस्त कार्य किये जाने को आदेश न्यायालयों पर लागू नहीं होता ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस दिशा में अपनी क्या नीति रखती है ?

(2) क्या राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त कार्य हिन्दी में तुरन्त किये जाने हेतु कोई अनुज्ञा जारी करने का विचार है ?

उत्तर

भाषा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) (1) दिनांक 26-1-68 से राजस्थान राज्य में सम्पूर्ण हिन्दी प्रयोग के विषय में जो आदेश तारीख 8-12-67 को जारी हुए थे हाई कोर्ट के अधीन न्यायालयों पर लागू नहीं होते हिन्दी के विषय में राज्य सरकार की नीति यह है कि इन अदालतों में भी हिन्दी का प्रयोग हो और इसके लिये सिवल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं ।

(2) ऐसा आदेश पहले ही जारी हो चुका है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार के जो आदेश जारी किये गये क्या उनकी अनुपालना न्यायालय में होती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जो न्यायालय हाई कोर्ट के अन्तर्गत आते हैं उनके कार्य में हम इन्टरफीयरेन्स नहीं कर सकते । जो न्यायालय हमारे अधीन हैं उनको इसके लिये लिख दिया है और वे इसका पालन करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: सी. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के जिन सैक्शन्स के अन्तर्गत

Page No. 9

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है उनकी अनुपालना नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: हाई कोर्ट को क्या आपत्ति है वह तो वही बता सकते हैं। जहां तक हमारी तरफ का ताल्लुक है हमने तो आदेश जारी कर रखे हैं हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजी में अंग्रेजी के निर्णय को ही मान्यता प्रदान करता है। हाई कोर्ट ने यह कोई आदेश जारी नहीं किया है डिस्ट्रिक्ट जजी में अंग्रेजी में नहीं लिखकर हिन्दी में ही लिखे जावें निर्णय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: जिन न्यायालयों में हिन्दी में कार्य होता है क्या राज्य सरकार ने उनके लिये हिन्दी टाइप की व्यवस्था कर दी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जितनी डिमान्ड आती है हिन्दी के टाइप की उतनी डिमान्ड पूरी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत बनेठा की ऑडिट रिपोर्ट

298. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बनेठा, पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 64-65 में सरपंच द्वारा कई अनियमितताएं करने का उल्लेख किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 4 से पैरा 21 में जो आक्षेप लगाये गये हैं उन पर अब तक जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त रिपोर्ट में सरपंच पर रकम के दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप होते हुए भी उसके विरुद्ध पंचायत एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और यदि की गई है, तो क्या ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां।

(2) जी नहीं। आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(3) जी नहीं। जिलाधीश प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह: यह कार्यवाही कब की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 5-6-68 से 12-6-68 तक वहां कैम्प लगा कर कार्यवाही की गई है। ऑडिट ऑब्जेक्शन है। विभागीय जांच जरूरी है, जिलाधीश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

भूमि के नवीनीकरण के मुकदमें

299. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के नवीनीकरण सम्बन्धी मुकदमें सन् 1960 से 1967 तक उपनिवेशन तहसील रावतसर, हनुमानगढ व सूरतगढ 1 व 2 में व ए. सी. सी. हनुमानगढ व सूरतगढ तथा डी. सी. सी. बीकानेर में कितने कितने दर्ज हुए ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) फैसला कितने का हुआ और जेर कार कितने हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर काश्तकारों के मुकदमें खारिज किये गये हैं ? कितने मुकदमें काश्तकारों के पक्ष में व कितने विपक्ष में फैसले हुए ?

(4) क्या यह सही है कि काफी काश्तकार जिनके पास भूमि कब्जा काश्त की थी, वे खारिज होने के बाद भूमिहीन हो गये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे काश्तकारों के लिये अपील करने का मौका कानूनन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह): (1) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा संकार्य क्षेत्र कायम होने के बाद आरजी काश्त भूमि की नवीनीकरण सम्बन्धी मिसलें जिस कदर सन् 1960 से 1967 तक दर्ज हुई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार हैं:—

क्रम सं.	नाम कार्यालय	कुल दर्ज
1.	डी.सी.सी., बीकानेर ..	719
2.	ए. सी. सी., हनुमानगढ़ ..	—
3.	ए. सी. सी., सूरतगढ़ ..	—
4.	तहसील रावतसर ..	253
5.	तहसील हनुमानगढ़ ..	75
6.	तहसील सूरतगढ़ नं. 1 ..	364
7.	तहसील सूरतगढ़ सर्किल नं. 2	250
	कुल योग ..	1661

(2)

फैसला	जेर कार	कुल
521	140	1661 .

(3) यह सही नहीं है। पक्ष में और विपक्ष में हुए फैसलों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

फैसला पक्ष में	फैसला विपक्ष में	कुल
727	794	1521

(4) जी नहीं।

(5) राजस्थान कोलोनाईजेशन (टेम्प्रेरी कल्टीवेशन लीजेज) कन्डीशन, 1955 की धाराओं के अनुसार तहसीलदार आरजी काश्त पर रकबा दे सकता है। परन्तु क्योंकि राजस्थान नहर बृहद योजना में शुमार है और इससे सिंचित होने वाली भूमि कीमती है। अत: काश्तकारों की सहूलियत को ध्यान में रखकर सन् 1960 से अब तक ऐसे सभी आरजी काश्तकारों की दरख्वास्तों, अपील निगरानियां या नजरसानियां पर जुदा जुदा उपायुक्त उपनिवेशन या आयुक्त उपनिवेशन, राजस्थान नहर योजना, बीकानेर द्वारा पुन: विचार किया गया है। उक्त टेम्प्रेरी कल्टीवेशन लीजेज कन्डीशन की धारा (22) के अनुसार उपयुक्त उपनिवेशन का निर्णय अन्तिम है व उनके आदेशों के विरुद्ध आयुक्त उपनिवेशन धारा (122) के अधीन ऐसे विवादों में मध्यस्थता कर अन्तिम आदेश दे सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ आरजीकाश्त

Page No. 11

(श्री मनफूलसिंह)
रकबे से संबंधित विवाद है। अतः ऐसे विवादों में आयन्दा अपील करने का कानूनन प्रावधान नहीं है और नाही सरकारी रकबे की बाबत किसी भी पार्टी का कोई हक बनता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि आइटम नं. 4 में यह पूछा है कि किन काश्तकारों की कब्जे की भूमि थी, उनको बेदखल किया गया है और वे भूमिहीन हो गये हैं। क्या यह सत्य है ?

श्री मनफूलसिंह : यह सत्य नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे सत्य नहीं है। सबको बेदखल कर दिया गया है वे सब भूमि हीन हो गये हैं। यह बात बिल्कुल छुपाई गई है।

श्री मनफूल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये उन काश्तकारों के लिये कहते हैं जो सम्मिलित परिवार हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी थी लेकिन टेम्प्रेरी अलाटमेन्ट रूल्स के अन्दर वे नहीं आते थे इसलिये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और दूसरे 55 के बाद जिन्होंने करवाई है वे भी रूल्स में नहीं आते थे और तीसरे जो राजस्थान के नहीं हैं उन्होंने भी दरख्वास्ते दी थीं, उनको कैन्सिल कर दया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जितने मुकदमें दर्ज हैं उनमें बाद के काश्तकारों के काफी दर्ज हैं. और उनको कामयाब होने के बाद बेदखल किया गया है।

श्री मनफूल सिंह : 55 से जिनके पास जमीनें हैं और ज्वाइन्ट परिवार से अलग रहना साबित कर सकते हैं, उनको जमीन अभी भी दी जा सकती है इस पर फिर विचार हो सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : 1955 से सब खातेदार हैं और उन्होंने मुकदमें किये हैं, उनको बेदखल कर दिया गया है।

श्री मनफूल सिंह : जिस तरह के नाम दिये हैं, उन पर फिर विचार हो जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। 1955 में काश्तकारों के हक में मुकदमें हुए हैं, क्या उनको बेदखल नहीं किया गया है ?

श्री मनफूल सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि 55 के पहले के जो काश्तकार हैं, और साबित कर देंगे और राजस्थान के रहने वाले होंगे और ज्वाइन्ट परिवार से अलग रहते हैं तो जमीन जरूर अलाट हो सकती है। आप मुझे इन्सटान्स दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने मुकदमें लडे और कामयाबी हासिल की, उनको बेदखल किया गया है वे खातेदार हैं, उनके नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उठता है। उन लोगों ने अदालतों में कामयाबी हासिल की है उनको बेदखल किया गया है, इस बारे में सरकार का क्या कहना है ?

श्री मनफूलसिंह : इसकी जांच करवा सकते हैं। आप लिस्ट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठल भाई

Page No. 12

माही बांध की डूब में आने वाली जमीन ।

300. **श्री बिट्ठल भाई** (पीपलखूंट-सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माही बांध की डूब में आने वाली जमीन पर बसे कितने किसानों को सरकार ने अब तक नई जमीनें देकर बसा दिया है ?

(2) जिन्हें अब तक नहीं बसाया गया है उन्हें बसाने के कारण क्या क्या हैं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (1) माही बांध की डूब में आने वाली जमीन पर बसे किसी किसान को नई जमीन देकर नहीं बसाया है ।

(2) प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति अपेक्षित है । प्राप्त होने पर डेम का कार्य शुरू होने पर उन्हें दूसरी जगह बसाने का कार्य शुरू किया जावेगा ।

श्री बिट्ठल भाई : डेम का कार्य अभी शुरू नहीं है क्या ?

श्री मनफूल सिंह : अभी प्रारम्भिक जांच चल रही है । सर्वे हो चुका है प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं आई है । इस लिये काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री बिट्ठल भाई : आपकी कितने साल से प्लानिंग चल रही है ?

श्री मनफूलसिंह : यह राजस्थान सरकार की बस की बात नहीं है । प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति आने के बाद ही कार्य शुरू हो सकेगा । ।

श्री राम किशन : बस की बात नहीं, यह पूछ रहे हैं कब से विचाराधीन है ?

श्री मनफूलसिंह : जांच की बात नहीं है वह केन्द्र से · · · · ·

श्री केसरी सिंह हाडा : यह स्कीम कब से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : कब से विचाराधीन है ?

श्री मनफूल सिंह : मेरे पास निश्चित समय नहीं है । मालूम करके बता सकता हूं ।

श्री भवन लाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मंत्री महोदय ने बताया प्रश्न खंड 1 में कहीं नहीं बसाया, क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है कि डूब में जो आये हैं उनको बसाने की कोई स्पेशियली योजना बनाकर कि अमुक अमुक आदमी को कहां कहां बसाने की कोई योजना है ?

श्री मनफूल सिंह : योजना बनाई है ।

श्री केसरी सिंह हाडा (हिन्डौन) : कितने परिवार इफेक्टेड होंगे ?

श्री मनफूल सिंह : इसके अन्दर में डिटेल से बता सकता हूं । बांसवाडा, डूंगरपुर, जिले की कृषि भूमि इस में नहीं आई है । बांसवाडा 9656 और 3522 और बांसवाडा में 6568 कुल 23546 और घरों की संख्या 500 है · · · · ·

श्री केसरीसिंह हाडा : प्रश्न यह नहीं है कितने परिवार इससे इफेक्टेट होंगे परिवारों की संख्या बतायें ।

श्री बिट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं । मैंने माही बांध के लिये पूछा है ।

Page No. 13

श्री मनफूलसिंह : मैंने माही का निवेदन किया है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री नाथूराम करोल (जमवा रामगढ) : डूंगरपुर माही में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : अभी जवाब पूरा होने दीजिये।

श्री मनफूल सिंह : मेरे पास जो सूचना है, वह माही की है।

श्री नाथूराम करोल : किस डेम में आने वाला है। माही में एक भी गांव आने वाला नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माही बांध की डूब में जितनी जमीन आई है, उसको बसाने में योजना आयोग की किस स्वीकृति का राज्य सरकार इन्तजार कर रही है ?

श्री मनफूलसिंह : प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति अभी नहीं आई है, यह मैंने निवेदन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस बात की ?

श्री मनफूलसिंह : बांध बनाने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या बांध बनाने का काम बिना स्वीकृति के ही प्रारम्भ कर दिया गया ? मंत्री जी को मालूम नहीं है कि माही बांध का कार्य कभी का शुरू हो गया है ?

श्री मनफूलसिंह : अभी नहीं हुआ है, प्लानिंग कमिशन की स्वीकृति नहीं आई तो कैसे शुरू हो सकता है ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : करोड़ों रुपया इस बांध पर खर्च हो चुका है ...

श्री विट्ठल : इस बांध पर कभी का कार्य शुरू हो गया है, करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि माही बांध का कार्य शुरू हो गया है ......

श्री अध्यक्ष : बांध में फर्क रह गया है।

श्री मनफूलसिंह : आपने माही बांध की डूब में आने वाली जमीन पर बसे किसानों को बसाने की बात पूछी है, वह निवेदन कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सर्वे के लिये नियुक्त स्टाफ है ? वह सर्वे का काम कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया !

विमुक्त जाति सेवा संघ

301. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में विमुक्त जाति सेवा संघ का निर्माण कब हुआ व इसकी कार्यकारिणी के सदस्य कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संस्थान को सरकार द्वारा हर साल कितना अनुदान दिया जाता है, और यह क्या कार्य करता है ?

Page No. 14

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(3) क्या इसके हिसाब का ऑडिट होता है ?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण विभाग (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : (1) राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ का निर्माण 15 जनवरी सन् 1954 को हुआ था। माह अक्टूबर 1964 से यह संस्था राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन कार्य कर रही है अतः कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) इस संस्था को पिछले पांच वर्षों में जो अनुदान स्वीकृत हुआ था उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां, इसके हिसाब का ऑडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा भी होता है और कुछ वर्षों का ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान जयपुर की ऑडिट पार्टी द्वारा भी किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस समय राज्य सरकार द्वारा इस संघ के लिये प्रशासक की नियुक्ति की गई, उस समय इस विमुक्त जाति सेवा संघ के सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट कौन थे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 64 में प्रशासक की नियुक्ति हुई थी उस वक्त इस संस्था के अध्यक्ष थे श्री हरिदेव जोशी, एम. एल. ए. और मंत्री थे श्री कल्याण विद्यार्थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रशासक की नियुक्ति राज्य सरकार ने किन कारणों से की ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी: इस संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री माणिक्यलालजी वर्मा का राज्य सरकार को पत्र प्राप्त हुआ था कि इस संस्था के कार्यों में कुछ अनियमितताएं है, इसलिये इसका प्रबन्ध, सरकार को स्वयं अपने हाथों में ले लेना चाहिए। इसलिए विभाग ने इसमें प्रशासक की नियुक्ति की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री माणिक्यलालजी वर्मा ने सरकार को लिखा कि इसके कार्यों में बहुत घोटाले हैं इसलिये सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उस आधार पर सरकार ने इस संस्था को अपने हाथ में लेकर प्रशासक नियुक्त किया, तो क्या राज्य सरकार ने राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ के कार्यों में घोटालों को माना ? तो उन घोटालों के संबंध में क्या राज्य सरकार ने जांच करवाई ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : राज्य सरकार ने उसकी जांच ए. जी. की पार्टी से भी करवाई और अपने स्वयं के विभागीय अकाउन्ट्स ऑफिसर के द्वारा भी जांच करवाई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई, तो दोषियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस पोजीशन को माननीय सदस्य को एप्रिशियेट करना चाहिये कि वे कोई राज्य कर्मचारी नहीं थे, एक स्वयं-सेवी संस्था में कार्य करने वाले थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री हरिदेव जोशी, वर्तमान मंत्री इस विमुक्त जाति सेवा संघ के चेअरमैन थे, उनके समय में इस संस्था में कितने घोटाले हुए हैं ? यह आपको मालूम नहीं है । यह इस सदन को मालूम है कि इस संस्था की जमीन को हड़पने के आरोप उन पर लगाये गये ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज़ ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जानकारी आपको नहीं है, सदन को जानकारी है । विमुक्त जाति सेवा संघ जिसके संबंध में श्री माणिक्यलालजी वर्मा ने शिकायत की राजस्थान सरकार के पास कि इस संस्था के कार्य में, इस संस्था के हिसाब में बड़े घोटाले हैं, इस संबंध में जो माणिक्यलालजी वर्मा द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा गया, उसके संबंध में, दोषी कर्मचारियों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई राज्य सरकार द्वारा, यह आप बताइये ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : प्रशासक की नियुक्ति के बाद ए. जी. की पार्टी से जांच करवाई गई तो इस संस्था के कामों में, हिसाब में कई प्रकार की अनियमिततताएं बताई गई हैं । इस प्रश्न के द्वारा मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ है । सारे तथ्यों की जानकारी करने के बाद जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ काफी कड़ी कार्यवाही की जायगी । मैंने रिपोर्ट का अभी पूरा अध्ययन नहीं किया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आखिरी पैरा में मांग की थी कि ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय, वह सदन की मेज पर नहीं रखी ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : प्रश्न के अन्तिम भाग में इतना ही लिखा है "क्या इसके हिसाब का ऑडिट होता है ?" सदन की मेज पर ऑडिट रिपोर्ट रखने का आपने नहीं पूछा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या समय पर आडिट होता है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ऑडिट नियमानुसार होता है। सरकार ने विशेष तौर पर इसका ऑडिट करवाया है, ए. जी. की पार्टी से रिक्वेस्ट कर के ऑडिट करवाया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इस विमुक्ति जाति सेवक संघ में कितने घोटाले हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विमुक्त जाति सेवक संघ के कार्यों में और हिसाब में कई घोटाले हैं, यह मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है । इस संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के घोटालों की शिकायत करने पर राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया, इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इससे आपके हाथ मजबूत होंगे । क्या आप आडिट रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने मांग नहीं की थी, नहीं तो यह भी किया जाता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
की मेज पर रखी जाय, तो मंत्री महोदय ऑडिट रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रख देंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैंने अभी उस रिपोर्ट का पूरा अध्ययन नहीं किया है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय ने कहा कि इस रिपोर्ट का उन्होंने अभी अध्ययन नहीं किया है, इसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इस प्रश्न को काफी समय लग गया है, अध्यक्ष महोदय दूसरा प्रश्न लिया जाय.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्रथम प्रश्न ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तत्काल तो म उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की स्थिति में नहीं हूं, मैंने, उस रिपोर्ट का पूरा अध्ययन नहीं किया है ....

श्री जयनारायण व्यास लोदिया : बाद में रख दीजिये । सेशन समाप्त हो उससे पहले पहले रख दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : क्या ऑडिट रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अभी अध्यक्षजी, मैंने उस ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, अभी तक उसे पूरा पढा नहीं है, इसलिये यह राय मैं उसको पूरा पढने के बाद ही कायम कर सकता हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पढने को समय नहीं मिला तो यह कौनसा कानून है कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर ही नहीं रखेंगे, रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखिये, हम भी पढेंगे, आप भी पढते रहना ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिना पूरी जानकारी के कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट को रखेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वालंटेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने में आपको क्या एतराज है ? आपने कोई प्रिविलेज भी क्लेम नहीं किया है ....

श्री अध्यक्ष : आप प्रिविलेज की ओर और संकेत दे रहे हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कभी प्रिविलेज क्लेम नहीं हो सकता, अगर ये क्लेम करें भी तो माननीय अध्यक्ष आप यहां विराजमान हैं, उस प्रिविलेज को चैलेंज कर सकते हैं । इसलिये ऑडिट की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहिये, आज नहीं तो सदन स्थगित हो उससे पहले पहले ऑडिट रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रख दीजिये ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : रिपोर्ट को देखे बिना कैसे उसके कन्टेन्ट्स के बारे में बगैर जाने रखने का कह सकता हूं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट में कम घोटाले होंगे तो उसको सदन की मेज पर रखेंगे, अधिक घोटाले होंगे तो सदन की मेज पर नहीं रखेंगे, यह कौनसा लॉजिक है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस प्रश्न में ऑडिट रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के बारे में कोई मांग नहीं की गई है।

श्री जयनारायण व्यास : मैंने पूछा है कि समय समय पर इसका ऑडिट होता है या नहीं ? आपने उत्तर दिया कि होता है तो दूसरा प्रश्न यही पैदा होता है कि उसको सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 288 की तरफ दिलाता हूं, जो भी इस सदन में कोट किया जाता है

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I have not quoted this report, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, यह इस प्रश्न में उल्लिखित है, ऑडिट का। यह नहीं कि सदन की मेज पर रखा जाय। पर माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है सदन की मेज पर रखने में ? आपने कहा कि आपने उसको पूरा पढा नहीं है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, इसका पता नहीं है। मैं समझता हूं, इस ऑडिट रिपोर्ट को यदि माननीय सदस्य इस पर सहमत होते हैं तो मुझको दिखा दी जाय, उसके बाद आपका कोई क्लेम हो तो रखें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसको मैं स्वीकार करता हूं, आपके आदेशानुसार आपको पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री मूलचन्द डागा।

हेमावास बांध के पानी का वितरण

*302. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या हेमावास बांध से जो पानी का वितरण होता है, उसमें सरकार कुछ रद्दोबदल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सत्य है कि नेहरी जमीन वालों को पानी की मात्रा पहले से अधिक मिलेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सत्य है कि हेमावास बांध का कमाण्ड एरिया कम किया जायेगा ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिन काश्तकारान के पास 30 बीघा भूमि है उनको पानी बडे काश्तकारान के मुकाबले में ज्यादा दिया जायगा और बडे काश्तकारान को पानी अनुपात से कम दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मानसिंह) :

(1) अभी मामला विचाराधीन है।

(2) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(3) अभी विचाराधीन है।

(4) अभी मामला विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : मेहरबानी करके यह तो बता दीजिये कि कब तक निर्णय ले लेंगे।

श्री मानसिंह : चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और बीच में से

(श्री मनफूल सिंह)
कम काश्तकार को शत प्रतिशत इन्टेन्सिटी हो और दस बीघा से ऊपर वालों को दस बीघा तक शत प्रतिशत इन्टेन्सिटी और उस से ऊपर 23 प्रतिशत इन्टेन्सिटी दिया जाये, यह रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और जल्दी ही हम निर्णय ले लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : दस बीघा से ऊपर जिन के पास बीस बीघा है उनको केवल 15 बीघा का ही दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह आप कर दीजियेगा। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 303

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकर लाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो घर में ही पूछ लिया करो न।

पंचायत समिति एवं तहसील पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट

304. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पंचायत समिति एवं तहसील पुनर्गठन आयोग द्वारा राजस्थान में पंचायत समितियों एवं तहसीलों को सम सीमान्त करने संबंधित आखिरी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है और सरकार द्वारा इस संबंध में आखिरी निर्णय कब तक लिया जायगा ?

(2) क्या इस प्रकार का निर्णय होने तक पंचायतों के चुनाव स्थगित रहेंगे ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :
(1) रिपोर्ट जून, 1969 तक तैयार होने की आशा है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

(2) पंचायती राज संस्थाओं की कार्य अवधि तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष करने का प्रश्न विचाराधीन है। निर्णय के बाद इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा।

श्री शंकरलाल : क्या पंचायत समितियों और तहसीलों की सीमा के पुनर्गठन के साथ साथ पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जायेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आप पंचायत मंत्रीजी से पूछें, उनसे संबंध रखता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, राजवी श्री रूपसिंह !

स्पेशल पे

305. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस किस पद के साथ स्पेशल पे है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) स्पेशल पे बन्द करने से सरकार को कितने रुपयों की बचत हो सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि स्पेशल पे बन्द करने से इन ऑफिसरों के कार्य की क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं आयेगा ?

(राजवी श्री रूपसिंह)

(4) क्या सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्पेशल पे बन्द करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची में पदों के नाम तथा दर अंकित हैं।

(2) विशेष वेतन का विस्तृत विवरण (अनुमान) उपलब्ध नहीं है क्योंकि वेतन और विशेष वेतन दोनों आय-व्ययक अनुमान में एक साथ दिखलाये जाते हैं। वेतन आयोग ने बड़े सरकारी विभागों में विशेष वेतन पर होने वाले खर्च का रु. 78,20,980 का अनुमान लगाया है। चूंकि समस्त विशेष वेतन समाप्त नहीं किये जा सकते हैं, इसलिये मितव्ययता किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) विशेष वेतन किसी पद के कठिन कार्य-भार या अतिरिक्त कार्य-भार को ध्यान में रख कर दी जाती है। विशेष वेतन देने से कार्य-कुशलता पर प्रभाव पडता है व न देने से कार्य कुशलता में अन्तर आ सकता है।

(4) यह प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): आपने प्रश्न तीन में बताया ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज प्रश्न कर्ता।

राजवी श्री रूपसिंह : स्पेशल पे देने के लिये जो आपने क्राईटेरिया बना रखा है वह क्या हर डिपार्टमेन्ट के लिये अलग से है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हरेक डिपार्टमेन्ट में हरेक कार्य के लिये अलग अलग विशेष वेतन है और वह अतिरिक्त कार्य या कठिन कार्य भार को देखते हुए दिया जाता है। माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि राणावत कमीशन की रिपोर्ट, जो एक सितम्बर से लागू की गई है, में स्पेशल पे के बारे में कुछ रिकमन्डेशन्स हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और जल्द ही उन पर निर्णय लिया जायेगा कि कौन से पदों की स्पेशल पे खत्म की जाये और कौन से पदों पर दी जाये। इसलिये कौन से विभाग में कौन से पद पर विशेष वेतन दिया जाता है, यह इस समय कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवण लाल।

पंचायत समिति हिंडौन द्वारा संचालित चर्म उद्योग

306. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा कोई चर्म उद्योग चलाया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब चालू किया गया और उस पर कितना रुपया किस-किस साल में खर्च हुआ ?

(3) क्या यह उद्योग इस समय भी चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस उद्योग से कितना नुकसान सरकार को हुआ है ?

(4) क्या यह भी सच है कि इसकी जांच जिलाधीश द्वारा भी कराई गई थी ? यदि हां,

(श्री श्रवण लाल)

क्या की गई जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उपमंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(1) जी हां।

(2) दिनांक 15-6-62 से चालू किया गया था जिस पर 1962-63 व 1963-64 में कुल 0.28 रुपये व्यय हुए।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति को नुकसान के कारण। नुकसान कुल 27,991.07 रुपये का हुआ।

(4) जी हां। सन् 1964 में जिलाधीश द्वारा जांच कराई गई थी।

श्री श्रवण लाल: यह जो ऑडिट रिपोर्ट थी, वह क्या आपने सदन की मेज पर रखी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी नहीं।

श्री श्रवण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (4) में यह स्पष्ट कहा है कि जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जाये। वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इसमें अभी जांच हो रही है। जब जांच चालू है तो अभी हमारे पास जांच रिपोर्ट आने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): इसमें खर्च कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री श्रवण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न 1965 से चला रहा हूं और हर दफा इसी प्रकार का जवाब मिलता है। (ये तो टालमटोल करते हैं।)

श्री अध्यक्ष: क्या टालमटोल करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री): टालमटोल करने का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार को अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये जांच रिपोर्ट के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

श्री श्रवण लाल: इसकी जांच कब से चल रही है, तारीख तो बतायें।

श्री परसराम मदेरणा: तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन कलेक्टर इसकी जांच कर रहा है।

श्री श्रवण लाल: यह उद्योग कब से बन्द है ?

श्री परसराम मदेरणा: 1964 से।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

श्री श्रवण लाल: अध्यक्ष महोदय, 1964 से यह उद्योग बन्द है और जो भी घोटाले थे उसमें कलेक्टर को जांच के लिये कहा गया। आज 1968 है तो उसमें वास्तव में टालमटोल की कार्यवाही हो रही है। 1964 से लेकर आज तक जांच चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या कर रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: चार पांच साल और चलेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मिलना चाहिये। कब तक जांच पूरी होगी ?

श्री अध्यक्ष: कलेक्टर के पास है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जुझारसिंह

फोरेस्ट लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज को ठेके

307. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा डिविजन के विभिन्न एफ. सी. सर्किलों में कितनी फोरेस्ट लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं? क्रमवार अलग अलग फॉरेस्ट डिविजन की सोसाइटियों के नाम, पता व पदाधिकारियों के नाम बताने की कृपा करेंगे?

(2) उपरोक्त फॉरेस्ट लेबर कोआपरेटिव सोसाइटियों को पिछले तीन सालों में किन-किन स्थानों पर किन किन कामों का कितनी बोली पर ठेका दिया गया है? यह भी बतायें कि ठेकों की रेट्स नार्मल ठेकों की अपेक्षा कितने कम या अधिक हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा अपने अधिकृत क्षेत्र के अतिरिक्त अधिक जंगल काटा गया है? यदि हां, तो विभाग की जानकारी के आधार पर किन-किन स्थानों पर कितना कितना? और इन पर कितना-कितना जुर्माना किया गया है या और कोई कार्यवाही की गई है?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसुदा): (1) कोटा डिविजन के विभिन्न वन मंडलों में रजिस्टर्ड वन श्रमिक सहकारी समितियां 26 हैं जिनकी सूचना संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न है। ठेकों की दरायत में सामान्य ठेकों की अपेक्षा संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) विभाग की जानकारी के आधार पर संलग्न तालिका में अंकित स्थानों पर समितियों द्वारा अवैध कटान किया है जिस पर कार्यवाही की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह: आपने जो अवैध कटाव के बारे में सूची दी है वह केवल 1967-68 की दी है। मैंने इससे पहले तीन वर्षों की सूचना मांगी थी वह आपने उपलब्ध नहीं की। क्या इसके पहले अवैध कटाव नहीं हुआ?

श्री नारायणसिंह मसुदा: अध्यक्ष महोदय, जो भी सूचना इकट्ठी की जा सकी है उसके अनुसार तालिका पेश कर दी है।

श्री जुझारसिंह: मैंने निवेदन किया कि मैंने पिछले तीन साल की सूचना मांगी थी और आपने जो तालिका दी है वह केवल 1967 की दी है, तो क्या यह मान लें कि इस वर्ष से पहले कोई अनधिकृत कटाव नहीं हुआ था?

श्री नारायणसिंह मसुदा: अध्यक्ष महोदय मेरे पास तो 1967-68 की फीगर्स ही हैं। बाकी की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह: यह जो आपने फर्माया कि विलाख जंगल उपज उत्पादन सहकारी समिति ने 2221 पेड काटे हैं, तो क्या उस एरिया के आस पास कोई ठेका सहकारी समिति को था या उन्होंने बिना इजाजत ही काटा है?

Page No. 22

श्री नारायणसिंह मसूदा : 2221 पेड अवैध रूप से काटने की बात है, इस की जांच भी की जा रही है। समिति ने इस बात का विवाद उठाया है कि जो एरिया उनको एक्स-टेन्शन के बाद में दिया गया था, उसके अन्दर उन्होंने काटा है। रेन्जर का कहना है कि उन्होंने अपनी एरिया के बाहर से काटा है। इसकी जांच हो रही है, उसके बाद ही कोई स्पष्ट किया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह: क्या यह सही है कि वहां पर जो ठेका दिया गया था वह राजस्व विभाग से दिया गया था न कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस ठेकेदार ने ही जंगल काटा है, सहकारी समिति ने नहीं काटा है?

श्री नारायणसिंहमसूदा : राजस्व विभाग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी जांच हो रही है।

श्री जुझारसिंह: कनवास रेन्ज के बारे में जो आपने कहा कि 2000 पेड काटे गये हैं जिससे 32 क्विंटल कत्था निकलता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2000 पेडों में से केवल 32 क्विंटल कत्था ही निकलता है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में भी चालान अदालत में पेश कर दिया गया है और जो कुछ माल वहां पर मिला उसको अभी जप्त किया गया है। अब यह इस हिसाब से नहीं है कि उतना ही कत्था होता है या नहीं : यह आगे की कार्यवाही के ऊपर है, [illegible] का चालान पेश कर दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पैमाना होता है कि कितनी हांडी इतने पेडों से निकलती है और इन्होंने दो-ढाई हजार एक्सट्रा पेड काटे हैं उससे 32 क्विंटल नहीं बल्कि 100 क्विंटल कत्था बनता है। बाकी का कत्था कहां गया है, किस तरह से गया है क्या वन विभाग ने इसके बारे में जांच करने की कोशिश की है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अदालत में चालान पेश कर दिया है। जो भी माल वहां पाया गया उसकी कुर्की हो रही है और सारी जांच हो रही है। बाकी के कत्थे का मामला सामने आयेगा तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री जुझारसिंह: मेरा प्रश्न यह है कि पेडों के हिसाब से कत्थे की प्राडक्शन होती है और जितने एक्सेस पेड काटे हैं उसके हिसाब से कितना कत्था होता है?

श्री अध्यक्ष : ज्यादा होना चाहिये और बरामद कम हुआ यही प्रश्न है?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : और मंत्री महोदय कहते हैं इसकी जांच हो रही है।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : कितनी हांडियों का ठेका दिया गया था?

श्री जुझारसिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो दो-ढाई हजार पेड एक एक ब्लाक में काटे जाते हैं तो वन विभाग का जो स्टाफ है वह इन दिनों में क्या करता रहता है? दस पांच कट जायें वहां तक तो रीजनेबल है लेकिन दो-दो और ढाई-ढाई हजार पेड कट जायें और एक एक साल में कई ब्लाक में कट जायें तो वन विभाग क्या करता है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नैक्स्ट, श्री केशरीसिंह हाडा।

सर्वे व इन्वेस्टीगेशन डिविजन का कार्यालय

308. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि 1 जुलाई, 67 को उदयपुर डिविजन के सर्वे व इवेस्टीगेशन को उसके साथ लगने वाले 3 सब-डिविजनों सहित बन्द कर देने के आदेश दिये गये थे ?

(2) क्या फिर जयपुर के सर्वे व इन्वेस्टीगेशन विभाग को बन्द करने के आदेश जारी कर दिये गये ?

(3) जब लघु सिंचाई योजनायें बून्दी में अधिक हैं तो फिर क्या कारण है कि इस विभाग को कोटा ले जाया गया ?

(4) 1 मई, 1967 तक यह विभाग क्या बून्दी में ही था ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूल सिंह):

(1) जी हां।
(2) जी हां।

(3) चूंकि कोटा व झालावाड का सर्वे का क्षेत्र भी इसी उपखण्ड के अधीन है इस कारण सुविधा की दृष्टि से हैड क्वार्टर कोटा रखा गया है।

(4) जी नहीं।

श्री केशरीसिंह हाडा : क्या यह कार्यालय कोटा में अभी भी स्थित है ?

श्री मनफूल सिंह : कोटा में रखा गया है इसलिये स्थित है ही।

श्री केशरीसिंह हाडा : आज की तारीख भी यह कोटा में है या जयपुर में है ?

श्री मनफूल सिंह : यह ऑर्डर्स हो चुके हैं। आज स्थित है या नहीं इसका मैं क्या कह सकता हूं।

श्री केशरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्यालय पहले उदयपुर में था। वहां से कोटा गया और कोटा से जयपुर आ गया जहां कोई लघु सिंचाई योजना का आधार ही नहीं है, और न हो सकता है। बून्दी और कोटा के अन्दर जहां लघु सिंचाई हो सकती है वहां से कार्यालय हटा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बून्दी के लिए वांछित आज्ञा हो गई है।

श्री केशरीसिंह हाडा : कब हुई यह आज्ञा ?

श्री मनफूल सिंह : झालावाड, कोटा और बून्दी तीनों जगह सर्वे और इन्वेस्टीगेशन का कार्य है और कोटा बीच में है इसलिए सुविधानुसार रखा गया है वहां पर।

श्री केशरीसिंह हाडा : कोटा में कार्यालय होने के आदेश जयपुर से वहां ले जाने के कब हुए ?

श्री मनफूल सिंह : 1-4-68 को।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलत राम सारण।

सांगानेर पंचायत के कोष में गबन की शिकायतें

300. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाडा की सांगानेर पंचायत के सरपंच श्री मदनलाल व सचिव श्री राम प्रसाद के विरुद्ध पंचायत कोष में गबन की शिकायतें हैं?

(2) यदि हां, तो ये शिकायतें कब से हैं? इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि इस गबन की जांच अनेक अधिकारियों ने की है? स्पेशल ऑडिट भी हुआ है और ये शिकायतें सही पायी गयी? कृपया बतलावें जांच किसने कब की? उनके क्या परिणाम रहे? ऑडिट रिपोर्ट जिसमें इस गबन का आरोप है, सदन की मेज पर रखी जाये।

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने जांच करके 409 का केस चालान करने व सरपंच को पकडने के लिये अधिकृत अधिकारी को राज्य सरकार से अनुमति मांगी है? यदि हां, तो कब? अनुमति अब तक नहीं देने के क्या कारण हैं?

(5) क्या यह सही है कि सरपंच को ईमानदार और व्यक्तिगत जानकारी वाला बतलाते हुए पुनः जांच करने के लिए कलेक्टर भीलवाडा को राज्य के किसी मंत्री ने पत्र लिखा है?

उपमंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) जी हां।

(2) सन् 1965 से। इस पर प्रारम्भिक जांच करवाई गई, आरोप-पत्र दिया गया। सरपंच का स्पष्टीकरण लेने के बाद एस. डी. ओ. भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच जारी है। गबन के आरोप में पुलिस में भी कलेक्टर द्वारा केस दर्ज करवाया गया।

(3) जी हां, जांच उप जिला विकास अधिकारी, भीलवाडा उप अधीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक भीलवाडा, सहायक परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग ने की। जिन्होंने शिकायत सही होना बताया।

(4) जी हां, जिलाधीश भीलवाडा ने मामले में और जांच करने के लिए निर्देश दिये।

(5) तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उनके समक्ष प्रस्तुत की गई संबंधित व्यक्ति को दरखास्त जिलाधीश भीलवाडा को कार्यवाही के लिये भेजी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसके भाग (1) में जी हां कहा है और (2) में कहा है जांच सन् 65 से जारी है यह सूचना सही नहीं है शिकायत पहले पहल 65 में नहीं आई बल्कि 61 में आई है क्या यह सही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास जो सूचना है उसमें 65 है।

श्री दौलतराम सारण : 1-8-61 को श्री केशरीलाल आगाल सांगानेर ने शिकायत की थी क्या यह सही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है आप कहते हैं जांच सन् 65 से शुरू है और क्या यह सही है कि जांच 62 से शुरू है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने कहा कि सन् 65 से चालू है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जांच सन् 62 से चालू है ?

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : राज्य सरकार के पास जो इत्तला है उसके अनुसार शिकायत जिस व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं आगाल उसने शिकायत जरूर की है लेकिन वह सन् 65 में आई है । उसके ऊपर हमने जांच के आदेश दिये थे और उसके बाद में जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई तो सरपंच का स्पष्टीकरण मंगाकर एस. डी. ओ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया और उसके बाद में मामला एन्टी-करप्शन के पास में चला गया इसलिए कागजात एन्टी-करप्शन विभाग के पास हैं । इसलिए एस. डी. ओ. इन्क्वायरी ऑफिसर हैं वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं दे सके हैं ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सन् 62 के अन्दर जांच की गई एस. डी. ओ. भीलवाडा द्वारा और उस जांच के अन्दर गबन सही पाया गया और उसके ऊपर कलेक्टर द्वारा सरकार से परमिशन चाही गई और सरकार ने परमीशन नहीं दी । इस बीच में वह फाइल खो गई । जो सन् ६२ में जांच करवाई गई थी उसकी फाइल खो गई क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : फाइल की बात आप कह रहे हैं । मेरे पास इत्तला है उसके अनुसार उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि फाइल खोई या नहीं । और मैं जानकारी करके पुख्ता तौर पर बता सकता हूं कि फाइल खो गई या नहीं । लेकिन राज्य सरकार से कोई भी परमीशन प्रासीक्यूशन के लिये नहीं मांगी है । इसलिए नहीं मांगी है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट ने इन्वेस्टीगेशन करने के बाद में इस प्रकार की राज्य सरकार को सिफारिश भेजने की जरूर कलेक्टर ने लिखा है लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर फर्दर इन्वेस्टीगेशन के आदेश वहां के डी. एस. पी. को दिये हैं । इसलिए राज्य सरकार से प्रासीक्यूशन के लिए इजाजत के लिए कोई दरख्वास्त कलेक्टर की तरफ से या उनकी तरफ से नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. भीलवाडा ने 3 जनवरी, 68 को इसके चालान के लिए परमीशन चाही थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार से कोई परमीशन नहीं मांगी गई क्योंकि कलेक्टर ने इन्वेस्टीगेशन के आर्डर्स दिये थे । जो कुछ रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर को दी है उसके आधार पर सूचना मिली है कि कलेक्टर ने फर्दर इन्वेस्टीगेशन की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, स्थगित प्रश्न ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि 13-1-68 को चालान की अनुमति जिलाधीश महोदय ने चाही थी ?

श्री परसराम मदेरणा: 5-1-68 को जिलाधीश ने स्वीकृति मांगी थी और जिला-

(श्री परसराम मदेरणा)
धीश ने फर्दर इन्वेस्टीगेशन के लिए कह दिया इसलिए हमारे पास स्वीकृति के लिए कोई कागज नहीं आये।

श्री दौलतराम सारण : 13-1-68 को जिलाधीश ने राज्य सरकार से अनुमति चाही थी क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं। 61 का मामला है। 65 में इन्क्वायरी हुई। पहले जांच की फाइल खो दी। इसकी जांच तीन-चार बार एन्टीकरप्शन विभाग से हो गई और जिलाधीश ने कर ली और सब में गबन होना सही पाया गया और कार्यवाही नहीं करते, यह क्या मतलब है ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ? सूचना पूरी नहीं, कार्यवाही पूरी नहीं। आखिर हम किस प्रकार से संतोष करें ?

श्र रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि जिलाधीश महोदय ने इनके खिलाफ मुकद्दमा दायर करने की अनुमति मांगी थी लेकिन इस बीच में शिक्षा मन्त्री जी का पत्र चला गया और उसके बाद में कलेक्टर ने दुबारा जांच के आदेश दिये हैं ?

(12 मध्यान्ह)

श्री परसराम मदेरणा : शिक्षा मंत्रीजी का जो पत्र है उसमें उन्होंने जांच रोकने की या दूसरी बात नहीं कही। उनके पास में एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन पर उन्होंने लिखा कि उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन्स जो हैं मंत्रीजी दौरे में जब कभी जाते हैं तो उनको दी जाती हैं और उस पर वे लिख देते हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, मगर उन्होंने जांच रोकने या उस तरह का कोई आदेश नहीं दिया।

श्री राम नन्द अग्रवाल : मंत्रीजी द्वारा जो एप्लीकेशन भेजी गई है उस पर उनका नोट था और उसके जाने के बाद कलेक्टर ने दुबारा एन्क्वायरी दायर की है। उस पर उन्होंने अनुमति मांगी थी। यह तथ्य सत्य है कि कलेक्टर के पास पुलिस ने 5-1-68 को प्रोसीक्यूशन की स्वीकृति के लिए लिखा और मंत्री महोदय के पास जो एप्लीकेशन एप्लीकेण्ट ने दी है वह 13-1-68 को दी है। कलेक्टर को उसकी इत्तिला नहीं है। प्रोसीक्यूशन की फाइल पर जब प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन के लिए इजाजत चाही तो कलेक्टर ने महसूस किया कि उस पर फर्दर इन्वेस्टीगेशन की जरूरत थी, कुछ मुद्दों पर इन्वेस्टीगेशन इन्कम्पलीट था तो उन्होंने उस पर आदेश दिया कि फर्दर इन्वेस्टीगेशन कराया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने उस एप्लीकेशन पर यह लिखा है कि मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि यह सरपंच ईमानदार है इसलिए इसके खिलाफ ये चार्जेज दुरुस्त नहीं हैं। क्या यह दुरुस्त है कि उन्होंने अपने नोट में ये शब्द लिखे थे उसके बाद में सारी दुनिया भर की एन्क्वायरी होकर.........

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : उसको बाद में ले लूंगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 310 बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में यदि समय अवशेष रहा तो ले लूंगा। स्थगित प्रश्नों को लिया जाना बहुत आवश्यक है। राजस्व मंत्री !

स्थगित प्रश्न

(3-9-68)

तहसील नोहर में भूमि का अलाटमेंट

18. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नौहर, जिला श्रीगंगानगर में गत वर्ष कितने काश्तकारों को कितने बीघा भूमि एलॉट की गई ?

(2) उक्त काश्तकारों को भूमि का पट्टा क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या सिंचित क्षेत्र से बाहर की भूमि एलॉटमेंट का नियम 10 साला है ?

(4) अगर हां, तो नौहर में एकसाला एलॉटमेंट करने से सरकार को क्या लाभ है ?

(5) क्या यह सही है कि साल दर साल भूमि को एलॉट करने से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में बाधा पहुंचती है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील नौहर जिला गंगानगर में 1966-67 में 1,195 काश्तकारों को 55,307 बीघा रकबा एलॉट किया गया।

(2) पट्टे छपे हुए उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिये जा सके।

(3) जी हां।

(4) एकसाला एलॉटमेंट कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता था।

(5) एकसाला एलॉटमेंट साबिक एलाटियों को ही होता रहा और किसी खास कारण बिना किसी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाता रहा तथा पिछले साल के काश्तकारान का ही रकबा रिन्यू किया गया जिससे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में बाधा नहीं पहुंची।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि काश्तकारों में साबिक एलाटीज को बदस्तूर रखने का और पट्टा देने का कहा है और उनको रिन्यू करने का उत्तर दिया है, लेकिन मैं यह उसके बाद में जानना चाहूंगा कि गत वर्ष जनवरी 22 के प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के आइटम नं. (5) में आपने यह उत्तर लिखा था कि जो साबिक एलाटी हैं 66 के उनको बदस्तूर रखा जायगा, लेकिन आज भी उन काश्तकारों के खिलाफ तावान नोटिस हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं और सरकार का जो आदेश यहां से गया है उसका पालन नहीं किया गया, तो क्या यह सत्य है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिनको एक साल के लिये एलॉटमेन्ट हुआ है उनको रिन्यू करने के लिये यहां से आदेश थे। जहां तक राज्य सरकार को जानकारी है उन्हीं को फिर से एलाट करने या उन्हीं को रिन्यू करने की ही कार्यवाही राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपका आर्डर है कि साबिक एलाटी को बदस्तूर रखा जाय, लेकिन वहां पर उनको बदस्तूर नहीं रखा जाता है और हजारों की तादाद में तावान लगा रहे हैं जो नोटिसेज आज उनके खिलाफ निकाल रहे हैं वे मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। जिनकी जमीन 66-67 में एलाट हुई है उसकी नकल और 25 नोटिसेज जो अभी जारी हुए हैं अगस्त में और जुलाई में उनको रखता हूं। इसके पूर्व भी काफी नोटिसेज काश्तकारों के खिलाफ निकले हैं और तावान मिसलें तहसील नोहर में हजारों की तादाद में मुर्तिब हुई हैं जिन पर आज भी कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अभी इनको आप रख लें और प्रश्न पूछ लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हजारों काश्तकारों के जीवन और मरण का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्पष्टीकरण, माननीय राजस्व मंत्री जी ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके बारे में राजस्व मंत्रीजी का उत्तर जानना चाहूंगा

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किये हैं उनका मैंने अभी निवेदन किया है कि उन्हीं एलाटीज को दुबारा रिन्यू करने के आदेश हैं। उसकी पालना में नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति ने रिन्यू के लिए दरख्वास्त दी है उसमें खामियां देखी हैं या कोई व्यक्ति नियमों के अन्तर्गत भूमि पाने का अधिकारी नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिसेज जारी हुए हैं धारा 90 या 91 के तहत, तो उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। जहां पर राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया है तो उसकी जानकारी करवा लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : नियमों के विपरीत इसलिए नहीं हैं कि पहले से ही नियमों के अन्तर्गत माने गये एलाटीज हैं इसलिए उन्हीं को तो आपने रिन्यू करने का कहा है। इसलिए नियमों के विपरीत नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : सामान्यतः ऐसा ही होता है, फिर भी खामियां रह गई हों पहले के आवंटन में।

श्री दौलतराम सारण : पहले के आवंटन में खामियां रह गई हों उसको वहां के अधिकारी कैन्सिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अपीलेट आथोरिटी ही उनको कैन्सिल कर सकती है।

श्री गंगाराम चौधरी : कैन्सिल नहीं कर सकती है, लेकिन रिन्यू पर विचार किया जा सकता है कि रिन्यू नहीं किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं वह भी नहीं हो सकता है। कलेक्टर ही उसको कैन्सिल कर सकता है।

श्री **अध्यक्ष** : कानून का प्रश्न आ गया है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यहां का साफ आर्डर है कि साबिक एलाटीज को बदस्तूर रखा जाय और जमीन उनके नाम दर्ज कर दी जाय, लेकिन उस आदेश को तहसीलदार ने नहीं माना तो क्या आप उस तहसीलदार को सस्पेन्ड करके उसकी एन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : मैंने पहले ही निवेदन किया है आदेश का उल्लघन हुआ है तो जानकारी करा ली जायगी ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, बडा गम्भीर सवाल है । उन्होंने तावान के नोटिसेज दिये हैं उसकी एक कापी मैंने पेश की है और हजारों काश्तकारों को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है । वहां पर लूट मचा रखी है ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, और क्या कार्यवाही कर सकते हैं ? जानकारी या जांच जो कुछ है उसको करा लीजियेगा । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और तहसीलदार को सस्पेन्ड करना चाहिए । राज्य सरकार का यह साफ आदेश था जो साबिक एलाटीज हैं उनके नाम धारावार रजिस्टर में दर्ज कर लिये जायं, लेकिन फिर भी नाम नहीं दर्ज किये जा रहे हैं हजारों की तादाद में · · · ·

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज, चिकित्सा मंत्रीजी ! आर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, म यह आश्वासन इसके बारे में चाहूँगा कि सरकार अपनी ओर से क्या · · ·

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, चिकित्सा मंत्रीजी ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! बहुत चर्चा हो चुकी है ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, यह बडा अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है । बहुत से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड किया जा रहा है । सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, क्या आश्वासन दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है इस संबंध में कि जानकारी करके जांच करा ली जायगी । अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जायगा तो उसको सजा दी जायगी ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, चिकित्सा मंत्रीजी ।

स्थगित प्रश्न
(3-9-68)

फिजियोलाजी विभाग में ड्रमों की खरीद

154. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर के प्रिन्सीपल

Page No. 30

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
साहब ने इन्स्ट्रूमेन्ट मेन्युफेक्चरिंग कार्पोरेशन, अम्बाला कैन्ट से फिजियोलाजी विभाग के मेकेनिकल ड्रमों को बदल कर इलेक्ट्रिक ड्रम लगाने का कान्ट्रेक्ट किया था ? कृपया एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि मेकेनिकल ड्रम उक्त कार्पोरेशन को सौंपने के साथ साथ उस कार्पोरेशन के आग्रह पर अपराइट राड्स और बेसिस प्लेटफार्म भी लौटा दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त चीजें मेकेनिकल ड्रमों के साथ खरीदते समय भी नहीं आई थीं और इन को ड्रमों के साथ देने का मुआयदा भी नहीं किया गया था।

(4) क्या यह भी सही है कि विभागीय इन्चार्ज ने इन मेकेनिकल ड्रमों के साथ अपराइट राड्स बेसिस प्लेटफार्म दिये जाने पर ऐतराज किया था ? यदि हां, तो इन चीजों को मेकेनिकल ड्रमों के साथ क्यों लौटाया गया ?

(5) उपरोक्त अपराइट राड्स और बेसिस प्लेटफार्म कब खरीदे गये थे, किस कम्पनी से खरीदे गये थे और कितनी कितनी कीमत में खरीदे गये थे।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, संबंधित टेण्डर एवं एग्रीमेन्ट की सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। क्योंकि अपराइट राड्स एवं बेसिस प्लेट फार्म मेकेनिकल ड्रमों के साथ ही प्राप्त हुए थे अतः उनके लौटाने पर इन्हें भी लौटाना उचित था।

(5) इन्हें पृथक् रूप से खरीदन का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मेकेनिकल ड्रम्स के साथ ही मैसर्स माडर्न ट्रेडर्स, बम्बई से खरीदे गये थे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न (4) के उत्तर में आपने 'जी नहीं' कहा है तो क्या यह सही है कि फिजियोलाजी डिपार्टमेंट के हैड ने एक पत्र प्रिन्सीपल को नं० 496 फिजियोलाजी 70। तारीख 23-9-67 को इन्हें लौटाने के बारे में ऐतराज करते हुए लिखा है।

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब ऐसा पत्र लिखा है तो फिर उत्तर में कैसे लिख दिया है कि ऐतराज नहीं किया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : आपने जो प्रश्न (3) में पूछा है कि इनको ड्रमों के साथ में देने का मुआयदा नहीं किया गया था चूंकि वह किया गया था और चूंकि ये साथ ही आये थे इस वजह से साथ ही लौटाना उचित था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न न. (4) में मैंने लिखा है कि विभाग के जो हैड हैं उनका यह कहना है कि ये उनके साथ नहीं आये और ये रिटर्न भी उनके

Page No. 31

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साथ नहीं होने चाहिये। उन्होंने यह ऐतराज किया है कि ये रिटर्न नहीं होने चाहिये और आप यह कहती हैं कि उन्होंने ऐतराज नहीं किया तो क्या यह आपकी बात दुरुस्त है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐतराज किया था लेकिन चूंकि ये उनके साथ में ही आये थे और कालेज के प्रिन्सीपल की राय यह थी कि चूंकि ये साथ में आये थे और साथ में जुड़े हुए थे इसलिये साथ ही इनको वापिस जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर आपके उत्तर नं. (4) में 'जी नहीं' नहीं होना चाहिए और 'जी हां' होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

स्थगित प्रश्न

(3- -69)

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य और मजदूरों का भुगतान

152. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा-सु.): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1968 में कुल कितने फेमिन केम्प चले और किस किस केम्प पर मजदूरों की कुल संख्या क्या रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के फेमिन केम्पों पर लगने वाले मजदूरों को 2½ महीने तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के फेमिन केम्पों पर लगने वाले मजदूरों को सरकारी रेट न देकर कहीं पर 20 पैसे कहीं पर 25 पैसे तथा कहीं पर 50 पैसे भुगतान किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(4) बीकानेर जिले के जिस जिस केम्प पर मजदूरों को जो भुगतान किया गया वह किस किस तारीख पर तथा किस तारीख से किस तारीख तक का किया गया है और किस किस केम्प पर किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि नापासर से जसरासर रोड वाया तमामदेशर व साधासर व बाधनू-इन केम्पों को खुलवाने के लिये सरकार ने जिलाधीश ने कोई आदेश दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(6) क्या यह सही है कि इन फेमिन केम्पों को खुलवाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत बाधनू, साधासर व सनीबाला द्वारा राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी इन केम्पों को नहीं खोला गया ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(7) क्या यह सही है कि जिला अकाल सहायता कमेटी ने उपरोक्त केम्पों को खुलवाने की मांग की ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त फेमिन केम्प खुलवाने के सम्बन्ध में जिला परिषद् बीकानेर व पंचायत समिति नोखा द्वारा प्रस्ताव पारित करके मांग की गई थी ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) बीकानेर जिले में सन् 1968 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से 35, राजस्व अभिकरण से 3, वन विभाग के अभिकरण से 1 कुल 39 केम्प चलाये। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां, यह सही है कि बीकानेर जिले में राहत कामों में लगने वाले मजदूरों को कुछ केम्पों पर कुछ अवधि के लिए 20 न.पै. कहीं पर 25 न.पै. कहीं पर 50 न.पै. तक भुगतान किया गया है। इसका कारण यह है कि श्रमिकों ने जितना कार्य मौके पर किया, उसके अनुपात के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया है। सामान्यतया पूरा चुकारा किया गया है।

(4) बीकानेर जिले से जिन जिन केम्पों पर जिन जिन तारीखों को भुगतान के लिए अभिदर्शकों को धनराशि दी गई, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। उसके बाद केम्प पर चुकारे का 2-3 दिन का समय और लगा है।

(5) सहायता विभाग द्वारा अपने पत्र सं. 7805 दिनांक 2-5-68 तथा जिलाधीश द्वारा पत्र सं. 1869-72 दिनांक 13-5-68 से उक्त कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी।

(6) अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं 21981 दिनांक 5-7-68 द्वारा जिलाधीश से धनराशि के आवंटन की मांग की एवं सहायता विभाग की स्वीकृति की मांग की। जिसका उन्हें दिनांक 15-7-68 द्वारा जिलाधीश का उत्तर मिलने पर सहायक अभियन्ता को दिनांक 20-7-68 को तखमीना तैयार करने के लिए आदेश दिये गये। चूंकि सहायता कार्य 31-7-68 तक बन्द हो जाने थे अतः कुछ समय के लिए इस को चालू नहीं किया गया।

(7) जी हां।

(8) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय मन्त्री ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है यह सारा का सारा प्रश्न से बहुत दूर का है, एक का भी जवाब बिल्कुल सही ढंग से नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मेरा प्रश्न यह है कि मजदूरों के भुगतान के लिए मन्त्री महोदय ने कहा है कि कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की मिति तक मेरी जानकारी के अनुसार मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है। तमामदेशर के केम्प में छः महीने हो चुके हैं लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे मन्त्री महोदय ने कहा कि 20 न.पै. और 25 न.पै. मजदूरी चुकाई गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मजदूरी किस आधार पर, किस नियम के अनुसार चुकाई गई है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये। आर्डर प्लीज ! मन्त्री महोदय !

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वेजेज के पैमेन्ट में देरी हुई है। जैसा-

Page No. 33

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने एक पत्र प्रधान मन्त्री को लिखा और उसकी कॉपी मेरे पास भेजी थी। प्रधान मन्त्री को लिखा गया पत्र भी राज्य सरकार को मिला, और इस सम्बन्ध में मैंने कलेक्टर और अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट मंगाई है। उसके अन्दर कितना मेजरमेंट हुआ है, नपती समय पर शुरू हुई और नाप उनको समय पर दिया गया-इसमें देरी क्यों हुई है यह तमाम मामले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बना कर जिलाधीश बीकानेर को इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उनकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, 20 न. पै 25 न पै, और 50 न.पै. के हिसाब से मजदूरी दी गई है, यह तथ्य है जो आपने भी कहा है। अब इसमें देरी हुई उसकी जांच आप कर सकते हैं लेकिन जो कि रेट दी गई अकाल पीड़ित लोगों को इन राहत कामों के अन्दर उसमें किन अधिकारियों ने गलती की है और कम मजदूरी दी है और वह भी समय पर नहीं दी है–उनके खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया है ? यह जीवन और मरण का प्रश्न है, अकाल राहत कार्यों में काम करके लोग अपना जीवनयापन करते हैं वहां पर इस प्रकार का अमानुषिक कार्य किया गया तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जांच जारी करा दी है।

श्री नत्थी सिंह : क्या जांच जारी है, कुछ भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, जो लोग अकाल राहत कार्यों में काम करते हैं उनके लिये फेमिन कोड की धारा 78 के अनुसार काम के लिए नार्म्स निर्धारित किये गये हैं, 10 इन्टू 10 इन्टू – इस तरह 100 घन फीट में उनको काम करना चाहिये, एक कार्य के पीछे एक कुदाली है, एक घन है और एक बच्चा है और इस मेजरमेंट के अनुसार उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन मजदूर पूरा काम नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं। बीकानेर से खास तौर पर शिकायत हमारे पास आई। बीकानेर के कलेक्टर ने राजस्व सचिव के पास शिकायत भेजी कि जहां जहां मैं इन्सपेक्शन करने गई, जिन जिन केम्पों में गई वहां पर मजदूर बैठे हुए मिले, वहां पर फर्जी हाजरियां थीं। इसके अलावा एडीशनल कलेक्टर की दो रिपोर्ट आई और एस. डी. ओ. बीकानेर की रिपोर्ट आई। इसके आधार पर उनको लिखा गया कि काम की निगरानी आप लोगों को ज्यादा करनी चाहिए, पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों को पाबन्द करना चाहिए, लोग उसके अनुसार काम करते हैं तो काम की मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। इस सदन में माननीय सदस्यों ने बार बार इस प्रश्न को उठाया है और इस बात पर एम्फेसिस दिया है कि राहत कार्यों में सरकार का ज्यादा धन खर्च होता है लेकिन उनका आउट-पुट कम होता है। आप इस बात पर जोर दें कि यह पाबन्दी न लगाई जाय और मेजरमेंट के अन्दर फेमिन कोड की धाराओं को रिलेक्स करके काम शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि लोग काम नहीं करेंगे। आने वाले समय के अन्दर राजस्थान में फेमिन की भय-

Page No. 34

(श्री परसराम मदेरणा)

कर स्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान के अन्दर सैंकडों काम खोले जायेंगे, उनमें यदि लोग पूरा काम नहीं करते हैं और पूरा का पूरा खर्च इन्फेक्चुअस होता है तो माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि फेमिन कोड के अन्दर जो प्रावधान हैं उनको स्ट्रिक्टली लागू किया जाय। उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि पी. डब्ल्यू. डी. में जो एक मजदूर से काम लेते हैं उसका तीन-चौथाई इसमें हो। उसके बाद भी प्रावधान के अनुसार किये जाने वाले काम के अन्दर वहां की परिस्थितियों को देखते हुए वहां के अधिशासी अभियन्ता और कलेक्टर मिल कर शिड्यूल्ड नार्म के अन्दर कमी कर सकते हैं, वर्क के नार्म के अन्दर इस बात को देखा जा सकता है। वैसे जो फेमिन कोड के प्रावधान में जो निर्धारित हैं उसके अनुसार मजदूरों के द्वारा काम किया जाना चाहिए।

श्री रावतराम (छापर-सु.) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, तो क्या वह यह बता सकते हैं कि यह काम इजारे पर दिया था या डेली वेजेज पर मजदूर काम कर रहे थे ? आपने कहा कि मजदूर पूरा काम नहीं करते हैं मार्क दिया या मेजरमेंट दिया उसके अनुसार, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इजारे पर दिया था या डेली वेजेज पर काम कराया था ? डेली वेजेज पर काम कर रहे थे या इजारे पर कराके पूरा मेजरमेंट नहीं लिया है ?

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) दोनों का साथ उत्तर दे दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मैं उत्तर दे दूं। दोनों याद नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. ने जो लिख कर भेजा है उसके आधार पर जवाब दे दिया है। लेकिन जो जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की तो इसको जांच का मुद्दा बना दिया है और जांच की रिपोर्ट आने पर उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! श्री राम किशन !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 20 न.पै. 25 न. पै. मजदूरी दी जा रही है और उन्होंने फेमिन काड का हवाला भी दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो शिविर लगे हुए थे उनमें लोगों को कितने मील दूर से जाना पडता था ? दूसरे क्या वह इसको उचित समझते हैं कि कोई और व्यवस्था की जाय बजाय इसके कि 20 और 25 न. पै. लोगों को मजदूरी दी जाय ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): बीस पैसे में तो चाय भी नहीं आती है।

श्री रामकिशन : बीस पैसे में आदमी कितने दिन जिन्दा रह सकता है ? इसके अलावा चैंगल ग्राम तहसील नौखा में पन्द्रह बीस मजदूर काम करते थे उन का पूरे 1 दिन का वेतन काट दिया गया है। क्या इस मामले को आप उचित समझते हैं।

Page No. 35

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने कहा कि यह जो मापदण्ड मंजूर किया है यह पी. डब्ल्यू. डी. के मापदण्ड से पिचहत्तर पर्सेंट है। यह अपने आपमें अनुचित है। इतना काम करने पर जो वेतन मान मुकर्रर किया है 1 रु. 20 न. पै. जब कि पी. डब्ल्यू. डी. में अढाई रुपया ..

श्री गिरधारी लाल व्यास : 2 रु. 31 न.पै.

श्री रामानन्द अग्रवाल : 2 रु. 31 न.पै. हैं। उसकी मात्रा को लेकर 75 पर्सेन्ट काम लें और इस मात्रा में वेतन आप 1 रु. 20 न. पै. रखें – यह अनुचित है। दूसरे यह फेमिन का मामला है। तीसरे अध्यक्ष महोदय, जब क्लीअर कट जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि डेली वेजेज में काम कराते हैं तो डिसिप्लेन लागू कर सकते हैं, जो काम नहीं करे उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं लेकिन आप वेतन कम नहीं कर सकते, वेतन काट नहीं सकते–यह वेजेज एक्ट के खिलाफ है और क्रिमिनल है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल; जयपुर): मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ दे दें। क्या आप इस बात से अवगत हैं कि दो रुपये किलो सिके हुए चने आते हैं और बीस पैसे में एक छंटाक सिके हुए चने मिलते हैं। तो क्या एक छंटाक चना खाकर एक आदमी अपना जीवन चला सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान सरकार को देखिये, एक तरफ तो यह राहत कार्य खोलती है ··

श्री अध्यक्ष : क्या यह भी ठीक है जो माननीय बाढ़दार जी ने कहा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दूसरी तरफ बीस, पच्चीस पैसे देती है तो बीस पच्चीस पैसे में आदमी जिन्दा कैसे रह सकता है क्या मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करा सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेली वेजेज का प्रश्न है, डेली अटेन्डेन्स के आधार पर इसलिए नहीं किया जा सकता कि राहत कार्यों पर बहुत ज्यादा तादाद में काम लोग करने आते हैं और फिर वे समय पर भी नहीं आते और पूरा काम भी नहीं करते। इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी इसलिए हमने 63-64 में रिलेक्सेशन किया था और टास्क बेसिस पर इसे किया था हालांकि टास्क बेसिस पर भी हमने करना उचित नहीं समझा था क्योंकि हम तो शुरू कर देते हैं पर इसके बाद बीसों प्रकार के ऑडिट ऐतराज काम कम हुआ एक एक पर खर्चे का रेशो ज्यादा आया इस प्रकार के ऐतराज आने शुरू हो जाते हैं कि इसमें घोटाले हैं। तो हमने डेली अटेन्डेन्स और टास्क बेसिस दोनों करके देख लिया है। डेली अटेन्डेन्स में भी लोग प्रबन्धकों से मिल जाते हैं और फिर काम का आउट-पुट भी चैक नहीं हो सकता। इसमें यह इन्हेरेन्ट वीकनेस है। यह तभी दूर हो सकती है जब कि टास्क बेसिस पर काम हो। नहीं तो नहीं कह सकता निश्चित तौर से कि लगातार फेमिन चलने की वजह से यह इतनी बडी जो बीमारी बढ़ती जा रही है इसको कैसे रोका जा सकेगा। तो इस को रोके जाने के लिये माननीय सदस्य मेरे साथ होंगे कि इस को बहुत ज्यादा इम्प्लीमेन्ट किया जाय। फिर तीन बटे चार तो निर्माण कार्य हम इनसे लेते हैं जो नार्मल लेते हैं उसका तीन बटे चार। इसके बाद भी अगर किसी जगह की खास परिस्थिति हो और इसमें भी कुछ छूट देना

Page No. 36

(श्री परसराम मदेरणा)
हो तो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और कलेक्टर मिलकर सोचकर इसमें भी रिलेक्स कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट । श्री शंकरलाल !

श्री दौलतराम सारण: यह प्रश्न बहुत गम्भीर है अध्यक्ष महोदय, लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है । हम इसकी सप्लीमेन्टरी पूछना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास अब समय नहीं है । इसलिए मैं विवश हूं । इस पर अधिक वाद-विवाद नहीं होगा ।

श्री दौलतराम सारण: झूठे मस्टर रोल बनाये जाते हैं और मजदूरों के नाम पर उनको भूखों मार कर मिलने वाला पैसा इस तरह से ये सरकारी लोग हड़प जाते हैं ।

(शोर गुल: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज । अभी प्रश्न और अवशेष हैं । ऑर्डर ऑर्डर । स्थान ग्रहण करें ।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का प्रश्न है ।

श्री रामचन्द्र आर्य: इसकी जांच होनी चाहिये । यह मामला गम्भीर है ।

श्री दौलतराम सारण: मैं पूछना चाहता हूं एक तो यह ...

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.): अभी माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर दिया कि राहत कार्यों में घोटाले होते हैं इसलिये इनको बीस और पच्चीस पैसा दिया जाय ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे प्रश्न रह जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यस, श्री सारण ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री ने स्वीकार किया है कि कलेक्टर ने अपनी इन्सपेक्शन रिपोर्ट के समय फर्जी हाजरियों के मस्टर रोल पाये । क्या यह सही है? जब फर्जी हाजरियों के मस्टररोल पाये गये तो काम का आउट-पुट स्वाभाविक रूप से कम आता है और हाजरियों पर पेमेन्ट ज्यादा करना पड़ता है । उन फर्जी मस्टर रोल बनाने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने क्या एक्शन लिया आपने क्या एक्शन लिया ? एक तरफ मजदूरों को तो आप बीस पैसा देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह बेईमानी करके झूठे मस्टर रोल भरने वालों को आप पालते पोषते हैं, एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, समझ में आ गया । मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें ।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय को जिला परिषद् ने लिखा एम. एल. ए. ने कहा प्रस्ताव पास करके भेजे इसके बाद भी राज्य सरकार के आदेश के बाद भी कैम्प चालू नहीं किये । कोई काम चालू नहीं हुआ । लोग भूखों मरते रहे । आज तक लोग उनके जी को रोते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य !

कैम्प क्यों नहीं खोले, माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करें ।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब कभी भी सदन में कोई बात कहते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं और होश नहीं रहता कि वे क्या कहने जा रहे हैं। कौन होता है, कौन नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे तो होश रहता है, माननीय मंत्री को आपको नहीं रहता होश तो आप रखकर जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : रोते हैं, कौन रोता है, क्या होता है। क्या बोलने जा रहे हैं आप को ध्यान है।

श्री दौलतराम सारण : फर्जी मस्टर रोल होते हैं आप कार्यवाही करना नहीं चाहते। इस पर रोना आता है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये क्लेक्टर को लिख दिया था। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि फर्जी इन्दराज से टोटल मेजरमेन्ट आफ वर्क में कितना फर्क आया पेमेन्ट में डिले क्यों हुई। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? ये सब बातें मैंने इन्क्वायरी के मुद्दों के तौर पर लिखकर कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अब जांच रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं कह सकता। अब जिसको दोषी पाया जावेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल। राजस्व मंत्री महोदय। मैं प्रश्न की अब इजाजत इस पर नहीं दूंगा।

श्री रामकिशन : हम लोग तो आम तौर पर इस तरह भाग लेते नहीं। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि फर्जी हाजरी भरी गई तो क्या कार्यवाही इसमें अब तक हुई है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमें यह मालूम तो हो जावे कि एक प्रश्न पर इतने घंटे लग जावेंगे और दूसरे प्रश्न पर इतना समय ले लिया जावेगा। सभी सवाल इतने इम्पोर्टेन्ट हैं कि सदस्य जानकारी करने को उत्सुक होंगे। इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था देता हूं कि माननीय रामकिशनजी एक प्रश्न पूछ लें।

श्री रामकिशन : जैसे पहले भी शिकायत आई आपके सामने कि यह मदनलाल ओवरसियर और भगवतीप्रसाद अधिशासी अभियन्ता ने मिलकर 400 आदमियों की गलत हाजरी भरी है। उनके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री परसराम मदेरणा : दो अधिकारियों के बारे में माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। यह मेरी जानकारी में नहीं है। शिकायत उनके खिलाफ रिलीफ में आई या पी. डब्ल्यू. डी. में। मैं आफ हैण्ड तो कुछ नहीं बता सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : यही तो झगड़ा है। जांच की बात कह कर भूल जाते हैं, उसे टालते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिह : फर्जी इन्दराज ये मरें श्रौर उसका दंड गरीब मजदूर भुगते, बड़ा न्याय है आपका ? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिये अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री नत्थीसिह : अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना है कि वे इन्क्वायरी करना चाहते हैं वे जांच में देर करते हैं श्रौर इधर उनके हौसले बढ़ते हैं जिसका असर मजदूरों पर पडता है उनकी मजूरी का जीवन–मरण का सवाल है। अकाल की उन पर छाया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अब मैं कोई इजाजत नहीं दूंगा । श्री शंकरलाल । राजस्व मंत्री महोदय ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : प्रश्न तो मेरा है ।

श्री दौलतराम सारण : राजनैतिक आधार पर कैम्प चालू न किये जावें मजदूरों के पेमेन्ट नहीं किये जावें फर्जी मस्टर रोल बनाने वालों को सजा न दी जावे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्य को नाम से संबोधित करता हूं । श्री सारण स्थान ग्रहण करें ।

कुछ मेरी दुविधा का भी अनुभव करिये। मैं समझ रहा हूं कि एक ही प्रश्न पर काफी समय लग गया है। मेरे पास श्रौर एक प्रश्न है।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री आर्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।
[अश्रव्य]

श्री गिरधारीलाल व्यास : कृपया इनको रोका जावे ।

हमारे तो सारे सवाल रह जाते है । हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर अधिक से अधिक समय जितना मैं दे सकता था मैंने दिया है । अब एक प्रश्न श्रौर अवशेष है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय अध्यक्ष (शोर गुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मुझको कोई आपत्ति नहीं है अगर आप इस पर चर्चा करते रहें । आपत्ति केवल इस तरह मे है कि अभी एक प्रश्न श्रौर अवशेष है । मैंने जितनी सुविधा से माननीय सदस्यों को समय दिया है, उतना दिया है। अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि श्रौर इस पर चर्चा होनी चाहिये तो मेरे पास दूसरे भी मार्ग हैं । वह स्थगित करने का है श्रौर यदि इस समय को इस प्रश्न पर आप व्यय करेंगे तो दूसरा बिजनेस श्रौर है उस वक्त माननीय सदस्यों को स्वयं को यह अनुभव होगा समय का अभाव, इसलिये मैं माननीय सदस्यों की इस मान्यता को श्रौर उनकी व्यग्रता को समझते हुए भी चाहता हूं कि अब इस प्रश्न को रोका जावे। श्रौर अगर

(श्री अध्यक्ष)
माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको स्थगित किया जाय तो मुझे आपत्ति नहीं है।

कई माननीय सदस्य : स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। आर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थगित करने से कोई लाभ नहीं जब तक ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री आर्य हर समय सीमाओं से बाहर जाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अश्रव्य।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे साथ सरकार..

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड न किया जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं एक जानकारी देना चाहता हूं ...

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह मानकर चलें कि इसी सेशन में इस प्रश्न पर सप्लीमेंटरी पूछने के लिये आप स्थगित कर रहे हैं ? समय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं यथा शक्ति इसी सेशन में लूंगा। स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल !

स्थगित प्रश्न
(3-9-68)
ग्राम देवडा पीपली में भूमि का आवंटन

16. **श्री शंकरलाल** (कपासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांव देवडा पीपली, तहसील मदेसर, जिला चित्तौडगढ में निम्न व्यक्तियों को 20-6-65 को भूमि आवंटित की गई है :—

(1) श्री सवा पिता घोला जाट निवासी देवडा पीपली।

(2) श्री सोला पिता गेहरीलाल जाट निवासी देवडा पीपली।

(3) श्री नवलदास पिता ऊंकारदास निवासी देवडा पीपली।

(4) श्री किशोर पिता हजारी जाट निवासी देवडा पीपली।

(5) श्री गोदू पिता किशना जाट निवासी देवडा पीपली।

(6) श्री डालू पिता हीरा जाट निवासी देवडा पीपली।

(7) श्री टोडू पिता हीरा जाट निवासी देवडा पीपली।

(8) श्री शंकर पिता भुवाना जाट निवासी तहसील देवडा पीपली।

यदि उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है तो किस आराजी नम्बर की है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है,

(श्री शंकर लाल),
उनके परिवार के मुखियाओं के नाम पर काफी भूमि है जिसमें ये लोग भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं ? यदि हां तो इनको भूमि क्यों आवंटित की गई ? और इसमें किसका दोष है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि आवंटन केवल तहसीलदार और सरपंच दोनों ने ही कर दी थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि भूमि एलाटमेन्ट कमेटी की बैठक की सूचना क्षेत्रीय विधायक और प्रधान को नहीं दी गई थी ?

(5) क्या यह सही है कि भूमि आवंटन में भूमिहीन व्यक्तियों और अनुसूचित जन जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां तो वहां के निवासियान अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई थी ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) इन व्यक्तियों को खसरा नं. 255 में से दिनांक 26-7-66 को भूमि आवंटन हुई। 20-6-65 को नहीं।

(2) जिन लोगों को भूमि आवंटन हुआ है उनके विरुद्ध असंतुष्ट व्यक्तियों की ओर से राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय में अपील चल रही है। निर्णय होने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। क्योंकि मामला सबज्यूडिस है।

(3) संबंधित मिसलें राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में पेश हैं और मामले सबज्यूडिस हैं उनके उपलब्ध होने पर निश्चित् रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

(4) जी हां।

(5) जी हां। चूंकि मामला सबज्यूडिस है और संबंधित पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में पेश है इसलिये पत्रावली उपलब्ध होने पर ही सही उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री शंकरलाल : मैंने पूछा था कि जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई है . . .

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि राजस्व अपील अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। उसके निर्णय तक राज्य सरकार को वेट करना पड़ेगा।

श्री शंकरलाल : अपील किस तिथि को की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री शंकरलाल : कम से कम ये अपीलें दो-तीन साल से चल रही हैं, उनको उचित व जल्दी न्याय मिले, क्या सरकार उसके लिये कदम उठाएगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : जुडीशियल आफिसर्स को जितना राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत कहा जा सकता है, उतना ही निर्देश दिया जा सकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : प्रश्न संख्या 312,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी नम्र प्रार्थना है ......

श्री अध्यक्ष : सचेतक महोदय, आसन अपने पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्हिप महोदय, आर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इनके प्रश्न को भी स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक जरूरी प्रश्न पर, सब प्रश्न जरूरी बन जाते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप बिराजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं बैठूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनाना अस्पताल, बीकानेर का गंदा नाला

303. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के जनाना अस्पताल के कम्पाउण्ड को चीरता हुआ बीचों बीच में गन्दे पानी का नाला बहता है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त नाले की गन्दगी के कारण बीकानेर का अस्पताल मक्खियों और गन्दगी से भरा रहता है ?

(3) क्या सरकार को पता है कि उक्त नाले से बीमारी के कीटाणु चूहों के द्वारा ले जाने के कारण वहां की एक नर्स की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है ?

(4) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(5) क्या सरकार तुरन्त इसे बन्द करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा तो नहीं है क्योंकि चिकित्सालयों के दरवाजों में जाली लगी हुई है। लेकिन कभी न कभी बीमारों के आने-जाने के कारण दरवाजा खुलता है जिसके कारण कभी न कभी गन्दे नाले के कारण मक्खियों व चूहों के घुसने का अन्देशा रहता है।

(3) जी हां, एक नर्स की मृत्यु "वल्स डिजीज" अर्थात् लेप्टोस्पाइरोसिस इक्टेरोहेमेरे जिसके कारण पीलिया (जान्डिस) से हुई यह छूत की बीमारी है तथा चूहों तथा गंदे नाला की गंदगी के कारण फैलती है।

(4) प्रधानाचार्य इस ओर सतर्क हैं और लिखा पढी कर रहे हैं। सरकार इस प्रश्न को अपने स्तर पर अब लेगी।

(5) और उचित व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

परिवार नियोजन सप्ताह

319. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन सु) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 1962 से 1967 तक परिवार नियोजन सप्ताह कहां कहां पर चलाया गया था ? उसमें कितने लूप व आपरेशन लगाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त सप्ताह चलाये जाने पर सरकार का कितना कितना किस किस जिले में खर्चा कौन कौन सी मद में हुआ है ? जानकारी हेतु सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में वर्ष 1962 से 1967 तक परिवार नियोजन सप्ताह मनाये गये थे । इन सप्ताहों में कितने लूप व आपरेशन हुए उसकी सूचना निम्न प्रकार है:—

(1) 1962 से 1964 के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

(2) 1965 (18-12-65 से 24-12-65 तक)

नसबन्दी केस:—640

लूप प्रविष्टी :—2033

1966 (5-12-66 से 19-12-66)

नस बन्दी केस :—1664

लूप प्रविष्टी :—2032

प्रथम पखवाडा 1967 (16-9-67 से 30-9-67 तक)

नसबन्दी केस :—8971

लूप प्रविष्टी :— 5239

द्वितीय पखवाडा 1967 (16-12-67 से 31-12-67 तक)

नसबन्दी केस :—8,304

लूप प्रविष्टी :—4,208

नोट:—वर्ष 1966 से प्रति वर्ष परिवार नियोजन सप्ताह के बजाय पखवाडों का आयोजन किया जाना आरम्भ किया गया है ।

(२) भारत सरकार के निदेशानुसार परिवार नियोजन सप्ताह आयोजन करने पर कुछ व्यय साज सज्जा तथा औपचारिक समारोह आदि पर होता है । अच्छे कार्य के लिये कुछ व्यक्तियों को पारितोषिक देने पर भी व्यय होता है । वर्ष 1967-68 से पूर्व प्रत्येक सप्ताह या पखवाडे पर कितना कितना व्यय कौन कौन से मद में हुआ इसकी मदवार जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बजट में केवल 5 परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही खर्चा बुक किया जाता था । वर्ष 1967-68 से व्यय के आंकडे उपलब्ध हैं पखवाडों पर मुख्यत: व्यय समारोह आयोजित करने पर तथा आपरेशन करने वालों एवं लूप प्रविष्टि कराने वाली महिला तथा मोटीवेटर्स को प्रेरक धनराशि चुकाने पर होता है । बाकी खर्च नियमित बजट मद में डाला जाता है । वर्ष 1967-68 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल 86.18 लाख रु. व्यय हुआ था । इस धनराशि में से प्रेरक धनराशि (इन्सेन्टिव्ज) पर कितना तथा समारोह के आयोजनों पर

(परिवार नियोजन मंत्री)
कितना व्यय हुआ इसकी जिला वार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सीमावर्ती क्षेत्र में पीवन सांप

320. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर आदि में पीवन सांप पाये जाते हैं जिनके कारण हर साल कई लोग मर जाते हैं? यदि हां, तो यह सांप कैसा होता है और उसके लिये कौनसी दवाई काम में ली जाती है।

उत्तर

जी हां! परन्तु यह सांप अभी तक जीवित अथवा मृतक अवस्था में नहीं पकड़ा जा सका है और न ही इसके काटने से मरने की सूचना इस विभाग को है। इसके उपचार के लिये सामान्यतः Anti-Snake venum काम में ली जाती है।

बारां अस्पताल

321. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां अस्पताल में कितने डाक्टर, कितनी महिला डाक्टर, कितने कम्पाउन्डर्स व नर्सों की जगह है?

(2) इस अस्पताल के लिए किस किस योग्यता के कितने कितने समय से डाक्टर है?

(3) क्या यह सही है कि बारां के डाक्टर श्री राजेन्द्र वर्मा के सम्बन्ध में नागरिकों की शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यह डाक्टर कितने समय से बारां में है?

(4) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में परिवार नियोजन केन्द्र खोला गया है और उसमें महिला डाक्टर की नियुक्ति की गई है?

(5) बारां अस्पताल में कितने रोगी वार्डों व कमरों में पंखे लगे हुए हैं और कितने कमरों व वार्डों में पंखे लगने बाकी हैं?

(6) क्या यह सही है कि बरसात की मौसम में वर्षा होते ही अस्पताल की छतें चूने लग जाती हैं?

(7) क्या यह सही है कि अभी तक अस्पताल में सरकारी खर्चे पर टेलीफोन नहीं लगा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां अस्पताल में निम्न पद स्वीकृत हैं:—

क्र. सं.	नाम	स्वीकृत पद
1.	डाक्टर्स	3
2.	डाक्टर्स	2 (परिवार नियोजन 1 महिला-1 पुरुष)
3.	स्टाफ नर्स	1
4.	औषधि संयोजक श्रेणी II-	2
5.	„ „ III-	5
6.	मिडवाइफ	1

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3
7.	टेक्नीशियन	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10
	दाई	1

(2) इस अस्पताल में डाक्टरों की योग्यता निम्न प्रकार हैं:—

क्र. स.	डाक्टरों के नाम	योग्यता	कबसे कार्यरत है
1.	डा. पी.एल.शर्मा	एम.बी., बी. एस. डी. ऑर्थो-पैडिक/एम.एस.	9-3-68
2.	डा. मोहम्मद बयाम	एम. बी., बी. एस. सजुहा	23-9-68
3.	डा. गिरधर गोपाल सक्सना	एल.एम. पी.	19-9-60
4.	डा. राजेन्द्र वर्मा (प. नि.)	एल. एम. एस.	9-3-68

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। डाक्टर राजेन्द्र वर्मा बारां में सितम्बर 1961 से हैं।

(4) जी हां, परन्तु राज्य में महिला डाक्टरों की अत्यधिक कमी होने के कारण परिवार नियोजन योजना बारां के अन्तर्गत महिला डा. की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

(5) बारां अस्पताल में निम्न रोगी वार्डों में पंखे लगे हुए हैं :–

क्र.सं.	कक्ष का नाम	पंखों की व्यवस्था
1	2	3
1.	प्रसूति रोगी कक्ष	2
2.	महिला रोगी कक्ष	2
3.	प्रसूति कक्ष (लेबर रूम)	1
4.	पुरुष रोगी कक्ष	2
5.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कक्ष	1

शेष कमरों में 32 व वार्डों में 18 पंखे लगाने हैं।

(6) जी हां, अतिवृष्टि से अस्पताल की छतें चूने लगती हैं, जिसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बारां के द्वारा यथा समय सहायक अभियन्ता (पथ एवं भवन) निर्माण विभाग, बारां को की गई जिसके फलस्वरूप 350 वर्ग फुट की मरम्मत हुई है।

(7) जी हां, सरकार उचित नहीं समझती है। पर एक धर्मादा संस्था द्वारा इस अस्पताल में टेलीफोन की व्यवस्था करदी गई है।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाएं

322. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा और अलवर में जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना कब की गई तथा उनमें सहायक स्टाफ की नियुक्तियां कब की गई तथा विश्लेषकों की नियुक्ति तक उनमें सहायक स्टाफ पर कितना खर्च हो चुका था?

(2) क्या यह सही है कि उन क्षेत्रों की जिन पर विश्लेषकों का क्षेत्राधिकार होगा, अधिसूचना जारी होने के पहिले ही स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई थी ? यदि हां, तो अधिसूचना जारी होने तक कितना रुपया खर्च हो चुका था ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या इस प्रकार के अनुपयुक्त खर्च के लिए किसी अधिकारी को राज्य सरकार ने जिम्मेदार ठहराया है? यदि हां, तो किस को और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कोई और भी प्रयोगशालाएं हैं जिसकी स्थापना करने के बाद बहुत लम्बे अर्से तक उनका कार्य शुरू नहीं किया गया? यदि हां, तो कौन कौन सी और उनमें स्थापना और कार्यारम्भ के बीच का क्या समय था?

उत्तर

(1) कोटा स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं अलवर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला दोनों ही दिनांक 4-6-1 56 को स्थापित हुई थी। इनमें निम्न सहायक स्टाफ की नियुक्तियां प्रत्येक के सामने अंकित दिनांक को हुई थी—

कोटा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

1 सी. ए. एस.	18-11-59
2 टेक्निशयन-2 क्रमशः	1-3-57 व 3-4-6 को
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-2 क्रमशः	1-1-60 व 2-11-60 को
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2- क्रमशः	12-11-57 व 13-11-57 को

5 कोटा में विश्लेषक की नियुक्ति 20-9-63 को हुई जब तक अन्य स्टाफ पर 42,728 रु. 45 पैसे खर्च हुए। तथा अलवर में विश्लेषक की नियुक्ति 2-5-64 को हुई जब तक अन्य स्टाफ पर 40,689) रु. खर्च हुए।

अलवर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

1. सी. ए. एस.	3-10-67,
2 टेक्नीशियन-4 क्रमशः	16-3-67, 2-12-57, 27-11-67, 7-3-58,
3. लेबोरेट्री अटेन्डेन्ट्स 2-क्रमशः	12-11-57 एवं 15-1-58

(2) जी हां, कोटा व अलवर विश्लेषकों की अधिसूचना क्रमशः 20-7-64 व 29-9-64 को हुई थी। तब तक इन दोनों प्रयोगशालाओं में क्रमशः रुपये 59,243) एवं 44,445) रु. खर्च हो चुका था। इसमें प्रश्न एक के उत्तर में अंकित राशि भी सम्मिलित है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायक स्टाफ की नियुक्ति करना परमावश्यक था। विश्लेषक की नियुक्ति तक सम्बन्धित सहायक स्टाफ ने अस्पताल में कार्य किया था।

(4) जी हां। इस प्रकार की ग्यारह प्रयोगशालाएं और भी हैं। प्रत्येक की स्थापना तिथि व कार्यारम्भ की तिथि प्रत्येक के सम्मुख अंकित हैं:—

प्रयोगशाला 1	स्थापना की तिथि 2	कार्यारम्भ की तिथि 3
1. उदयपुर	4-6-56	24-7-61
2. बीकानेर	„	1-7-59
3. भरतपुर	„	19-3-60
4. बांसवाडा	8-8-57	1-59

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3
5. डूंगरपुर	६- -57	15-1-62
6. सीकर	"	22-1-59
7. झालावाड़	"	20-1-62
8. गंगानगर	8-6-62	"
9. अजमेर	20-4-60	1६-5-61
10. भीलवाड़ा	19-12-61	27-2-62
11. टोंक	21-9-65	अभी तक आरम्भ नहीं हुई है ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

323. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से गत पांच सालों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये हर साल कितनी सहायता प्राप्त की ? हर साल के आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि जिन जिन कामों के लिये सहायता दी गई थी वह खर्च नहीं की गई ? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबिले राजस्थान को हर साल कम सहायता मिली ? यदि हां, तो क्यों और कितनी कम ? हर प्रान्त के आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि यह केन्द्र ऐसी जगह खोले गये हैं जहां यातायात, टेलीफोन व बिजली न होने से डाक्टर, नर्सें, आदि नहीं जाती हैं और वातानुकूलित आलमारी न होने से ऐसी बढिया औषधियां व इन्जेक्शन आदि उन केन्द्रों पर नहीं होते जो वहां होने चाहिये ? यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

(5) क्या यह भी सच है कि आबादी के अनुसार अन्य प्रान्तों के मुकाबिले राजस्थान में स्वास्थ्य केन्द्र कम संख्या में हैं ? यदि हां, तो किस किस प्रान्त से कम हैं और क्यों ?

(6) भारत सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्रों को किस किस प्रकार की सहायता देती है ?

उत्तर

(1) पांच वर्षों के आंकडे निम्न प्रकार से हैं:—

1963-64	4-49 लाखों में
1964-65	7-57 "
1965-66	4-86 "
1966-67	2-64 "
1967-68	2-74 "
	22-30 "

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) अन्य प्रान्तों के आंकडे उपलब्ध नहीं है ।

(4) जी हां । पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति के निर्णय के आधार पर राज्य स्वीकृति से खोले जाते हैं व सामान्यत: यातायात तथा अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि प्राथमिक

Page No. 47

(चिकित्सा मंत्री)
स्वास्थ्य केन्द्र कम से कम 3,000 आबादी वाले ग्रामों में स्थापित किया जाता है।

(5) जी नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार सारे देश में एक पंचायत ब्लाक में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित है। अन्य प्रान्तों के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(6) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

सेम्पल की वस्तुओं की खरीद पर व्यय

324. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फूड एवं हैल्थ इन्सपेक्टर्स ने सेम्पल में वस्तुएं खरीदने हेतु अब तक पिछले पांच साल में कितनी राशि व्यय की है? जिलेवार व वर्षवार आंकडे बताये जावें।

(2) क्या सेम्पल के माल से सरकार के खजाने में बाद में पुन: कोई राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी? वर्षवार आंकडे विगत पांच साल के दिये जावें।

(3) सेम्पल के प्रयोग में ली जा चुकी जो तीन-तीन शीशियां होती हैं, उनमें से जो शीशी माल विक्रेता को दी जाती है, वैसी कितनी शीशियां अब तक विक्रेताओं को दी गई एवं कितनी उनमें से वापिस प्राप्त हुई? कितनी प्राप्त होनी बाकी है? शीशियों का ब्योरा जिलेवार दिया जावे।

(दिनांक 17-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

श्रम कल्याण केन्द्र, लाखेरी के निर्माण का ठेका

325. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन-सु.): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लाखेरी में श्रम कल्याण केन्द्र के निर्माण कार्य का ठेका श्री देशराज लोप को दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि इस श्रम कल्याण केन्द्र में काम करते समय श्री हनुमान मल जी रामचन्द्र के आंख का एक्सीडेन्ट हो गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1962 में श्रम आयुक्त न्यायालय, कोटा में वाद नम्बर 9/62 का आंख में चोट लगने का दायर किया गया था?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 29-12-62 को श्रम न्यायालय ने उचित फैसला दिया था?

(5) क्या यह भी सही है कि फैसले की फाइल श्रम आयुक्त न्यायालय कोटा से गुम हो गई?

(6) अगर आयुक्त कार्यालय ने उचित न्याय कर फैसला किया गया था तो फरियादी को श्री देशराज लोप ठेकेदार से आंख का मुआवजा क्यों नहीं मिला? यदि मिला तो कितना?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) जानकारी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) प्रार्थी के दावे का निर्णय उसके हक में होने पर रकम अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध न कर जिलाधीश, बून्दी को पी.डी. आर. एक्ट के तहत प्रेषित किया गया परन्तु वहां से वसूली इसलिए नहीं की कि पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली नहीं की जा सकती। न्यायालय सब-डिवी. ऑफिसर बून्दी से फैसले की प्रतिलिपि 30-4-68 को प्राप्त की गई जिसमें उक्त दावे की रकम वसूली पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत काबिल वसूल नहीं पाया गया चूंकि ऐसी रकम को लैन्ड रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत वसूल किया जाना था और इसकी कार्यवाही हेतु 18-7-68 को जिलाधीश, बून्दी को लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रेषित कर दिया गया है जिसे उन्होंने उप-जिलाधीश, बून्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु ता. 17-8-68 को स्थानान्तरित कर दिया है।

पेड़ों में कीड़ा लगने से क्षति

326. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ व कोटा वन डिवीजनों में कोइडा व दूसरी अच्छी किस्म की लकड़ी में कीड़ा लगने से बीमारी से जंगल में नुकसान होने की शिकायत सरकार के सामने आई है? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर कितने कितने रकबे में जंगल में नुकसान होने का अनुमान है?

(2) सरकार द्वारा पेड़ों में पैदा होने वाली खराबी को रोकने हेतु क्या व्यवस्था की हुई है? कृपया विभाग द्वारा लिए जाने वाले Preventive व Curative Steps से सदन को अवगत करावें? यह भी बतावें कि ऐसे कितने ऑफिसर हैं जो इस लाइन में ट्रेनिंग लेकर आये हैं और वे अभी किन किन स्थानों पर किन किन ड्यूटियों पर लगाये हुए हैं?

(3) क्या वन विभाग द्वारा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थानों के लिये वन विकास का कोई मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है? यदि हां, तो इस प्लान के कार्यान्वित हो जाने पर सरकार को जंगल से कितनी आमदनी कितने वर्षों में बढ़ जाने का अनुमान है और अभी तक कितना कार्य हो सका है?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु झालावाड़ वन मण्डल में कीड़े लगने की शिकायत नहीं है। कोटा वन मण्डल में केवल धोकड़े व बबूल के वृक्षों में ही कीड़ा लगने की शिकायत वन विभाग को प्राप्त हुई है। कीड़ों से निम्न

(श्री वन मंत्री)

स्थानों पर नुकसान हुआ है ।

नाम रेंज	नाम ब्लौक	ब्लाक का क्षेत्रफल एकड़ों में	पेड़ों की किस्म जिन्हें कीड़ों ने हानि पहुंचाई	कीड़ों से प्रभावित वृक्षों की संख्या
1 लाडपुरा	फूंटा	12595	सफेद धोकडा	5000
2 ,,	घीरा घास	9998	,,	5000
3 ,,	चांदबावडी	5625	,,	6000
4 इन्दगढ	मोहनपुरा	5042	कलधी	3000
5 ,,	वल ग्व	2650	,,	4000
6 ,,	गढवाल	2405	,,	[illegible]00
7 ,,	वहीद प्लान्टेशन	300	,,	नई पौध में लगभग [illegible] पौधे प्रभावित हुए

(2) कीड़ा लगे वृक्षों को हटवाने की कार्यवाही की गई ताकि दूसरे वृक्षों में कीड़ा अथवा बीमारी नहीं लगे । देहरादून वन विद्यालयों में प्रशिक्षित सभी वन अधिकारी तथा क्षेत्रीयों को कीट विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है । तदनुसार सभी वन संरक्षक, मण्डल वन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय श्रेणी । कीट विज्ञान में प्रशिक्षित हैं

(3) अलग अलग स्थानों के वनों के लिये वर्किंग प्लान बनाये गये हैं जिनमें वन विकास का प्रावधान है । प्लान के अनुसार वनों का विकास कार्य-क्रम कार्यान्वित होने से आय की अनुमानित वृद्धि संलग्न सारिणी अनुसार अपेक्षित थी । अभी तक विभिन्न वन मण्डलों में वर्किंग प्लान के अनुसार प्लान्टेशन अर्थाभाव के कारण नहीं हो पाये हैं । प्लान्टेशन का जितना कार्य हुआ है सारिणी में अंकित है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

वन संरक्षण एवं वन विकास योजना

327. श्री शुभकर्णसिंह (रामगंज मन्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि निजी वन संरक्षण हेतु भूमि अलाट करने या वन विकास करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ?

(2) निजी वन संरक्षण हेतु भूमि किन व्यक्तियों को कैसे स्थानों पर कितनी तादाद तक किन किन अधिकारों पर अलाट करने का सरकार का विचार है व सरकार द्वारा लोगों को इस कार्य में क्या सहयोग देने का प्रोग्राम

(3) क्या सरकार ने राजस्थान के बीहड़ व जंगलों से ऊंची किस्म की लकड़ी पैदा करने की भी योजना पर विचार किया है ? यदि हां, किन किन स्थानों पर ? कृपया कोटा व झालावाड़ जिले में उन स्थानों का नाम मय रकबा बताने का कष्ट करें जिन पर सरकार ने सुपीरियर क्वालिटी वृक्ष लगाने का प्रयास किया है ? यह भी बतावें की इसमें क्या नतीजा व परेशानियां सामने आयी हैं ?

(4) क्या सरकार निजी वन संरक्षण योजना में भी परिस्थिति के अनुसार जंगल की किस्म सुधारने का प्रावधान रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस प्रकार की योजना से कृपया अवगत करावें ।

Page No. 50

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । अन्तिम निर्णय होने के पहिले निश्चित रूपरेखा बताना सम्भव नहीं है ।

(2) अंतिम निर्णय होने से पहले यह सूचना भी देना सम्भव नहीं है ।

(3) जी हां । ऐसी योजना मुख्यतः भाखड़ा राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में शीशम, बबूल, शहतूत, आदि के वृक्ष लगाने तथा झालावाड कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ, अजमेर जिलों में सागवान व शीशम के वृक्ष बीहड व जंगलों में उपलयुक्त स्थानों पर लगाने की योजना बनाई गई है ।

कोटा व झालावाड जिले के निम्न स्थानों पर अच्छी किस्म की लकडी के वृक्ष लगाने के प्रयत्न किये गये है :--

जिला	स्थान	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
झालावाड	भाटोली	300 एकड़	सागवान
	बुरालिया	100	,,
कोटा	नाहरगढ़	200	,,

उक्त स्थानों पर सागवान के वृक्षों की अवस्था संतोषजनक है । वृक्षारोपण में मुख्य कठिनाई समीपवर्ती ग्रामीणों द्वारा अनधिकृत रूप से बाढ तोड कर मवेशी चराने की प्रवृत्ति है । जो क्षेत्र चराई से सुरक्षित रहे हैं उनमें लगाये गये वृक्षों की बढोतरी संतोषजनक है ।

(4) वन विकास नीति में किस्म सुधार भी आता ही है ।

वन विभाग की भूमि

328. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट-सु.): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की जमीन रेवेन्यू में एक्वायर करवाने के विषय में किस किस पंचायत समिति में कितने कितने प्रार्थनापत्र वहां के किसानों ने दिये हैं ?

(2) सन् 1967-68 में कितने किसानों को वन विभाग की जमीन रेवेन्यू में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जिलेवार कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि गत तीनों योजनाओं में जिलेवार जन संख्या की दृष्टि से खर्चा समान रूप से नहीं हुआ ?

(3) जिलेवार प्रति व्यक्ति क्या खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुल व्यय 36,994 लाख रुपये किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का विवरण जिलेवार उपलब्ध नहीं है । द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया व्यय संलग्न तालिका में दिया जा रहा है ।

Page No. 51

(योजना मंत्री)

(2) योजनाओं में जिलवार जन संख्या की दृष्टि से व्यय समान रूप से नहीं किया जा सकता क्योंकि योजना सारे प्रदेश की आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं और विभिन्न जिलों में खर्च योजना में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति को लक्ष्य में रख कर किये जाते हैं।

(3) प्रथम पंचवर्षीय योजना का व्यय जिलेवार उपलब्ध न होने के कारण प्रति व्यक्ति जिलेवार व्यय देना संभव नहीं है। द्वितीय व तृतीय योजनाकाल में जिलेवार प्रति व्यक्ति जो राशि व्यय की गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

शराब के ठेकों की प्रणाली

330. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देशी व विदेशी शराब के ठेके देने के लिये क्या प्रणाली है?

(2) सन् 1967 में विदेशी शराब के ठेके किन किन को किस किस जिले में किन किन शर्तों पर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देशी व विदेशी शराब के ठेके देने की निम्न प्रणाली है:—

(क) देशी मदिरा की दुकानों के ठेके एकाकी विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) के आधार पर लाईसेन्स फीस प्रणाली पर दिये जाते हैं।

(ख) विदेशी मदिरा के अनुज्ञा-पत्र राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत आबकारी कमिश्नर द्वारा प्रार्थियों के आवेदन पर उनकी योग्यता की जांच कर दिये जाते हैं।

(2) सन् 1967 में विदेशी मदिरा के 9 (नव) रिटेल आफ के लाइसेन्स दिये गये जिनमें 8 (आठ) लाइसेन्स मिलिटरी यूनिट्स को मिलिट्री पर्सनल के उपयोग के लिये दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

लेखा लिपिक एवं लेखाकार की योग्यतात्मक परीक्षा

331. श्री हरखाराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है कि लेखा लिपिक लेखाकार की योग्यतात्मक परीक्षा में दो बार ही बैठ सकते हैं और आगामी होने वाली उपरोक्त परीक्षाओं में बैठने से वंचित रहेंगे? यदि हां, तो उनको पदोन्नति के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

(2) अधिकतर सेवा नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा दोनों ही प्रकार से की जाती है? यदि हां, तो लेखा लिपिकों को पदोन्नत करके लेखाकार के पद पर लगाने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार सारे सेवा नियमों में समानता लाने के लिये इस प्रश्न पर पुनः विचार करके ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है कि लेखा लिपिकों की पदोन्नति करके लेखाकार नियुक्त किया जा सके।

उत्तर

(1) जी हां।

(वित्त मंत्री)

उनकी पदोन्नति के लिये व्यवस्था राजस्थान सबोर्डिनेट आफिसर्स मिनिस्टीरियल स्टाफ नियमों व राजस्थान सेक्रेटेरियेट मिनिस्टीरियल नियमों में है।

(2) जी हां। लेकिन लेखा लिपिकों की पृथक् सेवा या संवर्ग न होने से राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्जा तथा उसकी वसूली

333. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दिया गया कर्जा कितना बकाया है ?

(2) उक्त बकाया में ओवर ड्यू कितनी राशि है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा दी गई कर्ज की राशि रुपये 9,09,70,894 है।

(2) उक्त बकाया में ओवर ड्यू राशि रुपये 3,81,27,608 की है। आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

भूमि वितरण के कार्यवाही का मामला

333. श्री देवीदत्त मालिया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा में राजस्व मंत्री ने यह घोषणा की थी कि माह जून-जुलाई 67 में जिन तहसील क्षेत्रों में विधायकों की अनुपस्थिति में भूमि वितरण किया गया, विधायकों की आपत्ति करने पर उस भूमि वितरण कार्यवाही को रद्द कर दिया जावेगा ?

(2) यदि हां, तो राजस्थान के कितने स्थानों पर विधायकों की आपत्ति पर भूमि वितरण की कार्यवाही को रद्द किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बारां एवं शाहबाद क्षेत्र के विधायकों ने माह जून-जुलाई 67 के भूमि वितरण की कार्यवाही को रद्द करने संबंधित पत्र बारां उप-जिलाधीश महोदय को दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को दिया और उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जारी किये गये आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) उप-जिलाधीश, बारां को बारां व शाहबाद क्षेत्र के विधायकों से माह जून-जुलाई 1967 में भूमि वितरण कार्यवाही को रद्द करने का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

तहसील पच पहाड़ का पटवारी

334. श्री लक्ष्मण तानीवाल (उम-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री युगल किशोर भटनागर, भूतपूर्व पटवारी, तहसील पचपहाड़ को राज्य सेवा से कब पृथक् किया गया था और किसके द्वारा ?

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(2) राज्य सेवा से पृथक् करने के कारण क्या थे ?

(3) क्या उन्हें राज्य सेवा से पृथक् करने के पूर्व नियमानुसार सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी ?

(4) क्या श्री युगल किशोर द्वारा इस संबंध में कोई प्रति-निवेदन सरकार को किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

1. श्री जुगलकिशोर भूतपूर्व पटवारी को 3-8-57 को जिलाधीश के आदेश से पृथक् किया गया था ।

2. (1) वह भूतपूर्व झालावाड रियासत के बरखास्त शुदा पटवारी थे ।

(2) गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

(3) जो शिकायतें इनके विरुद्ध थीं वह जांच से सही पायी गई ।

3. जी हां ।

4. जी हां । इन्होंने कई प्रार्थना-पत्र दिये किन्तु ये पहले से ही बरखास्त शुदा होने के कारण उन्हें फाइल किया गया ।

पटवारियों के वेतन का भुगतान

335. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान राजस्व मंडल के ऐसे आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी, पटवारी का वेतन न रोका जावे तथा समय पर भुगतान किया जावे ? यदि हां, तो एस. डी. ओ. तथा तहसीलदार, अलवर ने 41 पटवारियों के वेतन का भुगतान क्यों रोक रखा है ?

उत्तर

जी हां, जो कर्मचारी, पटवारी ड्यूटी पर हों उनका वेतन न रोके जाने के संबंध में राजस्व मंडल के आदेश हैं । चूंकि अलवर तहसील में किसी कर्मचारी व पटवारी का वेतन नहीं रोका हुआ है । इस कारण आगे किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाइसेंसदार अर्जीनवीस

336. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में लाइसेन्सदार अर्जीनवीस कितने हैं ?

(2) अलवर जिले से लाइसेन्स शुल्क से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है ?

(3) अलवर जिले म बिना लाइसेन्स प्राप्त अर्जीनवीसों की संख्या कितनी ह ?

उत्तर

1. 70 लाइसेन्सदार अर्जीनवीस हैं । जिनमें 29 रेवेन्यू कोर्ट्स के लाइसेन्सदार अर्जीनवीस हैं तथा 41 क्रिमिनल कोर्ट्स के लाइसेन्सदार अर्जीनवीस हैं ।

2. अलवर जिले में लाइसेन्स शुल्क 5) रु. प्रति लाइसेन्स की दर से प्रति वर्ष 350) रु. की आमदनी होती है ।

3. कुछ नहीं ।

Page No. 54

मृत सैनिक परिवारों को कृषि भूमि

337. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भारत-पाक युद्ध और चीन-भारत युद्ध के समय शहीद हुए मृत सैनिकों के परिवारों को कृषि भूमि दिये जाने हेतु कोटा जिले में सरकारी बंजड पडत भूमि को सुरक्षित किया था ?

(2) यदि हां, तो कोटा जिले के किस गांव के क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि मृत सैनिक के परिवारों के लिए सुरक्षित की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार ने कोटा जिले में किसी मृत सैनिक परिवार को कृषि के लिये किसी स्थान पर भूमि दी है ? यदि हां, तो किस-किस परिवार को किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमि दी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्व रेकार्ड में घोषित गांव

338. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं में चन्दुराई नाम से कोई गांव राजस्व रेकार्ड में नहीं था और अब सरकार ने उसको राजस्व रेकार्ड में गांव घोषित किया है ? यदि हां, तो कब और किन कारणों से ?

(2) राजस्व रेकार्ड में नया गांव घोषित करने के लिए कोई नियम बने हुए हों तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त गांव को राजस्व रेकार्ड में गांव घोषित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) उपरोक्त क्षेत्र को अलग गांव घोषित किया है वो क्षेत्र किस पंचायत में था और उस पंचायत की आय पर उस क्षेत्र को अलग करने का क्या असर पडेगा ?

(5) एक पंचायत से कोई क्षेत्र अलग करना, मिलाना आदि के संबंध में क्या तरीका अपनाया जाता है ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि चंदराई नाम का गांव रेकार्ड में नहीं था व अब उसे राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ 7(63) राज/ग/61 दिनांक 12-1-68 द्वारा अलग गांव घोषित किया गया है। उसे अलग गांव घोषित करने का खास कारण यह था कि चंदराई गांव एक पंचायत का मुख्य स्थान था मगर रेकार्ड में चंदराई गांव न होने से उसे अलग गांव कायम करना आवश्यक था।

(2) किसी क्षेत्र को अलग गांव राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 3 (5) के अनुसार किया जाता है।

(3) इसका उत्तर उप-प्रश्न (1) के उत्तर से साफ हो जाता है।

(4) यह गांव हल्का ग्राम नोबीजोथा में था व पंचायत चंदराई थी। चंदराई गांव

Page No. 55

(राजस्व मंत्री)

छोटा है व नीवीजोघा काफी बड़ा है अत: विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

(5) किसी पंचायत क्षेत्र से किसी गांव को अलग करने हेतु जिस पंचायत समिति से यह गांव अलग किया जाता है उस पंचायत समिति की राय पर ही किया जाता है। ग्राम चंदराई को अलग गांव घोषित करने की कार्यवाही पंचायत समिति, लाडनूं के तत्कालीन प्रधान श्री हरजीराम बुरडक के निवेदन पर ही की गई है।

ग्राम मुंजासर में खातेदारी भूमि में आए कुंए

339. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुंजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में सार्वजनिक नये पीच के कुए के आसपास कृषि खातेदारी की भूमि आई हुई है? अगर हां, तो उसमें से कितनी भूमि कुए की आबादी में परिवर्तित करने की आवश्यकता है?

(2) क्या यह सत्य है कि कुए के आसपास की ऐसी भूमि का कुए की आबादी में परिवर्तन नहीं किये जाने के कारण गांव वालों को कठिनाइयां उपस्थित होती हैं? अगर हां, तो आबादी में ऐसी भूमि का अब तक परिवर्तन क्यों नहीं किया गया है?

(3) क्या यह सत्य है कि इस कुए के निर्माण के लिये गांव वालों एवं सरकार के हजारों रुपये खर्च हुए हैं और अब मीठा पानी उपलब्ध हुआ है? अगर हां, तो इसके आसपास कुए की आबादी का निर्माण क्यों नहीं किया गया है? अब कुए की आबादी एवं आगोर का निर्माण भूमि परिवर्तन करके कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें से कुए के पास वाली को 25 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(2) जी हां। पूर्व में खातेदार अपनी भूमि में होकर मवेशियों को आने जाने से नहीं रोकता था और न पंचायत ने कोई नियमानुसार अवाप्ति हेतु कार्यवाही की।

(3) जी हां, कुए की आसपास की भूमि का आबादी में परिवर्तन न करने का कारण प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में दिया जा चुका है। यदि पंचायत अवाप्ति हेतु प्रस्ताव करेगी तो नियमानुसार यथा शीघ्र कार्यवाही की जा सकेगी।

भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की नियुक्ति

340. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले में कितने पटवारी, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारी भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की श्रेणी से लिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 21 पटवारी, 3 रेवेन्यू इन्सपेक्टर, 3 तहसीलदार व एक नायब तहसीलदार भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों

(राजस्व मंत्री)

की श्रेणी से लिये गये हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णीत मुकदमें

341. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में किसानों के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकद्दमे कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के मुकदमों को शीघ्र निर्णीत करने व उचित मामलों में किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कई परिपत्र व आज्ञाएं जारी की गई और तारीखें भी निश्चित की गई? यदि हां, तो उन आदेशों के तहत कितने मुकद्दमे निर्णीत किये गये और कितने विचाराधीन कितने समय से हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकारी आदेशों के बावजूद इतने लम्बे समय तक मुकदमों का निर्णय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) इस प्रकार के मुकदमों को अब शीघ्र निर्णीत कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

अनुसूचित जाति संघ

342. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति संघ कब बना है इसके सदस्य कौन कौन हैं, इसकी शाखायें कहां कहां हैं? और उनमें किस वेतन के कितने कर्मचारी काम करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संस्था को हर साल सरकार से क्या सहायता मिलती है? और यह संस्था क्या कार्य करती है? क्या इसका ऑडिट होता है?

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना दिनांक 2-10-1962 को हुई थी। संस्था के सदस्यों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। इस संस्था की शाखाएं समस्त राजस्थान में हैं। इन शाखाओं के कर्मचारियों की तनख्वाह के लिये विभाग कोई अनुदान नहीं देता। संस्था के जयपुर स्थित मुख्य कार्यालय के मंत्री को 200 रुपये माहवार तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 80 रुपये माहवार संस्था द्वारा दिया जाता है।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था को सादडी जिला पाली में संचालित 25 छात्रों के छात्रावास के लिये 40) रुपये माहवार प्रति छात्र की दर से अनुदान दिया जाता है। इसका आडिट होता है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

हरिजन सेवक संघ

343. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में हरिजन सेवक संघ कब से बना है और इसकी कार्यकारिणी के सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संस्था को सरकार द्वारा कितना धन सालाना सहायता के रूप में दिया जाता है और यह क्या कार्य करती है ?

(3) क्या इसके हिसाब का ऑडिट होता है ?

(4) इसकी कहां कहां शाखाएं काम करती हैं और उनमें कितने वैतनिक कर्मचारी हैं और उनको कितने रुपये महावार दिये जाते हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाडा पूज्य गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की राज्य शाखा है, जिसका पुनर्गठन सन् 1950 में किया गया था। इसकी कार्यकारिणी प्रान्तीय बोर्ड के सदस्यों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संस्था को गत 6 वर्षों में दिये गये अनुदान और कार्य विवरण की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। विभागीय अनुदान से संस्था द्वारा अस्पृश्यता निवारण का कार्य किया जाता है और नाथद्वारा में एक छात्रावास चलाया जा रहा है।

(3) जी हां।

(4) सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्रावास, संस्कार केन्द्रों की संख्या एवं छात्रवृत्ति के नियम

344. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास कहां कहां चलाये जाते हैं ? उनमें कितने छात्र रहते हैं ? अलग अलग की सूची मय नाम व कक्षा के देने की कृपा करें।

(2) विभाग द्वारा कितने संस्कार केन्द्र चलाये जाते हैं ? उनमें से कितने केन्द्र काम कर रहे हैं और कितने बन्द हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लिये पंचायत समितियों को जो राशि दी जाती है वह समान रूप से दी जाती है या कहीं ज्यादा और कहीं कम ?

(4) कॉलेजों, हाई स्कूलों व मिडिल स्कूलों में छात्रवृत्ति देने का क्या नियम है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों की सूची सदन की

Page No. 58

(समाज कल्याण मंत्री)
मेज पर रख दी गई है। सहायता प्राप्त छात्रावासों में छात्रों के नाम व कक्षा की जानकारी समाज कल्याण विभाग में नहीं रखी जाती।

(2) समाज कल्याण विभाग के मद से संचालित संस्कार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समितियों को अब छात्रवृत्ति के लिये कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

(4) छात्रवृत्ति के नियमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदर्श बस्तियों का निर्माण

345. श्री लालूराम सुलानिया (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिला में समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 1954 से 31 मार्च, 67 तक कितनी आदर्श बस्तियों का निर्माण कराया गया?

(2) उपरोक्त आदर्श बस्तियों में किन किन व्यक्तियों को कितना अनुदान भवन निर्माण कार्य हेतु कब कब दिया गया? सूची मय नाम स्थान व अनुदान की राशि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अवधि में उक्त बस्तियों के अलावा कितने परिगणित जाति के लोगों को गृह निर्माण के लिये सहायता दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त अवधि में दिये गये अनुदान की राशि का उपयोग नियमानुसार न करने पर किस किस व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की गई है?

(5) क्या विभाग ने इस बात की जांच की है कि उसके द्वारा दिये गये अनुदान की राशि से निर्मित भवन को विक्री की गई है?

(6) उक्त मकानों में से कितने ऐसे मकान हैं जिसमें किरायेदार रह रहे हैं?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में इस समय में 6 बस्तियों का निर्माण कराया गया है। ये हैं: जयपुर स्थित फतेहटीबा कालोनी, अमृतपुरी, जयप्रकाशपुरा, लालगढ़, झालाना और रामनगर विमलपुरा बाटदेवरी। अन्य लोगों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवारों को अनुदान दिया गया है।

(2) अनुमानित परिवारों की संख्या और स्थान व अनुदान की राशि सूची क, ख, और ग में अंकित है। सन् 1954 से 1967 तक जिन परिवारों को अनुदान दिया गया उनके नाम जयपुर स्थित जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

(3) बस्तियों के अलावा जिन परिवारों को गृह निर्माण सहायता दी गई है उनकी सूची ग और घ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में दिये गये अनुदान का उपयोग

(समाज कल्याण मंत्री)

नियमानुसार हुआ है। अत: किसी व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) समाज कल्याण विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है।

(6) समाज कल्याण विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीने के पानी के तालाबों की जमीन का बेचना

346. **श्री देवीलाल गाडिया (बारां)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने कोटा जिले में कोटा रियासत के समय बनाये गये पीने के पानी के तालाबों की जमीन को बेचने की आज्ञा जारी की है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले में कई तालाबों को जो कि मवेशियों व नागरिकों के पीने के पानी के लिये बनाये गये थे, उनको काश्त की भूमि के नाम पर बेच दिया है? यदि हां, तो किस तालाब को किस कानून के तहत बेच दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, यह सही है कि कोटा जिले में उपनिवेशन क्षेत्र में जहां चम्बल नहर के पानी की सुविधा पहुंचने से जो तालाब उपयोगी नहीं रहे थे उन्हें काश्त के लिये बेचा गया है। जिन तालाबों को काश्त के लिये बेचा गया है उनकी उपयोगिता नहरों के बन जाने से मवेशियों, नागरिकों के पीने के पानी के लिये नहीं रही तथा भूमि आवंटन एवं बिक्री नियम उपनिवेशन, 1957 की धारा 4 के तहत इनकी भूमि वर्ग काबिल काश्त में रखी गई थी, जो तालाब उपनिवेशन क्षेत्र में बिके हैं उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

नहर के पानी से नुकसान

347. **श्री भरतसिंह जी (कामां)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरसाना बांध से रोफ बांध को नहर द्वारा पानी पहुंचाया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभयपुर से कैथवाड़ा जाने वाला रास्ता इस नहर को क्रास करता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि क्रास के स्थान पर पुल नहीं है ? क्या यह भी सही है कि पुल न होने के कारण नहर के दोनों किनारे कटे रहते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर में जब पानी चलता है तो क्रास के कटों से पानी इधर उधर फैल कर फसल खरीफ और रबी को गला देता है और यह मार्ग बिल्कुल ठप्प हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के फसल नुकसान व रास्ते की असुविधा को देखते हुए उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, पर बरसात से पहले किनारों को ठीक कर दिया गया है।

(4) जी नहीं।

अगमां बांध

348. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अगमां बांध बिल्कुल नष्ट हो चुका है ? क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की केवल पक्की मोरी ही अपनी जगह खड़ी हुई है ?

(2) क्या मंत्री महोदय उक्त बांध का स्वयं मौका देखने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवश्यक नहीं।

माशी बांध पर व्यय

349. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील निवाई में जो माशी बांध बनाया गया है उस पर कुल कितनी लागत लगी थी और उससे कितने बीघा की सिंचाई होती है ? सिंचाई से हर साल कितना रुपया किसानों से लिया जाता है ?

(2) हर साल इस बांध से कितने पानी का उपयोग होता है ?

(3) क्या यह सच है कि जमीन की ऊँचाई के कारण निवाई तहसील की एक बीघा जमीन की भी सिंचाई इस बांध से नहीं होती और हर साल बांध में पानी बेकार पड़ा रहता है ? क्या सरकार लिफ्ट के द्वारा उस पानी को निवाई तहसील के गांवों में सिंचाई के लिये पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांध पर 40.42 लाख रुपया खर्च हुआ उसकी अनुमानित वार्षिक सिंचाई 9 हजार एकड़ है। पिछले 5 वर्ष की सिंचाई से आमदनी निम्न प्रकार है:—

वर्ष	सिंचाई कर से आमदनी
1961-62	रु. 16,680 /-
1962-63	रु. 20,767 /-
1963-64	रु. 25,286 /-
1964-65	रु. 39,740 /-
1965-66	रु. 15,745 /-
1966-67	रु. 24,138 /-

(2) बांध में आने वाले लगभग सारे पानी का सिंचाई हेतु उपयोग कर लिया जाता है।

(3) जी हां, किन्तु प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार लिफ्ट सिंचाई का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मेहसरा खुर्द के बांध की मरम्मत

350. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम मेहसरा खुर्द तहसील दौसा के पास जो बांध रियासत के समय का बना हुआ था, अब टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सच है कि इसकी मरम्मत के लिए सब आदि होकर रकम भी मन्जूर हो चुकी थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(3) इस बांध से कितनी सिंचाई होती थी और नीचे कितने कुओं में पानी का स्तर बढ़ता था ?

(4) अब इस की मरम्मत का कार्य कब से शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, बांध रियासत के समय से टूटा पडा है ।

(2) जी नहीं ।

(3) रियासत के समय होने वाली सिंचाई के एवं कुओं के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

(4) बान्ध की मिट्टी खराब होने की वजह से मरम्मत का कार्य नहीं किये जाने का निश्चय लिया गया है ?

गोपालगढ़—माधोगढ़ के बीच बांध निर्माण का सर्वेक्षण

351. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गोपालगढ, माधोगढ, जिला भरतपुर के बीच एक बांध बनाने की योजना थी ? क्या यह भी सही है कि इस बांध निर्माण के लिय सर्वेक्षण जनवरी, 1966 में हो चुका है ?

(2) क्या बांध निर्माण के कार्य में कोई प्रगति हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, यह काम लगभग 20 प्रतिशत पूरा हो चुका है ।

मृतक मजदूरों के परिवार वालों को मुआवजा

352. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल के ग्राम दिलोदा तेजाजी के पास गत करीब 10-12 माह पूर्व चम्बल नहर के ठेकेदार की ट्रक दुर्घटना में करीब 12 मजदूर मारे गये ?

(2) क्या यह सही है कि मारे गये मजदूर पत्थर से भरे ट्रक में बैठा कर कोटा से लाये गये थे ? क्या सरकार ने ठेकेदार व ट्रक चालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार उन मजदूरों को कार्य कराने के लिये ले गया था ?

Page No. 62

(श्री देवीदत गाडिया)

(4) मारे गये व घायल हुए मजदूर कहां के रहने वाले थे ?

(5) क्या यह सही है कि मारे गये मजदूरों के परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, चूंकि इसका सम्बन्ध सीधा विभाग से नहीं है अत: कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां ।

(4) ये आदमी गांव विशालपुरा थाना महा मंदिर, जिला जोधपुर के रहने वाले थे ।

(5) पूर्ण जानकारी श्रम विभाग से प्राप्त की जाय ।

तहसील टोंक के ग्रामों की चरनोट भूमि

353. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील टोंक के गांव पीपलू, दौलतसागर, हाडीकलां, भूडिया आदि की जो चरागाह भूमि नहरी एरिया में आ गई है उसको खेती के लिये अलॉट करने के प्रार्थना-पत्र गत तीन वर्षों से गांवों के भूमिहीन किसान देते आये हैं पर भूमि को चरनोट बता कर अलॉट नहीं करते हैं ? यदि हां, तो इस भूमि को चरनोट से निकाल कर कब तक कमांड एरिया में शामिल की जाकर अलाट की जावेगी ?

उत्तर

(दिनांक 17-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

कृषि विकास खण्ड, सांचोर

354. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि एवं एनीमल हस्बेण्डरी घोषित करने के क्या क्या आधार हैं ?

(2) क्या सांचोर विकास खंड में कृषि विकास घोषित करने के सब आधार मौजूद हैं ? अगर हां, तो सांचोर को कृषि विकास खंड कब तक घोषित कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो उसमें क्या कमी है ?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर में कृषि उत्पादन का बडा भारी स्कोप है ? अगर हां, तो इसको कृषि खण्ड अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने श्री बी. मुकर्जी मेनेजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इन्डिया की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप की नियुक्ति की थी जिसे विभिन्न खण्डों का वर्गीकरण करने के लिये रिपोर्ट देने को कहा था, इस अध्ययन दल ने मोटे रूप में निम्न सिफारिश की है:—

(विकास मंत्री)

(1) खण्डों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाय:—

(अ) वर्ग ए. वे खण्ड जहां कृषि विकास का कार्य बहुत ही तीव्रता के साथ शीघ्र किया जा सकता है।

(ब) वर्ग बी. वे खण्ड जहां कृषि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और जहां पशुपालन, डेरी, मछली पालन, भेड पालन आदि कार्य प्रधान और महत्वपूर्ण है।

(स) वर्ग सी. वे खण्ड जहां पर सिंचाई व भू-संरक्षण के कार्यक्रम पहले हाथ में लिये जाने हैं ताकि उत्पादन कार्यक्रम संभव हो सके।

इस अध्ययन दल ने यह सिफारिश की थी कि—

वर्ग ए में वे खण्ड रखे जायें जहां निश्चित रूप से फसलों को पानी मिले चाहे वर्षा के द्वारा चाहे सिंचाई के साधनों के द्वारा।

वर्ग बी में वे खण्ड रखे जायें जहां सिंचाई के निश्चित साधन उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत कम हैं।

बाकी के खण्ड वर्ग सी में रखे जायें।

यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस विभाग द्वारा कृषि विभाग व पशुपालन विभाग से परामर्श किया गया और संबंधित जिलाधीशों से भी परामर्श किया और उस आधार पर विभिन्न खण्डों का एक वर्गीकरण तैयार किया गया।

इस वर्गीकरण के विरुद्ध पंचायत समिति, सांचोर का रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ था कि इसका वर्गीकरण 'ब' श्रेणी से "स" श्रेणी में कर दिया जाय।

इस सम्बंध में जिला परिषद्, जालोर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 24-11-67 को इस पंचायत समिति को 'ब' श्रेणी (पशुपालन वर्ग) में रखने का अनुरोध किया है।

उक्त रिप्रेजेन्टेशन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत, सुमेरपुर एवं बसंत की गैर-कानूनी कार्यवाहियां

355. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर (जिला पाली) ग्राम पंचायत की गैर-कानूनी कार्यवाहियों के विषय में राज्य सरकार को आवेदन-पत्र लोगों से मिले हैं और उन आवेदन-पत्रों को जांच हेतु जिलाधीश कार्यालय पाली को भेजा गया है? सम्बन्धित आवेदन-पत्र कितने प्राप्त हुए और वे किस किस तारीख के थे? इन आवेदन-पत्रों की जांच का क्या क्या नतीजा निकला और क्या क्या कार्यवाही अब तक की गई?

(2) क्या यह सही है कि बसन्त (जिला पाली) ग्राम पंचायत की गैरकानूनी कार्यवाहियों के विषय में राज्य सरकार और जिलाधीश, पाली को लोगों से आवेदन-पत्र मिले हैं? सम्बन्धित आवेदन-पत्रों की जांच आदि का क्या क्या नतीजा आया और क्या क्या कार्यवाही की गई है अब तक?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त आवेदन-पत्रों पर की गई कार्यवाही के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच करवाई जा चुकी है। प्रतिवेदन 19 जुलाई, 1968 को प्राप्त हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

पंचायत समिति हिण्डौन के सरपंचों पर बकाया रकम

356. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, हिन्डौन की ग्राम पंचायतों के किस किस सरपंच पर कितनी रकम कब कब से अनुदान की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त रकम किस किस कार्य के लिये दी गई थी और वह कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं?

(3) यदि पूरा नहीं हुआ है तो कहां कहा पर कार्य कब कब से नहीं हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) यह रकम इतने समय से बकाया रहने के क्या कारण हैं और उनसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) सूची में कार्य के प्रकार की सूचना भी दी गई है।

(3) सूची में कार्य कब से अपूर्ण है इसका भी उल्लेख देकर दिया गया है।

(4) जो कार्य आरम्भ नहीं किये गये उनके लिए दी गई रकम की वसूली हेतु तहसील को सूचना दी जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विकास अधिकारियों के पद

357. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि विकास अधिकारियों के पद कम किये जायेंगे और इसकी घोषणा गत बजट अधिवेशन में वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में की थी? यदि हां, तो अब इस बारे में सरकार की क्या राय है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने प्रशासन व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से सभी आई. ए. एस., आर. ए. एस, तथा 25 प्रतिशत पदों की संख्या को छोडकर अतिरिक्त आर. टी.एस. एवं असंवर्गीय विकास अधिकारियों का प्रत्यावर्तन कर जिन पंचायत समितियों में पशुपालन की ज्यादा संभावनाए हैं वहां पशुपालन प्रसार अधिकारियों तथा जो समितियां कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं वहां कृषि प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति

(पंचायत मंत्री)
के द्वारा इन पदों को भरने का निर्णय लिया है। यह निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है।

पंचायत समिति के स्कूलों में नियुक्त अनट्रेन्ड अध्यापक

358. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाली स्कूलों में जो अस्थाई अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उनमें कई अन्ट्रेन्ड अध्यापक भी लगाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में कुछ बी. एस. टी. ट्रेन्ड अध्यापक हैं जिनको अभी तक सेवा में नहीं लगाया जा सका है? यदि हां, तो कितने?

(3) क्या सरकार यह उचित समझती है कि जो भी अध्यापक लगाये जाएं वो ट्रेन्ड ही लगाये जाने चाहिए? यदि हां, तो ट्रेन्ड अध्यापक बिना सर्विस के बैठे हैं और अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण है?

(4) क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जो अन्ट्रेन्ड अध्यापक अस्थाई तौर पर लगाये हैं उनको हटा कर उनकी जगह बिना सर्विस बैठे हैं उनको लगाया जाय? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) साधारणतया अस्थाई तौर पर भी प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं किन्तु कहीं कहीं पर प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित अध्यापकों को अस्थाई नियुक्ति दे दी जाती है।

(2) इस समय लगभग 3900 प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं?

(3) जी हां। राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जावें। किन्तु रिक्त स्थानों की सूचना पंचायत समितियों से चयन आयोग को देने और चयन किए हुए अध्यापकों की सूची पंचायत समिति में प्राप्त होने के बीच कुछ समय लग जाता है उसमें व चयन कार्य न बिगड़े इस दृष्टि से अस्थाई नियुक्ति अप्रशिक्षित अध्यापकों की करना आवश्यक हो जाता है।

(4) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्देश समय समय पर प्रसारित किये हैं। यह अवधि निश्चित करना संभव नहीं है कि सभी उपलब्ध प्रशिक्षित अध्यापक कब तक नियुक्ति पा सकेंगे।

पंचायत, समिति डीडवाना का आडिट

359. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना का ऑडिट हुआ है? यदि हां, तो अब तक कब कब ऑडिट हुआ? सूची सदन की मेज पर मय ऑडिट रिपोर्टों की प्रतियों के रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऑडिट रिपोर्टों में भारी अनियमिततायें बताई गई? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) उक्त आडिट रिपोर्टों की अनुपालना में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उक्त आडिट रिपोर्ट की तामील में किन किन व्यक्तियों से कब कब कितनी कितनी राशि जमा करवाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत, गैरोली के सरपंच को दी गई रकम का उपयोग

360. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, गैरोली, तहसील देवली के सरपंच को 300) रु. तहसीलदार देवली द्वारा 250) रु. व दिनांक 31-3-66 को एक सार्वजनिक कूप को गहरा करवाने के लिये दिय गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस रकम को सरपंच ने अपने रिश्तेदार के कुए पर खर्च कर दिये जो कि किसी की खातेदारी का है ?

(3) क्या यह सही है कि इसका हिसाब भी सरपंच ने तहसील में दिनांक 10-7-66 व 16-6-66 को पेश कर दिया है ?

(4) क्या तहसीलदार, देवली ने इन रकमों के सही उपयोग में लेने की जांच की है ? यदि हां, तो यह रकम किन किन सार्वजनिक कुओं पर व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत, गैरोली तहसील देवली के सरपंच को तहसीलदार देवली द्वारा ग्राम गैरोली के व मुगलाना के पीने के पानी के कुए को गहरा कराने हेतु दिनांक 30-6-66 को क्रमशः 250) रु. व 300) रु. दिये गये थे।

(2) जी नहीं। ग्राम गैरोली का कुआ एक ब्राह्मण का है तथा मुगलाने का कुआ एक गूजर का है। दोनों ही कुए खातेदारी के हैं, लेकिन गांव के पनघट के रूप में काम में आते हैं और ग्रामवासी इन्ही कुओं से पानी पीते हैं।

(3) जी हां, ग्राम गैरोली के पनघट के कुए का हिसाब दिनांक 31-10-66 व ग्राम मुगलाने का हिसाब दिनांक 16-10-67 को तहसील में पेश हुआ है।

(4) तहसीलदार देवली द्वारा जांच जारी है। यह रकम ग्राम गैरोली व

(अकाल सहायता मंत्री)
ग्राम मुगलाना के पीने के पानी के कुओं पर व्यय की गई है ।

अधिकारियों द्वारा गेहूं की खरीद

361. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 65 में कोटा जिले के सरकारी अधिकारियों ने गांवों में जाकर किसानों से गेहूं खरीद किया था ?

(2) यदि हां, तो कितना गेहूं खरीद किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से गांवों से खरीद किया गया गेहूं कोटा जिला के कुछ व्यापारियों की बनाई हुई सोसायटी के यहां पर संग्रहीत किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह जो गेहूं खरीद किया गया था उसके लिये खाली बारदाना जिला खाद्यान्न सप्लाई विभाग द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी बोरी किस नियम के अन्तर्गत दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कोई गेहूं की खरीद नहीं की गई थी। ग्रेन मर्चेन्ट एसोसियेशन, कोटा द्वारा गेहूं की खरीद की जाकर गेहूं संग्रहीत किया गया था ।

(4) उस समय कोटा में गेहूं बिलकुल नहीं मिल रहा था अत : उक्त एसोसियेशन द्वारा जो गेहूं खरीद किया जा रहा था वह जल्दी जनता में बिक जावे इस दृष्टि से एसोसियेशन को कुल 3559 पुरानी बोरियां कीमतन दी गई थी ।

टीटनवाड के गेहूं एवं चीनी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही

362. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं के ग्राम टीटनवाड के निवासी श्री जगमाल सिह की लिखित शिकायत पर टीटनवाड के आयातित गेहूं के विक्रेता श्री दीनदयाल महाजन एवं चीनी विक्रेता के विरुद्ध झुंझुनूं के सहायक जिला सप्लाई अधिकारी ने जांच की थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने जांच कब की ? उस जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या सरकार ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर गेहूं विक्रेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में कन्ट्रोल के गेहूं व चीनी विक्रेताओं के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो किस किस प्रकार के आरोप लगाये हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

(दिनांक 17-?-68 के लिए स्थगित किया गया।)

स्थगित प्रश्न

(3-9-68)

मकान-बाड़ा बनाने के लिए कृषकों को जमीन

166. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नियमों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसानों को मकान बाड़ा आदि बनाने के लिये बिना कीमत कुछ जमीन एलॉट की जाय ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने नियमों में प्रावधान करने के अलावा इन नियमों के पालन के लिये कोई कदम नहीं उठाया है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो क्या कदम उठाये गये हैं?

(3) क्या राज्य सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि इस प्रकार से किसानों को देने के लिये भूमि किन किन गांवों में उपलब्ध है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और नहीं है, तो उपरोक्त नियमों के तहत काश्तकार को मिलने वाली सुविधा का लाभ सरकार किस तरह से काश्तकार को दे सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषक को बिना कीमत ग्राम की आबादी भूमि में निवास के लिये जगह दिये जाने का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 31 में प्रावधान है तथा धारा 31(1) में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार बाड़े का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेन्ट रूल्स) 1955 के चेप्टर 3 में भी इस प्रकार का प्रावधान है।

(2) कानून एवं नियमों की पालना की जाती है।

(3) जिन 2 गांवों में भूमि उपलब्ध है वहां काश्तकारों को सुविधा दी जाती है।

स्थगित प्रश्न

3-9-68

बंजर भूमि की खातेदारी

167. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में काश्तकारों के पास जो खातेदारी की भूमि है उसमें बंजर भूमि भी है ?

(2) बंजर भूमि की खातेदारी किस प्रकार होती है तथा कितने साल बिना काश्त रहने पर बंजर मानते हैं ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में भाखरा व गंग कैनाल क्षेत्र में काश्तकारों के पास खातेदारी की बंजर भूमि नहीं है। इसी प्रकार नागौर जिले में भी बंजर भूमि नहीं है। कोटा, बून्दी जिलों में भी नहरी क्षेत्रों में बंजर भूमि खातेदारी में नहीं है। अन्यत्र बंजर भूमि खातेदारी में है।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैन्ड रेकर्ड) रूल्स, 1957 के नियम 83(2)क(5) के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक पडत रहने वाली भूमि को बंजर भूमि माना गया है। खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अब कृषि भूमि की मांग बढने के कारण बंजर भूमि की मात्रा कम होती जा रही है।

(12.35 म. प.)

स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दिनांक 2-9-68 को रात्रि के समय थोई के थानेदार एवं हैड कान्सटेबल द्वारा शराब पीकर कांवट गांव में मारपीट एवं अशोमनीय कार्यवाही करने तथा वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बारे में निम्नांकित माननीय सदस्यों से तीन स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इन स्थगत प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पेंडिंग रखा गया था :—

(1) श्री देवीदत्त गाडिया
(2) श्री भैरोंसिंह
(3) श्री रामचन्द्र खंडेला
(4) श्री रामसिंह
(5) श्री दौलत राम सारण
(6) श्री रामचन्द्र आर्य
(7) श्री केदारनाथ
(8) श्री कृष्ण कुमार गोयल

एक और स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदार नाथ, श्री मेघराज पंवार, श्री हरजीराम बुरडक व राजवी श्री रूपसिंह से प्राप्त हुई थी जिसका संबंध गंगानगर जिले के भाखरा नहर क्षेत्र की बची हुई भूमि के रकबे को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाए जाने से है।

उपरोक्त दोनों मामलों में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं संबंधित मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें। सिंचाई मंत्री 11-9-68 को वक्तव्य दें। मैं इन स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा:—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) भरतपुर जिले की कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ पंचायत समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के संबंध में जिला अधिकारियों पर राजनैतिक दवाब डाला जाने के बारे में श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुट बिहारी लाल व श्री रामकिशन द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) भारत सरकार के उप वित्त मंत्री महोदय द्वारा कस्बा भुसावर तहसील वैर

(श्री अध्यक्ष

जिला भरतपुर में कब्रिस्तान की कुछ भूमि नाजायज तौर पर अपने नाम एलाट कराने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री मुकुट बिहारीलाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के विकास की उपेक्षा के बारे में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री भैरोंसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) श्री परसराम हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा के 6 वर्षीय पुत्र को कुंए में डालने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के बारे में श्री दिग्विजयसिंह व श्री फतह सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) ग्राम मदडा, पंचायत समिति कोटडा, जिला उदयपुर में दिनांक 31-5-68 को मदडा तालाब के निर्माण में ठेकेदार द्वारा नर-बलि दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री फूलचंद बाफना द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिंग रखे गए हैं । मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(1) दिनांक 31-8-68 को आदर्श-नगर, अजमेर पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार के बारे में श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) ग्राम सूरपुरा, तहसील नोखा जिला बीकानेर में वाटर सप्लाइ द्वारा चलाये जा रहे कुंए से हरिजनों व किसानों को पानी न दिए जाने के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलियाँ द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) कोटा जिले में पानी की कमी व सरकार की आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए "देहों" की लिफ्ट योजनाओं को बिजली से जोडने के बारे में श्री जुझारसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) दिनांक 7 अगस्त, 1968 को ग्राम साईसर पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर की एक हरिजन महिला को कुछ व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर कुए में डाल देने के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को भी सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं । ये इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय:—

(1) ग्राम बिजापुर, पंचायत समिति बाली (पाली) की रैयत टेनेन्ट कृषि सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अनियमितता के बारे में श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) 28-8-68 को ग्राम जांखोली, खेरवाडा, मडिया, ऊमरमाता और वीन्या तहसील हिन्डोली के काश्तकारों को मारवाड के भेड पालकों द्वारा पीटे जाने के बारे में श्री केशरीसिंह हाडा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) ग्राम सेणा, तहसील बाली (पाली) में जवाई बांध बन जाने के फलस्वरूप ग्राम की आबादी, कुए तथा खेती की भूमि जलमग्न हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(श्री अध्यक्ष)

(4) कस्बा रावतसर तहसील नौहर की कलालां की ढाणी के घग्घर बांध के टूटने से डूब में आ जाने पर भी किसानों से दुगुना आबियाने की वसूली के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामचन्द्र, श्री मेघराज, श्री केदारनाथ, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री राम सिंह कुडी, श्री हरजीराम बुरडक, श्री श्रवणलाल व श्री राजवी रूप सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) श्री शार्दुल टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन, गंगानगर द्वारा अपनी कुछ मांगों को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में दिनांक 10-9-68 से भूख हडताल आरंभ करने के बारे में श्री रामकिशन द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत विभाग की 5 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सिलसिले में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने और श्रीमान् भैरोंसिंह जी ने आपको प्रस्तुत की है। आपने उस सम्बन्ध में व्यवस्था देते हुए यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, और मुख्य मन्त्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के मसले को पिछले सत्र में भी यहां पर उठाया गया था। उस समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। बैठक बुलाने का भी माननीय मन्त्री महोदय ने ढोंग किया। अध्यक्ष महोदय, हर सत्र में कच्ची बस्तियों के मसले को उठाया जाता रहा है। दुर्भाग्य है कि हर बार इस विषय में सरकार की निष्क्रियता के कारण, जयपुर अरबन इम्प्रूवमैंन्ट ट्रस्ट की धांधलियों के कारण आज उन निवासियों को ट्रस्ट की ओर से नोटिस दिये जा रहे हैं, उन बस्तियों के निवासियों को वहां से उखाडने की कार्यवाही की जा रही है उसके विरोध स्वरूप आज वहां के कुछ निवासियों ने यहां विधान सभा के बाहर आकर धरना दिया है। आज तक सरकार ऐसी गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई भी योजना इन कच्ची बस्तियों के विकास की दृष्टि से नहीं बना पाई है और उसके कारण अरबन इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट की ओर से उन झोंपडियों को नोटिसेज देकर वहां से उखाडा जा रहा है जब कि यह सरकार सिवाय चक की भूमि पर कब्जा करने वालों को यह रेगुलेराइज कर रही है

श्री गिरधारी लाल व्यास : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (अपना भाषण जारी रखते हुए) चीफ ह्विप महोदय की यह आदत हो गई है कि किसी मसले पर ये रोडा अटकायें . . .

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ओफ ऑर्डर, माननीय सदस्य . . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल रोडा अटकाने के लिये . . .

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, पोइन्ट ओफ ऑर्डर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि सारा गांव इफेक्टेड हो गया है। मुझे समय के अभाव में पूछने भी नहीं दिया गया है। पांच हजार आदमी इफेक्टेड हैं और चारागाह को बरबाद किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am in possession of the House.

श्री अध्यक्ष: पोइन्ट ऑफ इन्टरप्शन।

(शोरगुल) (व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास: इम्पोर्टेन्ट मसले आगे बाकी हैं। उन पर बहस करना है उन बातों को छोड कर ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे इम्पोर्टेन्ट मसले रह जाते हैं और आगे का बिजनेस लेना है···

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बाधा उपस्थित करके···

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सदन के सदस्यों को

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर···

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर··

(श्री गिरधारीलाल व्यास एवं श्री देवीदत्त गाडिया के साथ साथ बोलते रहने पर-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर,··

कुछ भी नहीं लिखा जाय।

एक माननीय सदस्य: माननीय सुखाडियाजी को क्या मौके पर सहायता मिली है?

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरा सवाल तो तय किया जाय।

श्री अध्यक्ष: दोनों माननीय सदस्य नहीं लडें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): जनसंघ के माननीय नेतागण बोलते हैं और इधर से कोई बोलते हैं तो आवाज नहीं सुनाई देती है तो बारां के माननीय सदस्य को खडा कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह: यह बात नहीं है। अपनी ओर से माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कोई अच्छी बात चल रही है उसमें कैसे बाधा पहुंचायी जाय तो उसके लिए चीफ व्हिप को नियुक्त कर रखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल को तो पूछने ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर। (श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलते रहने पर पुन:) ऑर्डर माननीय सदस्य। ऑर्डर।

संक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने जो बाधा उपस्थित की है उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : कोई बाधा उपस्थित नहीं की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों का सवाल सम्पूर्ण राजस्थान में एक व्यापक रूप से बना हुआ है। जयपुर शहर में 64 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें लाख-डेढ लाख आदमी निवास करते हैं। यू. आई. टी. में जिस प्रकार के लोग रखे गये हैं, दुर्भाग्य है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को न प्लाट दिये जाते हैं रहने के लिये, न उनको कर्जा दिया जाता है उनको बनाने के लिये और जो उनके रहने के लिये वहां झोंपडियां बनी हुई हैं यदि वे बरसात में टूट जायं तो उन को बनाने के लिये म्युनिसिपैलिटी से कोई इजाजत नहीं दी जाती है। यू. आई. टी. से प्लाट मिलता नहीं, पट्टा मिलता नहीं, बिजली की सुविधा का तो सवाल ही नहीं है, वहां लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहां तक हालत पहुंच गई है कि झोंपडियां बनी हुई हैं, उनमें हर गर्मी के दिनों में आग लगती है, लोग प्रार्थना-पत्र लेकर घूमते हैं लेकिन उनको टीन की चद्दरें तक नहीं दी जातीं। (शेम शेम की आवाज) हर साल सैंकडों झोंपडे जलते हैं और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचता है। लाख डेढ लाख निवासी नारकीय जीवन बिता रहे हैं। संवत् 1925 में सर्वे में जिन लोगों का नाम है ऐसे लोगों से सरकार कहती है कि पट्टा लेकर आओ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोई 15 बीघा जमीन पर कब्जा करले, आप उसको रेगुलराइज कर देते हो, कोई सिवाय चक भूमि पर कब्जा करले तो आप उसको रेगुलेराइज कर देते हो। लेकिन जो लोग सैंकडों वर्षों से जिस भूमि पर आबाद हैं उन बस्तियों को वहां से हटाया जा रहा है, लोग बसे हुए हैं उनसे पट्टा मांगा जाता है, सौ साल से लोग आबाद हैं वहां पर उनसे पट्टा मांगा जा रहा है। यह गरीब लोगों के साथ सरकार भारी जालिमाना हरकत कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार की निन्दा करता हूं, इस सरकार

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ने इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में आश्वासन दिया था, कमेटी की मीटिंग बुलायेंगे। कमेटी की मीटिंग बुलाई भीखाभाई जी ने और उस मीटिंग को स्थगित कर दिया। दुख इस बात का है कि आज तक न मीटिंग बुलाई और न ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की न ही कोई आदेश जारी किये। बरकतुल्ला साहब ने यहां इस सदन के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि उन लोगों के झोंपडे नहीं उखाडे जावेंगे, उस नीति से मुकर कर उन लोगों को नोटिस दिये जा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके झोंपडे तोडे जा रहे हैं और उनको दूसरी जगह प्लाट्स भी नहीं दिये जा रहे हैं। यह बडी निन्दनीय स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी राजधानी में रहते हैं, यहां का पानी पीते हैं, जयपुर शहर का नमक खाते हैं, यहां की रोटी खाते हैं। उन गरीबों के प्रति हमदर्दी रख कर व्यापक योजना बना कर घोषणा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से उत्तर तो मिले।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है उत्तर देने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : कब तक मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : अभी मैं यह तय करूंगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है....

श्री भैरोंसिंह : सरकार की ओर से इसका कोई उत्तर मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी व्यवस्था करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अभी मुख्य मन्त्री महोदय बैठे हैं।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी निर्णय लिये गये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा मीटिंग के लिये कहा गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : दुबारा यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। पहले क्या निर्णय लिया, क्या स्थिति है उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही यहां कहा जाना उचित होगा। दो-तीन दिन बाद यहां पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिंह : दो तीन-दिन पर इसको न छोड कर आप इसके लिये तारीख तय कर दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में सब पार्टीज के सदस्यों को बुला कर यहां पर बात की थी। माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि तीनों विभागों से जानकारी प्राप्त करके फिर इसकी मीटिंग बुलायेंगे लेकिन आज तक तो कोई मीटिंग उन्होंने बुलायी नहीं। (शेम-शेम की आवाज) जब से हम यहां आये हैं हर बार पर इस प्रश्न को उठाया जाता है। यह प्रश्न न केवल जयपुर का है, किन्तु राजस्थान के प्रत्येक टाउन और शहर में यह सवाल उठ खडा हुआ है। जो ज्यादातर लोग मजदूर हैं हरिजन हैं इस तरह के लोग गत समय में यहां बसाये गये थे, जैसे जैसे पक्के मकान वाले आते गये उनको धक्का दिया जाता रहा। यही नहीं यह सवाल देहली में भी उठ रहा है। यह अजीब बात है कि देहली की कांग्रेस कुछ झोंपडी वालों के हितों की रक्षा के लिये आज आन्दोलन की तैयारी कर रही है घरना वगैरह दे रहे हैं और वहां पर गवर्नमेन्ट उनकी खुद की है वह कुछ भी करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि वे वक्तव्य इस बारे में दिलायेंगे। इस मामले में टैम्परेरी अरेन्जमेन्ट से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

इस पर बहस का सवाल नहीं है। अभी इस पर जानकारी लेना है। अब वक्तव्य लेना है या नहीं यह प्रश्न मेरे विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक टेम्परेरी अरेन्जमेन्ट होकर उनको कोई इजाजत मिल जाय यह सवाल नहीं है। बुनियादी तौर पर जो लोग बसे हुए हैं उनके अधिकार का सवाल है।

यह उनके परमानेन्ट राइट्स का सवाल है। यह यहां पर बराबर उठाया जाता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहा है। जब तक गवर्नमेन्ट इस पर विचार नहीं करती तब तक कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नमेन्ट हाउस के सामने जब वक्तव्य देने आये तब इस पर भी विचार करके आवें। परमानेन्ट राइट्स के साथ इस सवाल को हल करें। जनसंघ वाले दिल्ली में इस प्रश्न को नहीं मानते। यहां कांग्रेस वाले इस प्रश्न को नहीं मानते हैं। यहां पर कच्ची बस्ती की समस्या जनसंघ वाले उठा रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस वाले धरना दे रहे हैं। वहां पर जनसंघ वाले गलती करते हैं। यहां पर कांग्रेस वाले गलती कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। दिल्ली में जनसंघ वाले गलती कर रहे हैं किन्तु यहां जनसंघ वाले इस बात को उठा रहे हैं। धरना दे रहे हैं। यह अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बुनियादी सवाल को हल करना होगा और उनके बुनियादी राइट्स को आपको स्वीकार करना होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑडर प्लीज । नेता महोदय! सदन के नेता महोदय।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाडिया) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है मेरे ख्याल से माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहां हमेशा अनऑथोराइज्ड कब्जे हुआ करते हैं और उनको रेगुलराइज्ड किया जाता है। इस नीति को अपनाकर अब नहीं चल सकते। कितने वक्त का कब्जा है, जो अनऑथोराइज्ड है, उसको रेगुलराइज्ड कर सकते हैं। इस पर पहले निर्णय किया गया है। उसको देखकर ही बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि 15 तारीख को इसके बारे में विरोधी पक्ष के नेता को बुलाकर इस समस्या के बारे में जो उनके विचार हैं, जानकार 16 तारीख को गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से, क्या नीति तय कर ती है, उसको यहां बतादें।

श्री भैरोंसिह : माननीय मुख्य मन्त्री, एक बात का स्पष्टीकरण दें। इस प्रकार की समितियों का गठन कई बार हुआ। कई बार विरोधी दल के नेताओं का आपने सहयोग लिया है। उन समितियों की बैठकें हुईं। परन्तु उनमें क्या निर्णय हुए, उसका न तो सदस्यों को पता लगता है और न सरकार को पता लगता है। इस सदन को भी जानकारी नहीं होती। इसका स्पष्टीकरण दें कि 15 तारीख को जो बातचीत होगी, वह फाइनल होगी। उसके बाद, जो बात होगी, वह 16 तारीख को सदन में रख दी जावेगी। निश्चित रूप से यह फाइनल स्टेज होगी।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : मैंने निवेदन किया है 15 तारीख को बातचीत करने का। सरकार अपना निर्णय ले और सदन को 16 तारीख को अवगत करा दे। 15 तारीख को सुबह 9 बजे यह मीटिंग रखेंगे जिसमें माननीय सदस्य उपस्थित रहेंगे।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव के पहले एक पाइन्ट आफ आर्डर है। मेजर फतेहसिंह।

Page No. 76

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : श्रीमान् सही पूछा जाय तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जानकारी प्राप्त करने का है मेरी प्रार्थना श्रीमान् मन्जूर कर चुके हैं। विधान सभा में ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरी इस प्रार्थना को भी आशा है स्वीकार किया जायेगा। ब्यावर में सुरक्षा कोष के लिये इकट्ठे हुए सोने के गबन के सम्बन्ध में मैंने 7 मार्च को पिछली विधान सभा में एक प्रश्न उठाया था और मुख्य मन्त्रीजी ने विधान सभा में यह विश्वास दिलाया था यह घोषणा की थी कि इस मामले को सतर्कता आयोग के सुपुर्द करेंगे। विधान सभा जब से शुरू हुई, मेरी जानकारी के अनुसार यह प्रश्न सतर्कता आयोग के सुपुर्द नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : बता दिया है। सतर्कता आयोग को रेफर कर दिया है, इस विधान सभा की बैठक के पहले। जहां तक मुझे याद है, शायद 5 अगस्त को।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं पूछना चाहूंगा, मैंने 2 सितम्बर को प्रश्न किया था। इतने विलम्ब से यह क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! यह प्रांगण इसके कारण बताने का नहीं है। ऑडर माननीय सदस्य। मैंने आपको सूचित कर दिया है। इसलिये यहां पर विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस सम्बन्ध में सतर्कता आयोग को देने के पहले इस मामले की जांच मुख्य मन्त्री ने चीफ सेक्रेटरी से करवायी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ऐसी कोई जांच उनके जरिये नहीं करवाई गई है। वहां भेजने में विलम्ब हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां पर नहीं होगा। जब माननीय सदस्य ने बातचीत करली है तो यह विशेषाधिकार नहीं है। यहां सूचना नहीं दी जा सकेगी। माननीय सदस्य से चेम्बर में बात करके, आपको सन्तुष्ट कर दिया है। तारीख भी आपको बता दी थी। यह आज के बिजनेस में नहीं है। ऑडर, ऑडर !

(शोरगुल)

ऑडर ऑडर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इन्फर्मेशन आपके पास आयी, अध्यक्ष महोदय, वह इन्फर्मेशन पहले सदन को देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : आवश्यक नहीं है। आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × × × एक चीज पसन्द नहीं आवे। × × को कोई चीज पसन्द नहीं आवे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ये शब्द एक्सपंज किये जायें।

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : मेरे से कोई जानकारी नहीं ली जाय और जांच करवायी जाय, इन्क्वायरी करायी जाय, तो मेरे ख्याल में यह अन्याय है। यह न्याय का गला घोटना है। देश पर जब दुश्मन का

(× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।)

(मे र श्री फतेहसिंह)

आक्रमण हुआ तो जनता से आपने सहयोग मांगा था। जनता ने सु क्षा कोष में धन दिया, सोना दिया। उस धन का दुरुपयोग होता है किन्तु समय पर उसकी जांच नहीं होती। तब जनता दुबारा कैसे सहयोग देगी ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया : इस सवाल को विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द कर दिया है, 5 अगस्त को। उसकी जो रिपोर्ट हो वह आ जाय तब माननीय सदस्य विचार रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सूचना किसी लैटर के द्वारा दी गई है? इस सदन को ५ मिटमेन्ट किया गया है। वी हैव रेफर्ड दी मैटर हाउ कैन वी कम टू नो।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। वह स्थगन प्रस्ताव अपने आप में महत्व का है। कस्बा भुसावर में मुसलमानों के कब्रिस्तान की जमीन को भारत सर- ार के उप वित्त मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाडिया ने भूमिहीन काश्तकार बन कर अपने नाम अलाट करा ली है। फर्जी तरीके से पट्टा अपने नाम बनवा लिया है। फर्जी तरीके से अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए इस जमीन को अपने कब्जे में ले ली है। समस्या यहीं नहीं खत्म हुई, अध्यक्ष महोदय, कब्र को खोद खोद कर उनके पत्थर को उठाकर अपने घर पर ले जा रहे हैं। इससे भयंकर दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। आज स्थिति इस तरह की उन्होंने इन पत्थरों को····

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब आपने इसके लिये अभी अनुमति नहीं दी है, गवर्नमेन्ट भी इसके फैक्ट्स नहीं जान पायी है, माननीय सदस्य अपनी सारी बात कह देना चाहते हैं। आपको इसकी व्यवस्था क नी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने नियमों के अन्तर्गत जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी लेने क मैंने आदेश दिये हैं अथवा जिसको अस्वीकृत क दिया है, ऐसे प्रस्तावों प: यहां कोई डिबेट नहीं हुआ करती। आप तो इस प्रश्न पर डिबेट ही नहीं, सारे के सारे प्रश्नों का पूर्ण उल्लेख क रहे हैं, जिसका अर्थ डिबेट ही है। आपकी भावना को मैं समझ गया हूं। यह प्रस्ताव अति महत्व का है। महत्वपूर्ण है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इसको लिया जाय। आप इस पर बहस नहीं करेंगे।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आपने जो आज्ञा दी, मुख्य मन्त्रीजी ने जो संकेत दिया है, उसके लिये मैं आभारी हूं। मैं डिबेट के वक्त ही अर्ज क ना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी ने जो मुद्दा उठाया है, उस सम्बन्ध में मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ पहाडिया ने···· (शोरगुल–अश्रव्य)

मुख्य मुद्दा यह है कि विशेष तौर पर यह देखें कि जांच के समय कस्बा भुसावर में श्री जगन्नाथ पहाडिया के पास पहले भी 30 बीघा जमीन है ?

(1 म. प.)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव पर जो बोलना चाहिये वह सब कुछ आपने कह दिया है। मैं अब इसको पर्याप्त समझता हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : एक मुद्दे की बात और कह दूं माननीय मुख्य मन्त्री इस बात की भी और जानकारी करलें कि श्री जगन्नाथ पहाडिया सरकारी दौरे पर आये एस. डी. एम. कलेक्टर और तहसीलदार को साथ में लिया एस. पी. को भी साथ लिया और इस तरह से शक्ति का नाजायज प्रदर्शन करते हुए इस जमीन को दबा लिया। आये अपने काम से और टी. ए., डी. ए. सरकार से वसूल कर लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम यह चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर विधान सभा के इस सत्र के समाप्त होने से पहले मिले ?

श्री अध्यक्ष : पहले मिलेगा।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : निवेदन यह करना है। आपने व्यवस्था तो दी है, पर भरतपुर जिले की विशेष परिस्थिति है। माननीय गृह मन्त्रीजी को मालूम है कि भरतपुर में चाहे विरोधी दल हो या असन्तुष्ट कांग्रेसजन हों वहां के जिला प्रमुख रामकिशनजी थे। उनको नहीं चलने दिया। आज तक भी स्टे आर्डर जारी है। आज कुम्हेर के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, तारीख 28 फिक्स करदी। 33 में से 23 के दस्तखत हैं उस पर। अब यह किया जा रहा है कि उसमें से लोगों को तोडा जा रहा है। उन लोगों को डिबार करने की कोशिश की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत बात है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं वह गलत साबित हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं और अगर गलत न हो तो वे हिम्मत करें इस्तीफा देने की। वे घोषणा करें सदन में। यह सदन है, होटल नहीं है, या तो इस्तीफा आप दें, नहीं तो मैं देता हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : यह तो कांग्रेस का भौंपू बजता है, बार बार उठकर यह क्या कहते हैं।

श्री नत्थी सिंह : आखिर जनतन्त्र का गला कहां तक घोटेंगे ? अविश्वास के प्रस्ताव पर तारीख बन्ध गई। पर कोशिश यह हो रही है कि दस्तखत करने वाले दो तीन चार सरपंचों को मुअत्तिल किया जावे किसी तरह से। कलेक्टर ने कल शाम को टेलीफोन पर इत्तिला दी है। 33 आदमियों में से दो को उपमन्त्री केन्द्र के श्री पहाडियाजी ने इत्तिला नहीं होने दी। एक को 17 तारीख को उप चुनाव रखा गया। दबाव यह डाला जा रहा है कि 23 को ही मुअत्तिल कर दिया जावे। सोशलिस्ट पार्टी का उसमें एक भी नहीं है। पर इस लिये कि आपके चहेते हैं। कभी मुख्य मन्त्रीजी को होतीसिंहजी अच्छे लगते थे आज शायद भीमसिंहजी अच्छे लगते हैं। राज की मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिये यह प्रश्न यहां उठाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका कल ही जवाब दे दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को दोनों तरफ वालों को, इस तरफ वालों को और उस तरफ वालों को भी कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद मेरे ख्याल से शायद ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि जिन एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को डिसाइड कर दिया जावे उसके बाद भी उन पर चर्चा उठाई जावे। मेरे सामने तीन मामले तो अभी आगये, जिन पर किसी न किसी तरह से वाद विवाद हो जाता है तो बाकी का बिजनेस पूरा नहीं हो पाता और परम्परा की दृष्टि से भी यह वाजिब नहीं। डिस्कशन ही चाहें तो रूल्स में और भी स्पेसिफिक व्यवस्थाएं हैं। नहीं तो हाउस का बिजनेस चल नहीं पावेगा रेगुलेटेड तरीके से। अपोजिशन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि यह हम सबके हाथ में है कि सदन की परामपराओं का पालन हो, तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : मैंने जो नियमों के बारे में उल्लेख किया है उन नियमों के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जब तक कि जानकारी प्राप्त न हो जावे और जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद वक्तव्य देने का आदेश न हो तब तक कोई उस पर वाद विवाद नहीं होता है और यों भी स्थगन प्रस्ताव पर वाद विवाद का प्रश्न नहीं होता। प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम इन नियमों को इतना फ्लैक्सिबल बनाते चले आ रहे हैं कि प्रश्न अलग रह जाता है और वाद विवाद हर स्थगन प्रस्ताव पर होता रहा है। मैं भी चाहता हूं कि सदन के सदस्य परम्परा नहीं निभावें तो इससे तो आपका ही आगे का बिजनेस हिण्डर होता है। मैं थोड़ी सहूलियत देता हूं कि कुछ जानकारी फौरन प्राप्त करते रहें इसका अर्थ यह कभी नहीं कि हम नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करदें। मैंने जो व्यवस्थाएं दी हैं वे सदन की व्यवस्थाएं हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो यह सदन की व्यवस्थाओं का उल्लंघन है। मैं चाहूंगा कि जो भी प्रश्न पूछे गये हैं उनसे उनको जानकारी हो गई। अगर आप और स्पष्टीकरण चाहेंगे तो वह भी मिल सकेगा। इतना प्रर्याप्त होगा अब जो स्थगन प्रस्ताव जिन पर आज्ञा नहीं दी है, उन पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। जिनके सम्बन्ध में जानकारी की है और स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण है उनको शीघ्रातिशीघ्र में सम्बन्धित मन्त्री महोदय को बुलाकर लिये जाने का प्रयत्न करूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सहयोग दें कि आगे का काम चले।

श्री परसराम मदेरणा : धिसूचनाएं सदन की मेज पर रखें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने पहले व्यवस्था दी थी एक मेरा और नत्थीसिंहजी का प्रस्ताव था अजमेर पुलिस के सम्बन्ध में कि बाल और मूंछें काटली थीं उसके सम्बन्ध में। आठ और दस को वक्तव्य दिलाये जाने

(श्री रामकिशन)
की आपने व्यवस्था दी थी, क्या वह आज दिलाया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं यहां से जाने के बाद पता करके पूछ लूंगा।

श्री रामकिशन : यह तो आप सदन में कर चुके हैं कि आठ या दस को वक्तव्य होगा।

श्री विजय सिंह (मकराना) : नियमों का उल्लंघन हमेशा हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने किया है । नियमों का उल्लंघन करके ही उन्होंने सरकार बनाई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! श्री परसराम ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एडजोर्नमेन्ट मोशन्स के संबंध में जो आपने व्यवस्था दी है आप उसके अनुसार कार्य चलावें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन से यह सेशन शुरू हुआ है पहले दिन जो हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिये हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं कि उनके बारे में गवर्नमेन्ट की ओर से जानकारी ली गई या नहीं। अगर अध्यक्ष महोदय यह चाहें कि स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य न दें तो वह हमें सूचित करना चाहिये। मेरे मूव किये हुए कितने एडजोर्नमेन्ट मोशन्स हैं उनका आपकी तरफ से कोई नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : जिसके बारे में जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आती है उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं करता हूं । विना जानकारी के आधार पर भी स्वीकृति और अस्वीकृत का निर्णय देता रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे कई मोशन्स थे जिनके बारे में आपने निर्णय नहीं लिया न मुझे जानकारी ही दी है ।

श्री अध्यक्ष : कई स्थगन प्रस्ताव हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं आयी है यह मैं अपने चेम्बर में जाकर ही देखकर निर्णय दे सकता हूं। इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, बडी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विनम्रता अधिक मत बताइये। ज्यादा विनम्रता का तो यह परिणाम है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रीजी जानकारी कर रहे हैं । मुख्य मन्त्रीजी भी पहाडियाजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मैं इतना सा कह दूं।

जुल्म कर बरबाद न कर

जिनके मकानों को मर मर बसाया है।

श्री नत्थी सिंह : इसी से मुख्य मन्त्रीजी प्रेरणा ले लें ।

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

(1) **श्री परसराम मदेरणा** : मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

Page No. 81

(श्री परसराम मदेरणा)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.-जे.।पी. एस.।क्यू. आर.।13।67।3667 दि. 28-3-1968

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.। पी. एस.।ए. आर.।13।67-68।7929 दिनांक 15 जुलाई, 1968

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.। पी. एस.।ए. एच.।12।66।8727 दिनांक 27-7-1968

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल।-पी. एस।ए. आ.।12।66।8728 दिनांक 27-7-68

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल-। जे. पी.।एस।-ए-क्यू।3।6 8।5579 दिनांक 25-5-68

(11) **श्री मनफूल सिंह** (राज्य मन्त्री उपनिवेशन) : उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 22(30) रेवे।कोल।65 दिनांक 29 जुलाई, 1967

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30) राज.।उप।65 दिनांक 31 अगस्त, 1967

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 7 (226)इरीगे।62 दिनांक 30 जनवरी, 1968

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 24(4) राज।उप।68 दिनांक 17 अप्रेल, 1968

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 7(51) इरीगेशन।61-11 दिनांक 3 मई, 1968

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ए) (3)रेवे।कोल।68 दिनांक 20 जून, 1968

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 22(54) रेवे।कोल।64 पार्ट-2 दिनांक 21 जून, 1968

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30)रेवा।कोल।65 दिनांक 21।24 जून, 1968

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (54)रेवे।कोल।64 पार्ट-(11) दिनांक 9 अगस्त, 1968

(10) अधिसूचना संख्या एफ.22(40) रेव। कोल। 65 दिनांक 12 अगस्त, 1968

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (9)राज।उप।68 दिनांक 12 अगस्त, 1968

विधायी कार्य
पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 एवं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959 में और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Page No. 82

श्री अध्यक्ष : पंचायत एवं पंचायत समिति सर्विस कमीशन पर पचायत मन्त्री का वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा।

शासकीय वक्तव्य

पंचायत एवं पंचायत समिति सर्विस कमीशन पर पंचायत मंत्री का वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अध्यापकों के रिक्त स्थान की सूचना नियम 15 के अन्तर्गत आयोग को भेजती हैं जिसके आधार पर आयोग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। तत्पश्चात् आवेदन पत्रों की जांच होती है व जिला स्तर पर प्रमुख महोदय की सुविधा को ध्यान में रखकर साक्षात्कार हेतु तिथि नियत कर दी जाती है। साथ ही इसलिये कि जिला स्तर पर विभिन्न सेवाओं के रिक्त पदों हेतु, एक ही चयन हो जाय, विभिन्न सेवाओं के साक्षात्कार यथा संभव साथ साथ ही किये जाते हैं। इस कार्य में कुछ समय लगना आवश्यक व स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक विलम्ब को कम करने हेतु आयोग के दोनों सदस्यों ने 26 जिलों को आपस में बांट रखा है। जिससे कि कम से कम समय में यह प्रक्रिया समाप्त हो सके साधारणतः इस प्रक्रिया में 6 मास लग जाते हैं।

पंचायत समिति द्वारा रिक्त स्थानों की सूचना देने व चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बीच की अवधि में अध्यापन कार्य न बिगड़े, इस हेतु अधिनियम की धारा 86 (8) व नियम 23 के अन्तर्गत पंचायत समिति को अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। अस्थायी नियुक्ति हेतु केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही नहीं, वरन अप्रशिक्षित मैट्रिक पास व्यक्ति भी योग्य हैं। अतएव अस्थायी नियुक्ति हेतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाय, परन्तु फिर भी विभाग द्वारा समय समय पर ये वादे दिये जा चुके हैं कि यथा संभव प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही अस्थायी नियुक्ति दी जाय। परन्तु कभी कभी प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते व इस पूर्णतः अस्थायी व थोड़े समय की नियुक्ति उपलब्ध होने पर भी वे नियुक्त होना नहीं चाहते व कभी कभी ऐसे अध्यापक नियुक्ति स्थान पर जाने को तत्पर नहीं होते (क्योंकि अपने स्थान से बाहर क्षेत्रों में जहां रिक्त स्थान हैं, जाना नहीं चाहते हैं) अतः उपरोक्त कारणोंवश पंचायत समितियों को यदा कदा अस्थायी नियुक्ति अप्रशिक्षित व्यक्तियों को भी करनी होती है। चयनित व प्रशिक्षित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर अचयनित व अप्रशिक्षित व्यक्तियों को हटा दिया जाता है।

परन्तु यह सत्य है कि कुछेक पंचायत समितियां अस्थायी नियुक्ति के अधिकारों का दुरुपयोग भी करती हैं व प्रशिक्षित प्रत्याशी उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति दे देती हैं। क्योंकि नियमों के अन्तर्गत अप्रशिक्षित अध्यापक को भी नियुक्ति दी जा सकती है, अतएव राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस संबन्ध में बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, परन्तु इस तरह के मामले दृष्टिगत होने पर उन्हें प्रशासनिक स्तर पर निपटाने का प्रयास किया जाता

(श्री परसराम मदेरणा)

है । इस क्रम में विभागीय आदेश संख्या एफ. 135 (29) प्रशा।पंवि। 64।24240 दिनांक 29 सितम्बर 1964, एफ. 139 (3) (4) शिक्षा सम ।विवि। 6 115259 दिनांक 20 जून 1962, एफ 139 (10) (15) पीडी (प्रशा) 67।5227। दिनांक 20 अक्टूबर 67 एफ 116 (4) (13) एलजे।पी।एस।पंवि। 67।2242 दिनांक 2।19।67, एफ 149। (3) कौफा।इन्सपा पंवि।62।2455 दिनांक क 31 जनवरी, 63 व क्रमांक एफ 116।21।प्रस।रूल्स।61।8328 दिनांक 22 अप्रेल 68 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में ही अस्थायी रूप से नियुक्त किया जावे व प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होते ही उन्हें तुरन्त हटा दिया जावे ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग सेन्टरों की भर्ती संख्या भी कुछ कम कर दी गई है व इसलिये अब प्रति क्षण प्राप्त कर निकलने वाले व्यक्तियों की संख्या व रिक्त स्थानों की संख्या में अधिक तालमेल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त यह समस्या काफी सीमा तक स्वतः ही हल हो जावेगी यदि प्रशिक्षित व्यक्ति सुदूर क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर जाने को तत्पर हो जावे ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें यह बताया है कि नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है । अस्थाई तौर पर नियुक्ति अनट्रेन्ड अध्यापकों की की जा सकती है और बाद में राज्य सरकार ने सरक्यूलर निकाला है कि ट्रेन्ड अध्यापकों को नियुक्त किया जाय । तो राज्य सरकार नियमों के खिलाफ सरक्यूलर जारी करती है और जो सरक्यूलर निकलते हैं उनकी पंचायत समितियों ने तामील नहीं की तो क्या पंचायत समितियों के तामील नहीं करने पर कोई कार्यवाही की ? एम्पलायमेंट एक्सचेंज से ट्रेन्ड अध्यापकों के नाम नहीं मांगे जाते हैं तब वहां से ट्रेन्ड अध्यापक कैसे भेजे जाय इसलिये यह कहना कि ट्रेन्ड अध्यापक मिलते नहीं हैं, सरासर गलत है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि कहीं पर वेकेन्सी हो तो ट्रेन्ड टीचर के न मिलने की अवस्था में अनट्रेन्ड टीचर की नियुक्ति की जा सकती है और अनट्रेन्ड टीचर की नियुक्ति पंचायत समितियां उस पर रखती हैं जब ट्रेन्ड टीचर मिलते नहीं हैं । ट्रेन्ड टीचर अवेलेबिल हों तो अनट्रेन्ड को नियुक्त नहीं करें, ऐसा प्रावधान है । जिला परिषद् कमीशन चयन करके नहीं भेज देती है तब तक अन ट्रेन्ड लगा सकते हैं लेकिन जब तक ट्रेन्ड टीचर मिलते हों तब तक नहीं लगाना चाहिए । नियमों में अनट्रेन्ड टीचर को अपाइन्ट कर सकते है लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि अनट्रेन्ड की जगह ट्रेन्ड को लेना चाहिए क्योंकि वे ज्यादा संख्या में उपलब्ध हैं । आज से तीन चार साल पहले स्थिति यह नहीं थी । हमने समय समय पर आदेश पंचायत समितियों को दिये हैं कि ट्रेन्ड टीचर के मिलने पर अन-ट्रेन्ड को नहीं लगाना चाहिये । जहां तक डिले होने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिला परिषद् सर्विस कमीशन साढ़े तेरह टीचर्स का इन्टरव्यू करता है और जिला परिषद् को भेज देता है और जिला परिषद् एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है उसके आदेश से अलाटमेन्ट जितने रिक्त स्थान होते हैं उनको लगा दिया जाता

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं इसलिये यह कहना पंचायत समिति या जिला सर्विस कमीशन के यहां देरी होती है, गलत है। इस प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लग जाता है। अगस्त के महीने में साढे तेरह हजार व्यक्तियों का चयन करके, उनके रिजल्ट तैयार करके पंचायत समितियों को समय पर भेज दिया गया है। कमीशन की तरफ से देरी नहीं है। ट्रेन्ड टीचर्स को लगाने की बराबर हिदायत है। ट्रेन्ड टीचर के उपलब्ध होते हुए अन ट्रेन्ड को नहीं लगाना चाहिये। ट्रेन्ड टीचर्स ज्यादातर जैसलमेर व बाडमेर ऐरिया में नहीं जाते हैं तो खास तौर से वहां पर अनट्रेन्ड को लगा देते हैं। अब ट्रेनिंग सेन्टर जैसलमेर में स्थापित किया है कि उस ऐरिया में ट्रेनिंग दी जाय। जब उस ऐरिया में ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध हो जायेंगे तो दूर भेजने की समस्या भी हल हो जायगी।

श्री रोशन लाल (सलूम्बर): जिन पंचायत समितियों में ट्रेन्ड टीचर्स आते हैं वहां पर भी पंचायत समितियों में अन ट्रेन्ड टीचर्स को लेते हैं। राज्य सरकार का जो सरक्यूलर है, उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। इसके लिये सरकार क्या कर रही है? ट्रेन्ड टीचर्स पंचायत समितियों में जा रहे हैं लेकिन वहां ट्रेन्ड को न लेकर अन ट्रेन्ड टीचर्स को ले रहे हैं, इसके लिये मंत्री महोदय जवाब दें।

(1.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप खुद प्रमुख डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट के सदस्य हैं, कमीशन के सदस्य हैं। जिन लोगों का चयन करते ह और चयन करने के बाद उन लोगों को लगाते हैं। इस विभाग के पास ऐसी सूचना आई है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होता है। दूसरी तरफ आप कहते हे (व्यवधान, अश्रव्य) ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री रोशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है ····

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई डेमोक्रेट तो हूं नहीं। राज्य सरकार की तरफ से कम हस्तक्षेप होना चाहिये ·····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

बात तो सुनिए। सुनिये तो सही आप जरा कोई ऐसी बात आई है, मुझे ऐसा पता चला है है कि कुछ जगह जिलाधीशों ने यह कार्यवाही की है ट्रेन्ड टीचर उपलब्ध थे तो उन्होंने अन ट्रेन्ड टीचर ले लिये। सिलेक्टेड ट्रेन्ड टीचर पहुंचने से पहले ही अनट्रेन्ड को ले लिया तो हमने ट्रेजरी को हिदायत दी है कि अनट्रेन्ड टीचर्स का वेतन बिल पास नहीं करें। इस तरह की कार्यवाही की है वह कानूनन नहीं है। एक तरफ तो आप प्रेशर लगाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। इन संस्थाओं में मैं चाहूंगा कि जैसे प्रमुख हैं, प्रधान हैं, पंचायत समितियों के अन्दर शिक्षित कीजिये। जो कुछ आज रूल्स और रेगुलेशन्स है, उनसे चयन होता है और

(श्री परसराम मदेरणा)
चयन होने के साथ साथ शिक्षित आदमी हो और ······

श्री रोशनलाल : मेरा प्रश्न यह है कि ट्रेन्ड उपलब्ध हैं और अन ट्रेन्ड लेते हैं ···

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): यह फटकार बढिया रही ।

श्री रोशन लाल : अनट्रेन्ड टीचर हैं, उनको पंचायत समिति को 6 महीने का अपाईन्टमेन्ट देने का अधिकार है तो मैं तो कहता हूं कि ट्रेन्ड टीचर को क्यों नहीं लिया जाय । आज राजस्थान में ट्रेन्ड टीचर्स काफी उपलब्ध हैं ग्रौर उपलब्ध होते हुये भी अन-ट्रेन्ड टीचर्स को पंचायत समितियां अपाइन्ट कर देती हैं, यह नियम के विरुद्ध है। एक तरफ आप कहते हैं कि राज्य सरकार ने सरक्यूलर भेजा है ग्रौर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरक्यूलर के अनुसार ट्रेन्ड टीचर्स को अपाइन्टमेन्ट देना चाहिये । यह अपने आप में स्पष्ट हो जायगा कि ट्रेन्ड टीचर के होते हूए अनट्रेंड को सिक्स मन्थ्स के लिये अपाइन्‌मेन्ट दे सकते हैं --अनट्रेन्ड को दिया जाय, यह राज्य सरकार का सरक्यूलर है । इस सरक्यूलर को आप ही संभालो, हम तो अपने आप कर लेंगे । आपके पास कोई काम ही नहीं सरक्यूलर भेजने के अलावा । सरक्यूलर भेजते रहते हैं, उन पर कोई कार्यवाही होती नहीं है ।

श्री **राम किशन** : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है पंचायत समिति सिलेक्टेड टीचर्स होते हुए अनट्रेन्ड को लगा देती है ग्रौर आपने ट्रेजरी को आदेश भी दिया है कि उनको वेतन न दिया जाय, यह बिल्कुल उचित काम है । मैं भी इसकी तारीफ करता हूं । लेकिन समस्या यह नहीं है । राजस्थान के एक हिस्से में बहुत पढे लिखे लोग हैं ग्रौर दूसरे हिस्से में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ हैं । पंचायत समितियां ऐसा नहीं करती हैं कि ट्रेन्ड को नहीं लगाती हैं बल्कि दूसरी तरफ वेकेन्सी कम दिखाते हैं ग्रौर सिलेक्शन कर लेने के बाद ऐसे लोगों को रखती हैं जो मैट्रिक भी नहीं हैं । मैं पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वैसे तो पंचायतों के बहुत से मुद्दे हैं लेकिन इसके लिये तो मैं यह कहूंगा कि सिलेक्शन जिले वाईज न होकर स्टेट वाईज हो जिससे सारे स्टेट को एक सा व्यवहार मिले । माननीय रोशन लाल जी तो उसमें हिन्दी, ग्रंग्रेजी मिला रहे हैं । स्टेट वाईज सिलेक्शन में आपको क्या दिक्कत है मैं तो कहता हूं कि यह स्टेट वाईज होना चाहिये । एक बोर्ड बने ग्रौर वह अलॉट करें । कोई भी प्रमुख अपनी क्षेत्रीय भावना से उठकर काम नहीं करना चाहता है । इसलिये मैं पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो पंचायत समितियां गलत आदमी को अपाइन्ट कर देती हैं इस पर विचार करें । उपाध्यक्ष महोदय यह बडा व्यापक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठा लेते तो ज्यादा ठीक रहता ····

श्री राम किशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है । यह तो 5-7 दिन कार्यवाही पूरी की ग्रौर भाग जाते हैं । इसकी व्यवस्था करें। प्रमुखों की एक सेमीनार बुलायें । इसमें उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह की दिक्कतें हैं जब तक उन मुद्दों की सफाई नहीं होगी । एक तरफ ट्रेन्ड लोग ह ग्रौर एक तरफ अन ट्रेन्ड लोग हैं, यह सारा बर्डन राज्य सरकार

(श्री रामकिशन)
पर पडता है। स्वायत्त यह जिले की या कान्स्टीट्यूयेन्स की सरकार नहीं है। शासन का मतलब यह नहीं है कि नियमों का उल्लंघन करता जाय।

उसके लिए हम अधिकार जितना लेना चाहते हैं वह लेंगे लेकिन उसके लेने के बाद उसका पूरा प्रयोग हो। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं पंचायत मंत्री जी को अब आपका मापदण्ड अलग अलग है। कौन कौन प्रमुख कहां से चिट्ठी लिखता है उसके लिए आपका अलग अलग मापदण्ड है। श्री खेतसिंह जी कोई चिट्ठी लिखें तो उसका मापदण्ड अलग है और मैं कोई चिट्ठी लिखूं तो उसका मापदण्ड अलग है....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी।

श्री रामकिशन : हम लिख सकते हैं लेकिन वे तो लिखना जानते ही नहीं हैं क्योंकि रेगिस्तान के रहने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने चिट्ठी लिखी हैं और 5 साल से कोई जवाब नहीं आया है। इस संबंध में निवेदन करूंगा कि यह बहुत व्यापक प्रश्न है और इस पर सब लोगों को बुलाकर विचार किया जाये और हमारे श्री खेतसिंह जी को अनुभव हैं। बहुत से लडकों को इन्होंने बुलाया और 5-7 को तो अपाइन्टमेन्ट दिला दिया और बाकी का किराया यों ही खर्च हुआ। आपने 232 लडकों को बुलाया और 7000 के करीब विविध पंचायत समितियों ने खर्च कर दिया। बाडमेर की पंचायत समिति ने भरतपुर से लडके बुलाये और लगाया एक को। तो इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। इस पर पंचायत मंत्री जी सोचें तो रास्ता निकल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : राम नन्द अग्रवाल।

श्री दौलतराम सारण : मेरा तो प्रस्ताव है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनके बाद में।

श्री दौलतराम सारण : प्रस्ताव तो मैंने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सब माननीय सदस्य कह देंगे उसके बाद में आप कह देंगे तो अच्छा होगा।

श्री दौलतराम सारण : प्रस्ताव मेरा है और मैं फिजूल ही ऊठक बैठक लगाता हूं। मुझे आपत्ति है उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल दीजिये तो फिर पहले।

श्री दौलतराम सारण : चलो मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) फिर संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि पहले क्योंकि ट्रेण्ड टीचर्स नहीं मिलते थे इसलिये सीट्स खाली नहीं रहें इसलिये अनट्रेण्ड टीचर्स लेने का रूलस में प्रावधान कर दिया। अब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ट्रेण्ड टीचर्स मिलते हैं और 5000 के करीब बेकार हैं, यह आपने खुद स्वीकार किया है, शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है लेकिन अभी भी वह रूल आपका कायम है। इस लिए कानूनी अधिकार पंचायत को अनट्रेण्ड टीचर्स लेने का अभी भी है इसलिये आपको फौरन उस रूल में अमेन्डमेन्ट करके उस अधिकार को जो अनट्रेण्ड टीचर्स लेने का है उसको निरस्त कर देना चाहिए। फिर अगर कोई भी पंचायत समिति अनट्रेण्ड टीचर को ट्रेण्ड के मुकाबले में लेगी तो वह इल्लीगल होगा। अपने लीगल राइट को लोग कोर्ट आफ ला में चेलेन्ज कर सकते हैं और श्री रामकिशन जी ने जो सुझाव रखा उसका भी मैं समर्थन करता हूं। कम से कम आप सारी पूरी की पूरी लिस्ट प्राविन्शल लेवल पर सलेक्शन नहीं करें तो कम से कम एक रिजर्व लिस्ट जो कि आपके पास इमर-जेन्सी तरीके से सीट्स खाली हों या कोई टीचर बीच में चला जाये और फिर आपको उस जगह को भरने की जरूरत हो तो ऐसी एक रिजर्व लिस्ट राज्य स्तर पर जरूर रखनी चाहिए ट्रेण्ड टीचर्स की और किसी भी पंचायत समिति को अपने क्षेत्र में ट्रेण्ड टीचर नहीं मिले तो राज्य से इस प्रकार की सूची में से ट्रेण्ड टीचर लेना चाहिए और आप यदि उस रूल में परिवर्तन कर दें तो मैं समझता हूं यह समस्या हल हो जायगी।

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के सलेक्शन के संबंध में जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया और माननीय अन्य सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये उस संबंध में मैं भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षकों को राजस्थान के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दूर भेजना अल्प वेतन भोगी के साथ अन्याय होगा इसलिये मेरी राय में यह सही दृष्टिकोण नहीं है। सही दृष्टिकोण यह है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन बिल्कुल फालतू है। यह कोई कारगर बाडी नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह फिजूल खर्च है राज्य शासन की ओर से। इसके बजाय प्रमुख और जिला विकास अधिकारी की एक कमेटी होनी चाहिए जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वहीं के लोगों को सलेक्ट करे और आवश्यक-तानुसार वह उनको नियुक्त करवा सके क्योंकि उनको जानकारी होती है वहां के लोकल आदमियों की, उनकी भाषा, रहन-सहन और वहां की स्थिति से वह परिचित होते हैं और उसके अनुसार काम करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। अब भरतपुर का आदमी जैसलमेर या बाडमेर जायगा तो न तो वह वहां का खाना खा सकता है, न भाषा समझ सकता है और न वह वहां के रीति रिवाज जानता है। इसलिये एक साल तो कम से कम उसको भाषा समझने में कठिनाई आयेगी। इसलिये प्रारम्भिक रूप से बच्चों को समझाने के लिये लोकल भाषा की जानकारी आवश्यक है और वहां की लोकल परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक है। इसलिये उनके मुताबिक स्थानीय लोगों को ही सलेक्ट करना चाहिये और जिले के प्रमुख और जिला विकास अधिकारी जो कि कलेक्टर होता है आप यदि

(श्री दौलतराम सारण)

चाहते हैं तो एक-दो को ऐड और कर लीजिए और उसमें डी. डी. ओ. भी कमेटी में हो और उनको सलेक्ट करे। इस पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें और डिले होती है। यह गलत लोगों को सलेक्ट करके भेज देते हैं और फिर पंचायत समितियों को मजबूर होकर उनको नियुक्ति देने में इन्कार करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संबंध में राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये और जैसे विकास विभाग व्यर्थ है उसी प्रकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन व्यर्थ है। यह दोनों ही अनुपयुक्त हैं। विकास विभाग तो बिल्कुल ही डाकिये का काम करता है। इसका सर्कुलर इधर और इसका सर्कुलर उधर। इसलिये इस विभाग का तुरन्त खात्मा होना चाहिए। इसी सेशन में होना चाहिए अगर इकानामी मेजर्स को अपनाना चाहती है राज्य सरकार तो। और अलग अलग विभाग जिला परिषद् और जिला विकास अधिकारी की मार्फत उनको योजना भेजते हैं इसलिये इस विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विभाग की कार्य प्रणाली, तौर तरीके और सर्कुलरबाजी में यह माहिर है। एक्स्ट्रा डाक खर्च एक्स्ट्रा कागज और एक्स्ट्रा काम बढ़ाने के सिवाय और कोई काम नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यापकों के काम के लिये स्थानीय सलेक्शन होना चाहिए। जिला प्रमुख और जिला विकास अधिकारी की कमेटी होनी चाहिए और वह लोकल आदमियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और बाहर के लोगों को नहीं क्योंकि यदि वहां की परिस्थिति और रीति रिवाजों से वह परिचित नहीं होते हैं और स्थानीय लोग परिचित होते हैं।

श्री **मुकुटबिहारी लाल** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनकी (श्री दौलतराम सारण) बात मान ली जाये तो इसका मतलब यह होगा कि बाहर का कलेक्टर हमारे भरतपुर में नहीं लगाया जाये, बाहर का एस. पी. नहीं लगाया जाये और वहां का क्योंकि यहां कोई मंत्री भी नहीं है मंत्रिमंडल में इसलिये भरतपुर की सीमा में इनको घुसना नहीं चाहिए।

श्री **दौलतराम सारण** : कलेक्टर का और बच्चों का प्रश्न जुदा है।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायत विभाग देहातों के अन्दर बहुत बड़ी जागृति लाने के लिये चालू किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आपका भाषण स्थगन-प्रस्ताव के बारे में हो।

श्री अमीलाल यादव : जिला परिषद् और पंचायत समितियों के पास जो जिम्मेदारियां थीं वे दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। ऐसी संस्थाएं भी छोड़ी गई हैं पंचायत समितियां के पास में जिनके आधार पर वह कुछ अपना कार्य करते हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो अध्यापकगण पंचायत समितियों में कार्य करते हैं और जिनका सिलेक्शन जिला परिषद् और पंचायत समिति सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ

Page No. 89

(अमीलाल यादव)

माननीय साथियों ने यह सुझाव दिया है कि सर्विस कमीशन को हटा देना चाहिए और केवल प्रमुख और वहां का जो सचिव है वे ही करें। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि एक तरफ तो हम सर्विसेज के अन्दर न्याय और सच्चा सिलेक्शन चाहते हैं और दूसरी तरफ जो पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस कमीशन है जो कि एक बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट बोडी है और जो न्याय देती है उसको हटाना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : कोई कमीशन नहीं है राज्य का नौकर है। टेलीफोन पर काम करता है।

श्री अमीलाल यादव : वहां सिलेक्शन होता है। आपको पहले के मुकाबले में इस सिलेक्शन में ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट मिलता है। लेकिन मैं पंचायत समितियों के अध्यापकों के बारे में एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि वहां पर जो प्रधान और जो उन्होंने यह बात कही है कि जिस जिले के आदमी प्रशिक्षित हों उन्हें उसी जिले में रखना चाहिए, तो हमारे अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं और जयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं इनमें सबसे ज्यादा लड़के प्रशिक्षित हैं और दूसरे जिलों के अन्दर इतने प्रशिक्षित नहीं हैं इसलिये यह जरूरी नहीं है कि उस जिले वाले को उसी जिले में लगाना चाहिए। सभी जिलों की भावना एक होनी चाहिए, और उसकी वजह से जहां पर ज्यादा प्रशिक्षित अध्यापक मिलते हों वहां से सिलेक्शन पूरे राजस्थान का किया जाकर दूसरे जिलों में भेजे जा सकते हैं। आजकल जो स्ट्राइक आपके प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की चल रही है उसको एक ही वजह है और वह वजह यह है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं मान लो कि प्रधान हैं वे दूसरे टीचर्स के साथ में जो व्यवहार रखता है वह उसके साथ में नहीं रखता है, तो इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसी नीति कायम करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन अध्यापकों के बारे में जो रोजाना के ट्रान्सफर्स और एपाइन्टमेन्ट में अनियमितताएं होती हैं उसकी जो वजह है वह केवल यह है कि वहां पर लोकल फीलिंग है और भाई-भतीजावाद फैलाया जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक स्कूल्स के टीचर्स जिस पंचायत समिति के हों उसी पंचायत समिति में नहीं रहना चाहिए और दूसरी पंचायत समिति में रहना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि सिलेक्शन आपका जिला परिषद् से होता है और वहां पर जो बोडी है डी. ई. सी. वह एपाइन्टमेन्ट और एलॉटमेन्ट के वक्त में इस बात का निर्णय ले ले कि एक पंचायत समिति का आदमी दूसरी पंचायत समिति में भेजा जाना चाहिए। इस वजह से जो छोटी-मोटी अनियमितताएं होती हैं वे दूर हो जायंगी और जो अप्रशिक्षितों को लगाया जाता है वह आजकल नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल सभी प्रशिक्षित मिलते हैं इसलिये उनको लगाना चाहिए।

छोटे-मोटे प्रशासनिक सुधार हैं उनको हाथ में लेना चाहिए और थोडी सी सख्ती इस बात की प्रधानों पर की जानी चाहिए कि यहां से जो सर्क्यूलर्स जाय उनकी पालना की जानी चाहिए, और उनकी पालना नहीं होती है तो प्रमुख को टाइट किया जाना चाहिए

Page No. 90

(श्री प्रमीलाल यादव)

जिससे प्रधान और पंचायत समिति के खिलाफ कुछ एक्शन लेकर उनको ठीक डाइरेक्शन्स दें ताकि को-आर्डिनेशन का सही सही मतलब निकल सके। अगर वह होता रहेगा और वहां के प्रधान, विकास अधिकारी सरकार के सर्क्यूलर्स की पालना नहीं करते हैं तो यह ढिलाई प्रमुख की होती है और प्रमुख लोगों को चाहिए कि इसमें सतर्कता बरतें।

एक माननीय सदस्य : इसमें मैं माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि कम से कम उनको यह तो ध्यान होना चाहिए कि स्थगन-प्रस्ताव क्या है? वह पढ़ा हुआ होना चाहिए कि यह स्थगन-प्रस्ताव है

श्री नत्थीसिंह : बहुत जल्दी ध्यान दिलाया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पढ़ते ही नहीं और सदन में रेफर हो जाता है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के मामले को लेकर बडी चर्चा हुई कि पंचायत समितियों में अध्यापकों को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह सवाल ही नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : मैं थोडे से में कहना चाहता हूं कि यह मामला क्यों उठाया गया है मैं अपने अनुभव के आधार पर ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तुक लगे तो लगे नहीं तो बोझल तो मरेगा ही।

श्री हंसराज आर्य : पंचायत समितियों मे मास्टरों को कसोटी पर कसा गया तो इसलिए मास्टर घबराये। मैं कह सकता हूं कि जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं वहां पर मास्टर लोग स्वच्छन्दता से विचारते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है

श्री उपाध्यक्ष: यह विचारणीय प्रश्न नहीं है। यह कल था विचारणीय विषय

श्री नत्थीसिंह: यह कमीशन का है मास्टरों का नहीं।

श्री हंसराज आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मास्टरों का मामला वैसे ही उठाया गया है। जहां तक नियुक्तियों का सवाल है म इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि वह जिले में न होकर-पंचायत समिति के प्रधान, बी. डी. ओ., जिला परिषद् का सेक्रेट्री और कलेक्टर को बिठाकर सिलेक्शन करें तो ज्यादा न्यायसंगत होगा। नहीं तो बहुत लम्बे समय तक लोग मारे मारे फिरते हैं। दूर अध्यापकों को भेजते हैं वे जाने से इन्कार कर देते हैं। एक बार नियुक्त करते हैं तो आने से इन्कार कर देते हैं तो अ ट्रेंड अध्यापकों को लगाया जाता है तो सिलेक्शन के मामले में उस तरह से हो जाना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, मै पंचायत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पंचायतों के कर्मचारियों के लिये जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। सबसे पहले सुधार की जरूरत तो यह है कि जिले में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उससे ज्यादा का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। झुन्झुनू जिले में 100 सिलेक्टेड अध्यापक आज तीन साल से बेकार फिर रहे हैं। राजस्थान सर्विस सिलेक्शन

(श्री रामनारायण चौधरी)

कमीशन के सिलेक्टेड जो आदमी हैं उनको सर्विस न मिले तो यह बहुत ही अनुचित बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम निश्चित होना चाहिए । अभी चूरू के अन्दर क्या हुआ कि चूरू के अन्दर कमीशन के कार्यक्रम को दुबारा चेन्ज कर दिया । ऐसी ही स्थिति नागौर के अन्दर हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय रामकिशनजी ने सुझाव दिया है कि राजस्थान लेवल पर सिलेक्शन बोर्ड हो तो इससे राजस्थान में भावनात्मक एकता बढ़ेगी, उदयपुर के लोग झुन्झुनू को देखेंगे और झुन्झुनू के लोग उदयपुर को देखेंगे । वहां पर उनको एक दूसरे की भाषा को समझने का मौका मिलेगा । जो रामकिशनजी ने सुझाव दिया है कि राजस्थान के लिए एक ही बोर्ड होना चाहिए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोवीजन है उसको खत्म किया जाना चाहिए । इससे युनिटी नहीं आती है और अनेकता की भावना राजस्थान में फैलती है, जिले की भावना फैलती है । मैं रामकिशनजी के सुझाव का समर्थन करता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: दूर के लिए सर्विस करने को तैयार हो तो उसको 50 रु. महीना ज्यादा मिलना चाहिए ताकि भावात्मक एकता राजस्थान में कायम हो ।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): उपाध्यक्ष महोदय, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने और मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि टीचर्स का सिलेक्शन राज्यस्तर पर ही हो और जिला स्तर पर न हो । डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि यह जिलास्तर पर कमेटी के द्वारा हो और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समिति के स्तर पर ही सिलेक्शन टीचर्स का किया जाना चाहा, इस तरह से अलग अलग सुझाव हैं । जैसा कि मैं कल इस सदन में अर्ज कर चुका हूं और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक सेमिनार किया जा रहा है अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिस सेमिनार के अन्दर इन संस्थाओं से सम्बन्धित नियुक्तियां, अध्यापकों की योग्यता, उनका प्रशिक्षण, उनका चयन, उनकी चयन पद्धति और जब तक उनके ट्रान्सफर्स इन सभी मामलों पर विचार किया जायगा । इसलिए, उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं चाहता कि अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई बात कहूं जब तक कि शिक्षा के स्तर के बारे में पंचायत राज की संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षकों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर उस पर विचार करने जा रहे हैं, तो यह उचित ही होगा कि जो उनके सुझाव राज्य सरकार के पास आयें उसके बाद में उन पर निर्णय लिया जाय ।

डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि विकास विभाग फालतू है तो राज्य सरकार उनकी मान्यता से सहमत नहीं है विकास विभाग फालतू है या नहीं समय समय पर इन पंचायत राज की संस्थाओं के बारे में जानने के लिए, और पंचायत राज को लोकप्रिय बनाने के लिए विकास विभाग ने काफी काम किया है । उनके विचार से मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

सहमत नहीं हूं। मेरी समझ से डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं...

श्री नत्थीसिंह : डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो सदन में ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह प्रश्न तो आपने सेमिनार के लिए स्थगित नहीं रखा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): प्रश्न यह है कि पंचायत समिति अनट्रेन्ड टीचर को अपाइन्ट कर सकती है या नहीं? प्रश्न यह है, इसका जवाब नहीं दिया। जब ट्रेन्ड टीचर्स का राजस्थान में बैकलाग सात हजार है तो ऐसी सिचुएशन में पंचायत समिति क्या अनट्रेन्ड टीचर को आपाइन्ट कर सकती है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल को अमेंड करने को तैयार हैं या नहीं? सीधी सी यह बात है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट की धारा 86 के अन्तर्गत और उसके नीचे बने नियम 23 के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रावधान को छीन लेना चाहिए और छीन कर इसमें दूसरा अमेंडमेंट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया, इन सब मसलों पर जब सेमीनार में विचार हो रहा है तो उस पर मैं आज यहां चर्चा करूं और रूल में तरमीम कर दूं- यह उचित नहीं है। आज वस्तुस्थिति वही है जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आज अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट को टीचर अपाइन्ट करने के अख्तियार पंचायत समिति को है और वह इस अख्तियार और इस अधिकार का उपयोग करते हैं। हमने उनको एक सरक्यूलर भेजा है कि जब आपको ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध हैं तो आप ऐसा मत कीजिये। इसके उपरान्त भी क्योंकि उनको रूल के अन्तर्गत यह अधिकार हैं इसलिए ऐसा करते हैं। इस धारा को अमेंड करने के बारे में मैं आज कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जब सेमीनार में सभी बातों पर विचार विस्तृत रूप से विचार किया जाने वाला है तो सब बातों पर सेमिनार में विचार हो जाय। उसके बाद में इन मुद्दों पर सोचना उपयुक्त होगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सुप्रीम है या कि सेमिनार सुप्रीम है- पहले तो इसके बारे में निर्णय लें। यह सदन है इसकी कोई कद्र नहीं है इस सरकार के सामने। सरकार सेमीनार में फैसला करेगी, सदन की राय है उसके अनुसार अपना मानस नहीं बनायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : विचार करेगी सेमिनार के अन्दर।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है इसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है इस पर फिर चर्चा करेंगे तो फिर

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा शुरू हो जायगी। यह तरीका नहीं है डिबेट का।

श्री श्रवणलाल : मैं दो सुझाव देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्रवणलाल : जिस कारण से यह दिक्कत सामने आती है इसको दूर करने के लिए मैं खाली सुझाव देना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। गृह मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

(2) थोई के थानेदार द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): माननीय श्री देवीदत्त गाडिया व अन्य माननीय सदस्यों ने....

श्री केसरीसिह हांडा (हिन्डौली): आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं?

श्री मुकटबिहारीलाल : क्या विषय है?

श्री केसरीसिंह हांडा : किस विषय पर स्टेटमेन्ट हो रहा है।

श्री नत्थीसिंह : गाडिया जी नहीं हैं। वह विषय पहचान लेते।

श्री हीरालाल देवपुरा : दिनांक 2-9-68 की रात्रि को थानेदार थोई द्वारा कांवट में जाकर ग्राम निवासियों के साथ गाली गलोज मारपीट आदि की घटना का उल्लेख करते हुए कुछ व्यक्तियों की पुलिस द्वारा...

श्री दौलतराम सारण : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रोशनलाल : यह बात सही है।

श्री केसरीसिंह हांडा : आप दूसरे माइक पर आ जाइये।

श्री हीरालाल देवपुरा :(दूसरे माइक पर आते हुए) माइक ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आगे की बेंच पर जायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक ही बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देवीदत्त गाडिया तथा अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने दिनांक 2-9-68 की रात्रि को थानेदार थोई द्वारा कांवट में जाकर ग्राम निवासियों के साथ गाली गलोच मारपीट आदि की घटना का उल्लेख करते हुए कुछ व्यक्तियों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां करने और पुलिस के आतंक से तमाम गांव खाली हो जाने का उल्लेख करते हुए यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई है तो स्थिति इस प्रकार पाई जाती है कि दिनांक 2-9-68 की रात्रि को थानेदार थोई श्री रामस्वरूप पारीक मय एक हैड कान्स्टेबल व एक कान्सटेबल के एक मुकदमा नं. 58168 हस्ब दफा 457।380 की तफतीश के सिलसिले में पीथमपुरी गया था। वहां से रात्रि को लगभग साढे बाहर बजे वह कांवट लौटा रेल्वे स्टेशन कांवट से चोरी की कुछ शिकायतों के सिलसिले में सब इन्सपेक्टर ने धर्मशाला

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कांवट को चैक किया, एक गोरखा चौकीदार जो धर्मशाला के बाहर गश्त लगा रहा था, उससे भी पूछताछ की। इस चौकीदार से अधिक पूछताछ के लिये उसे कांवट अस्पताल के चौकीदार के पास लाकर छोड दिया और मय पुलिस पार्टी स्वयं स्टेशन पर चेकिंग व गश्त के लिए तांगे से गई। वहां चेकिंग करने के पश्चात् थानेदार मय पार्टी के बस द्वारा लगभग ढाई बजे रात कांवट लौटा। जैसे ही बस कांवट अस्पताल के सामने पहुंची तो 100-150 आदमियों के झुंड ने बस को रोक लिया और रामस्वरूप सब इन्सपेक्टर, मोहन सिंह हैड कान्सटेबल व रिछपाल सिंह कान्सटेबल और ड्राईवर कन्डक्टर के साथ लाठियों घूंसों और पत्थरों से बुरी तरह मारपीट की। भीड की इस हरकत से बस की खिडकी के कांच आदि भी टूट गये। फिर बलवाइयों ने ड्राईवर कन्डक्टर को एक तरफ बैठा दिया और सब इन्सपेक्टर को भीड ने घेर कर लगभग एक घंटे तक बुरी तरह पीटा। उसे पेड से भी बांधने का प्रयास भी किया गया व सवेरे लगभग 4 बजे गांव के 3 व्यक्तियों द्वारा सब इन्सपेक्टर को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक नीम का थाना फौरन मौके पर पहुंचे और इस घटना के विषय में केस ह. द. 147।148 342।307।395।332।34 दर्ज करवाया और तफतीश प्रारम्भ कराई गई। उक्त मारपीट के कारण सब इन्सपेक्टर को 19 चोटें, रिछपाल सिंह कान्सटेबल के 3 और मोहन सिंह को एक चोट आना पाया जाता है।

इस मुकदमें की तफतीश के दौरान 22 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं किन्तु इसमें एक भी सरपंच नहीं पाया जाता। कुछ मुलजिमान लापता हैं, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। यह उल्लेखनीय है कि पुलिस को किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। दीवानसिंह चौकीदार के सिर में चोट लगना पाया जाता है इसकी जांच भी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही है।

जो मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है वह तथ्यों के आधार पर है उसमें तफतीश जारी है। अकारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना पाया जाता है। घटना के दूसरे दिन गांव में पुलिस फोर्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाई गई थी जो दिनांक 5-9-68 को हटा ली गई है। गांव से कुछ मुलजिमान लापता हैं, गांव खाली होने व अराजकता फैलने की बात बिलकुल निराधार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्य मंत्री जी

श्री उपाध्यक्ष : इस पर लम्बा भाषण नहीं होगा। आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें, इन तथ्यों के आधार पर पूछ लें। भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न के रूप में ही पूछ रहा हूं।

राज्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि कांवट में पुलिस के द्वारा, पुलिस के अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से जनता के साथ में पाशविक रूप में व्यवहार किया और मारपीट की

Page No. 95

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप भाषण की शुरूग्रातकर रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : भाषण की शुरूआत नहीं कर रहा हूं । मैं उसके बारे में ही पूछना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लीजिये । इसमें बहुत से मामले हैं, आप दिमाग लगा कर उनके बारे में पूछ लीजिये ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं माननीय गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है, कि रविवार को थानेदार रामस्वरूप, हैड कान्स्टेबल और एक सिपाही ने प्रीतम पुर में जाकर दावत में भाग लिया और शराब पीकर कामठ में आये ? क्या यह बात सही नहीं है कि उस थानेदार ने शराब के नशे में आकर, कामठ धर्मशाला में आकर, धर्मशाला के पास में जो नट नटनी थे उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया ? माननीय गृह मंत्री, क्या यह बात सही नहीं है कि उक्त थानेदार ने शराब के नशे में आकर इस धर्मशाला में रहने वाले दरबान, चौकीदार को इस प्रकार से पीटा, पीटा ही नहीं बुरी तरह से उसको यह धमकी दी । कि जो वहां नट नटनी थे, जिनके प्रति उसकी पाशविक और बुरी तरह की नीयत थी, उनके साथ वह अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिये काम करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही नहीं है कि ....

श्री उपाध्यक्ष : सीधा सा प्रश्न है, आप पूछ लीजिये, जब यह बताया कि धर्मशाला में रात को घुसा तो रात को किसी मकान की तलाशी लेने का क्या पुलिस को अधिकार है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं सीधा सादा प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सीधा सा कहां पूछ रहे हैं । आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : सीधा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो गृह मंत्री जी मानते नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : गृहमंत्री जी को मानना पड़ेगा । उनके बारे में डाक्टरी रिपोर्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : मानना पड़ेगा, यह आप नहीं कह सकते ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह आप कहते हैं कि गृह मंत्री जी नहीं मानते हैं ।

मैं कहता हूं कि उनको मानना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं उनका दिमाग साफ कर देना चाहता हू जिससे कि स्पष्टीकरण हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जो बातें आपने स्थगन प्रस्ताव में कही हैं, उनका जवाब गृह मंत्री जी ने दे दिया । आप अब यह कहते हैं कि ऐसा हुआ और कह रहे हैं कि ऐसा

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं हुआ इससे प्रश्न हल नहीं होगा । कानून का सहारा आपको लेना चाहिए । रात में पुलिस धर्मशाला में घुसी है और रात भर तफतीश करते रहे हैं, तो क्या मामला था ? यह रिपोर्ट में होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कईयों को एक बार समझाने से समझ नहीं आता । कई बार समझा दिया जाय ।

श्री देवीदत्त गाडिया: माननीय गृह मन्त्री जी, क्या यह सही नहीं है कि उस चौकीदार ने उस थाने ... को यह इन्कार किया कि इस प्रकार इन लोगों की देख भाल करने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आप देखभाल करवाना चाहते हैं इन लोगों की तो अपने पुलिस के किसी सिपाही की या अधिकारी की ड्यूटी लगायें जब धर्मशाला के चौकीदार ने यह बात कही तो थानेदार ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा । शराब के नशे में थानेदार ने वहां के लोगों को गाली गलोज दी और उसके बाद स्टेशन चला गया, स्टेशन पर भी उस थानेदार ने और हैड कानिस्टेबल ने वहां स्टेशन पर बसे जो नागरिक थे उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया । फिर वह स्टेशन से वापिस धर्मशाला आया तो शराब के नशे में दुबारा गाली गलौज किया, क्या यह सही नहीं है कि जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार किया इस कारण से थानेदार और जनता के बीच मार पीट हुई । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि वहां के राजकीय डाक्टर ने, जनता के लोगों के, नागरिकों के जो चोटें आई, क्या वहां के डाक्टर ने उनको मैडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया है ? अगर सरकारी डाक्टर ने जनता के लोगों को लगी चोटों का सर्टिफिकेट दिया है तो क्या पुलिस ने उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि इस तरह से पुलिस के कर्मचारी द्वारा जनता को बुरी तरह से पीटा जायें, उससे जो चोटें नागरिकों के लगीं, उनका डाक्टरी सर्टिफिकेट वहां के सरकारी डाक्टर ने दिया, तो क्या पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट अंकित नहीं हो सकती ?

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, इस प्रकार पैशाचिक मार पीट करने के बाद वह थानेदार, नीम के थाने का थानेदार और नीम के थाने का डीवाई. एस. पी. कलेक्टर से बिना इजाजत के कांवट में नहीं गये और वहां पर लोगों की घर पकड शुरु नहीं की । वहां पुलिस फोर्स इस कदर पहुंच गई मानों वहां उस गांव में कोई डाका पडा हो, डाकू आ गये हों । गृह मन्त्रीजी, आपके इन शब्दों का विश्वास ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा ....

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं । यदि आप यही चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं ? लेकिन स्पष्टीकरण करना मेरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा अधिकार स्थगन प्रस्तावों में नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं प्रश्नों के रूप में स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछ लीजिये, इस तरह भाषण मत करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार पुलिस के अधिकारियों ने गांव में दाब लगाई, गांव के लोगों की गिरफ्तारियां कीं कोई मजिस्ट्रेट की इजाजत नहीं ली गई, क्या इसको आप कानूनी मुद्दा नहीं समझते ? क्या पुलिस ने आतंक नहीं फैलाया, दाब नहीं लगा ? इस प्रकार का बवंडर खड़ा करके कि थानेदार के चोटें आई हैं। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि वहां के सरकारी डाक्टर ने क्या थानेदार को एक भी चोट आने का सर्टिफिकेट दिया है ? यदि दिया है तो बता दीजिये। यह सबसे गम्भीर मुद्दा है, अस्पताल में डाक्टर ने गांव के चार नागरिकों के जो चोटें आई हैं, उनको उन चोटों का सर्टिफिकेट दिया है पर थानेदार को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो क्या न्याय की दृष्टि से स्पष्टीकरण करेंगे कि गांव के लोगों के जो चोटें आईं, शस्त्रों से उन पर हमला किया गया, इस थानेदार का और इज्जत का प्रश्न बना कर डी. एस. पी., थानेदार और पुलिस फोर्स ने लोगों के साथ जुल्म किये, वहां के लोगों को आतंकित किया, इस प्रकार की कार्यवाहियों से लोकतन्त्र की हत्या होगी। पहले से ही पुलिस वाले जनता पर जुल्म कर रहे हैं, यदि आपने मन्त्रित्व काल में पुलिस जनता पर इस प्रकार से अत्याचार करेगी तो सारे राजस्थान की जनता पहले से ही अकाल से पीड़ित है, पुलिस के जुल्मों से और पीड़ित हो जाएगी और एक दिन ऐसी बात आयेगी कि लोग आपके दरवाजे पर, मुख्य मंत्रीजी के दरवाजे पर आकर पड़ेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ..... इसलिये मैं यह कहता हूं कि गृह मंत्रीजी एक थानेदार को बचाने के लिये जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों की हत्या न करें। आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइये, आपके पुलिस अधिकारियों ने जनता के साथ बुरी तरह से मारपीट की है इसको आप निष्पक्ष जांच करायें और जो दोषी हैं, उनको दण्ड दें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : प्रश्न के रूप में मैं कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुद्दे रखता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, इस बारे में। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह घटना हुई ......

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसे गांव की घटना है, कृपया पहले यह बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : कांवट गांव का, जहां निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर के जेलों में डाल रखा है, उस संबंध में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। न्याय और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इस मामले को

Page No. 98

(श्री रामचन्द्र आर्य)
सही जांच होनी चाहिये क्योंकि इसके पीछे बड़ा षड्यन्त्र है। वहां थानेदार अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति के लिये गया था, यह सही बात है। यदि इस शासन में न्याय और व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। अगर निष्पक्ष जांच नहीं करवायेंगे तो जुल्म और ज्यादतियों से न तो जनता कभी दबी है और न दबेगी ही।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी तरफ से दो मुद्दे रखता हूं।

(1) पहली बात तो यह है कि थानेदार रात को 11 बजे से सुबह तीन चार बजे तक जब गया हुआ तो रात भर इस गांव से उस गांव और इस जगह से उस जगह जाता रहा है। तो ऐसा कौनसा मुकदमा था कि इस तेजी से वह सारीरात तफतीश करता रहा ?

(2) रात के वक्त किसी मकान में या धर्मशाला में जाना और तलाशी लेना नियमों के अनुसार है क्या ?

(3) गोरखा चौकीदार का नाम आपकी रिपोर्ट में आया हुआ है, तो यों ही रास्ते चलते सलाम नहीं किया इसलिये उसका नाम रख दिया यह क्या स्थिति है ?

(4) थानेदार उस गांव से दूसरे गांव जाकर फिर आया है तो क्या कोई मुल्जिम को गिरफ्तार करने गया था ?

श्री लखनारायण सालोदिया : एक और मुद्दा रह गया है।

वह थानेदार उस समय यूनिफार्म में था या सादे कपड़ों में ?

श्री मनहोर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : वह उस समय शराब के नशे में था क्या यह तथ्य है ?

श्री रावतराम (छापर सु.) : वह थानेदार कांवट धर्मशाला में गया तो वहां उसने नट जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया अपने हैड कान्स्टेबल और दूसरे सिपाहियों के साथ दूसरी स्त्री को उड़ाने की कोशिश की थी। धर्मशाला के लोगों ने थानेदार का विरोध किया, मुकाबला करने लग गये तो झगडा हुआ, तब थानेदार वहां से भाग गया और वहांसे बस ले कर वापिस आया।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि थानेदार प्रीतमपुर से आया, उसने वहां धर्मशाला में नटनियों को छेड़ा, इस पर हल्ला हुआ तो चौकीदार वहां गया और चौकीदार ने थानेदार से पूछा कि हुजूर आप इस समय यहां कैसे, उसने थानेदार का विरोध किया तो थानेदार ने शराब के नशे में था उसने चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया तो उसको सख्त चोटें आई उस चौकीदार ने हल्ला शुरू किया तो दूसरा चौकीदार वहां आया, उसको भी थानेदार ने पीटा तो वह भी चिल्लाने लगा और यह सारी चिल्लाहट सुन कर गांव वाले वहां पर आ गये, गांव वालों को देख कर थानेदार वहां से भाग गया। फिर वह बस ले कर आया

(श्री दौलतराम सारण)

और उन लोगों को पीटने लगा, वहां बाजार में लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटने लगा तो जनता ने थानेदार को बस से पकड़ कर उतारा है। यह सब घटना सही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि उस धर्मशाला में बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी थे, उनको भी थानेदार ने पीटा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य इस घटना के संबंध में हमें मिले हैं, वह मैंने सदन के सामने रखे। पुलिस के द्वारा जो तफतीश . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके द्वारा तफतीश कराई ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी निश्चय ही जांच होनी चाहिये, इस तरह से काम नहीं चलेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कब मना कर रहा हूं ? मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस भ्रम में न रहें कि राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी की गलती को छिपाने या उसके द्वारा की गई गल्ती पर उसको बचाने की कोशिश करेगी, कभी भी बचाने की कोशिश नहीं की जायगी। अगर उसकी गलती साबित होती है, तो बराबर सजा दी जायगी, मैं सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि उसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गाडियाजी ने जो कुछ बातें कहीं, वे तफतीश के दौरान जब डिप्टी एस. पी. गांव में पहुंचा तो कोई बात मालूम नहीं हुई। यह पहली बार आपके स्थगन प्रस्ताव में लगाए हुए आरोप थे जिनका मालूम होते ही हमने जांच करवाने के लिए कहा ताकि इसकी सत्यता का पता लगे। यह सही है कि थानेदार वहां से रवाना हुआ पीथमपुर को। उपाध्यक्षजी आपने पूछा था, पीथमपुर में 457 व 380 का केस सत्रित हुआ था, उसकी तफतीश के अन्दर पीथमपुर गया हुआ था और लौटते समय कांवट गांव में ठहरा। उसको इत्तला थी कि कांवट गांव के रेल्वे स्टेशन के आसपास काफी चोरियां हुई हैं, इस संबंध में वह गश्त लगाने गया हुआ था और सराय के अन्दर तलाशी . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : मनघड़ंत है, बिल्कुल झूठ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : धर्मशाला के अन्दर थानेदार . . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिल्कुल फर्जी मामला है, अन्याय किया गया है। हम कतई इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : थानेदार धर्मशाला में किसी की तलाशी लेने के लिए नहीं एन्टर हुआ था, केवल इस बात की जानकारी कि कौन कौन लोग वहां पर ठहरे हुए हैं, कहां के लोग हैं जिसका उसको पूरा अधिकार है, इस गांव में किस प्रकार के लोग आते हैं। जब चोरी की शिकायत उसके पास आई है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि इस बात की जांच करे, वह तलाशी लेने के लिए नहीं गया, न ही उसने तलाशी ली। चौकीदार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से पूछा कि कौन लोग हैं, उसको कुछ भी नहीं कहा। केवल उसको जांच करके चोरी का पता लगाना था इसलिये रेल्वे स्टेशन पर वह गया और वहां जाकर उन्होंने जांच की। इस बीच में चौकीदार को अस्पताल के चौकीदार के पास छोडा कि हम वापस आते हैं, फिर जांच करेंगे। इस बीच में चौकीदार ने पता नहीं गांव में कैसे अफवाह फैलाई लोग इकट्ठे हो गए और बस पर उसको उन्होंने घेर लिया, उसको उतारा गया और आगे की घटना जो घटी वह मैंने निवेदन की है। जहां तक लोगों का एक पुलिस अधिकारी को इस तरह घेरने का संबंध है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं उनमें कहां तक सत्यता है लेकिन यह बात साफ है कि यदि थानेदार की गल्ती थी, उसकी नीयत में खराबी थी, कुछ ऐसा काम किया तो चौकीदार को गांव के लोगों को, अधिकारियों को एप्रोच करने का अधिकार था लेकिन इस प्रकार उसको खड़ा कर पिटाई करने का कोई अधिकार नहीं था, जब उसकी पिटाई की गई, जब सूचना मिली····

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो औरतों का शील भंग करे, ऐसे थानेदार का सर न फोड़ दें वहां के लोग ?

श्री हीरालाल देवपुरा : औरत के शीलभंग की बात कहीं भी नहीं आई है·····

(शोरगुल—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

तफ्तीश के दौरान वहां पर इतने लोग··

श्री दौलतराम सारण : आपका प्रवचन सुन लिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं। जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं, मुझे उसका जवाब देने दिया जाय। आपको भी मैंने शांतिपूर्वक सुना है। इस प्रकार जब गांव में तफतीश की गई, तो गांव वालों के द्वारा या किन्हीं और लोगों द्वारा कोई ऐसी बात नहीं कही गई और कही जाती तो थानेदार के खिलाफ जरूर इन्क्वायरी की जाती। इसमें किसी प्रकार के छिपाने की कोई बात नहीं। जिस चौकीदार को चोट आई उसके लिए भी जांच की जा रही है कि किस प्रकार चोट पहुंची, किसके द्वारा पहुंचाई गई। यह साफ है, जो घटना वहां हुई और जो आरोप आपने लगाए, उस संबंध में मैंने स्पष्ट कहा है कि पहली बार आपके आरोप मिले हैं। मैंने जांच करवाने के लिये कहा है, उसमें यदि सत्यता पाई गई, थानेदार का बदनीयती पाई गई तो यह नहीं होगा कि उसको बचाने की कोशिश की जाय, अगर उसकी गल्ती है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस प्रकार गलत तथ्यों के आधार पर यह कह देना कि थानेदार ने गल्ती की है, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। जांच हो रही है उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपने एक दो बातें कहीं······

श्री जगन्नारायण सालोदिया : झूठ बोलते हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो घटना घटी उसके तथ्य मैंने आपके सामने रखे। आपने कहा वहां पुलिस की फोर्स गई। यह सही है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

22 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और जो लापता हैं उनका पता लगाना था। हो सकता है कि गांवों के लोगों में उत्तेजना हो तो शांति कायम करने के लिये कुछ दिन के लिये 4-5 कान्सटेबल रहे थे और 5 तारीख को उनको भी विथड्रा कर लिया गया है, इसमें कलेक्टर को हिदायत देने की आवश्यकता नहीं थी · · ·

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री जयनारायण सालोदिया : सदन का समय क्यों खराब करते हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस रात को थानेदार और सिपाही गांव में गए थे तो ड्रेस में थे या नहीं, ईमानदारी के साथ कहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर जानकारी नहीं है तो सदन में सीरियस आरोप सदस्यों ने लगाये हैं जिनके बारे में समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं कि शराब पीकर मस्ती की, जूते भी खाए और लोगों ने पीटा भी होगा मैं अविश्वास नहीं करता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गृह विभाग अभी आपके पास आया है, गुरू की ट्रेनिंग मत लो, इस सदन में यदि सदस्य आरोप लगाते हैं तो किसी को भी उस थानेदार के साथ दुश्मनी नहीं है, आप सदन में उसकी पैरवी करते हैं, आप खड़े होकर डिफेंस देते हैं। जांच की बात करते हैं तो कहते ह कि दोषी होगा तो कार्यवाही की जाएगी। आप जांच में गड़बड़ कर लो, 500 आदमियों को गांव में बिठा लो, मोहनलाल मोदी लड़के की कसम खालें कि इसके पीछे सत्य क्या है, जनता के साथ ज्यादती हुई या नहीं, शराब पीकर धर्मशाला में घुसे और दुराचार करे और सदन में मामला उठाया जाय तो डिफेंस करने लग गए। आप कहते हैं कि जांच कर रहे हैं, आरोप सीरियस हैं, गृह मंत्री को खड़े होकर कहना चाहिए कि यदि सदस्यों का विश्वास है, उनकी यह जानकारी है तो थानेदार को सस्पेंड करते हैं, सारी जांच सी. आई. डी. से करवायेंगे नहीं, सस्पेंड करेंगे नहीं और यहां उसका डिफेंस देंगे यह अच्छी चीज नहीं है। यह राजस्थान की जनता के साथ उनके जीवन के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड करते हैं। आप यहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का डिफेंस देते हैं कि जांच कराते हैं, दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी सारी बातें सुनता रहा, सारे बयान और एक्सप्लेनेशन इतने लचर और बेढंगे तर्क थे कि क्या कहा जाय। आप गृह विभाग के नए राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की इज्जत आपके हाथ में है आप उसके साथ खिलवाड़ मत करें। आप सदन में घोषणा करें कि सी. आई. डी. से जांच करवायेंगे, जो कर्मचारी दोषी हैं उनको सस्पेंड करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : शुरू में ही मैंने निवेदन किया कि जानकारी की जा रही है, किसी प्रकार थानेदार का डिफेंस करने की कोई बात नहीं, थानेदार ने गल्ती की है तो सजा पायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच किस से करवा रहे हो ?

Page No. 102

श्री हीरालाल देवपुरा : डिप्टी एस. पी. है।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक बात का आश्वासन चाहिए। कुछ मुद्दे स्पष्ट करें जैसे आपने कहा कि आपको पता नहीं कि ड्रेस में था या नहीं, शराब पीया हुआ था या नहीं, क्या डाक्टर ने जांच की व्यक्तियों को जो चोटें आई ? क्या राजकीय डाक्टर ने कोई मेडीकल सर्टिफिकेट दिया या नहीं ? उस थानेदार को जो चोटें आई·····

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : यह प्रश्न जो इस सदन में पेश हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि ऐसे सवालों को इस तरह से गलत तोड-मरोड कर न रखें जिससे जनता की शांति भंग हो। जिस तरह से यहां के लोगों ने थानेदार की पिटाई की है, अगर इस तरह से कार्यवाही होती रही और हम गलत ढंग से पैरवी करेंगे तो न आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और न हमारा। आपको निवेदन करूंगा कि थानेदार को कुछ भी कहा हो, जनता ने जिस प्रकार का व्यवहार किया···

श्री मुकुट बिहारीलाल भार्गव : चोरी और फिर सीना जोरी

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आॅर्डर। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थानेदार किस हालत में गया और क्यों गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

कई माननीय सदस्य : नहीं साहब।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : जनता तो एक शक्ति है। कसूर जिसका है उसको दंड मिले। थानेदार का डिफेन्स करें। जिस थानेदार ने जनता के साथ ज्यादती की उसको तो आप डिफेन्स करें और जनता को गिरफ्तार करें। जनता के साथ ज्यादती की है उसकी और जनता ने थानेदार के साथ ज्यादती की है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कराइये। यहां पर इस बात का बयान दिया जाता है कि जनता ने थानेदार के साथ ज्यादती की तो यह बात भी साफ हो जायगी कि जनता ने उसके साथ ज्यादती की या जनता के साथ उसके द्वारा ज्यादती की गई। आप क्यों बिना इस प्रकार की जांच कराये उसको बचाना चाहते हैं? थानेदार ने कोई थोडी सी गलती की है तो वह बडा अपराधी है। आप को पक्ष न कर जनता के सामने सही स्थिति आये इसलिये जांच की बात माननी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : जो बातें पहले कही जा चुकी हैं वे दोहरायी नहीं जावेंगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंन्ट दिया है उस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। वह जांच कराने के लिये क्यों इतने उद्विग्न हैं इसको समझें। चाहे जनता का हो या सरपंच का हो उसकी पैरवी नहीं करना चाहता। यहां मत दूसरा है। कानून की

(श्री दौलतराम सारण)
रक्षा करने वाले अधिकारी ने गैर वाजिब तरीके से··

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर बीच में बोलने लग गये।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : ···रात के समय कानून को हाथ में लिया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : जनता ने उसको हो सकता है पीट लिया हो,···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में मोदीजी बोल रहे थे और उन्होंने भाषण को समाप्त कर दिया। उस पक्ष पर उस बात पर आ रहा था थानेदार को पीटा गया और जनता ने ज्यादती की उस बारे में कह रहा था। विपक्ष ने कोई पैरवी नहीं की है कि पीटा तो अच्छा किया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ करते रह

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों के साथ कानून और व्यवस्था का सवाल है··

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के गम्भीर प्रश्नों को इस प्रकार से समाप्त नहीं होने देंगे।

श्री दौलतराम सारण : जनता के साथ जिसके द्वारा अन्याय होता है उसको तो आप डिफेन्ड करें और लोगों को अरेस्ट करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको कहने दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय मोदीजी जो बात कर रहे थे उनको कहने दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : माननीय मोदीजी को कहने दें।

(शोरगुल)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, उन्होंने साफ तौर पर जो वाकयात हैं, एक्चुल रिपोर्ट में जो आये हैं उनको यहां पेश किया है।

एक माननीय सदस्य : गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले आप मुझे सुन लीजिये। मैंने आपको बडे धीरज के साथ सुना है। मुझे भी जरा सुन लीजिये।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह आश्वासन भी दिया कि जिस प्रकार की एस. आई. के खिलाफ शिकायतें हैं उनकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं और जो दोषी पाये जावेंगे तो वे सजा पाने के हकदार हैं। फिर मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री नत्थीसिंह : हम चाहते हैं क्या वह आप भी समझ रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो आप चाहते हैं वह भी समझ रहा हूं और जो करना चाहता हूं वह भी आप समझते हैं। आपको दोनों तरफ की सीरियसनेस को समझना चाहिये। एक थानेदार ड्यूटी पर था। वह बस से आ रहा था......

श्री दौलतराम सारण : ऑन ड्यूटी नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मह न यह समझें कि यूनिफार्म में हो तब ही वह ड्यूटी पर होता है तो मुझे क्षमा कीजिये यह सही नहीं है। कोई 24 घंटे यूनिफार्म में नहीं रहा जाता है। क्या यूनिफार्म में नहीं था इस लिये एस. आई. नहीं था ?

श्री दौलतराम सारण : पागल थे क्या लोग जो गले पड गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप मेरे भाषण के बीच में नहीं बोलें वरना चर्चा समाप्त होगी। आप सुन लीजिये। आप की बात सही मान ली जाय कि धर्मशाला पर आकर कुछ बात की, दो–ढाई घंटे बाद लॉरी बस अस्पताल के बाहर ठहरायी। कानूनी तरीके से कोई प्रिवियस सदन प्रोवोकेशन नहीं था। उसको बाहर निकाल कर मारने का कोई अधिकार नहीं था। एस. आई. के खिलाफ आज तक कोई दरख्वास्त भी पेश नहीं हुई, केवल एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया गया...

श्री देवीदत्त गाडिया : पुलिस ने दरख्वास्त ही नहीं ली। गांव के लोगों से रिपोर्ट ही नहीं ली।

श्री दामोदरलाल व्यास : एडजोर्नमेन्ट मोशन पर माननीय मंत्रीजी ने जैसा कहा तुरन्त तथ्यों की जांच के लिये लिख दिया गया है। इसकी जांच के लिये डिप्टी एस. पी. को मुकर्र किया और वह जांच कर रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : वे कहां के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर मैं नहीं समझ सका कि वे चाहते क्या हैं ?

इन्क्वायरी हो वह हम करा रहे हैं। जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार किया। अदालत से साबित करें कि कसूर उनका नहीं है वे छोड दिये जावेंगे। जांच भी न होने दें और गिरफ्तारी न की जाय और जो कुछ आपके पास सूचना ह उसी को सही मान लिया जाय यह कैसे हो सकता है ? जांच और तफतीश से एस. आई. पर गुनाह साबित हुआ तो उसको सजा दी जावेगी और यदि नहीं तो जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको सजा दी जावेगी, अदालत से। एक समाचार-पत्र में निकला वह सही है। माननीय सदस्य को किसी ने पत्र लिख दिया

(श्री दामोदरलाल व्यास)
क्या इससे सही हो गया ? जांच से दूध का दूध और पानी का पानी निकल जावेगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : गांव वालों के खिलाफ जांच न की जाय तब तक इन्वेस्टिगेशन को रोका जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप लायक कानूनी वकील हैं। कानून में दफा बता दीजिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : फिर झूठा केस तैयार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : शासन की अनुमति से नहीं पूछा गया इसलिये इसका जबाब नहीं दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे दो बातें सामने आई हैं। एक खास बात गृह मन्त्रीजी ने स्वीकार की है कि सबइंस्पेक्टर बस में बैठकर गया था। मन्त्री महोदय कानून के ज्ञाता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी बस में जो रूट पर चलती हैं, उसमें किसी थानेदार को बैठने का क्या हक है ? उन्हें हक नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने सत्ता का, शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो स्वयं गृह मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने नहीं स्वीकार किया। मैंने यह स्वीकार किया कि बस में बैठकर आया। बस जो रूट पर चलती है, उसमें प्रत्येक नागरिक को, थानेदार को इस्तेमाल में लाने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : बस रेगुलर चलने वाली नहीं है। रात के दो बजे कोई बस रूट पर नहीं चलती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इर्रेगुलर वक्त को भी बस काम में लाई जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : रात में भागने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह नहीं है। बस से किसी को उतार कर मारे। बस ले जाने का हक था यह नहीं ? क्यों लेगया ? प्राथमिक रूप से इसको देखें। कोई न कोई मोटिवेशन था, जिससे बचने के लिए, रेल्वे स्टेशन से बस लेकर कस्बे में भागा। सब इंस्पेक्टर रात के दो बजे स्टेशन पर जाये, लारी ड्राइवर, कन्डक्टर को जगाये और दबाये और बस को थाने में ले जाये मैं समझता हूं कि जो मोटर वेहीकल्स एक्ट है, उसका वॉयलेशन हुआ है। इसलिए सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के कारण मौजूद हैं। गृह मन्त्रीजी, यह नहीं कह सके हैं कि सब इंस्पेक्टर शराब पीये हुए था ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरे खयाल में हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि उसने शराब नहीं पी रखी थी।

श्री भैरोंसिंह: सब कोई जानकारी रखते हैं। उसके बारे में यदि आरोप लगाया जाय कि वह शराब नहीं पीता है, तो उस इलाके के लोग इसको झूठा मानेंगे। गृह मन्त्रीजी और उप-गृह मन्त्रीजी, दोनों ही उसकी सफाई दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में कहिये माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह: मैं संक्षेप में ही कहूंगा। माननीय गृह मन्त्रीजी ने डिप्टी एस. पी. को जांच के लिए नियुक्त किया है। हमारे गृह मन्त्रीजी जानते हैं कि सब-इन्स्पेक्टर के मामले में डिप्टी एस. पी. से जांच करवाई। डिप्टी एस. पी. ने उसकी जांच करके जांच रिपोर्ट लिखी कि इस सब इन्स्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाय। आपने उसका ट्रान्सफर कर दिया। दबाव पड़ा तो ट्रान्सफर ऑर्डर केन्सिल कर दिया। फिर कैसे आप डिप्टी एस. पी. की जांच रिपोर्ट पर विश्वास करने की बात कहते हैं? आप इसके माध्यम से इस केस को, इस चीज को वाश आउट करना चाहते हैं। आप इसे बचाना चाहते हैं। आपके साथ में बहुमत है। आप उचित, अनुचित कीजिये। किन्तु आपने पब्लिक के साथ ज्यादती की है। आप इसी बात के लिए पब्लिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। सब-इन्स्पेक्टर थाने में बैठकर हथकडियां पहना रहा है। पब्लिक के खिलाफ आप वारन्ट जारी कर रहे हैं। मन्त्री महोदय आप इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनाकर जन-भावना का आदर करना सीखें। उस व्यक्ति को सस्पेंड करें, उसके खिलाफ इन्क्वायरी करें। दोषी न पावें तो उसको रिइन्सटेट कर दें। दोषी होगा तो दंड मिल जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, और न किसी तरह से सब इन्स्पेक्टर के कसूर को प्रोटक्शन दिया जा रहा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्राइमा-फेसी केस मालूम होगा तो सब-इन्स्पेक्टर को हरगिज वहां नहीं रखेंगे। जहां तक इस मुकदमे का संबंध है, इसकी तफतीश का सम्बन्ध है, सब-इन्स्पेक्टर का कोई सम्बन्ध नहीं है। न हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी एस. पी. अपनी अलग से तफतीश कर रहा है। आपको शिकायत हो कि मौजूदा तफतीश ठीक नहीं चल रही है, तो मैं सीनियर ऑफिसर को तफतीश के लिए लगा सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): जब इन्क्वायरी होती है उस दरम्यान उस थाने से उसे हटवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर ...

श्री देवीदत्त गाडिया: इस बात के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब इस प्रश्न को बार बार नहीं उठाया जायेगा। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया: थानेदार के खिलाफ शिकायत है, कार्यवाही नहीं करेंगे। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के जुल्म से जनता भयभीत है, त्रस्त है, थानेदार को पनाह देकर जनता में भय पैदा करना चाहते हैं। पुलिस को अधिकार है कि वह कुछ भी करे।

श्री उपाध्यक्ष: बिना अनुमति से पूछन पर कोई उत्तर नहीं दिया जाय।

आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाडिया : उस थानेदार को सर्टिफिकेट दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

पंचायती राज मन्त्री ।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय मैं....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट की है । गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल निराशापूर्ण है । इसके लिए सदन को पूरे विश्वास में लीजिये । इसकी खुली जांच होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर नहीं दिया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य: यह मामला बड़ा गम्भीर है ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री पंचायती राज मन्त्री ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायती राज मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, मेरे पास उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है । अत: इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कल ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: कल लिया जायेगा ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बजट पर विचार ।

श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अन्याय किया गया है । जांच करवाई जाय । थानेदार को सस्पेंड किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस विषय पर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिजली के बारे में । उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान में गत 15, 20 सालों में बिजली के संबंध में काम किया है, हमको अच्छी तरह से मालूम है, इस पिछड़े हुए प्रदेश के लिये यह एक प्रशंसनीय बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दूसरी बात है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं ओन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर । यहां जो कार्य सूची प्रसारित की गयी है, 10 तारीख की, 10 सितम्बर की, उस सूची में जो बिजनेस है, वह बिजनेस आप टेक अप नहीं कर रहे हैं । कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है । वह नहीं ले रहे हैं । पंचायतों का अधिनियम ले रहे हैं । बिल पेश किया है । बिल को इन्ट्रोड्यूस कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया है। मैं यह पूछ रहा हूं कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन क्यों नहीं ले रहे हैं। यह गलत बात है। पहले टेक्सेशन लाज ले रहे हैं। फिर क्यों आप लिस्ट आफ बिजनेस सरकूलेट करते हैं? आप जो चाहे आइटम पहले ले लेते हैं। पहले कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन लेना चाहिए। बाद में टेक्सेशन ले आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। पहले ले लिया जायगा। अब ले लेते हैं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 15-वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन गृह मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके अन्दर नियम 215 के अन्तर्गत मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार इस सारे प्रतिवेदन को पुनः कार्य सलाहकार समिति को विचारार्थ वापिस भेजा जाय। ताकि कार्य सलाहकार समिति जितने भी विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में विचार करके पुनः अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि जब से सदन चला है अभी तक सदन की 11 बैठकें हुई हैं। इन ग्यारह दिनों में तीसरी या चौथी बार यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है। राज्य सरकार का या हाउस का क्या बिजीनेस है अभी तक अनिश्चित है। इसलिये मैंने यह संशोधन इस आशा से प्रस्तुत किया है कार्य सलाहकार समिति के इस प्रतिवेदन को इस संशोधन के साथ कि जो बिजीनेस हमने दिया है उसके बारे में भी समिति में विचार किया जाय और उस बारे में भी निर्णय लिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है राजस्थान टीनेन्सी विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव, राजस्थान टीनेन्सी बिल के समान दूसरा बिल पास करने का था उसको क्या हुआ? इसके अलावा विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस, इसमें जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी एजूकेशन के सम्बन्ध में विचार इन सारे बिल्स के बारे में आप सदन में बहस नहीं चाहते। हमारे अत्यन्त महत्वपूर्ण और सबस्टेन्टिव मोशन्स 119 और 127 के प्रस्ताव 131 के प्रस्ताव काल अटेन्शन नोटिसेज सभी सदन के विचारार्थ हमने भेजे हैं। राज्य में मन्त्रियों के खिलाफ श्री अमृतलाल यादव के खिलाफ 14 एलीगेशन लगाकर मैंने प्रस्ताव पिछले बजट अधिवेशन में दिया, लेकिन चेयर की तरफ से मेरे उस प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। क्या उनको एडमिट किया

Page No. 109

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया या रिजेक्ट किया गया। श्री अमृतलाल जी यादव के खिलाफ 14 आरोप लगाकर जो प्रस्ताव पिछले बजट अधिवेशन में दिया था उसको आसन दबाकर बैठा हुआ है। श्री बृजसुन्दर शर्मा के खिलाफ जमीन के बारे में प्रस्ताव है। उसका क्या हुआ? इस तरह के और भी प्रस्ताव हैं, जैसे श्री शिवचरण माथुर के खिलाफ भी प्रस्ताव है हालांकि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया लेकिन अभी तक जनता सस्पेन्स में है कि वास्तव में जो आरोप उन पर लगाया गया है क्या वह सत्य है? उन्होंने त्याग-पत्र देकर स्वस्थ परम्परा लोकतन्त्र में स्थापित की है, लेकिन उनके ऊपर लगाये गये आरोप सही हैं या गलत, इस बारे में जो मोशन है उसका क्या हुआ। इसी प्रकार बृजसुन्दर शर्मा जब राजस्व मन्त्री थे उस समय उन्होंने कोटा में जमीन ली है उस पर भी एक मोशन दिया हुआ है उस पर हम कब डिबेट करेंगे। इस प्रकार के कई मसले हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं अनेक मामले हैं लड्ढा जी के बारे में भी हमने एक प्रश्न की सूचना दी है। इसके अलावा चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा अनेक अधिकारियों पर भ्रष्ट कार्यवाही करने के आरोप लगाये गये हैं। नाथूराम जी मिर्धा को चुनाव याचिका में और सुखाडिया जी की चुनाव याचिका के सम्बन्धमें हाई कोर्ट ने जो अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं वे सब किस कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है। आज तक हाउस की 11 बैठकें हुई हैं इसमें इन प्रस्तावों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आपको संविधान में 6 महिने में विधान सभा की एक बार बैठक बुलाने का जो अधिकार दिया गया वह आपने पूरा कर दिया। आप चाहते हैं जितना जल्दी इससे छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। पार्लियामेन्ट भी साल में सात महीना चलती है लेकिन हमारी विधान सभा दो तीन महीने से ज्यादा नहीं चलती है। गवर्नमेन्ट का भी बिजनेस है उस बारे में भी विचार करना चाहिये। जहां तक विरोधी पक्ष का ताल्लुक है सदन की कार्यवाही में पूरा सहयोग देने को तैयार है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो 215 के तहत में ऐतराज उठाया है और कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन आया है उसमें उन्होंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। उसके लिये आपने कई बातें बताई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका पोइन्ट आफ आर्डर क्या है वह बतलाइये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है। इसमें डिसकशन के लिये जो समय निर्धारित किया गया उसके लिये आधा घंटे का समय है उसके बाद में अगर कोई भी मेम्बर बोलना चाहता है तो

> "Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion."

मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनको बोलते हुए करीब 10 मिनिट से ज्यादा समय हो गया है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। यह जो सफाई दी जा रही है वह समय का अपव्यय है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सदस्य व्यर्थ में मेरे बोलनें में बाधा डाल रहे हैं। मैं अपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को ही बता नहीं पाया कि आप बोलने लग गये.

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं कोई इन्टरप्शन नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच मिनिट ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। कार्य सलाहकार समिति में सभी पार्टीज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज होते हैं, श्रौर उसमें सब की राय से फैसला होता है। कभी किसी ने इस तरह से अमेन्डमेन्ट पेश नहीं किया। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उनके दल के नेता उसमें मौजूद थे। उनकी सहमति से यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन बनाया है। इसलिये मैं समझता हूं इस पर अगर कोई बात करनी है तो सदन से बाहर बात कर सकते हैं। वरना फिर क्या होगा यह परम्परा बन जायगी जो ठीक नहीं रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वह सब दलों के सदस्यों की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। श्रौर माननीय अध्यक्ष महोदय ने तो यहां तक व्यवस्था करदी है श्रौर परम्परा कायम की है कि जो सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं उनको भी आमन्त्रित करते हैं श्रौर उनकी सलाह लेने की कोशिश करते हैं। मुझे खेद है कि बावजूद इसके जिस तरह का रुख इस सलाहकार समिति में गवर्नमेन्ट की तरफ से अपनाया जाता है निमन्त्रण तो वे सबको देते हैं लेकिन अपना बहुमत होने के कारण वे अपना ही मत वहां मनवाना चाहते हैं। उसी के अनुसार निर्णय करवाना चाहते हैं। बावजूद इस बात के कि इस प्रकार के सरकार के व्यवहार से कार्य सलाहकार समिति के सदस्य श्रौर दूसरे माननीय सदस्य भी खुश नहीं हैं कि हाउस के अन्दर इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसलों पर विचार करने का समय न दिया जाय। जैसा कि सतीशचन्द्रजी ने कहा उनके द्वारा श्रौर अन्य सदस्यों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिये गये हैं। उनको ध्यान में न रखकर यह कह देना कि हम तो अमुक तारीख को ही समाप्त करेंगे श्रौर इसी के अन्दर हमें निर्णय करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, म सरकार का ध्यान इस श्रोर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पिछला बजट अधिवेशन हुआ जो 5 अप्रेल को समाप्त हुआ उस दिन सदन में इस बात का आग्रह किया गया था माननीय सदस्यों की तरफ से कि कई रिपोर्टस् हैं जिन पर हमें बहस करनी है। जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स श्रौर ट्राइब्ज आयक्त की रिपोर्ट आदि। उस समय मुख्य मन्त्री जी की श्रोर से कहा गया कि अभी तो हमारे एन्गेजमेन्ट्स होगये फिर हम हाउस को जल्दी ही बुलायेंगे श्रौर तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक सब बिजीनेस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समाप्त नहीं हो जायगा। हमारे संविधान के अन्तर्गत 6 महीने में सदन की बैठक बुलायी जानी चाहिये। केवल रस्म पूरी करने के लिये इस अवधि में यह बैठक बुलाली। उसके बाद भी जो सरकार का बिजेनेस सरकुलेट हुआ था यह भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाउस को जल्दी खत्म करने के लिये जो बिल्स, अमेन्डिग बिल्स भी रखे गये थे उनको भी नहीं लिया जा रहा है।

टेनेन्सी बिल के बारे में भी हमने क्वेश्चन्स बराबर रेज किये हैं उसके लिये यही कहा जाता रहा है कि हम इसके बारे में नया बिल ला रहे हैं। राजस्थान का मौजूदा टेनेन्सी बिल आउट आफ डेट हो गया। पहले जो टेनेन्सी बिल पास किया था उसको आपने विघड़ा कर लिया। इस समय सदन में आपने कहा था कि इसी सदन में हम टेनेन्सी बिल लायेंगे, लेकिन वह बिल भी पास नहीं करवा रहे हैं। जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया है उसके हिसाब से आपसे जो मैंने बिजिनेस के लिये कहा है उनमें से आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आप तो इस सदन की बैठक एक दिन भी बढाने के लिये तैयार नहीं हैं। पंचायत बिल रह जाय तो भी आप समझते हैं कि हम इसको ऑर्डिनेन्स लाकर लागू कर देंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर अगर आप इस बात से हल करना चाहते हैं कि आपके साथ बहुमत है तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक सिस्टम की और इस असेम्बली की मजाक है। वरना आखिर हम लोग जो विरोधी पक्ष के हैं तो हमें अगर हमारा कुछ भी नहीं कहने दिया जाय, हमें अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया जाय, यह बहुत ही अनुचित है। जो एडजर्नमेन्ट मोशन्स हम रखें उनको रूल्स के बहाने टालने की कोशिश की जाय, उनको जवाब न देकर समाप्त किया जाय, मैं समझता हूं यह डेमोक्रेसी की जड़ काटना है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि उन्होंने पहले भी जो आश्वासन दिया था उसको निभायें। आप अपने बहुमत से डिसीजन लेते हैं, अपोजीशन आपकी इस बात को चेलेन्ज नहीं करता। You have a right to have your way, but we have also a right to have our say. हमारा जो कहने का राइट है उसका रास्ता तो आप बन्द मत करिये। इसलिये आप इस बात का आग्रह न करें कि जिस दिन आप चाहें उसी दिन ही हाउस की कार्यवाही खत्म कर दी जाय। आप बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग फिर बुलाइये, और जो बिजनेस माननीय सदस्य रखना चाहते हैं वह रखें। उसके बाद ही हाउस एडजर्न करने की बात करें। बाकी वहां पर केवल हमको बुलाकर और बात अपनी ही रखें यह तो ठीक नहीं है। इससे तो हमें वहां न बुलावें तो वह ज्यादा अच्छा है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने रखा है उसकी अहमियत को समझना चाहिये। उन्होंने कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट करने की बात नहीं कही। अगर असेम्बली कुछ दिन और चलती तो आपको क्या दिक्कत है? जनतन्त्र के अन्दर इतना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो स्त्री मां बनना चाहती है उसको प्रजनन का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। इसी

Page No. 112

(श्री नत्थीसिंह)
तरह जो मन्त्री बनना चाहता है उसको विरोधी पक्ष का प्रहार तो सहन करना ही पड़ेगा। आप उससे घबराते हैं ? आज कल तो बहुत कम प्रहार होते हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी आपने आल आफ ए सडन हाउस एडजर्न कर दिया था, इस लिये इस समय तो वैसी स्थिति मत पैदा करिये। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी बाकी रहते हैं। सरकार का बिजनेस भी बाकी है और विरोधी पक्ष के भी कई प्रस्ताव अभी तक रहते हैं। कई माननीय सदस्यों को मजबूरन मूक रहना पड़ता है। उनके भी कई सुझाव हैं। उनकी वैसे भी सुनवाई नहीं होती। अभी माननीय गिरधारी लाल जी ने कहा कि उनका भी एक प्रस्ताव बाकी रहता है। आपने शुरू में सात बिल्स की लिस्ट दी थी, और आज अचानक ही उनमें से पांच बिल्स गायब कर दिये और केवल दो ही रखे हैं, आज की लिस्ट में। आप अपने काम में कमी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जनता की मुश्किलात के सम्बन्ध में जो सवाल शेष हैं, जो प्रश्न यहां खड़े किये गये हैं, उन पर सदन में विचार हो सके यह बहुत जरूरी है। इस बात में आपको क्या कठिनाई है? अगर दस पांच दिन ज्यादा बैठते हैं तो आपको क्या कठिनाई है? और अगर आप यह करना चाहते हैं कि आप जिस दिन चाहें हाउस एडजर्न करदें, तो फिर हमारे पास भी तरकीब है कि बन्द नहीं करने देंगे, यह ध्यान रखिये।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सही और सुन्दर प्रस्ताव है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को फिर बुलाकर बिजनेस तय किया जावे। वैसे भी यह मीटिंग बहुत जल्दी में बुलाई गई थी और उसमें सभी दलों के आदमी नहीं थे। हमारा भी कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलावें। वहां सब की बात सुनें, उसके बाद ही फैसला करें कि वास्तव में अगर कोई गम्भीर मसला सदन में विचार करने के लायक है तो उसको लिया जाय। अगर दो तीन दिन सदन और चलता है तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रस्ताव को आप ग्रेसफुली स्वीकार करें। यह कोई किसी सब इन्सपेक्टर के खिलाफ मामला नहीं है, यह तो हाउस की बात है, इसको जिम्मेदारी से लिया जाय और दुबारा विचार किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह ख्याल हो रहा है कि हम जान बूझ कर वर्क कम करके हाउस को जल्दी एडजर्न करना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राजस्थान के अन्दर जिस वक्त हाउस मिला था उस वक्त भी, और उसके बाद आज तक भी, जो सूखे की स्थिति है वह ज्यादा से ज्यादा पेचीदा बनती जा रही है। मैं निवेदन करदूं कि दो दिन अधिक बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो परिस्थिति सभी जगह हो रही है, कई माननीय सदस्यों ने मुझे आकर कहा कि हम हाउस में बैठे हैं, उधर हमारी कांस्टिट्युएन्सी के लोग मुश्किलात में पड़े हुए हैं और हमारी उपस्थिति वहां पर बहुत जरूरी है, और जनता को भी उनकी वहां उपस्थिति की जरूरत है। इसलिये जो इम्पोर्टेन्ट नान

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
आफिशियल्स बिजनेस था उसके लिये तो हमने 16 तारीख रख दी है। यदि आवश्यकता हुई तो एक दो दिन और बैठ सकते हैं, इसको एवाड करने की बात नहीं है। लेकिन दूसरी साइड को भी लाइटली लेने की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि आने वाले पांच सात दिनों के अन्दर अगर ठीक बारिश नहीं होती है तो राजस्थान के अन्दर जो विषम स्थिति पैदा होने वाली है उसके अन्दर आप भी शायद यहां चर्चा करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जाकर उन परिस्थितियों को टैकल करना ज्यादा उचित समझेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले साल जिस प्रकार की बात कही थी, उन्हीं शब्दों को आपने दुबारा दुहराया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पिछले साल ?

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल उस समय बाढ की स्थिति पैदा हुई थी तब भी आपने यही शब्द कहे थे।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : अप्रेल महीने में बाढ नहीं आया करती।

श्री भैरोंसिंह : अप्रेल के बाद की बात है। पिछले साल भी सितम्बर में सेशन चल रहा था उस समय भी अचानक एडजर्न किया था और एडजर्न करते वक्त यही बात कही थी कि बाढ आ रही है और माननीय सदस्य बाढग्रस्त क्षेत्र में जाकर काम करना चाहेंगे।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : क्या कहा था ?

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीडिंग्स देख लीजिये। और तिबारा भी अगर आवश्यकता पडी तो आपकी तरफ से यही उत्तर आने वाला है।

सवाल यह नहीं है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति है। प्रश्न केवल यह है कि विधान सभा की प्रोसीडिंग्स 16 तारीख से आगे भी चलाई जाय या नहीं। सदन के सामने बिजिनेस काफी है, गवर्नमेन्ट का भी और प्राइवेट बिजिनेस भी। गवर्नमेन्ट ने शुरू में जो लिस्ट दी थी बिल्स जो सर्कुलेट किये थे और बाद में जो नये बिल इन्ट्रोड्यूस किये गये पहले तो ऐसा लगता था कि हाउस 25 तारीख तक चलेगा। और, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनसे जब बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में पूछा था कि हाउस कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा था कि जब तक सारा बिजनेस खत्म न होजाय तब तक हाउस चलेगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : लेकिन उस वक्त अकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई थी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप जो इन्टरप्रिटेशन लेकर चल रहे हैं उससे तो प्राईवेट कार्य ही लेना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : प्राईवेट तो कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह कह दीजिये कि हाउस 16 तारीख के बाद भी चलेगा तो हम वापिस ले लेंगे। और बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका हम विरोध नहीं करते।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : इस प्रोपोजल को तो माननीय भैरोंसिंह जी ने भी स्वीकार किया था। आपको तो पूरे कॉन्फिडेन्स में लेकर तं किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बड़ा मिसफॉरच्यून है इस हाउस का।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहीं नहीं आपको भी कान्फीडेन्स में लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी भी एक मेम्बर को मनाकर न चलें। यह गलत परम्परा है। थोड़े समय के लिये इससे फायदा मिल सकता है पर इसके रिपरक्यूशन्स बाद में अच्छे नहीं होते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम इन्डिविजुअल कोई बात करके नहीं चलते हैं। पार्टी के नेता होने के नाते हमारा भी फर्ज था कि उनको कॉन्फीडेन्स में लेते और आप से भी बात करते हैं तो यही समझ कर करते हैं कि आप भी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने ही अपने बैग में से कैट निकाल दी।

श्री भैरोंसिंह : आपको भी कॉन्फीडेन्स में लेकर चलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो उन्होंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने जो बात मेरे लिये कही वही आपके लिये कही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका हैरेसमेन्ट हटाने के लिये कहना लाजमी है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो समय समय पर ही मालूम होता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल : यह तो दाल में जरूर काला है। कोई किसी की जेब में रक्खा है कोई किसी की।

श्री भैरोंसिंह : कोई कोट की जेब में है कोई पेन्ट की जेब में है। निवेदन कर रहा था कि एडवाइजरी कमेटी में सबको कॉन्फीडेन्स में लेकर चलना होता है। हम कहते हैं अपनी बात तो सरकार मानती है। यह बिल्कुल सही है। पर इसके लिये हम यही चाहते हैं कि पहले बात कर ली जावे।

श्री मुकुट बिहारी लाल : यह गलत है। पहले बात करके गांठ बांधकर सदन में आते हैं और बिजनेस कमेटी में आकर तय कर लिया और होगया फैसला यह हम नहीं मानते हैं। यह गलत परम्परा है। जिसका अनुभव हम लोगों को है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह नहीं है जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी के नेता भी थे।

श्री रामकिशन : नहीं मैं नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : नत्थीसिंह जी होंगे।

श्री रामकिशन : वह भी नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं है कोई और होंगे। परम्परा स्वस्थ है कैसी है यह नहीं कहते। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि जिस प्रसंग में यह बात उठाई गई है आपत्तिजनक है। मैम्बर रेस्पोन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो तो बिजनेस एडवाइजरी में इस तरह से निर्णय लेने में कोई लाभ नहीं है?

(श्री भैरोंसिंह)

मैं तो यह मानकर चलता हूं कि जो निर्णय लिया है पार्टी के प्रतिनिधि होकर जाते हैं व्यक्तिगत हैसियत में नहीं जाते और उस हैसियत से निर्णय लिया है। वह पार्टी स्वीकार करेगी चाहे व्यतिगत रूप से किसी को वह रुचिकर लगे न लगे। यह प्रश्न 15 वर्षों की जिन्दगी में मेरे साथ नहीं हुआ। पार्टी की तरफ से जिस किसी मेम्बर ने भी जाकर बिजनेस कमेटी में निर्णय लिया है हमारी अनुपस्थिति में भी तो बाकी के भी लोगों ने जो ले लिया है तो हमने आपत्ति नहीं की है कि कौन किस की जेब में है और कौन किस की जेब में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह संशोधन तो सतीशचन्द्रजी का है।

श्री भैरोंसिंह : सतीशजी ने पेश किया इसके समर्थन में है। इसकी स्पिरिट को समझना पड़ेगा जिसके लिये हम भी चाहते हैं कि हाउस की कार्यवाही ज्यादा दिन तक चले। सरकार इस बात पर एडामेन्ट रहती है कि कम चले। पिछले चार पांच सालों से यह परम्परा लगातार हाउस में चली आ रही है कि बजट सैशन हो तो जल्दी जल्दी खत्म हो जावे, इम्पोर्टेंट लेजिसलेशन –बिजनेस जल्दी से जल्दी खत्म हो जावे मेम्बरों के प्रस्तावों का सवाल है, प्राइवेट मेम्बरों के बिजनेस की बात आती है तो वे सारे पोस्टपोन कर दिये जाते हैं। इसकी चिन्ता सरकारी बचों को नहीं रहती। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का तरफ से भी जो रिपोर्ट पेश की जाती है उन पर भी बहस नहीं हो पाती। मैं उदाहरण के लिये दो चोजें पेश करता हूं। लण्ड रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कितनी बार चर्चा हुई है कि इस पर बहस के लिये कोई दिन मुकर्रर किया जावे। सरकार की ओर से आरम्भ में तो आश्वासन दिया जाता है पर बाद में आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जाता है। पोस्टपोन करते करते सरकार एक बिल संशोधन का ले आये लैण्ड रेवेन्यू का और कह दिया अब तो यह रिपोर्ट पुरानी पड गई उस पर जो बहस होगी वह कवर कर लेगा वह संशोधन।

इसी तरह जेल रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई। हमने मांग की कि इस पर डिसकशन किया जावे। उत्तर मिला नैक्स्ट सैशन में कर लेंगे। नैक्स्ट सैशन में मांग दोहराई तो कहा गया आगे आने वाले में कर लेंगे। उसमें मांग की तो कहा नैक्स्ट बजट सैशन में कर लेंगे। नैक्स्ट सैशन में बात की तो कह दिया अब तो यह पुरानी हो गई। इस बारे में नये निर्णय तो लेने नहीं। चार वर्ष होगये जो रिकमन्डेशन्स की वे सरकार ने मानलीं पूरी करदीं। बस मामला खत्म।

इसी तरह विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट का सवाल आया। आरम्भ में इसके बारे में गृह मन्त्रीजी ने हिन्दी में नहीं होने की दलील दी और इस कारण रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती थी। हिन्दी अनुवाद हो जावेगा तो हाउस में रखदी जावेगी। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कि कब यह सदन में आवेगी इसलिये इस पर विचार स्थगित किया जा रहा है ऐसा समझना चाहिये। तो यह तो आपको किस तरह से एडजस्ट होती है यह आप देखते हैं इसलिये इस पर मुझे आपत्ति है। और सदस्यों से भी ज्यादा

(श्री भैरोंसिंह)

आपत्ति है। जितना कम काम सरकार सदन में लावेगी और जितना कम सदन को चलावेगी उतनी प्रॉब्लेम सरकार का क्रिएट होगा। और जितने ज्यादा प्रोब्लेम्स होंगे और उनको थोडे समय में एक मोडेट करने की कोशिश करेंगे तो लाउडिज्म और हो हुल्लड होता है, परम्पराएं खराब होती हैं और मैं तो इतना तक कहूंगा कि यह जो सदन को ज्यादा न चलाया जावे इस प्रकार की परम्परा सरकार की तरफ से चलाई जाती है तो यह सदन के स्वस्थ वातावरण के लिये घातक है] परम्पराओं को बिगाडता है बोलने का कम समय देकर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे सदन में तेजी और उत्तेजना आती है। इसलिये इन उलझनों को मिटाना है और स्वस्थ वातावरण को बनाये रखना है सदन में तो आपका यह परम कर्तव्य होना चाहिये कि आप सदन को अधिक से अधिक समय तक चलावें। बोलने का हर सदस्य को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय उनके हर प्रोब्लेम को मीट किया जाय। वाद विवाद का चान्स ज्यादा दिया जाय। तो निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे आपकी समस्याएं कम ही होंगी।

पर इसके विपरीत जैसी 15 वर्षों से परम्परा निभाई है उस परम्परा को छोड दिया और सरकार ने कम समय में लोगों के अधिक प्रोब्लेम्स को बिना सुने सदन की कार्यवाही को कम करने की कोशिश की तो वही मैथड यहां रिपीट हो सकता है जो हिन्दुस्तान की कई विधान सभाओं में घटित हुई हैं और जिनकी कई बार हमें आलोचना भी करनी पडी है।

अकाल के बारे में आप भी चिन्तित हैं। हम भी चिन्तित हैं। राजस्थान की जनता भी चिन्तित है। पर यह नहीं हो सकता कि अकाल के प्रश्न पर चिन्ता करें गांवों में जाकर और इस विधान सभा में अकाल की समस्याओं का समाधान कैसे किया जावे चारे पानी की व्यवस्था कैसे कराई जावे इन पर सदन के सदस्यों के सुझावों को आप लेना न चाहें। वर्ल्ड वार सेकण्ड में जर्मन और इग्लैंड में युद्ध हो रहा था। पर ब्रिटेन की सरकार ने पार्लियामेन्ट और हाउस आफ कामन्स में यह नहीं कहा कि लडाई चल रही है - इसलिये पार्लियामेन्ट का सेशन बन्द कर दिया जाय।

हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। पार्लियामेन्ट चल रही थी लडाई के कारण पार्लियामेन्ट बन्द करने की बात नहीं कही गई और भी कई मसले पार्लियामेन्ट के सामने आते हैं पर इस तरह की बहानेबाजी से पार्लियामेन्ट कभी भी स्थगित नहीं की जाती।

आपको तकलीफ है, जैसा नत्थीसिंहजी ने कहा। तकलीफें आती भी रहेंगी पर उनको फेस करते हुए विधान सभा में मेम्बरों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो यह सरकार डैमोक्रेटिक कन्वेन्शन कायम रखेगी, वरना तो यह काम चलाऊ सरकार होगी। काम चला रही है और काम चल रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। मैं भी शामिल था अपनी पार्टी की तरफ से। पर यह सरकार अपने प्रोग्राम पर निश्चित नहीं रहती। चार दिन पहले प्रोग्राम आ चुका था कि 17 तारीख तक काम चलेगा। पर फिर एक दम सोलह का निर्णय ले लिया गया। इस पर उस वक्त भी ऐतराज किया गया। रामानन्दजी और

(श्री दिग्विजयसिंह)

शाहदीर जी ने भी इसको सेकण्ड किया कि 17 तक तो चलाया जावे। तो मेरा कहना यह है कि जो भी निर्णय लो पूरा लो।

(3.10 म. प.)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

चूंकि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इन तिथियों को उपस्थित नहीं रहेंगे इसलिये सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को भी 13।14 को लिये जाने की बात कही गई। उनकी कनवीनियेन्स के लिये तिथियां बदली गई। तो सरकार का अपना मूड एडजस्ट होना चाहिये। यह ठीक नहीं है। जब आपने खुद ने पहले निश्चित कर दिया। अब उसमें हेरफेर करते हैं तो आप खुद अपने मामलों में डिसाइड नहीं रहते हैं। वास्तव में कार्य सलाहकार समिति का यह कर्तव्य है कि पहले से ही सारी कार्यवाही की डेट फिक्स करदें कि इतने समय तक कार्यवाही चलेगी, इतने समय तक नहीं चलेगी। इसलिये जो माननीय सतीशजी ने प्रस्ताव रखा है उस पर विचार करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, मैं भी वहां मौजूद था, और जब एक दफा निर्णय ले लिया जाता है तो उसको दुबारा····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो बोल चुके हैं। अभी पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया····

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह तो आपने····

श्री नत्थीसिंह : बहस चल रही है जवाब देने का समय नहीं आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! प्लीज गिव ए मी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भैरोंसिह जी भी उपस्थित थे, सतीश चन्द्रजी भी उपस्थित थे····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्री दिग्विजय सिहजी भी थे, बद्री प्रसादजी भी उपस्थित थे और कई माननीय नेता लोग उपस्थित थे। इन्होंने यह तय किया था जैसा अभी माननीय विजय सिहजी ने कहा कि पहले डेट फिक्स होनी चाहिये, यह ठीक है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिससे कार्यक्रमों को बदलना पडता है। अगर कोई बात किसी मन्त्री महोदय की गैर मौजूदगी में होजाय तो उसका जवाब कौन देगा। अब. इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सबको कान्फीडेन्स में लेते हुए 16 तारीख को बिजनेस चलाया जाय, इस सारे टाइम को डिस्किसन पर रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ ह्विप महोदय ने मेरा प्रस्ताव नहीं पढा। अगर आपने मेरा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रस्ताव पढा होता तो यह नहीं रखते। मेरा प्रश्न है कि—

"That an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter."

मैंने इस रिपोर्ट को जो सदन में रखी है अस्वीकार करने की बात नहीं है। मैंने तो यह कहा है कि जो पेन्डिंग मैटर्स हैं जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं और जो हाउस में इन्ट्रोड्यूस हो चुके हैं, विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है, माननीय लड्ढा साहब, माननीय बृजसुन्दरजी और माननीय अमृतलाल जी के खिलाफ मोशन्स हैं इसके रेफरेन्स में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विचार करें। इस प्रतिवेदन से असहमति प्रकट नहीं की है।....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने प्रस्ताव पढा ही नहीं भाषण देने खडे हो गये....।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके लिये कह रहा था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप शायद फिजिकली वहां प्रजेन्ट थे और मेन्टली एबसेन्ट थे....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। आर्डर।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही माननीय सदस्यों से कहा है कि यह परम्परा बराबर चली आ रही है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको स्वीकार करना चाहिये। माननीय सदस्यों की यह यह इच्छा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दुबारा मिलकर और विचार करें तो अध्यक्ष महोदय, से प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है। आपके प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, तरमीम करना, अमेन्डमेन्ट करना मेरे खयाल से सदन की परम्पराओं के खिलाफ है। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय भैरोंसिहजी ने कहा कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको अवोइड करना चाहते हैं। मैंने जो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा कि सदन में डिसकस करेंगे तो उस दिन यह कहा था कि इसका हिन्दी का वर्सन नहीं आया है वे खुद इसको छापकर भेजते हैं। सदन में डिसकस करने से पहले, जिन आफिसरान का उससे ताल्लुक है, उनके खिलाफ या उनके मार्फत रिपोर्ट मंगवानी पडती है। विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई उस कार्यवाही को मंगाने के बाद सदन में पेश करते हैं ताकि उसको सदन में बहस करने के लिये सारे डिपार्टमेन्ट्स का जवाब चाहिये, केवल सदन में रखने से काम नहीं चलता है जब तक उस पर पूरी कार्यवाही नहीं करली जाती है। विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट्स पिछली दो रिपोर्ट्स आपके सामने पेश कर चुके हैं। केवल पेश करने से कोई काम नहीं होगा जब तक उस पर पूरी तरह डिसकस नहीं कर सकेंगे। रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट आये मुद्दत हो गई टिनेन्सी एक्ट सिलेक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कमेटी में चला गया। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं जो पुरानी रिपोर्ट पर बहस अब बेकार है।

श्री भैरोंसिह : जिस दिन टाइम नहीं था श्रीमान् जी ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर ।

श्री दामोदरलाल व्यास : विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट तैयार होकर नहीं आई तो हम उस पर बहस क्या करेंगे। कोई रिपोर्ट होती तो हम जरूर सदन के सामने पेश करते और बहस का मौका माननीय सदस्यों को देते। उसको अवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यह बात नहीं है । सदन की परम्परा है उसको नहीं बिगाड़ा जाय और इसको पास किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पाइन्ट को स्ट्रैस किया है उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी महसूस करें कि हाउस को बढाना चाहती है या नहीं बढाना चाहती है उसको क्लियर करना चाहिये। यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय नहीं हो सकती है इसलिये इसको यहां यूटीलाइज किया है। व्यूज जाहिर किये हैं जो नान-आफिशियल हैं उसको आप अपनी तरफ से लाना चाहें तो अपनी तरफ से लायें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज।

मैं माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को समझ रहा हूं। जहां तक परम्परा का प्रश्न है यह विषय है कि न तो संसद् में ऐसा कभी अमेन्डमेन्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव पर आया और न पार्लियामेन्टरी ऐसी परम्परायें हैं । इस सदन की भी यही परम्परा रही है। यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि यह संशोधन इसमें रहे । माननीय सदस्यों की उद्विग्नता है कि आगे सदन का कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, इस उद्विग्नता का एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं माननीय सदस्यों के सम्मुख कि मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को पुनः बुलाना चाहता हूं, कल परसों बुलालूं और जो माननीय सदस्यों की शंकाएं हैं उस कमेटी में बैठकर उसका निराकरण कर लिया जाये लेकिन इसके साथ में यदि माननीय सदस्य भी श्री सतीशचन्द्र जी जिन्होंने यह संशोधन रखा है वे यह सोचते हैं सदन की परम्पराएं जो अभी तक चल रही हैं वे कायम रहें तो मैं उनसे आग्रह करता हूं

श्री भैरोंसिह : आग्रह की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कि वे उसको वापिस उठालें। और यह प्रश्न जो माननीय सदस्य मेम्बर हैं या उस कमेटी के मेम्बर नहीं हैं और विरोधी दल के हैं उन विशिष्ट व्यक्तियों को और माननीय सदस्यों को बुलाकर इस पर पुनः विचार कर लिया जाय। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी कि जो माननीय सदस्यों की धारणाएं और शंकायें बनी है, उस पर आघात पहुंचे ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का मकसद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यही था कि राज्य सरकार जो सदन को नहीं चलाती है और जल्दी समाप्त करती है इसके प्रति मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता था और सरकार की नीति जानना चाहता था। सदन के और सदस्यों ने भी मेरी इस बात का समर्थन किया है। जहां तक इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है इसके अनुसार 16 तारीख तक का बिजनेस है। अब से पहले कार्य सलाहकार समिति ने 14 तारीख का तय किया या और किसी तारीख का भी तय किया है तो हमने उसको स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि 16 तारीख के बाद भी हाउस चले और पेन्डिंग बिजनेस लिया जाये उसको सरकार री-कन्सीडर करे और इसका स्पष्ट रूप से मैंने संकेत किया है। और गृह मंत्री जी परम्पराओं की बातें करते हैं उसकी जानकारी हमको भी है उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है लेकिन मैंने तो इस संशोधन प्रस्ताव के द्वारा एक पर्टीकूलर पाइन्ट के ऊपर अटेन्शन ड्रा करना चाहता था वह मेरा उद्देश्य पूरा हुआ और आपने जो आश्वासन दिया है कि सरकार से संबंध स्थापित करके और पुनर्विचार करके आगे कौनसा बिजनेस लिया जाये इसके ऊपर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर विचार करेंगे। यद्यपि इस प्रकार का प्रस्ताव हमारी लोकसभा या अन्य धारा सभाओं में प्रस्तुत नहीं हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता कि हो सकता है किसी ने रूल्स नहीं पढ़े हों। तो यह भी एक नयी परम्परा यदि हमारे राजस्थान में कायम हो अच्छी ही बात है। फिर भी आपने जो आश्वासन दिया है, आपने जो आग्रह और अनुग्रह किया है आपका जो निर्देश और आश्वासन है उसकी पृष्ठ भूमि में इस प्रस्ताव को वापिस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया कि कार्य सलाहकार समिति में उपस्थित सभी विधेयकों के संबंध में तथा अन्य रिपोर्ट के वाद-विवाद के संबंध में टाइम टेबल तय करके फिर सिफारिश करे इसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(संशोधन वापिस लिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

(प्रतिवेदन स्वीकार किया गया)

राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के बजट पर विचार-विमर्श

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इनफोर्मेशन सर

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंडल पर बहुत इम्पार्टेन्ट बहस चल रही है और अभी तक कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोला है। अगर इसी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
तरह से पाइन्ट आफ इनफर्मेशन और दूसरी बातें चलत रहीं तो वह मुख्य प्रश्न दब जायेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव सचिव विधान सभा के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत किया था उसमें मैंने एक सब्सटेंटिव मोशन रूल 119 के तहत अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में दिया था....

श्री अध्यक्ष : वह प्रस्ताव मेरे पास है। मैं माननीय सदस्य की मन्शा को समझ गया हूं। आपका जो दूसरा प्रस्ताव है वह सब्सटेंटिव मोशन का वह ले लिया गया है और जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है उस पर मैं आज ही व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको लेने का ही सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज मैं व्यवस्था दे रहा हूं। पर्याप्त होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो राज्य विद्युत मंडल की रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है और उनका जो बजट यहां पर रखा गया है और कितने सालों में राजस्थान विद्युत मंडल ने राजस्थान को आगे बढाने में या इसके औद्योगिक तरक्की करने में या खेती-बाडी में विकास के लिये काम किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। यह 10 सितम्बर की जो कार्य सूची है और जो माननीय सदस्यों को प्रसारित की है उसमें कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का आइटम नम्बर 3 है और उसके बाद में आइटम नम्बर 2 है विधायी कार्य जिसमें राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने वाला आइटम है मेरी मान्यता है कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की लिस्ट आफ बिजनेस में जिस प्रकार से दर्शाया जाता है उसी प्रकार से लिया जाना चाहिये। अब आइटम नम्बर 2 को तो अभी सदन में स्वीकार किया गया है तो नेचुरली उसके बाद में आइटम नम्बर 3 आना चाहिए। जिस समय उपाध्यक्ष महोदय यहां उपस्थित थे उस समय भी मैंने आपत्ति उठाई थी तो उन्होंने कहा था इसको बाद में ले लेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको मंत्री महोदय सदन के सामने प्रस्तुत करें। यह फार्मेलिटी है लेकिन रूल्स के अनुसार होना चाहिए। रूल्स की पालना होनी चाहिए मैं तो यही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : : इसके माफिक पालना निश्चयपूर्वक होनी चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें रिलेक्स करना पडता है व्यवस्था को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था दे गये थे।

श्री अध्यक्ष: और आज भी ऐसी परिस्थिति थी उसकी पालना उपयुक्त रूप से नहीं हो सकी और जो पालना हुई है आज की परिस्थिति को देखते हुए वह ठीक है।

श्री विजयसिंह (मकराना): कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि नियमों का उल्लंघन भी करना पडता है।

श्री अध्यक्ष : सो तो आप कर ही रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गांवों की खेती के संबंध में जो बिजली का उपयोग वह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राजस्थान के अन्दर हुआ और जिसके आंकडे विद्युत् मंडल ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किये हैं उसमें बताया है कि 8.8 परसेन्ट गांवों की खेती-बाडी के लिये विद्युत् दी जा रही है। राजस्थान हमारा कृषि प्रधान प्रान्त है और खेती-बाडी क लिय ज्यादा से ज्यादा बिजली अगर नहीं दी

(3.26 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

जाती है तो हम किस प्रकार से इस राजस्थान की तरक्की कर सकेंगे और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढा सकेंगे—यह संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिये यह आवश्यक है कि विद्युत् मंडल इस खेती-बाडी की तरक्की के लिये ज्यादा से ज्यादा विद्युत् प्रदान करे और ज्यादा से ज्यादा कुओं के ऊपर कनेक्शन दे और कनेक्शन देने के अन्दर किस प्रकार की कठिनाइयां लोग महसूस कर रहे हैं उनको दूर करें। यह अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कृषि तरक्की करे और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हों, वह इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर इस देश के लिये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें तो यह नितान्त आवश्यक है कि विद्युत् बोर्ड को उनकी कठिनाइयों को दूर करने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने खेती-बाडी के संबंध में जो कनेक्शन दिये जाते हैं उनके बारे में कल जिक्र किया था मैं भी यह निवदन करना चाहता हूं हालांकि राजस्थान के अन्दर इन 15-20 वर्षों में जो बिजली के क्षेत्र में तरक्की हुई है वह काफी अच्छी है और सराहनीय है। लेकिन जितनी तरक्की हमको करनी चाहिए उतनी हम नहीं कर पाये हैं। हमको चाहिए कि हम गांव गांव के अन्दर हर कुए के ऊपर बिजली पहुंचा दें जिससे हमारे गांवों में खेती हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक हम नहीं करते तब तक न औद्योगिक उन्नति होगी और न खेती-बाडी ही पनप पायेगी। अगर हम आंकडों के हिसाब से देखें तो आंकडे देखने में बडे सुन्दर लगते हैं कि जब राजस्थान बना तब कितनी प्रगति थी और आज हमने उस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। यह तो काफी उत्साहवर्द्धक नजर आते हैं लेकिन हम प्रेक्टिकल साइड पर जाते हैं तो उससे हमें कुछ मायूसी सी होती है। बिजली बोर्ड का जिस तेजी के साथ काम करना चाहिए था उस तेजी से नहीं किया। कुछ क्षेत्रों में काम किया है जिसकी प्रशंसा कल श्री शिवचरण जी माथुर कर रहे थे रतनगढ से जयपुर तक की लाइन खींची वह बहुत थोडे समय के अन्दर खींची और यह बडा अच्छा और प्रशसनीय कार्य था। जिस वक्त हमारे यहां बिजली की बहुत बडी कमी थी और सारे उद्योग धंधे ठंप पड़े हुए थे वैसे दिनों में यह काम करना बडा प्रशसनीय था। लेकिन इस काम की जिस आदमी को तारीफ मिलनी चाहिए थी उसको तारीफ नहीं मिली और उन आफिसरों ने वह वाहवाही लूट ली। जिन मजदूरों ने यह काम किया और रात-दिन मेहनत करके जिन्होंने पूरी ताकत के साथ काम किया उनकी कोई प्रशंसा नहीं है और प्रशसा जिनको लूटनी थी उन बडे अधिकारियों ने प्रशंसा पत्र प्राप्त कर लिए। अपना पसीना जिन मजदूरों ने बहाया, राज्य की बहबूदी

Page No. 123

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के लिये खून-पसीना एक कर दिया उन लोगों को वाहवाही नहीं दी और न उनको कोई एप्रिसियेशन लेटर ही दिया। इस प्रकार की जो कमी रह जाती है उसकी वजह से जो खास काम करने वाले लोग हैं और जो रात-दिन मेहनत करके अपने शरीर को खपा देते हैं वैसे लोगों की प्रशंसा नहीं की जाती है, तो उससे उनको कुछ मायूसी होती है।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के निर्माण के समय में यहां पर इन्स्टाल्ड कपेसिटी थी वह 13-27 मेगावाट की और फर्म केपेसिटी थी वह 7-48 की, इतनी सी जो फर्म केपेसिटी थी जिसको बढा करके 67-68 में 353-335 और फर्म केपेसिटी 164-49 मेगावाट कर दी है। इस तरह से हम इस ओर धीरे धीरे आगे बढ रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रदेश में कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जिससे भविष्य में बिजली हमको सतपुडा से मिलेगी, राणा प्रतापसागर से मिलेगी, भाखरा से मिल रही है, जवाहर सागर और व्यास से मिलेगी और एटोमिक इनर्जी का प्लान्ट जो हमारे यहां पर बन रहा है उससे भविष्य में जिस प्रकार से बिजली हमको मिलेगी, उससे हमको यह उम्मीद होती है कि राजस्थान थोडे अर्से के बाद में सेल्फ सफिशियेन्ट हो जायेगा। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और हमारी आवश्यकता के अनुसार हर क्षेत्र में चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, या निजी मकानों के अन्दर बिजली या और प्रकार की व्यवस्था करने के लिये बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पूरी तरह से हम सप्लाई कर सकेंगे। जो योजना आपने बनाई है और जिसके द्वारा आपने यह बताया है कि 73-74 तक आप 650 मेगावाट फर्म कैपेसिटी बिजली सप्लाई कर सकेंगे तो उससे हमको महसूस होता है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कि सन् 1969 से शुरू होने वाली है और जो 74 में समाप्त होगी तो इस चौथी योजना के अन्दर राजस्थान पूरी तरह से बिजली प्राप्त कर सकेगा। उसमें हम जो हमारे उद्योग-धंधे और खेती-बाडी की जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं वे सारी पूरी कर पायेंगे।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको आवश्यकता इस बात की है कि 3-3 पंचवर्षीय योजनाएं हो गईं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में आपकी जो आवश्यकता है बिजली की उसकी पूर्ति कर पायेंगे तो उससे भी ज्यादा हम तरक्की करना चाहते हैं। जो औद्योगिक तरक्की हम करना चाहते हैं, जो खेती-बाडी में तरक्की करना चाहते हैं उसके अन्दर जो इतनी देरी हुई है जिसका कारण यह बताया गया है कि धन की कमी की वजह से हुई है तो जो हमारी योजनाएं थीं, और जिस तेजी के साथ हम आगे बढना चाहते थे उस तेजी के साथ हम आगे नहीं बढ पाये हैं। तो यह तो हम महसूस करते हैं कि धन की कमी के कारण फर्क पडा है। अभी चौथी पंचवर्षीय योजना में आपने 106 अरब 91 करोड के आसपास का एमाउन्ट रखा है। यह हो सकता है कि इतना पैसा विद्युत् बोर्ड को चौथी पंचवर्षीय योजना में न मिल सके उसकी वजह से जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की हम पूर्ति करना चाहते हैं उस लक्ष्य को धनाभाव के कारण प्राप्त न कर सकें। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आज अगर

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

आप इस क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योग-धन्धे ज्यादा पनपें और यहां पर एग्रीकल्चर को भी एक इन्डस्ट्री मानकर उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट करके उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजली अगर मुहैया की जा सके और उससे प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, तो उसके लिए हम प्रयत्न करें। इस प्रकार का प्रयत्न जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में और खेती बाडी के क्षेत्र में सेल्फ-सफिशिन्ट ही न होकर और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा माल हम सप्लाई कर सकें। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और राजस्थान के लोगों की इनकम पर केपिटा बढेगी। पर यह सारी बात इसी पर निर्भर करती है कि हम इस क्षेत्र में ज्यादा तेजी के साथ आगे बढें। अगर नहीं बढते हैं तो न तो उद्योग-धन्धे पनपेंगे और न खेती-बाडी पनपेगी। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ज्यादे से ज्यादा प्रावधान हम बिजली के लिए रखें, और हर गांव और हर कुएं पर बिजली पहुंचाने की कोशिश करें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आपने जिस प्रकार का प्लान रखा है उसमें आप 3500 बस्तियों को बिजली दे सकते हैं और 3500 कुओं को बिजली देंगे। अब तक 14,500 और कुओं को आपने बिजली दी है इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और अब इस चौथी पंचवर्षीय योजना में 35000 को और देंगे, तो राजस्थान में जो 10 लाख कुएं हैं उन कुओं पर आप बिजली कितने वर्षों में दे पायेंगे। यह बहुत गम्भीर समस्या है, और सोचने समझने की बात है। हम चाहते हैं कि इन 10 लाख कुओं को भी जो बिल्कुल चालू हैं और जिनके जरिए से हम खेती-बाडी की तरक्की के लिए उसको पानी दे सकें और ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें, ऐसे कुओं को बिजली दे सकें इस प्रकार का प्रावधान जल्दी से जल्दी कर पायें तब जाकर अच्छा होगा। मगर चौथी पंचवर्षीय योजना के जो आपने आंकडें दिये हैं उनमें 14 हजार तो पहले का दिया है और 35 हजार को अब देंगे तो कुल 50 हजार कुओं को आप बिजली दे सकेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में तो उसके बाद साढे नो लाख कुएं और बच रहते हैं तो साढे नो लाख कुओं पर कितने समय में बिजली दे सकेंगे जिससे कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पायें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। जब तक साढे नो लाख कुओं को पूरी तरह से बिजली नहीं दे पायेंगे तब तक हम अपने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित नहीं कर पायेंगे। आप कितना ही औद्योगिक विकास कर लें मगर जब तक रा मेटेरियल पैदा नहीं करते हैं तब तक औद्योगिक विकास को सफलता नहीं मिलती है और न राजस्थान की आर्थिक तरक्की हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक यह है कि जब तक 10 लाख कुओं पर बिजली पूरी सप्लाई नहीं कर सकते तब तक औद्योगिक क्षेत्र और एग्रीकल्चर आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा नही बढ़ा सकते हैं और तब तक हम राजस्थान की प्रगति को आगे नहीं बढा सकते हैं।

कुछ आंकडे आपने दिये हैं उसके अनुसार 66-67 में आपने लाइन्स में काफी तरक्की की है। 220 के वी., 132, 66, 33, 11 के. वी. की सैकड़ों, हजारों मील तक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आपने लाइन पहुंचाई है। बड़ी खुशी की बात है मगर जो संप्रगति हमने इन दिनों में की है उससे हमें तोष नहीं है। काम तो काफी किया है, मगर उससे हमें संतोष नहीं होता है, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में और हर गांव में बिजली की आवश्यकता है। आज लोग महसूस करते हैं कि जिन्दगी बिजली के बिना बेकार है। उसके बिना हमारे उद्योग धन्धे नहीं चल सकते हैं। आदमी की सारी आवश्यकताएं उस पर आधारित हैं। इसलिए विद्युतीकरण को अभाव महसूस नहीं होना चाहिए। गांव गांव में बिजली, खेत-खेत पर बिजली होना चाहिए और सारे के सारे हमारे कार्य जो हैं वे इस से आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रदेशों में जैसा है वह होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में विद्युतीकरण इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि ‑नके वज से उनकी आर्थिक हालत कहां से कहां हुंच गई है। इसलिए आर्थिक सम्पन्नता लाने के लिये यह बहुत ही आवश्यक चीज है। जब तक हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तब तक उस रास्ते पर हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आंकडे आ ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किये हैं कि हर साल कितना पैसा विद्युतीकरण में राजस्थान में खर्च किया गया है वह भी सन्तोषजनक नजर नहीं आता है। 1962-63 के अन्दर 3.45 लाख का प्रावधान था, 1963-64 में 3.87 लाख का प्रावधान था, 1964-65 में 4.44 लाख का प्रावधान था, 1965-66 में 7.8 हजार का प्रावधान था और 1966-67 में 5.62 लाख का अनुमान था, 1967-68 में 6.80 लाख का प्रावधान था और 1968-69 में 10.15 लाख खर्च करने का अनुमान है। यह सबके सब जो आंकड़े हम देखते हैं उनसे महसूस होता है कि हम प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जो पैसा राजस्थान में बिजली के लिए खर्च होना चाहिए, जो पैसा बिजली के प्रसार के लिए लगना चाहिए ताकि हर गांव के हर कुएं तक जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा सकें। इस मुद्दे को देखते हुए जो पैसा अभी तक खर्च किया है बिजली के ऊपर इससे उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है इससे हमको संतोष नहीं हो पाता है। मैं, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप राजस्थान को जल्दी से जल्दी तेजी के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप राजस्थान को प्रगति की ओर तेजी के साथ में ले जाना चाहते हैं तो आपका जो सारा बजट 110 करोड़ का या उसके आसपास का बजट है उसमें से चौथाई हिस्सा आपको खेती-बाड़ी के लिए लगाना चाहिए। वह चौथाई हिस्सा होता है 30 करोड़। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा और बोलना है।

तो तीस करोड़ रुपये खेती-बाड़ी के अन्दर और सिंचाई के अन्दर खर्च करना चाहिए। इस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे देशों के काम्पिटीशन में नहीं आ सकेंगे। दूसरे देशों ने जिस प्रकार से प्रगति की है उस तरह से हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। आज आप तीन-चार करोड़ राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के लिए खर्च करें, जो कि इतना पिछड़ा हुआ है बिजली के मामले के अन्दर, उसमें तीन-चार करोड़ रुपये बिजली के लिए खर्च करते हैं तो तेजी के साथ में इसका विकास हो सकता है और तेजी के साथ हमको आगे

Page No. 126

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
नहीं बढा सकते हैं। इसलिए इस विषय पर हमें खास तौर से सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाडा राजस्थान में एक ही जिला है जिसमें एक लाख कुए हैं। मैंने पिछले दिनों में एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में जहां दस लाख कुएं हैं वहां भीलवाडा जिले में, एक जिले में, एक लाख कुएं हैं जब कि उसका छब्बीसवां हिस्सा आता है। इसके बजाय भीलवाडा के लिए एक लाख कुएं होने की वजह से दसवां हिस्सा होना चाहिए। मेरा निवेदन कि भीलवाडा के प्रति जो यह उपेक्षा का व्यवहार राजस्थान विद्युत् मंडल ने रखा है, यह बडा निराशाजनक है। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि भीलवाडा के अन्दर औद्योगिक दृष्टि से इतना विकास हुआ है, खेती-बाडी की दृष्टि से वहां पर इतनी योजना हैं, वहां पर पांच-सात बडे बडे बांध बने हुए हैं और वहां पर एक लाख कुए हैं, मेरी अपनी तहसील के अन्दर बीस हजार कुए हैं। मैंने इस संबंध में जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में आपने पंचायत समिति की आड लेकर आठ हजार कुए बता दिये, लेकिन मैंने 1961 के स्टेटिस्टिक्स के आधार पर यह कहा था कि इस अकेली तहसील के अन्दर करीब बीस हजार कुए हैं लेकिन फिर भी आपने उसका विद्युतिकरण नहीं किया है, इस तहसील को बिजली नहीं दी है। इस संबंध में आपने 1966 के अन्दर यह आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र के अन्दर बिजली पहुंचायेंगे। लेकिन आपने उस आश्वासन की परवाह नहीं की, आपने उस आश्वासन की कद्र नहीं की और उसके बाद में सैंकडों और हजारों मील लम्बी लाइन दूसरी जगहों के अन्दर खींच दी है। मेरे प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि 630 बस्तियों के अन्दर आपने बिजली दी है। यह आपने मुझे दिये गये आश्वासन के बाद में बिजली दी है। आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह बात कही थी कि पांच हजार से ऊपर जन संख्या वाले कस्बों का आप विद्युतिकरण करेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आसीन्द और बदनौर का पांच सात हजार का कस्बा है लेकिन वहां पर आज तक बिजली नहीं दी है और न ही उसकी ओर आपकी तवज्जह है, न आपकी योजनाओं के अनुसार आपके कर्मचारी और आफिसर किसी जगह की तरह तवज्जह देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। मुझे बडे अफसोस के साथ निवेदन करना पडता है कि सात हजार की आबादी वाले कस्बे को आपने बिजली नहीं दी है, जिस कस्बे में बीस हजार कुए हैं वहां पर आपने बिजली नहीं दी है, आपने अपने आश्वासन के बाद भी बिजली वहां नहीं दी है। इसलिए वहां के निवासियों का और वहां रहने वाले लोगों का भगवान ही मालिक है। माननीय मुख्य मंत्री जी पधार गये हैं, इसलिए मैं उनको खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह विभाग दूसरे मंत्रियों के पास था, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं समझते थे और जिन्होंने आवश्वासन देने के बावजूद भी इस तहसील में बिजली नहीं पहुंचाई लेकिन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
आप अपने आश्वासन को पूरी तरह से कार्यान्वित करेंगे ।

श्री रामकिशन : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दूसरे मंत्री गैर जिम्मेदार हैं और मुख्य मंत्री जी जिम्मेदार हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह नहीं कह रहा हूं ।

श्री रामकिशन : फिर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने तो अपने आश्वासन को पूरा करने की ओर तवज्जह नहीं दी । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके लिए तो सब बराबर हैं, यह क्षेत्र बहुत पिछडा हुआ है इस मामले में, और इस क्षेत्र में बिजली के बिना तरक्की नहीं हो सकती है । इस कस्बे में बीस हजार कुए हैं और पांच सात हजार की आबादी का कस्बा है, इसलिए इस कस्बे में जल्दी से जल्दी बिजली दिलवाने की कृपा करें और इस क्षेत्र को आगे बढाने में अपना योगदान बख्सायें ।

तीसरे जो बोर्ड की तरफ से अनियमिततायें हो रही है, जो कमियां छोडी जा रही हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं । खरीद फरोख्त के संबंध में आज एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में यहां के चीफ इन्जीनियर को मेम्बर बना दिया है, उसके बाद में फाइनेन्स मेम्बर को मेम्बर बना दिया है । इस प्रकार यह तीन आदमियों की कमेटी बनाई गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक चीफ इन्जीनियर और दूसरे इन्जीनियर लोग खरीद-फरोख्त में फसे रहेंगे तब तक वह अपने निजी काम में दिलचस्पी नहीं ले सकेंगे । जो काम उनको करना है कि किस प्रकार से बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है और किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बिजली हर जगह दे सकते हैं, यदि वह इस प्रकार खरीद फरोख्त के काम में फंस गये तो उनका सारा काम चौपट हो जायगा । इसलिए मेरा एक सुझाव है कि बिजली बोर्ड के चेअरमैन को इस कमेटी का अध्यक्ष बना देना चाहिए और चीफ इन्जीनियर को खरीद-फरोख्त के मामले में कतई नहीं फसाना चाहिए । एक जो फाइनेन्स मेम्बर, हैं और दूसरे मेम्बर हैं । इस प्रकार से दो-तीन मेम्बरों की व्यवस्था इस कमेटी के लिए कर दी जाय । इससे जो हैं टेक्निकल आदमी हैं, उनकी इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो जाते हैं, बहुत सा जो गैर जिम्मेदारी से सामान खरीद लिया जाता है, जिसकी जो आवश्यकता नहीं होती है । और फाइनेन्स मेम्बर यह कहता है कि टेक्निकल बात में जो है क्या समझते हो । हमारी आवश्यकतायें जो हैं उनके मुताबिक सामान खरीदा है । इस प्रकार जो गलत तरीके से सामान खरीद लिया जाता है । अगर इलेक्ट्रिसिटी का चेअरमैन इस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा, तो उन्हें मालूम होगा कि कहां कितने सामान की आवश्यकता है और क्या खरीदना है । इसके साथ ही चीफ इन्जीनियर जो है वह बोर्ड के नीचे होता है । वह बोर्ड को एडवाइज करता रहता है । इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी का जो है चेअरमैन उसको इस कमेटी का अध्यक्ष रखना नितान्त आवश्यक है, उसको ही रखा जाय तो उचित होगा ....

श्री रामकिशन : माननीय सभापति महोदय, आप यह व्यवस्था कर दें कि आप

(श्री रामकिशन)
बार बार जो है, जो है कहते है, तो आप यह तय कर दें कि अपने पूरे भाषण में जो है पन्द्रह बार से अधिक नहीं कहें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी जो जो है मसखरेपन की आदत है। आप मसखरी करते हैं ।

श्री रामकिशन : जो है कहने की कोई सीमा तो होनी चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिए मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेअरमैन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए।

इसी प्रकार से जहां तक भंडारों का संबंध है, कहां कहां पर कितना कितना स्टाक है, इसके संबंध में आज तक जो है कोई छानबीन नहीं की । इसके संबंध में जब तक छानबीन नहीं होती, जब तक यह मालूम नहीं हो सकता कि किन किन स्थानों पर कितना सामान पड़ा हुआ है और कितना नहीं है । बहुत से स्थानों पर हमने देखा है कि बहुत सा सामान चोरी चला गया । इस प्रकार के कई केसेज बने हैं और बोर्ड की तरफ से उनकी पैरवी हो रही है । मगर कई जगह से यह सुनते में आया है कि वहां के असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का सामान की चोरी में, जो चोरी वहां पर हुई है, उसमें जो है उनका हाथ है और वैसे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने कार्यवाही की है हालांकि एवीडेन्स नहीं होने की वजह से, डाइरेक्ट एवीडेन्स न होने की वजह से वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके । इससे यह स्पष्ट है कि जहां चोरी होती है वहां उसमें अधिकारियों का हाथ होता है और उनका हाथ होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाखों और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है । यह सारा का सारा सामान स्टोर से गायब हुआ है, उसमें लाखों रुपयों के खम्भे चले गये हैं, तार चले गये है और कई प्रकार का सामान जो है चोरी चला गया है और इन सारी चोरियों में वहां के इन व्यवस्थापकों का, कार्यकर्ताओं का और इंजीनियरों का हाथ रहता है । इसलिये स्टोर के सम्बन्ध में आप खास तौर से ऐसी व्यवस्था करिये जिसकी वजह से हमारे जो स्टोर है उनके अन्दर से लोग सामान गायब नहीं कर सकें, चोरी नहीं कर सकें । इससे जो विद्युत् मंडल को हानियां हुई है, जो आपने बताया है, वह बहुत ज्यादा है । अगर इतनी हानि चोरियों की वजह से होती है तो मैं समझता हूं कि यह विद्युत् मंडल का एफीशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कमियां है, इनको सुधारना ही चाहिये—यह अत्यन्त आवश्यक है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि भंडारों में जो गड़बड़ी हो रही है, कमी हो रही है उसको तुरन्त रोकना चाहिये ताकि राजस्थान में विद्युत् मंडल में जो हानि हो रही है उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट चैक रहने की वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन गिअर अप किया जा सके और इसकी प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके । अगर इसके काम में कमियां नहीं होंगी तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ सकेगा ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारियों का उपभोक्ताओं के साथ जो व्यवहार है, उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आज कोई

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आदमी कनेक्शन लेने जाता है तो पैसा टाइम पर जमा नहीं होता है, और अगर पैसा जमा हो जाता है तो कनेक्शन देने में आठ, आठ, दस–दस महीने लग जाते हैं। कहते हैं 1500 रु., 2000 रु. जमा कराओ तो प्राथमिकता मिले। गरीब आदमियों के पास पन्द्रह सौ, दो हजार रुपया कहां से आये? राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको दो हजार रुपये नहीं मिल सकते, वे गरीब लोग बडी मुश्किल से पंचायत समिति से लोन ले कर उधार लेकर पम्पिंग सैट लगाते हैं, उन पर ऐसी शर्त लगा देंगे कि पन्द्रह सौ और दो हजार रुपया जमा कराओ तो प्राथमिकता दी जायगी, तो इस प्रकार की शर्त से तो गरीब लोग कभी कनेक्शन नहीं ले सकते। अमीर आदमी तो कनेक्शन प्राप्त कर लेंगे पर गरीब आदमियों को कनेक्शन किसी तरह से नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप प्राथमिकता तारीख के आधार पर करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यह रखें तो वाजिब होगा। गरीब आदमी पहले फार्म भरते हैं, आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है, वह जमा करा देते है पर क्योंकि उन गरीब लोगों के पास पन्द्रह सौ और दो हजार रुपया जमा कराने के लिये नहीं होता है इसलिये उन लोगों को आप कनेक्शन नहीं देते हैं जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पसा है वो लोग दो हजार रुपया जमा करा कर प्राथमिकता में आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि पन्द्रह सौ और दो हजार रुपया जमा कराने पर प्राथमिकता का आधार निश्चित किया जाता है, वह नहीं होना चाहिये।

एक मेरा निवेदन है कि, म ं में मजदूरों के सम्बन्ध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं राजस्थान विद्युत् बोर्ड और मजदूरों के किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके बोर्ड में जितने एक्सीडेन्ट्स आज तक हुए हैं, उनमें जो मजदूर मरे ह, पब्लिक के आदमी मरे हैं, उनका ध्यान तो काहे को करें, पर आपके आदमी मरे हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग मरे हैं, उनको आज तक एक पैसा भी नहीं दिया है न कम्पेन्सेशन दिया है। 30-35 एक्सीडेन्ट्स ऐसे हुए जिनमें पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये था, पूरा हरजाना दिया जाना चाहिये था, फैमिली पेन्शन भी देनी चाहिये थी क्योंकि आपकी सर्विस में वे लोग मरे हैं, उनको आज तक कुछ भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार के केसेज में मुआवजा दिलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं 5 मिनिट और लूंगा, सभापति महोदय।

सुरक्षा के साधनों क बारे म मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा के साधनों का बडा भारी अभाव है, सुरक्षा के सम्बन्ध में जो पैसा आपने मन्जूर किया है, 90 हजार रुपया सुरक्षा के साधनों के लिये स्वीकार किया है, पर आज तक एक पैसे का भी सामान नहीं खरीदा गया है। जबकि बहुत से लोगों के हाथ जल जाते हैं, बहुत से लोगों के पांव जल जाते हैं। लोगों को कई प्रकार की तकलीफ इन सुरक्षा के साधनों के अभाव में होती है। 90 हजार का प्रावधान इन सुरक्षा के साधनों के लिये रखा है पर अभी तक एक पैसे का भी सामान नहीं खरीदा है। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मन्त्री महोदय, इस तरफ ध्यान देंगे

Page No. 130

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और सुरक्षा की सामग्री के लिये 90 हजार का प्रावधान किया है, उस तरफ ध्यान देंगे। इस प्रकार 90 हजार के प्रावधान से सुरक्षा की सामग्री उपलब्ध करायेंगे।

जुलाई 67 में यह स्वीकार कर लिया गया था कि वर्क चार्ज स्टाफ के लिये रिटायरमेन्ट की आयु 58 ही रखी जायगी, 55 वर्ष की आयु वर्क चार्ज स्टाफ के रिटायरमेन्ट के लिये नहीं रखी जायगी। पर राजस्थान विद्युत् बोर्ड ने 58 साल की आयु को रिटायरमेन्ट के लिये स्वीकार नहीं करते हुए 55 वर्ष की उम्र में ही वर्कचार्ज स्टाफ के लोगों को हटा दिया है। तो आपसे निवेदन है कि वर्क चार्ज स्टाफ के लिये 55 वर्ष की आयु रिटायरमेन्ट के लिये लागू नहीं होती। पी. डब्ल्यू. डी. और दूसरे इस तरह के विभागों में वर्क चार्ज स्टाफ के लिये रिटायरमेन्ट की आयु 58 वर्ष है तो राजस्थान विद्युत् बोर्ड में भी 58 वर्ष की ही आयु वर्क चार्ज स्टाफ के रिटायरमेन्ट के लिये रखनी चाहिये। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इससे हजारों मजदूरों को नुकसान हुआ है गरीबों को जो फायदा मिलना चाहिये था वे लोग फायदे से महरूम हुए हैं।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 65 को जिन मजदूरों ने काम किया था छुट्टी के रोज चार पांच हजार मजदूरों ने काम किया, वह पैसा नेहरू स्मारक के लिये देने का तय किया गया था उन मजदूरों को डबल पैसा मिलना चाहिये था, यह कहा गया था कि 20 हजार रुपया मजदूरों को दिला दिया जायगा जो नेहरू स्मारक फंड में भेज दिया जायगा पर अब तक वह पैसा बोर्ड ने न नेहरू स्मारक निधि में ही भजा है और न मजदूरों को ही दिया है।

15 अगस्त की छुट्टी के रोज मजदूरों ने काम किया, उनको इसका डबल वेतन मिलना चाहिये, वह नहीं दे रहे हैं और जो नेहरू स्मारक के लिये भेजना था वह भी नहीं दे रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो पैसा उन मजदूरों का है वह उन मजदूरों को दिया जाय और ओवरटाइम का 20 हजार रुपया बनता है उनको दिलाया जाय, जो नेहरू फंड में भेजा जाय। यही मेरा निवेदन है।

हां, एक और मेरा निवेदन यह है कि कन्सिलियेशन और आर्बिट्रेशन को मानने के लिये कहा गया था और मजदूरों को विश्वास दिलाया गया था कि कन्सिलियेशन और आर्बिट्रेशन को मानेंगे पर बोर्ड ने न कन्सिलियेशन को माना है और न आर्बिट्रेशन को माना है। हर मामले में मजदूरों को कोर्ट में जाना पडता है। मुख्य मंत्री महोदय, आपने इस विभाग को सम्हाला है तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और आर्बिट्रेशन और कन्सिलियेशन से इनके मामले तय हों, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जिससे कि इन लोगों को हर मामले में कोर्ट में जाने की परेशानी न हो।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : बहुत से माननीय सदस्य बोलने को उत्सुक हैं, इसलिये भाषण की सीमा 8 मिनिट से 7 मिनिट रहेगी।

Page No. 131

(श्री सभापति)

माननीय मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): माननीय सभापति महोदय, खेती तो है सीता माता और उद्योग हैं राम। जिस तरह सीता राम हैं उसी तरह खेती और ग्राम उद्योग हैं और इन दोनों के लिये जरूरी है बांध, बिजली और बेरे (कुए)। ये तीन बातें हो जाती हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आज बिजली की बहुत जरूरत है, यह सचमुच अच्छा किया कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपने हाथ में इस विभाग को ले लिया। इसके लिये मैं बधाई देता हूं। सांगानेर में बिजली दी तो कितना अनाज का उत्पादन बढा।

भीलवाडा से बिजौलिया तक 60 माइल के इलाके में बिजली के खम्भे लगे हुए हैं। उन पर 13 लाख रुपयों की लागत लगी है। उससे केवल ब्याज ब्याज का नुकसान एक साल में हुआ है 187600 रुपय का 6 पर्सेन्ट के हिसाब से। दीगोद में इतना सारा लोहा पडा हुआ है लोहे का उद्योग करते थे तो लोहे के मैल मैल ही के पहाड बन गये हैं, मुख्य मन्त्रीजी जानते हैं कि वहां किस तरह से उद्योग पनप सकता है।

आकोला आदि गांवों के चारों ओर नदियों का जाल बिछा हुआ है, वहां कुओं का सेज ऊंचा है, बिजली की मुख्य लाइन ज्यादा से ज्यादा चार चार पांच पांच माइल के फासले से इन सेजों के कुओं से गुजरी हैं, भीलवाडा से बिजोलिया तक जिन जिन गांवों में से हो कर लाइन निकली है, उन गांवों में इन सेज के कुओं पर बिजली लगाई जाय, और जो चार चार मील के फासले पर हैं, जिनके कुओं में सेजा है, वहां बिजली लगाई जावे, जिन नदियों को बांधा जा सकता है, उन नदियों को बांध दिया जाय तो मांडलगढ का इलाका राजस्थान का पंजाब बन सकता है, और लाखों मन अनाज राजस्थान को दे कर राजस्थान की सेवा कर सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पैसा दें, बिजली लगायें, ऋण की आवश्यकता हो तो थोडा थोडा ऋण भी हम दे सकते हैं। इस काम को सबसे पहले हाथ में लें। और अगर इसको हाथ में नहीं लेंगे तो आपको तो नुकसान होगा ही, धन तो जायगा ही पर धर्म भी जायगा क्योंकि आप बार बार बाहर से अनाज मंगायेंगे अगर हम चाहते हैं कि बाहर से अनाज नहीं मंगाया जाय तो जहां 13 लाख रुपया लगाया हुआ है, वहां जल्दी से जल्दी बिजली देवें। यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

(4 म. प.)

जो आपने लट्टू की चोरी की बात कही मैं बड़ा दुखी होता हूं जब भीलवाडा से सांगानेर जाता हूं, जब चन्द्रमा की कृपा होती है तो बिजली विभाग की भी कृपा होती है और रास्ते पर लट्टू जलते हुए मिलते हैं। लेकिन जब अंधियारी होती है तो लट्टू भी रूठ जाते हैं और राम भी रूठ जाता है। इसका मूल कारण यह है कि लट्टुओं की चोरियां होती हैं लेकिन इन छोटी छोटी तनख्वाह वालों को क्या कहूं, जब बडे बडे अधिकारी ही नहीं रुकते हैं। इस सब का मूल कारण शराब है। मैं जब शराब की बात कहता हूं तो मखौल उडाई जाती है। पुलिस में अव्यवस्था है उसका मूल कारण शराब, बिजली विभाग में अव्यवस्था है उसका मूल कारण शराब।

Page No. 132

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

किसी भी विभाग में चले जाइए। इस समय अकाल की छाया है, अगर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर एक साथ हमला करें, उससे भयंकर स्थिति हमारे सामने अकाल की है। इसलिए जो जो अधिकारी शराब पीकर, जो जो कर्मचारी शराब पीकर कर्तव्य का पालन नहीं करे उनको नौकरी से खारिज करो और खराब काम करने वालों को जब तक आप सजा नहीं देंगे तब तक चोरियां नहीं रुकेंगी। अधिकार और कर्त्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले अपने कर्तव्य का पालन करें। मुख्य मन्त्रीजी ने अपने हाथ में विभाग को लिया है तो हम आशा करते हैं कि सबको बिजली मिलेगी और लाखों मन ज्यादा अनाज पैदा होगा और संकट का सामना होगा।

श्री केदार नाथ (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही प्रापर टाइम है कि जब हम विद्युत् मंडल के फंक्शन्स के बारे में यहां पर बहस ....

श्री रामकिशन: व्यवस्था का प्रश्न है। मेहता साहब ने जो भाषण दिया है मुख्य मन्त्री को सुनाने के लिए दिया है, उधर गैलरी में सेठानी बैठी है उसको इशारा कर दिया कि तुम जाओ। तो क्या कोई माननीय सदस्य इस तरह गैलरी की तरफ इशारा कर सकते हैं?

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन: मेहता साहब ने मुख्य-मन्त्री को सुनाने के लिए भाषण दिया। उनकी पत्नी आई हुई हैं, जैसे ही भाषण खत्म हुआ, इन्होंने इशारा किया कि जाओ। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह कोई माननीय सदस्य गैलरी को एड्रेस कर सकते हैं क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आप भी कर सकते हैं।

श्री केदार नाथ (गंगानगर): राजस्थान सरकार जब चौथी योजना को फाइनल स्टेज दे रही है और साथ ही साथ जो सेन्टर में वाटर और पावर कमीशन है उसकी दी हुई पांचवीं एन्युअल पावर सर्वे रिपोर्ट भी हमारे सामने है तब इस समय प्लानिंग में क्या खामियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लैप्सिज हैं और किन टार्गेट्स को पूरा नहीं कर पाए और मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, इसको रिव्यू करने के लिए यह उचित समय है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से दो शब्द इसलिए कहना चाहता हूं कि सारे देश की इकोनोमिक हिस्ट्री में राजस्थान एक हैंडीकैप्ड चाइल्ड ही नहीं, राजस्थान एक निग्लेक्टेड चाइल्ड भी है। हमारे केसेज सेंटर में अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं हो सके, जिस मैनर के साथ राजस्थान का केस प्लीड होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। चाहे राजस्थान में फरटीलाइजर प्लांट पब्लिक सेक्टर में कायम करने का सवाल आया हो, चाहे राजस्थान में बोर्डर रोड्स का सवाल हो, चाहे बोर्डर के 10 मील अन्दर विकास का सवाल हो, चाहे अकाल का फैलाव कम करने का सवाल हो, राजस्थान का केस सेंटर में अच्छी तरह से प्लीड नहीं हो सका। हालांकि मुख्य मन्त्री बहुत होशियार व चतुर हैं, उनको काफी तजुर्बा है, इन्टेलीजेन्स भी काफी है लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार जिस तरह से हमारी स्टेट इन्डस्ट्रियली सेफगार्ड होनी चाहिए थी, जिस तरह से सेंट्रल

(श्री केदारनाथ)

एसिस्टेन्स मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई ।

उदाहरण के लिए, मुख्य मंत्रीजी, आप भाखरा बहुत बार गए हैं, नांगल प्रोजेक्ट, सतपुडा प्रोजेक्ट भी देखा है । कभी आपने सोचा है कि जितने इंजीनीयर्स काम कर रहे हैं, मिकेनिकल हैंड्स काम कर रहे हैं, उनमें राजस्थान के कितने आदमी हैं ? मैं रीजनलिज्म की बात नहीं कह रहा हूं । मेरे अन्दर छोटी भावना नहीं है लेकिन राजस्थान राज्य के इन्टरेस्ट की बात कहता हूं । वहां जितने इंजिनीयर्स हैं, 2-4 के अलावा राजस्थान का कोई इंजीनियर वहां नहीं । जब कास्ट आफ प्राडक्शन में हमारा पूरा हिस्सा है तो उसके माफिक वहां एपाइन्टमेंट्स होनी चाहिए। मैं बारबार इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान का केस अच्छी तरह से प्लीड नहीं किया गया। पंजाब ने दो तीन साल पहले सर्वे रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब में कैसे रूरल इकोनोमी को हम प्लीड करें । चाहे पावर का सवाल हो, चाहे सिंचाई का चाहे प्लानिंग के फंडामेन्टल प्रिन्सीपल्स हों, राजस्थान के विकास का आधार क्या है ? राजस्थान के विकास का आधार एक बात है कि रूरल इकोनोमी कैसी है । जब पावर की बात आती है तो कौन कौन से पोटेन्शल्स हैं, कहां कहां सप्लाई सेन्टर्स हैं । जहां हैं तो इसको कैसे यूटीलाइज किया जाय, रिसोर्सेज को टैप करने की बात, उसके बाद इस्तेमाल करने की बात होनी चाहिए, वह राजस्थान में कतई नहीं । राजस्थान में इम्बेलेन्सड डेवलपमेन्ट हुआ है लेकिन कैसे यूटीलाइजेशन हो, आपने सोचा ? जो पॉवर देहातों में खर्च की है, या ड्रिंकिंग परपजेज के लिए खर्च की है, ट्यूबवेल्स के लिए खर्च की है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं । उसके अलावा आपने जो गांवों में फैलाव किया क्या आपने सोचा कि रिटर्न्स कितने आए ? यदि आप दूसरे इलाकों में डाइवर्ट करते और कन्सन्ट्रेट करते तो रिटर्न्स क्या मिलते ? आपने नहीं सोचा । इसलिए प्रोस्पैक्टिव प्लानिंग का यह समय है, प्रोस्पैक्टिव प्लानिंग हो जहां भी पावर डेवलपमेन्ट का सवाल है ।

मैं इसलिए बारबार कहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हल करने में बहुत समय लगा जो पहले हल करने चाहिए थे । अगर समय पर हो जाता तो ट्रांसमिशन लाइन्स हो जातीं, भाखरा लाइन को इस्तेमाल करने की आज हैसियत होती । आज पंजाब में इरिगेशन में शेयर्स हैं । जहां तक वाटर का सवाल है उसमें शेयर्स हैं, भाखरा में 15 प्रतिशत हैं, तो उसकी दृष्टि से यूटीलाइजेशन मिल रहा है । हमें तीन पोइंट्स पर बिजली मिलती है बखतसर, हिसार और सिरसा । बखतसर में 66.000 वोल्ट हैं, मगर पंजाब नहीं देता, न हिसार देता है 130 पोइंट्स हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स को ओवरलोड कर देते हैं । जोइंट मैनेजमेंट होता है तो कभी भी ये लैप्सिज नहीं होते और नुकसान इसलिए हो रहा है कि चाहे सिंचाई का सवाल हो चाहे बिजली का सवाल हो, जिस पोइंट पर सप्लाई होनी चाहिए थी, वह नहीं है । समय नहीं है कि कुछ और कह दूं ।

आखिरी बात यही कहूंगा कि हमारे यहां पर यूटीलाइजेशन का एक यूनिट बने और सारे देश में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाई गई है वह सोच रही है कि विद्युत् मंडलों का क्या कन्सेप्शन हो, क्या पैटर्न हो, जो पुराना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1910

Page No. 134

(श्री केदारनाथ)

का उसमें क्या अमेंडमेंट लायें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर को सोचकर चलना चाहिए। इसके प्रति निष्ठा बताते हो तो इसका क्या काम्पोजीशन हो, परसोनेल क्या हो, क्या इसका कैरेक्टर हो। आज चेयरमैन के बारे में मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, मैं आई. ए. एस. आफिसर्स के कैलीबर को चैलेंज नहीं करता, उनकी इंटेलीजेन्स को चैलेंज नहीं करता न उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में कहता हूं। आप इसमें ऐसे नान-आफिशियल रखें जिनमें मिशनरी स्प्रिट हो, जिनमें ड्राइव और इनीशियेटिव हो, पब्लिक सेक्टर में ताकि कुछ काम कर पायें वरना यदि हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से आगे हेडवे नहीं करता, किसी परम्पराओं को कायम नहीं करता, नए ट्रेडीशन्स पैदा नहीं करता तो पब्लिक सेक्टर फेल होगा। आज स्टेट का आफिशियल माइंड और कन्सेप्शन और सोचने का तरीका पब्लिक सेक्टर की स्प्रिट के बिल्कुल खिलाफ है इसलिए मैं चार्ज लगाता हूं चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल हो चाहे रोडवेज का सवाल हो इसमें नान-आफिशियल हों।

इसमें नुमाइन्दगी की पोजीशन क्या हो उसको छोड़ता हूं। लेबर के बारे में एक कमीशन बैठा हुआ है वह देखेगा और बुनियादी सवाल आज नहीं आज से पहले तय हो गया। 1957 में ट्राइपार्टिट कान्फरेन्स में मिनीमम वेजेज के बारे में, यूनियन्स के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में, कुछ सिद्धांत ऐसे सरकार ने माने थे और उनके अनुसार पब्लिक सेक्टर में इम्पलीमेंट हो रहे हैं।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब से यह बोर्ड बना है, आपने सोचा कि मजदूरों की नुमाइन्दगी कौन करे? मुझे ज्यादती के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, नुमाइन्दगी कौन करता है? फैडरेशन को मान्यता देनी है तो देनी है। रिजर्वेशन देना है। पब्लिक सैक्टर में आप खुद न करें और फिर पब्लिक को कहें कि पब्लिक सैक्टर के प्रति निष्ठा पैदा हो और नुमाइन्दगी के उसूल डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर हों यह चीज चलने वाली नहीं है। आज तक आपने आरबिट्रेशन की बात क्यों नहीं मानी? पब्लिक सैक्टर में आरबिट्रेशन की बात होना लाजमी है। लेबर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में जाते हैं। कोई केस ट्रिब्यूनल में रेफर नहीं हुआ। बुनियादी बात है। आफिशियल सेक्रेटरी लेबर ऑफिसर होता है वह उसको हैंडल नहीं कर सकता। आपके बुनियादी लोज में जो कन्सेप्शन्स हैं वे बदलने चाहिए।

लेबर के बारे में कहना चाहूंगा। पब्लिक स्टेन्डिंग ऑर्डर्स के लिये फैसले हुए 6 महीने में भी ड्राफ्ट नहीं हो पाया। साइन्यूज है पब्लिक रुख में। लेविंग लिंक के रूप में काम करते हैं। यह डिस्रिगार्ड करना सैक्टर की शान के खिलाफ है।

यही नहीं, सभापतिजी, एक अर्ज और करना चाहता हूं। एड्जोर्नमेन्ट मोशन पर एक स्टेटमेन्ट दिया। न मैं चैलेंज करने वाला हूं और न ही विश्वास प्रकट करने वाला हूं कि 63 तक केसेज डिसाइड हो जावेंगे, सीनियरिटी लिस्ट बन जावेगी और प्रोमोशन्स होकर एरियर्स भुगतान हो जावेंगे जितने प्रमोशन्स या अपोइन्टमेन्ट करें, बी. एससी. एजी., डिप्लोमा होल्डर डिग्री होल्डर है उनको

Page No. 135

(श्री केदारनाथ)

साधन दीजिये वरना बेकार हैं। वे बहुत जील होते हैं। मुख्य मन्त्रीजी मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप नया ट्रेडिशन लेकर चलते हैं। आपके यहां फर्स्ट डिविजनर्स को जगह नहीं दी जाती किन्तु जो थर्ड क्लास होते हैं उनको आप यहां जगह देते हैं पंजाब ने तरीका निकाला है! जिस तरह से उनके मार्क्स आते हैं, चाहे बी. एससी एजी. हों या डिप्लोमा होल्डर हों या डिग्री होल्डर हों उनको उसीके अनुसार अपोइन्टमेन्ट मिलता है। इन्टरव्यू लिया जाता है केवल पर्सनेलिटी देखने के लिये, सती बेलिवर और इन्टेलीजेन्स के हिसाब से अपोइन्मेन्ट होता है। वहां पर पक्षपात खत्म हो गया है 20 रोज पहिले ही इरिगेशन में अपोइन्टमेन्ट हुए हैं। पैसा चलता है अपने यहां राजस्थान में। किसी को मालूम नहीं, अपोइन्टमेंन्ट पहले हो जाता है और इन्टरव्यू बाद में होते हैं। इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर, पी. डब्ल्यू. डी. चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, राजस्थान में भी प्रायोरिटी में अपोइन्टमेंट दिये जायं, मार्क्स के अनुसार अपोइन्ट मेंट दिये जायं। जो लडका यहां की धरती पर पैदा हुआ है, प्राइमरी से एजुकेशन लेकर डिग्री होल्डर बना है उनको प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रिफरेन्स नहीं देंगे तो पंजाब और हरियाना में तो कभी मिलने वाला ही नहीं है और आज तक राजस्थानी का तो अपोइन्टमेंन्ट हुआ नहीं और होगा नहीं। उनको वहां भी नौकरी नहीं मिलती और यहां भी नहीं मिलती। बेचारे घूमते फिरते हैं। डिग्री होल्डर हुआ और अपोइन्टमेंट में पक्षपात हो तो उसकी निराशा की सीमा का अन्दाज आप नहीं लगा सकते कि वह कितनी होगी। मरिट लिस्ट लगा दीजिये ताकि उसका मेम्बर आवे तब तक वह घर पर ही काम करे मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में कोई अपना पोलिसी स्टेटमेन्ट देंगे। दूसरी स्टेट्स नये तरीके निकाल रही हैं।

अन्त में यही कहते हुए कि मास्टर प्लान बने और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कहां बिजली की प्रायोरिटी, कहां अधिक है पोटेन्शियलिटी को देखते हुए, बिजली देने में अवश्य कोई विचार करेंगे। जहां तक ट्यूब वैल्स का सवाल है हमारा इलाका खेतीबाडी का इलाका है, एशिया में सबसे बड़ा मेच्योर सिस्टम है। यदि आप वहां पर बिजली देते तो वह एशिया का सबसे बड़ा और बढिया प्रोडक्टिविटी वाला क्षेत्र हो जाता। सवाल यह है कि आइडल लेबर को किस प्रकार काम में लगायें पैसा हमारे पास हैं उसकी कमी नहीं है। वहां पर बिजली देते, ट्यूब वैल्स के नाम से देते तो वहां से रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलता और प्रोडक्शन में आपका शेयर ज्यादा बैठता।

जहां तक बोर्डर में ट्यूब वैल्स का सवाल है तीन हजार रुपये की गारन्टी मांगते हैं तीन साल के बाद कनेक्शन मिलता है। चार पांच साल से हिन्दूमल कोट का केस मुख्य मन्त्रीजी के सामने रखा गया है। 30,40 कुए हैं। वहां पर पाकिस्तान ने हमला किया। पास में पंजाब में बिजली आगयी, सड़कें आगयीं लेकिन हमारे यहां डीजल से ही काम किया जा रहा है। कुछ आप दे दें और कुछ हम से ले लें। कान्ट्रिब्यूटरी स्कीम में हम पैसा देने के लिये तैयार हैं। पंचायत समितियां कहती हैं कि दो लाख रुपया दे दें। आप कहते हैं कि पेईंग प्रोपोजीशन नहीं है। कैसे नहीं है

(श्री केदारनाथ)

गंग कैनाल का इन्ट्रेस्ट देखें। फिर भी सर्वे फैल्योर रिपोर्ट देता है। यही शब्द कह कर कि मुख्य मन्त्रीजी अपना पोलिसी स्टेटमेन्ट अपोइन्टमेन्ट्स के मामले में, भाखरा नांगल, जो पावर स्टेशन्स हैं उनमें कितने राजस्थानी हैन्ड्स हैं और कितने बाहर के हैं, कोस्ट में हमारा शेयर है तो अपोइन्टमेन्ट्स में भी हमारा शेयर होना चाहिये। मजबूती के साथ जैसा विरोधियों को तहश नहश करने में काम करते हैं। सेन्टर में आपकी डोमिनेटिंग पावर है, पन्द्रह साल से राज करते आ रहे हो, आप मजबूती के साथ कदम उठायें, सबड्यू स्पिरिट में रोल पे करते हो तो यह शोभा की बात नहीं है।

श्री सभापति: श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय,··

श्री माईदान सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं। समय का बंटवारा किया गया है उसके लिये निवेदन है कि जन संघ को 30 मिनिट, संसोपा के दो माननीय सदस्य 30 मिनिट, माकान्द के 12 मिनिट और स्वतन्त्र पार्टी को 10 मिनिट दी। हमारी पार्टी को सबसे कम समय मिला है इसलिए इस ओर भी खयाल रखा जाय।

श्री सभापति: खयाल रखा जायगा। माननीय श्री मोहनलाल मोदी।

आपके भाषण की सीमा पांच मिनिट रहेगी।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): समय हमको भी मिलना चाहिये।

श्री सभापति: आपको भी मिलेगा।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, इस समय विद्युत् के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विद्युत् विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि जितना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जिसका प्रमाण यह विजिलेन्स कमीश्नर की 65-66 की रिपोर्ट है उसके आधार पर बताना चाहता हूं यह आरोप लगाया गया कि एक विद्युत् निरीक्षक ने दूसरे विद्युत् निरीक्षक जिसके जांच चल रही थी, को सहायता करने के लिये उस जांच से सम्बन्धित फाइलें नष्ट करदीं ठेकेदारों को नियमों के प्रतिकूल लाइसेंस भी दिए। जांच से यह प्रकट हुआ कि एक जीप जिसमें सहायक अभियन्ता ने यात्रा की थी, में से कुछ सरकारी अभिलेख लापता पाये गये तथा उसे उन पत्रादि के गुम होने के लिये उत्तरदायी समझा गया। सरकार को इस पत्रादि के गुम हो जाने के सम्बन्ध में एक जांच करने की सलाह दी गई।

छः वर्षों के अन्दर अभी तक 30 कुओं को बिजली दी गई है। मेरा क्षेत्र दो फसली इलाका है। उसको जितनी अधिक बिजली दी जाय उतनी ही अन्न की पैदावार बढा सकते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। नीमकाथाना से बागली एक जगह है, 8-10 मील पर। वहां बिजली ले जायी गई। वहां 20 कुओं को बिजली दी गई है। दस मील लाइन ले गये और 20 कुओं को ही बिजली दी गई। इसलिये यह लाइन खींची गई कि वहां किसी उच्च अधिकारी के रिश्तेदार रहते हैं। उनको रोशनी दिखाने के लिये बिजली की लाइन वहां खींची गई। मैंने निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में एक गांव का ब्लाक

(श्री मोहनलाल मोदी)

ऐसा है, अगर वहां बिजली चली जाती है, तो सारे सबडिविजन को हम अनाज दे सकते हैं वह इलाका सारे सब डिविजन को अन्न की सप्लाई कर सकता है। वहां बिजली नहीं ले जाई गई। उस इलाके में बिजली की लाइन जो अन्न की पैदावार नहीं करता है। वहां पर घर पर भी किसी ने कनेक्शन नहीं ले रखे हैं। इसके अलावा मंडावर है, वहां पर बिजली ले जाई गई है। वहां पर सीधे पांच व्यक्तियों ने कनेक्शन लगाये हैं। कितनी धांधली चल रही है इस विभाग में। मंडावर के पास में आधे मील पर एक गांव है गुहाला जहां 200 कुए हैं। वहां के काश्तकार कुओं पर बिजली लेने को तैयार हैं। किन्तु उनको बिजली देने से इन्कार करते हैं। बिजली विभाग से निवेदन किया तो बताया कि हमारे पास फण्ड्स नहीं हैं। मेटेरियल नहीं है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक योजना बनावें, हमें एक नक्शा बतावें कि पांच वर्षों के अन्दर कितनी लाइनें किन किन स्थानों पर और कितने कुओं पर आप बिजली देंगे। यह नक्शा हमारे सामने होना चाहिए कि हम इस तरह से बिजली दे सकेंगे तो हम उसी तरह से अपनी डिमान्ड पेश करेंगे।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूगोली और सिरोही दो गांव हैं। 12 महीने से वहां बिजली के खंभे खड़े हुए हैं। तार खींच दिये हैं किन्तु कनेक्शन नहीं दिया गया। कितनी सुस्ती है इस डिपार्टमेन्ट में ? पूछताछ की तो जवाब मिला कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के रेल्वे विभाग ने परमीशन नहीं दी रेल्वे लाइन क्रास करके लाइन ले जाने की सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी क्षेत्र में से दूसरा गांव है बागोली वहां पर बिजली की लाइन रेल्वे लाइन क्रास करके ले जायी गई है। उसके लिए परमीशन कैसे मिल गई ? इसलिए आपके माध्यम से सभापति जी, गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस अफसर की यह सुस्ती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाये। और शीघ्र सिरोही व भूदोली को बिजली दी जाये।

आज गांवों में एक स्थिति और देखिये। ट्रांसफार्मर जलने की कितनी अधिक रिपोर्टें आती हैं ? कहीं ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कभी बिजली की लाइन खराब हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कभी वोल्टेज कम ज्यादा आता है। इस सबसे किसान की मोटर जल जाती है। किसान को कितना नुकसान होता है। मोटर जल जाती है तो जो खेती खडी हुई है उसको पानी नहीं मिलता खेती जल जाती है। किसान के पास दूसरी मोटर लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वह इतनी जल्दी मोटर रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। कितनी बडी तकलीफ होती है किसान को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापतिजी, पांच मिनिट और बोलने दीजिये। किसानों के सामने बिजली का संकट है। हमारे सामने खाद्य की समस्या है। भयंकर अकाल की स्थिति है। जो स्थिति बन रही है उसको किसी तरह से पार करना है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन में आप ऐसे इलाकों में बिजली लगा दें। जितने अधिक कुओं को आप बिजली दे सकते हैं, देनी

(श्री मोहनलाल मोदी)

चाहिए। तभी इस स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा। यदि काबू नहीं पाया गया तो राजस्थान में अन्न की गंभीर समस्या आ रही है, उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। इसके लिये बहुत बडी मुस्तैदी से, फुर्ती के साथ जैसा कि श्री शिवचरण जी ने कल बताया था कि किस तरह से एक लाइन इतनी जल्दी खडी कर दी गई, उसी तरह से इस वक्त काम करना चाहिए। जो कुए पानी दे सकते हैं उन पर आपको शीघ्रातिशीघ्र और ऐसे कुओं पर अधिक से अधिक बिजली के कनेक्शन देने चाहिए। परन्तु कुओं के कनेक्शन के लिये सबसे बडी बाधा दो हजार, तीन हजार रुपये जमा कराने की है। यह रकम जमा कराने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिलते हैं। प्रायरिटी सिस्टम लगा रखा है। वह गलत है। किसान पंचायत समिति से लोन लेकर मोटर लगाता है। वह तीन हजार रुपये किस प्रकार जमा करायेगा? जो रुपये जमा कराते हैं उसकी दस वर्षों में रकम वापिस मिलती है। उसका कोई व्याज नहीं मिलता है। इस तरह से आप किसान के साथ हठधर्मी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो आपको हटा लेना चाहिए। नही तो उसको व्याज देना चाहिए। क्योंकि उसको भी व्याज देना पडता है।

सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विभाग के इन्सपेक्टर्स को इतने पावर्स दे रखे हैं कि वे एक तरह से परमात्मा बने हुए हैं। ये लाइनमेन, सुपरवाइजर, ठेकेदार को लाइसेन्स देते हैं। जे. इ. एन. जिस ठेकेदार को रिकमन्ड करता है उसी ठेकेदार को लाइसेन्स मिलता है। जितना बिजली का सामान हो वह उसी ठेकेदार से खरीदा जाय। मोटर भी उसी से खरीदी जाय। किसान को इसलिए अधिक मूल्य देना पडता है। बिजली का सामान भी उसी से खरीदना पडता है। इसलिए इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

एक और समस्या है। 6 पोल से ज्यादा किसान के कुएं पर पोल नहीं ले जाते हैं। 6 पोल से ज्यादा होते हैं तो या तो आप बिजली नहीं देते हैं। देते हैं तो 6 पोल से अधिक लगते हैं उसका मेटरियल का सारा का सारा रुपया आप किसान से वसूल करते हैं। यह बडा अन्याय है। आपको किसान से कोई रुपया नहीं लेना चाहिए। जितना भी खर्चा हो वह आपको देना चाहिए।

एक बात और कहूंगा। लोसल में वाटर वर्क्स है। 6 लाख रुपया इस वाटर वर्क्स के लिये सरकार ने खर्च किये हैं। पाइप लाइन डल गयी है। टंकी बन गयी है किन्तु बिजली विभाग से बिजली नहीं मिली है। इसलिए जनता को भी पानी नहीं मिला है। सरकारी रुपया खर्च हुआ है किन्तु बिजली नहीं मिलने के कारण जनता पानी से महरूम रह गयी है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपका टाइम 7 मिनिट पूरा हो गया है। श्री नाथूलाल करोल।

श्री मोहनलाल मोदी : थोडा समय और लूंगा। खन्डेला में एक छोटा-गोटा उद्योग है। राजस्थान में पहला और हिन्दुस्तान में इसका दूसरा नम्बर है। वहां बिजली पहुंच गयी है। किन्तु इस गोटा उद्योग को आज तक बिजली नहीं दी गयी है। यहां गोटा उद्योग किस प्रकार चलेगा जब आप इसकी तरफ

(श्री मोहनलाल मोदी)
ध्यान नहीं देंगे ? यह उद्योग जो हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर रखता है, आपके राजस्थान की नाक है। इसको सबसे प्रथम बिजली दें।

श्री सभापति : आप अपनी अवशेष बातें डिप्टी मिनिस्टर साहब को बता दें।

श्री नाथूलाल करोल।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापतिजी, आप मुझे इजाजत दें, नहीं तो मैं उधर चला जाऊंगा। कल से इजाजत मांग रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर प्लीज ! श्री नाथूलाल करोल।

श्री जगन्नाथ : कल और आज विद्युत् मंडल के बारे में, सदस्यों ने काफी चर्चा की है चैयरमैन महोदय, विद्युत्‌मंडल में जो खामियां हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री केशरीसिंह हाडा : माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ रहे हैं इसलिए मैं एतराज करता हूं।

श्री जगन्नाथ : माननीय सभापति जी, मैं तो बोलूंगा। राजस्थान के चार पांच क्षेत्र में अकाल की स्थिति है ...।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें आपको बाद में समय दिया जायगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : माननीय सदस्य आसन की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री सभापति : (श्री जगन्नाथ के बोलते रहने पर) आपको समयमिलने पर विचार किया जायगा।

श्री शंकरलाल : सभापति जी, आधा भाषण समाप्त होगया दो चार मिनिट और बोलेंगे बोलने दिया जाय।

श्री केशरीसिंह हाडा : सभापति जी, आयाराम गया राम को बोलने दीजिये।

श्री जगन्नाथ : राजस्थान के पांच जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाडमेर और बीकानेर इन स्थानों पर सबसे पहले पानी पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया जावे। जिन क्षेत्रों की मांग है उनको पूरी की जाय। बिजली की मांग काश्तकारों की पूरी की जाय और उसके लिए शहरों के अन्दर दफ्तरों के अन्दर जो बिजली दी जाती है उसमें से आधा हिस्सा काटकर काश्तकारों को बिजली दी जाए।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जैसे गिरधारीलाल जी व्यास ने आसीन्द और भीलवाडा के लिये कहा दस हजार रुपये से वहां बिजली का प्रबन्ध किया जाय।

मैं टोंक जिले के क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं इन क्षेत्रों में देवली से देवलीरोड पर 35 मील पर बनास नदी बहती है जो टोंक के अन्दर में होती हुई जाती है इस बीच में किसानों के बारह हजार कुए ऐसे हैं जो विक्रम संवत् 1825 के बने हुए हैं उन किसानों को आप बिजली की सप्लाई करदें तो वहां सिंचाई के साधन बहुत ज्यादा बढ सकते हैं। इसी प्रकार टोंक जिले के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर टोडारायसिंह तहसील में बन्धे का पानी

(श्री जगन्नाथ)

खत्म हो गया है। वहां पर कुए हैं आसपास बिजली की लाइन जा रही है थोडा सा खर्चा है। टोडा रायसिंह रतनपुरा वसू कटडा गांव है इनके पास से लाइन गई है। इस एक मील के अन्दर किनारे किनारे पर बहुत कुएं हैं उनमें पानी भी बहुत है अगर बिजली दे दी जाय तो काफी फसल को फायदा हो सकता है।

टोडा तहसील के अन्दर एक रूपरेखा बनायी गई जनता की पुकार पर। बनास नदी से एक केनाल लाने की योजना बनाई थी वह योजना पूरी हो जाती तो पांच छः हजार बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती थी। बिजली के खंभे लगाये हुए ह अति शीघ्र से शीघ्र केनाल ला दी जावे तो वहां की जनता की समस्या का हल हो सकता है। नासिका देवली आदि में ऐसे ऐसे कुए हैं वहां भी बिजली लगनी चाहिए। राजमहल से बांदवा गांव तक कुए काफी मात्रा में हैं उसकी काफी दरख्वास्तें हैं उनको भी विजली देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री केसरीसिंह हाडा : नहीं मिलेगी तो क्या करोगे वापिस इधर आ जाओगे क्या ?

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करौल (जमवा रामगढ) : सभापति जी, राजस्थान विद्युत् मंडल के बारे में जो विचार हो रहा है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस विभाग के कर्मचारियों में नीचे से लेकर असिस्टेन्ट इन्जीनियर के लेवल तक भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिना कुछ लिए दिये कोई भी कार्य नहीं करता जयपुर जिले के अन्दर कुछ ग्रामों की सेंक्शन हो चुकी है उनमें से एक ही ग्राम में दस कुए छोड दिये और केवल बीस कुओं पर बिजली लगा दी गई। वह इसलिए छोड दिये कि उन कुओं के मालिकों ने रिश्वत के पैसे देने से इन्कार कर दिया। मुख्य मंत्री जी, जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार है इसको जरूर खत्म किया जावे।

जमवा रामगढ कस्बे के लिए बिजली की मन्जूरी दे दी गई लेकिन एक गरीब रेगर काश्तकार है उसके खेत में लाइन खिंची हुई है लेकिन उसको बिजली नहीं दी गई। रेगर जाति के एक काश्तकार को भी नहीं दी गई।

जयपुर के आसपास 12 मील एरिया के अन्दर बिजली की सैंक्शन कुछ ग्रामों में हुई है मेरा यह निवेदन है कि 12 मील के एरिया में जो भी गांव छोड दिये हैं उन सबको विद्युत सैंक्शन कर दी जाय। ताकि वहां के रहने वाले किसान उसका फायदा उठा सकें।

एक मेरा निवेदन यह है कि जो काश्तकार लोग बिजली के लिये लालायित हैं उनकी इच्छा पूरी की जावे। आज किसान उत्पादन करना चाहता है अतः उसको जितनी भी बिजली की आवश्यकता हो दी जानी चाहिए। यदि आपके पास रुपया न हो तो फैमली प्लानिंग आदि कई ऐसे विभाग हैं जिनमें रुपया फिजूल खर्च हो रहा है वह रुपया यहां बिजली के लिए दिया जाय। ताकि अन्न की पैदावार बढ सके और जनता को फायदा हो सके।

आज बिजली के लिए काश्तकार तडफ रहा है। क्योंकि काश्तकार बिजली इस वजह से मांगता है कि बैलों की मंहगाई बहुत हो गई। 1500 या दो हजार रुपये का प्रतिबन्ध लगाया गया है। वह ठीक नहीं है।

(श्री नाथूलाल करौल)

वह बेचारा काश्तकार पंचायत समिति के पास जाता है और तकावी लेता है लोन लेकर बिजली का मोटर लाता है या साहूकार से उधार लेकर लाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह दो हजार रुपया का प्रावधान रखा है वह आप हटाने की कृपा करें।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, आज तो विद्युत् मंडल पर पूरा वाद-विवाद चल रहा है सदन में उस पर मैं भी चन्द शब्दों में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आज विद्युत् मंडल और सरकार के सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य और योजना नहीं है।

कहने को भारत सरकार और राज सरकार कहती है कि वह कृषि को प्राथमिकता देना चाहते हैं। पर आज किसान बिजली की मांग करते करते परेशान हो गया है। उसको बिजली प्राथमिकता के हिसाब से नहीं मिलती। जो दो तीन हजार रुपया जमा करावेगा उसी को बिजली मिलेगी। यह सरासर अन्याय हो रहा है। आज कोई मंत्री, जैसे यादव साहब और दूसरे मंत्री चाहेंगे तो उनको प्राथमिकता मिल जावेगी। कहने को कहते हैं दो हजार जमा करा दिये गये। पर कौन जानता है कराये या नहीं कराये, या कागजों में ही जमा हो गये।

जो विद्युत् किसानों को पहले मिलनी चाहिए और सस्ती दर पर मिलनी चाहिये वह आज उनको न मिलकर बड़े बड़े व्यापारियों को मिल रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिल रही है, बड़े बड़े ब्लैकमारकेटियरों को मिल रही है। डी.सी.एम. को मिल रही है, जे.के.वालों को मिल रही है जो सरासर बिजली की चोरियां भी करते हैं। गलत मीटर लगा लेते हैं जो गलत रीडिंग देते हैं। इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी मैंने रखा था। पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने सरचार्ज मांगा, पर डी. सी. एम. ने नहीं दिया और अदालत में कार्यवाही पेश कर दी। कोटा में ज्यादा से ज्यादा बिजली उद्योगपतियों को ही दी गई है। काश्तकार से तो वे बारह आना यूनिट वसूल करते हैं और इन से तीन ही पैसा यूनिट लिया जाता है। यह है सरकार का रवैया किसानों के प्रति। कहने को सरकार कहती है कि हम काश्तकार को फायदा देना चाहते हैं पर वास्तव में देती है इन पूंजीपति उद्योग-पतियों को जो चुनावों में उनको पैसा देते हैं। मैंने स्वयं ने मंत्री को टेलीफोन पर कहते सुना कि "क्यों सेठजी, पैसा कितना भेजना चाहते हैं चौमू और दौसा के चुनाव में"। इस तरह का रवैया सरकार के लिए बडा अशोभनीय है।

मैं और निवेदन कर दूं कि बूंदी के अन्दर बहुत से छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं जिनको बिजली मिलनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने चन्द पत्थरों के नमूने लेकर आया हूं।

एक माननीय सदस्य : मारने के लिए लाये हो क्या ?

श्री केसरीसिंह हाडा : घबराओ मत, मारूंगा नहीं। जो कांग्रेसी सदस्य हिंडौली से जीत कर आये थे गंगासिंहजी भी कहते कहते चले गये। बूंदी में इतना अच्छा रंगीन रंग बिरंगा पत्थर हरा, गुलाबी, चितकबरा मकराना से भी अच्छा रंगीन और चिकना

(श्री केसरीसिंह)

पत्थर मिल सकता है। वहां होकर विद्युत लाइन गई है। इस इण्डस्ट्री को अगर बिजली दी जाय तो यह पत्थर की अच्छी इण्डस्ट्री वहां लग सकती है। पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी उस क्षेत्र से रुष्ट हैं और मुझसे भी होंगे ही उनसे भी रुष्ट थे क्योंकि वे उनके पक्ष पर नहीं थे और मैं भी विरोधी पक्ष से आया हूं। तो इधर से लाइन जाते हुए भी वे देना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि इधर के छोटे मोटे उद्योग धन्धे पनपें। जो राम चरण जैसे चोरों को लें सकें, पैसा दे सकें जीप दे सकें उनको ये बिजली देना चाहते हैं।

चैयरमैन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर दस लाख कुए होंगे। मगर लोकसभा में भी इसकी चर्चा आई थी। ओंकारलाल ने एक प्रश्न किया जिसके उत्तर में बताया गया कि राजस्थान मे दस लाख कुओं में से केवल दस हजार कुओं पर बिजली दी गई है।

एक माननीय सदस्य : 14 हजार।

श्री केसरीसिंह हाडा : अब दी होगी। जब प्रश्न पूछा गया था संसद में तब ये ही आंकडे दिये गये थे। तो सरकार जब तक काश्तकारों को कुओं पर पम्पिंग सैट लगाने के लिये बिजली नहीं देगी, तब तक काश्तकार नहीं पनप सकेंगे।

आज काश्तकार को बिजली की जरूरत है पर सरकार देना नहीं चाहती। वोट लेते वक्त आप बिजली की बात भुलावे के रूप में करते हैं, और बाद में उनको भूल जाते हैं पर एक दिन आवेगा जब काश्तकार इसके लिए आन्दोलन करेगा।

काश्तकारों से आप सरचार्ज लेना चाहते हैं खुशहाली बैटरमेन्ट लेवी लेना चाहते हैं। पर इन पूंजीपति उद्योगपतियों से न आप सरचार्ज चाहते हैं, न खुशहाली और न बैटरमेन्ट लैवी लेना चाहते हैं न टैक्स ही पूरे लेना चाहते हैं, पर बिजली जरूर आप उनको तीन पैसा यूनिट में लुटाना चाहते हैं।

इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे स्वयं काश्तकारों की दयनीय स्थिति पर ख्याल करें और उनको अधिक से अधिक बिजली दें और इस तरह राहत पहुंचावें।

हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य श्रवणलाल ने जिक्र किया कि एक गांव खेडा है जिसके पास सब स्टेशन भी है पर उस को भी सरकार ने बिजली नहीं दी। मैंने प्राइवेट मेम्बर बिजनैस के लिए प्रस्ताव पेश किया था उसमें मेरी एक ख्वाहिश थी कि छोटे छोटे गांवों के छोटे छोटे उद्योगों को अधिक से अधिक बिजली दी जावे। आज सरकार के पास बिजली की कमी नहीं है।

(4.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भाखरा से, गांधीसागर से, सतपुडा से बिजली मिलती है। राणा प्रताप सागर के भी दो यूनिट चालू हो गये हैं। 1970 में अणुशक्ति की बिजली भी मिलने लगेगी इतनी बिजली मिलते हुए भी यह पक्षपात का तरीका अशोभनीय है। इसलिए आपके जरिये मैं यह कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि छोटे छोटे धंधे वाले काश्तकार खेती करने वाले और बडे काश्तकारों के लिये अधिक से अधिक बिजली दी जाय और काश्तकारों को फायदा पहुंचावें।

(श्री केसरीसिंह)
तब समझ सकेंगे कि यह सरकार, जनता और काश्तकारों का प्रतिनिधित्व करती है। वरना तो यही समझेंगे कि यह तानाशाही पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों की कटपुतली है, वह अपने उन्हीं पुराने रंग ढंग से काम कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

श्री डूंगाराम।

श्री नाथूलाल करौल बोल गये।

श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री दौलतराम सारण : हमारे दल की ओर से एक आदमी दस मिनिट बोला है और वह भी किस तरह बोला है यह आप जानते हैं और अभी तक किसी को समय नहीं दिया गया है। यह स्थिति रोज रोज हमारे साथ होती है। इसके लिये हमें रोज रोज आपत्ति करनी पडेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति असह्य है और उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह शिकायत है क्योंकि आपके दल को समय कम मिलता है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे दल को यह शिकायत है कि समय ही कम नहीं मिलता है बल्कि समय दिया ही नहीं जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज। यह माननीय सदस्य कह रहे हैं वह तथ्यों से परे है। किसी दिन की प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए। जितनी आपके दल की संख्या है उसके अनुसार बराबर समय दिया गया है। अब किस समय दिया जाय, यह आसन पर छोड दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आप किसी भी दिन की कार्यवाही में समय देख लीजिए। बिना लड़े झगड़े जो कुछ समय मिला है वह भी नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : लडाई झगडा तो स्वभाव पर निर्भर करता है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका उचित नहीं है। मैं ऐतराज कर चुका हूं। मुझे सख्त आपत्ति है, मेरे दल को सख्त आपत्ति है इसमें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चुन्नीलाल जी का नाम बोले हैं वह नहीं बोलकर उनकी जगह ये बोल सकते थे।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार-सु.) : खंडार तहसील अच्छा कस्बा है, पर वहां किसी किस्म का काम सरकार ने नहीं किया। बिजली के लिये वहां के नागरिक इतने दुखी हैं कि जिसकी सीमा नहीं। दूसरे जिलों के पास की तहसील के गांवों में बिजली पहुंच गई है पर खंडार में पांच हजार की पापुलेशन होते हुए भी बिजली नहीं दी गई है। खंडार करीब पच्चीस मील पडता है सवाई माधोपुर से। अगर लाइन लाकर खंडार को सवाई माधोपुर से बिजली दे दी जावे तो वहां किसानों को बहुत काफी सुविधा हो सकती है। सिवाड में लग गई इतनी ही आबादी है। कस्बे में बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं जो उद्योग बढाना चाहते हैं, वे नहीं बढा पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कस्बों में बिजली का देना आवश्यक

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

है। पहले भी मैंने इन दो गांवों के संबंध में प्रश्न रखा था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात चौथ का बरवाडा, वार्ड नं. 10 में यह आश्वासन दिया गया था कि इस बस्ती को बिजली दे दी जायगी लेकिन हरिजनों का दुर्भाग्य है जो आज तक उस वार्ड में बिजली नहीं पहुंचाई गई। जिस समय हरिदेव जी जोशी विद्युत् मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अति शीघ्र इस बस्ती को बिजली दे दी जायगी। वार्ड नं. 10 चोथ-का-बरवाडा में बिजली लगानी जरूरी है। सवाई माधोपुर तहसील में भगवतगढ और खिरनी का सर्वे किया है लेकिन विरोधी क्षेत्र होने के कारण कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि उस बात को नहीं लें जैसे ग्रौर क्षेत्रों में काम कराया जाता है, उन विरोधी क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। जिन किसानों को जो लाईन मिलने वाली है, उन लोगों को नहीं मिलती ग्रौर जो राजनीति में आ गये हैं वे फायदा उठा जाते हैं। किसान बेचारा वंचित रह जाता है तो इस ग्रोर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस समस्या के ऊपर आप अति शीघ्र ध्यान दें। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलत राम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष जी बडी मेहरबानी से आपने इतनी लम्बी जद्दोजहद के बाद मुझे बोलने का समय दिया······

श्री उपाध्यक्ष : आप क्षमा करें, सुबह से बोल रहे हैं ग्रौर शाम के वक्त कह रहे हैं कि समय नहीं दिया गया····

श्री दौलतराम सारण : बोलने का मेरा अधिकार है मैं अभी 4.50 बजे बोलने खडा हुआ हूं। बोलने के लिये आपसे भिक्षा नहीं मांग रहा हूं। यह तो मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्क्ष जी आज जो सदन में विषय विचारार्थ है उस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि विद्युत् मंडल की जितनी योजनायें हैं वे सुविचारित नहीं हैं, वे दूरदर्शिता के साथ बनाई गई हैं। सब जगह लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं ग्रौर उनमें विभिन्न कारण बताये गये हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन योजनाग्रों का विश्लेषण करूं कि योजनाएं अदूरदर्शिता पूर्ण हैं इसलिए उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। वे दोष पूर्ण हैं इसीलिए उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं जो विद्युत मंडल 1-1-57 से स्थापित हुआ जिसने 64 से लगभग वाणिज्यक आधार पर कार्य करना शुरू किया वह आज अवाणिज्यक नहीं है, कार्मशियल नहीं है, व्यापारिक नहीं है। वह आज प्रशासनिक अख्त्यारात करके इस विभाग को चलाते हैं। उस विभाग के अधिकारी सामन्त वादी हैं, ब्यूरोक्रेटिव हैं, वे नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, नागरिकों की उपेक्षा करते हैं ग्रौर उनको वाजिब मांगों का निरादर करते हैं, वे सुनते तक नहीं हैं, उनका कन्ज्यूमर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वह नहीं करते है। मेरे पास एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिनमें शिकायतें हैं, उनको समय नहीं दिया जाता है, उनके कनेक्शन केन्सिल कर दिये जाते हैं। पुनः फीस ले ली जाती है ग्रौर लम्बे समय तक उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। कोई भी डिपार्टमेन्ट अपने

(श्री दौलतराम सारण)

कन्ज्यूमर के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार का यह विद्युत् मंडल करता है। वाणिज्यक नियमों के अनुसार नहीं चलता है। वाणिज्यक दृष्टि को रखकर नहीं चलता है। मैं कहना चाहता हूं कि योजनायें, इसकी लाइनों का प्रसार का काम सब मामले अवाणिज्यक हैं। लाईनें दो-दो, ढाई-ढाई वर्ष पहले डाल दी जाती हैं, खंभे गाड देते हैं, तार खींच देते हैं और ट्रान्सफारमर नहीं लगाते। कहीं ट्रान्सफारमर लगा है तो लाईन नहीं है और कहीं लाईन व खम्भे डाल दिये गये हैं तो ट्रान्सफारमर नहीं लगाये जाते इस तरह की सब जगह अव्यवस्था है। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं चूरू जिले में गुढावडी गांव है और सुजानगढ में चुनाव के समय 2-2-67 को लाईन डाली गई लेकिन 30-8-68 तक वहां ट्रान्सफामर नहीं लगाया गया। सोमगढ, बाढसर उस गांव में 2-2-67 को लाईन डाल दी गई लेकिन 30-8-68 तक ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया, सोमासर और मागसर गांव म 2-2-67 को लाईन डाली गई लेकिन 30-1-68 तक वहां ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया। इस तरह के कई गांव हैं जहां लाइन पहले डाल दी गई लेकिन ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, बनेडा गांव है जो भूतपूर्व विद्युत् मंत्री के क्षेत्र में 23-2-67 को लाईन डाली गई लेकिन ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया। 23-2-67 को दूसरी जगह लाइन डाली गई लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला। हनूतपुरा को 27-2-67 को लाईन डाली गई और दिसम्बर 67 में जाकर ट्रान्सफारमर लगाया गया। इसी तरह करनपुरा लाडरिया में 31-3-67 को लाईनें डाली गई लेकिन वहां आज तक ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया उपाध्यक्ष जी इसी तरह नोखा का उदाहरण है। नोखा में लाईन डाली गई सलसीसर, मडिया में लाइन डाली गई लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कामर्शियल डिपार्टमेन्ट का यह नजरिया देखकर अफसोस होता है। पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग करते हैं। इनको बहुत बडा ब्याज भुगतना पड रहा है। लाईन को रोके खडी हुई है लेकिन पड रहा है। लाइनें खेतों को रोक खडी हुई हैं लेकिन बिजली उनको तीन तीन साल से मुनस्सर नहीं हो रही है। विधायक बार बार लिखते हैं, उनके पास जाकर मिलते हैं, डेपूटेशन ले जाते हैं लेकिन इनके कानों तक जू नहीं रेंगती। कोई भी वाणिज्यक डिपार्टमेन्ट इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है लेकिन यह कांग्रेस सरकार इस सारी हकीकत को बर्दाश्त कर रही है हम कहते हैं कि जनता के साथ गुनाह नहीं करने दिया जायगा, पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड नहीं करने दिया जायगा। या तो उसको संगठित करें या फिर ऐसे डिपार्टमेन्ट को भंग कर दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बोर्ड की व्यवस्था को ठीक करें। बोर्ड में सरकारी चैयरमैन रखा जाय या गैर सरकारी चेयरमैन रखा जाय मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं लेकिन जो पैसा इस बोर्ड को दिया जाता है, उसका युटिलाईजेशन ठीक हो और उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए.........

एक माननीय सदस्य : समय बढा दीजिये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटा और बढाया जाता

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं। आपका 7 मिनट का समय समाप्त हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी से मैं एक ही तो बोल रहा हूं और आप कहते हैं समय समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तीन की लिस्ट दी है।

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा हूं, लिस्ट भी तो मैंने ही दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालुम नहीं कि आप एक ही बोल रहे हो।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपको कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिवाईज कर रहे हैं, यह भी अभी मालूम हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो 25-30 मिनट के हिसाब से लिस्ट दी थी।

(5 म. प.)

मैं कह रहा था कि इस बोर्ड की व्यवस्था में कहीं भी इकानामिक मेजर्स नहीं अपनाये जाते हैं। यहां बहुत धांधली है, बड़ी अव्यवस्था है और खर्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इतनी फिजूलखर्ची है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी फिजूलखर्ची को रोकना चाहिये। इसमें स्टाफ जरूरत से ज्यादा है और मजदूर आवश्यकता से कम है। यह स्थिति इस विभाग की है। इसलिये मजदूर आवश्यकतानुसार रखे जाने चाहिये और स्टाफ आवश्यकता से ज्यादा है उसको ठीक करना चाहिय, यह मेरा सुझाव है।

मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सारा विश्लेषण प्रस्तुत कर सकूं लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस बोर्ड की, इस विभाग की व्यवस्था उचित तरीके की नहीं है। इसका नियोजन ठीक नहीं। इसका नियोजन दोषपूर्ण है और इसकी कार्य-प्रणाली उचित नहीं है। इसकी जनता के साथ डीलिंग्स गैर-वाजिब तरीके की हैं, अनुचित ढंग की हैं। इसलिये इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है।

उद्योग, उत्पादन, अकाल, पेय जल की समस्या और कृषि उत्पादन को ध्यान में रखकर इस विभाग की योजनाओं को बनाना चाहिये। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहां तो योजनायें राजनैतिक आधार पर बनती हैं। चुनाव से पहले लाइनें खींची गई कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। आज तक वहां ट्रान्सफार्मर नहीं लगा है, कनैक्शन्स नहीं दिये गये हैं। लेकिन लाइन लग गई, लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं, न उद्योगों में है और न कृषि में है। कृषि में आवश्यकतानुसार बिजली मांगी जा रही है लेकिन वहां बिजली नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ चुने हुए उदाहरण देना चाहता हूं। नोखा के अन्दर कुछ पोकेट्स जहां पानी ऊंचा है जैसे मनसर का इलाका है, पंचायत समिति ने कई वर्ष पहले योजना बनाकर भेजी। उसके लिये विद्युत् बोर्ड ने भी कहा कि यह योजना फिजीबल है लेकिन आज तक इस विभाग की तरफ से उस इलाके

(श्री दौलतराम सारण)

में विद्युतिकरण करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उस इलाके के 7 गांवों को विद्युतिकरण कर दिया जाता तो लाखों मन अन्न पैदा होता। वहां अनाप-शनाप पानी है और 57 फुट से लेकर 80 फुट तक गहरा पानी है जहां 300 और 400 फुट वहां उसके आस-पास के इलाके में पानी है। वहां से केवल 7 मील झाडिली में बिजली है। वहां कुओं के पास में बिजली है लेकिन वहां कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से जो मैंने अभी गांवों के नाम गिनाये उनकी स्थिति है। चूरू जिले में मैं कहना चाहता हूं कि तासर, घीरदेसर, चोहियान, रामसर, कूंतासर और लिखमीसर की योजना थी लेकिन इस विभाग ने उस योजना की अपेक्षा की। मोमासर से अढेसर लाइन डाली जहां 8 मील तक उस योजना का उपयोग नहीं। जब कि जिला परिषद् पंचायत समिति ने और स्थानीय विधायक की वहां मांग थी लेकिन राजनैतिक कारणों से भूतपूर्व विद्युत मन्त्री उधर से लाइन नहीं लाकर दूसरी साइड से लाये। अगर उधर से रामसर से लाई जाती तो नौगांव के 50 कुओं में बिजली लगती और हजारों मन अनाज पैदा होता लेकिन उस योजना की उपेक्षा की गई। इसी तरह से विद्युत् की लाइनें हैं उनसे कनैक्शन्स नहीं हो रहे हैं, बेकार पडी हैं। तो यह वाणिज्य तरीके से, उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से, राष्ट्रीय निर्माण की दृष्टि से और अधिक आवश्यकता के हिसाब से, राजस्थान की परिस्थितियों को नये रूप में बदलने की दृष्टि से, अकाल को रोकने की दृष्टि से और लोगों को पेय जल उपलब्ध हो इस दृष्टि से इस विभाग को काम करना चाहिये। लेकिन यह विभाग न तो पेय जल की समस्या को सामने रखकर काम करता है, न अकाल निवारण के दृष्टिकोण को सामने रखकर काम करता है, न अन्न उत्पादन की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर काम करता है। उत्पादन में भी अधिक खर्च उठाकर यह विभाग काम करता है। यह रियायती रेट पर 3 पैसे प्रति यूनिट पर नेशनल वाल बेयरिंग कम्पनी को बिजली दे रहा है, यह 5 पैसा प्रति यूनिट सादुल टैक्सटाइल को बिजली दे रहा है और लाखों का हरजाना उठा कर। लेकिन कुओं वाले बिजली मांगते हैं अन्न पैदा करने के लिये मांगते हैं बिजली तो यह विभाग उनसे 12 पैसा प्रति यूनिट चार्ज करता है। और इस पर भी 3000 रुपये की अग्रिम राशि के जमा कर देने के बाद प्रायोरिटी में तुम्हारा नाम नहीं है। और प्रायोरिटी में आना है तो 3000 रुपये जमा कराओ। यह नक्शा है डवलपमेन्ट का और कृषि उत्पादन का और राजस्थान की हालत और हैसियत बदलने का। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि विद्युत् मण्डल किसी भी उचित तरीके को सामने रखकर काम नहीं कर रहा है।

मैं कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि योजना दोषपूर्ण है। हमने केवल जल विद्युत को ही आधार माना है। जल विद्युत् अधिक सप्लाई के लिए काम में लाई जा सकती है। उसका प्रोडक्शन चीप होता है लेकिन वह कभी भी बेस नहीं बनाई जा सकती। इसलिये जो जल विद्युत् को बेस माना है उसका नतीजा हमारा राजस्थान भुगत चुका है। अभी

(श्री दौलतराम सारण)

3 वर्ष तक राजस्थान विद्युत् के बिना तबाह हो गया, उसमें उत्पादन रुक गया। यह स्थिति आई लेकिन अगर थर्मल पावर हमारा बेस होता तो कभी यह स्थिति नहीं होती। लेकिन राजनैतिक ग्राउन्ड्स पर थर्मल पावर की उपेक्षा की गयी। अगर पलाना प्राजेक्ट को बना दिया जाता तो जो रेगिस्तान और अकाल से पीडित हैं उन लोगों की और उस स्थान की स्थिति ही दूसरी होती। आज वहां के नल कूप बिना विद्युत् के नहीं रहते, आज वहां घास के बिना पशु नहीं मरते और अन्न के बिना लोग परेशान नहीं होते, आज वहां रोजगार का अभाव नजर नहीं आता। लेकिन उसकी उपेक्षा की गई और उसका नतीजा यह है कि पश्चिमी राजस्थान विद्युत् के अभाव में पीडित है, उसका विकास रुक गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार बुनियादी बातों को सोचकर योजना बनाये। वह प्लानिंग में प्राथमिकता को तय करे। राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार और स्थिति के अनुसार अकाल, रेगिस्तान और रोजगार को और अन्न उत्पादन को प्राथमिकता देकर तय किया जाये। इसी तरह से थर्मल पावर पर बेस करें। हाईडल पावर अच्छी है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने में इस्तेमाल करें लेकिन हाईडल पावर पर हम निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिये हमें प्रकृति पर निर्भर करना पडता है और न जाने प्रकृति कब अपनी आंख बदल जाये। अगर आप हाईडल के ऊपर बेस करते हैं तो गलती करते हैं।

इसी के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री दौलतराम जी सारण घंटी बजने पर बैठ गए)

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री प्राईदान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने आधे से ज्यादा समय ले लिया है 131 मिनट, जनसंघ ने 3 मिनट और संसोपा ने 35 मिनट और अभी माक्रांद को भी थोडा समय मिला है। इस लिये हमारी पार्टी को सबसे कम समय मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत लेट एतराज कर रहे हैं। अगर आप पहले कहते तो पहले ही समय सीमा बांध दी जाती।

श्री विजय सिंह (मकराना) : मुझे कोई समय नह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी समय तो इस तरह से ले लेते हैं।

श्री विजय सिंह : हम बैठे बैठे उकता जाते हैं और हमारा सर गरम हो जाता है ....

श्री उपाध्यक्ष : उकताने की बात नहीं है भत्ता मिलता है सब को।

श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बारीकी में न जाकर इतना ही

(श्री हंसराज आर्य)
कहूंगा कि बिजली के सम्बन्ध में गंगानगर जिले की उपेक्षा की गई है। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है बहुत थोड़े से क्षेत्र को बिजली दी गई। और अफसोस तो इस बात का है कि व्यापारियों के कारखाने जब मकानों के अन्दर चलते हैं, दिन में चलते हैं उन्हें बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट दी जाये और दिन में दी जाय और किसानों को बजाय 3 पैसे के 12 पैसे दी जाय और वह भी अर्धरात्रि में दी जाये जब इन्सान रात को पेशाब करने के लिये उठने में झिझकता है उस सर्दी के अन्दर किसान नंगे आसमान के नीचे खेतों में पानी लगाता है। मैं समझता हूं यह न्याय नहीं अन्याय है, और यह कहूं कि सरकार किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रही है तो अतिशयोक्ति नहीं करता हूं । यदि सरकार यह चाहती है राजस्थान का किसान अन्न का उत्पादन बढाये तो बिजली की रियायत के बारे में उसको सोचना पड़ेगा, और बजाय रात के दिन में बिजली देना चाहिये । गंगानगर जिले में कुछ ही गांव हैं जिनमें बराये नाम बिजली दी गई है । घग्घर का फ्लड 100 मील के लम्बे एरिया को पार करता है और कई हजार फीट चौड़े में बहता है । उस क्षेत्र का पानी मीठा है इसलिये यदि उस क्षेत्र को बिजली दी जाय तो कितने ही हजार कुए वहां के किसान खोद सकते हैं । वहां के किसानों की हालत ऐसी है कि वे बगैर ऋण लिये ही कुए खोदने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बिजली देने को तैयार नहीं है । मेरा खास तौर से सरकार से यह निवेदन है फ्लड एरिया में पानी मीठा है और हजारों कुए वहां पर किसान लगाने को तैयार हैं अगर उन्हें बिजली दी जाय तो ।

इसके साथ साथ बार बार इस सदन में सरकार ने कहा है कि जिन गांवों की 5 हजार की आबादी है उन्हें तीसरी योजना की समाप्ति तक बिजली दे दी जायगी । नोहर-भादरा के क्षेत्र में कितने ही गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 हजार से 7 हजार तक की है, लेकिन वहां पर आज तक बिजली नहीं गई है । मैं समझता हूं कि यह उन गांवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । जब कभी कोई भी मन्त्री बिजली विभाग पर आया तो खास तौर से कोशिश यह की गई कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक बिजली लगे । अब माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास यह विभाग आया है तो आशा है कि न्याय के अनुसार वे वहां पर बिजली देंगे और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले की अब तक जितनी उपेक्षा की गई है उस कमी को वे पूरा करेंगे, और न्याय की दृष्टि से पूरा करेंगे । आप आंकडे देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट से मंगाकर कि कहां कहां पर बिजली दी गई है, कितनी दी गई है और गंगानगर में कितनी दी गई है यह आपको मालूम हो जायगा ।

साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ में तहसील टीबी एक गांव है जो कि तहसील का हैडक्वार्टर भी है । उसकी आबादी 5000 के आसपास के है और उसके लिए वहां की पंचायत समिति ने, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् ने लिखा कि टीबी को बिजली दी जावे । लेकिन इसके बावजूद भी बिजली नहीं दी गई है । बिजली की लाइन वहां से एक फर्लांग दूर कुओं के पास में है लेकिन टीबी गांव को बिजली नहीं दी गई है । इसलिये बिजली नहीं दी गई है कि वहां के इन्जीनियर को गांव ने पैसा नहीं दिया था । उसके पास में एक

(श्री हंसराज आर्य)

गांव मसानी सेलेमगढ है जिसमें 500 की आबादी है उन गांवों में बिजली इसलिये दी गई है कि उन लोगों ने पैसा दे दिया था। यह भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि इस अव्यवस्था को आप नहीं रोकेंगे तो वहां के लोगों में असन्तोष बढ जायगा और इस विभाग के बारे में लोगों की नाराजगी पैदा हो जायगी, असंतोष फैलेगा।

जहां तक बिजली की लाइन लाने लेजाने का सवाल है राजस्थान बनने के बाद बिजली के मामले में काफी तरक्की की गई है। जब राजस्थान बना था तो राजस्थान के बिजली बराये नाम थी। आज बिजली के मामले में हम काफी आगे बढे हैं। लेकिन दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। हमारी गति इस दिशा में तेज होनी चाहिये तभी हम बिजली के मामले में आगे बढ सकेंगे और राजस्थान को दूसरे प्रान्तों के लेवल पर ला सकेंगे, नहीं तो हम पिछड जायेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर जिले की बिजली की कमी को पूरा करेंगे और नाली के बैंड के लिये बिजली देंगे तो उसमें हजारों कुएं लगाये जा सकते हैं। यदि आप कहें तो अगले महीने तक मैं कितनी ही दरख्वास्तें लाकर आपको पेश कर सकता हूं उन किसानों की जो वहां पर कुए खोदने और बिजली लेने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह !

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, म बिजली विभाग के बारे में हो रही धांधलियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे वहां शुरू से लेकर अब तक इस तरह के ए.ई.एन. रखे गये हैं जो वहां पर खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई अच्छा आदमी चला गया तो महीने 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता है। इसके लिये मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा।

कनेक्शन जो दिये जाते हैं बिजली के तो नाममात्र को यह कहा जाता है कि प्रायोरिटी के आधार पर दिये जाते हैं, लेकिन असल में मनमाने ढंग से कनैक्शन दिये जाते हैं, और मैं तो यह कहूंगा कि खुले रूप में सौदे तय होने के बाद में कनेक्शन दिये जाते हैं। और इसके साथ में खास तौर से यह भी निवेदन करूंगा कि जब से यह विभाग माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास में आया है तब से खुलकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

हमारे यहां 20-1-68 को रसीद संख्या 84 से 94 तक के द्वारा सिक्योरिटी जमा कराई गई और उसके लिये वहां के एक्स.ई-एन. और ए. ई. एन. का यह कहना था कि महीने के अन्दर अन्दर कनैक्शन मिल जायगा तो वहां के उन लोगों ने अपने कुओं में कम्प्लीट फिटिंग करा लिया पंचायत समिति से लोन लेकर, लेकिन आज तक वहां कनैक्शन छोड़कर लाइन तक नहीं पहुंच पाई है। इसी तरह से मेहरोली में 24-3-64 को रसीद संख्या 78 और 22-3-64 को रसीद संख्या और अक्टूबर 65 में जो सिक्योरिटीज जमा हुई हैं जिन्होंने इस आधार पर कि महीने डेढ महीने में कनैक्शन मिल जायगा अपने कुओं में सीढियां तक फिट कर ली और उस कारण से वे चडस से भी सिचाई नहीं कर

(श्री हरलाल सिंह)
सकते हैं, लेकिन आज तक वहां पर कनैक्शन तो क्या लाइन तक नहीं खेंची गई है। उनका काफी पैसा बरबाद हो गया है। वे काश्तकार परेशान हुए मारे मारे फिर रहे हैं। इस तरह के एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन इसके विपरीत अभी 68 में जो सिक्योरिटी जमा हुई है उनको कनेक्शन मिले हैं। मैं उनके उदाहरण भी पेश करना चाहूंगा। 13-8-68 को रोढूराम और घासीराम के नाम से पैसा जमा हुआ है उनको कनेक्शन मिल गया है जब कि उसी ग्राम वालों को जिनका 14-7-68 को सिक्योरिटी का पैसा जमा हुआ है उनको आज तक कनैक्शन नहीं मिला है। इसी तरह से श्रीमाधोपुर में रामगोपाल को प्रायोरिटी लिस्ट के 14 नामों को छोडकर 15 वें नम्बर पर जिसका नाम था उसको कनैक्शन दिया गया है जिसके कनैक्शन में 20 खम्भे लगे हैं। उसको कनैक्शन दिया जाता है। इस तरह की यह अव्यवस्था है मैं समझता हूं कि यह खुला भ्रष्टाचार है और काश्तकारों के साथ धोखा है।

इसी तरह से हमारे रींगस में टूरिंग टाकीज को 5-8-68 से 11-8-68 तक बिजली दी गई। उसकी सिक्योरिटी जमा हुई या नहीं, उसके चार्जेज भी हुए कि नहीं? मैं तो यह कहता हूं कि न तो सिक्योरिटी ही जमा हुई है और न खर्चे का पैसा ही जमा हुआ है।

जीतापारा, सन्तोखपुरा आदि 64 से इलेक्ट्रिफाइड हैं और वहां पर लाइन खिंची हुई है, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया हुआ है।

इसके अलावा काश्तकारों पर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इधर तो काश्तकारों से मनमाना पैसा चार्ज किया जाता है और उनको बिजली 6 घण्टे या 12 घन्टे टाइम के अनुसार दी जाती है। मैं समझता हूं कि यह कहां तक न्याय है? बिजली उसमें भी टाइम पर रेग्युलर नहीं आती है। इस तरह से काश्तकारों से एक पैसा भी नहीं छोडा जाता है। जैसे ही महीना पूरा हुआ कि उनसे पूरे पैसे चार्ज कर लिये जाते हैं। अगर वे पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो उन पर पैनल्टी हो जाती है। अगर कोई 2 हजार 3 हजार रुपया जमा कराये तो उनको कनेक्शन जल्दी मिल जाता है। इस तरह का कर रखा है कि एस्टीमेट्स चार्जेज के नाम से 7 साल में पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि दो हजार और तीन हजार किस बात के लेते हैं जब कि यह है कि काश्तकार एस्टीमेट का पूरा पैसा 7 साल में गवर्नमेन्ट को देगा इसको पूरा करने के बाद भी उनको कनेक्शन नहीं मिलता है तो उसके बाद 2 हजार या तीन हजार जमा कराने पड़ेंगे तो फिर कनेक्शन मिलेगा यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

इस तरह की अव्यवस्था कई जगह हो रही है। मैं खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी खुली जांच करवाई जाय। इसके साथ साथ वहां पर लाखों रुपयों का सामान गया है स्टोर में वह आपको नहीं मिलेगा। आज तक स्टोर्स की

(श्री हरलाल सिंह)

जांच नहीं की गई है। इसलिये यह भी निवेदन करूंगा कि उसकी जांच करवायें। इसलिये मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसकी खुली जांच करवाई जाए।

इसके अलावा रींगस के आस-पास के कनेक्शनों की हालत को देखते हुए और वहां पर बिजली की सप्लाई की हालत को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ट्रान्सफार्मर्स की हालत खराब हो गई है। महरोली और प्रीतपुर में ट्रान्सफार्मर जले हुए पडे हैं। उनकी हालत को सुधारने की चेष्टा करें। अब तक इनकी स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है इससे इनकी हालत और खतरनाक हो सकती है।

इसके अलावा ए. ई. एन. आफिस नीम-का-थाना में बनाया जा रहा है। मैं नीम-के-थाने से नाराज नहीं हूं लेकिन वहां के काश्तकारों के कनेक्शन की जो स्थिति है और 33 के. वी. लाइन रींगस होकर गुजर रही है और भी इसके अलावा अन्य कारण हैं उनको देखते हुए मैं निवेदन करुंगा कि ए. ई. एन. का आफिस रींगस में रखना चाहिए। वैसे तो यहां पर एक्स. ई. एन. का आफिस होना चाहिए। वहां की स्थिति को देखते हुए वहां पर ए. ई. एन. का आफिस भी नहीं हो तो मैं समझता हूं कि वहां के गांवों के काश्तकारों के साथ गद्दारी होगी। नीम-के-थाने में इसका आफिस बना दिया जाता है तो वहां पर आने जाने के भी कोई साधन नहीं हैं–इस कारण से काश्तकारों की और बरबादी होगी। मैं पुन: निवेदन करूंगा कि इसके आर्थिक पक्ष की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। वहां पर जो नये कनेक्शन हैं और जो पुराने कनेक्शन हैं इन पूरे गांवों के अन्दर उनको इलेक्ट्रिफाई मैं समझता हूं, इस वर्ष दीवाली के पहले कर दें, राज्य सरकार उनको विद्युत प्राप्त करा दे और सही ढंग से उनको बिजली देने लग जाय तो जो राजस्थान में अकाल पड रहा है, और जो अकाल पड गया है, मैं समझता हूं कि आज भी बहुत सा इलाका ऐसा है जो इस अकाल का मुकाबला कर सकता है। आप नये कनेक्शन स्वीकार करें केवल यही नहीं, इसके साथ साथ जो पास पास गांव हैं उनको बिजली कनेक्शन से जोड दें तो उचित रहेगा। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उस तरफ के दस माननीय सदस्य बोल चुके हैं और हम इधर के बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! ऑर्डर प्लीज!

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय नहीं दिया जाता है, कल से हम बोलने के लिए बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इधर से बोलेंगे या उधर से बोलेंगे वह क्रम से बोलेंगे।

श्री नाथूराम : एक बात आसन हमारी सुन लें···········

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हम डेढ़ घण्टे से खडे हो रहे हैं।

श्री नाथूराम : और देखने की बात यह है कि किधर कितने बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री नाथूराम : हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमें बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री नाथूराम : आप नहीं बोलने दें तो मुझे निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : निकालने का भी अधिकार है लेकिन उसका प्रासीजर है।

श्री नाथूराम : मुझे निकाल दीजिये अगर मुझे नहीं बोलने दें तो।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि जिस क्रम से व्हिप्स ने नाम दिये हैं उस क्रम से नाम पुकारे जाते हैं।

श्री नाथूराम : आपका मेरी ओर ध्यान नहीं है। मेरा नम्बर लिस्ट में दूसरा है। लेकिन मुझे नहीं बोलने देना और उधर उधर से बोलने देना हमारे साथ न्याय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी, प्रकाश एवं पवन-यह पदार्थ ऐसे हैं जो भगवान की तरफ से मुफ्त मिलते हैं। अच्छे प्रशासन का भी यह कर्तव्य है, जहां अच्छा प्रशासन है वहां वह इन सभी पदार्थों की हवा, जल और विद्युत् की अच्छी व्यवस्था करे। 1947 में जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत में चव्वालीस बस्तियों में विद्युत् वितरण था। उसके बाद में जब राजस्थान बना तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत कम प्रगति इस दिशा में हुई, केवल 22 बस्तियों को विद्युत् वितरित की जा सकी लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे राजस्थान ने विद्युतिकरण की दिशा में प्रगति की और हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल राजस्थान का विद्युतिकरण युग कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में प्रकृति का प्रकोप हुआ और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया 275 मेगावाट विद्युत् उत्पादन का उसमें राजस्थान सफल नहीं हुआ और राजस्थान अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया यानि यहां केवल 70 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन हो सका। कारण यह दिया गया कि तीन वर्ष तक निरन्तर अकाल पड़ा और बारिश कम हुई। गांधीसागर और राणा प्रताप सागर का कनेक्शन उस समय तक चूंकि नहीं हो सका था और दूसरे पानी में इतनी कमी हो गई इसलिये विद्युत् उत्पादन में सफल नहीं हो सके। मेरा निवेदन है कि जो जल विद्युत् योजना है, निश्चित रूप में मेरा मानना है कि इस पर ही आधार करके हमें नहीं चलना चाहिए। यह एक सफल आधार इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यदि पानी बरसा तो बिजली मिल गई और यदि पानी नहीं बरसा तो विद्युत् नहीं मिल पाती है। पिछले तीन वर्ष तक अकाल पड़ गया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा संकट विद्युतिकरण के संबंध में राजस्थान में उपस्थित हुआ। इसलिये

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

हमें जल विद्युत् योजना के बजाय दूसरी तरफ भी ध्यान देना होगा। जैसलमेर में जो गैस के भण्डार हैं उनका एक्सप्लाईटेशन व उसके अलावा जो थरमल प्लाण्ट विकास की संभावनायें हैं उसकी ओर भी ध्यान देना होगा इसलिये हमको जल विद्युत् के अलावा दूसरे आधार विद्युत् के लिए बनाने चाहिए-यह जरूरी है। अब अणु शक्ति से विद्युतिकरण करने या विद्युत् उत्पादन करने का प्रावधान हो जाने से राजस्थान के लिए यह कहा जाता है कि 1970 में हमें अणु शक्ति से विद्युत् मिला करेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक वितरण का प्रश्न है, जो एक्सटेंशन किया गया, जो हाई टेंशन लाइन पड़ी, इसमें जो विद्युत् वितरण का प्रश्न है इसमें सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग रहा है तो वह गांव है। गांवों में विद्युतिकरण के लिहाज से बहुत कम प्रगति हुई है। इस प्रगति को सब से सकुल बिलकुल नहीं कहा जा सकता। कहते यह है कि गांवों में विद्युतिकरण बिल्कुल अनार्थिक है, अनार्थिक योजना के कारण ही इस ओर कम काम किया गया है। मेरा निवेदन है कि यह अनार्थिक योजना नहीं है, गांवों में अधिक से अधिक एग्रीकल्चर के लिहाज से कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक विद्युत् दी जा सके ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां एक एक गांव में दो मील लाइन खींच दी जाय जो चार सौ कुओं को कनेक्शन दिये जा सकते हैं। इसमें कम से कम खर्च होगा और इससे विभाग को काफी आय हो सकती है और उससे आर्थिक प्रयोग या निर्योजन यह विभाग कर सकता है। लेकिन न तो यह वाणिज्यिक दृष्टि से इसे चलाते हैं और न ही आर्थिक दृष्टि से योजना को चलाते हैं। होता यह है कि केवल लाइन एकदम खींच दी, उसके बाद कनेक्शन नहीं देते हैं, कनेक्शन नहीं देने के कारण इस विभाग को आय नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में भगवतगढ अजनोटी, खिरनी और और भी ऐसे गांव हैं जहां 1965 में कुओं में कनेक्शन कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, सीक्योरिटी डिपोजिट करवा दी लेकिन तीन वर्ष गुजर गये हैं, लगातार इस विभाग में इस संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं और ध्यानाकर्षण किया गया है, इसकी ओर अधिकारी वर्ग का भी ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। कारण क्या था, वहां पर वायर पहुंच गया, लट्ठे पहुंच गये, उसके बाद कुछ कुओं को तो कनेक्शन दे दिया और कुछ कुओं को कनेक्शन नहीं दिया गया। अजनोटी में एक दो को कनेक्शन दे दिया गया। लेकिन ट्रान्सफार्मर पर इतना खर्च लगा, उसके बाद भी आप थोडे कुओं को तो कनेक्शन देते हैं—इस कारण यह अनार्थिक योजना बन जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आप यह कहने लगते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण क्या करें। यह आर्थिक योजना नहीं है। जहां अब तक किया गया है उससे पच्चीस हजार आपको मिलते हैं और खर्चा अनाप शनाप होता है, इसलिये यह आर्थिक योजना नहीं है। मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें यह आधार रखा गया था कि कम से कम तीन हजार की आबादी वाले जितने गांव हैं उनमें विद्युतिकरण कर देंगे। जब एक गांव में विद्युतिकरण करना होता है तो

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कृषि उत्पादन के लिये जितने लोग दरख्वास्त देने वाले हैं उनको आप कनेक्शन दीजिये। सबको आप कनेक्शन देंगे तो यह इकोनामिक इन्वेस्टमेंट होगा। वरना आप केवल 25 कनक्शन दे दें और स्टेटिस्टिक्स बना दें कि इतने गांवों को बिजली दे चुके हैं तो संख्या की दृष्टि से तो वह अच्छा होगा ! किन आर्थिक दृष्टि से नियोजन कभी भी अच्छा नहीं रह सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उत्पादन के लिये बहुत कुछ विद्युत का उपयोग हो। हम गांवों में रोशनी के लिए विद्युत नहीं चाहते. कृषि उत्पादन के लिये बिजली चाहते हैं। इस वर्ष के उत्पादन की दृष्टि से ही देख लीजिये। कुछ गांवों में पानी पड़ा है, पचास इंच पानी तो मेरे क्षेत्र में पड़ा है इव पांच दस दिन के अन्दर एक बारिश नहीं हुई तो घोर अकाल पड़ने वाला है। वहां पर कुओं में पानी है, बांधों में पानी है, मान लीजिये कि वहां पर विद्युत की फैसेलिटी होती तो वहां इलाके में बंधों के द्वारा, नहरों से, कुओं से खेतों को पानी दिया जा सकता था। आज बहुत से गांव हैं जहां पर ढाई सौ, दो सौ कुए हैं। वहां पर मुश्किल से ढाई मील लाइन ले जाने की आवश्यकता है विद्युतिकरण करने के लिए, उससे ढाई सौ, दो सौ कुओं में कनक्शन मिल जायं तो वह आर्थिक योजना होगी और उससे उत्पादन बढ़ेगा। राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं, गंगानगर और सवाई माधोपुर ग्रमरी समझे जाते हैं। गंगानगर के बाद में सवाई माधोपुर का ही नम्बर आता है।

और इस वर्ष निश्चित रूप से बम्पर क्रोप्स हैं पर वहां एक वर्षा की कमी से दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। वहां पानी की कमी नहीं है पर वहां विद्युतिकरण नहीं होने के कारण उस पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक्स. ई. एम. से मालूम किया तो पता चला कि वहां के लिये इस करेंट ईयर में फण्ड्स का एलोकेशन नहीं किया है, इसलिये लाइन नहीं बिछा सकते, कनेक्शन्स नहीं दे सकते उनको सैंक्शन करने नहीं की है, फण्ड्स का एलोकेशन नहीं किया है। यही उपयुक्त टाइम है जब कि कनेक्शन्स कुओं को देकर फसलों को भरमार पानी दिया जा सकता है। अब बिल्कुल यह समय निकल जायेगा तब आप कनेक्शन्स का करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां तीन तीन वर्षों से कुओं में पंप लगे हुए हैं। एन्क्वायरी आफिसर वहां भेजा था, उसने एन्क्वायरी कर के अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी पर वहां सारा काम ठंडा पड़ा हुआ है········

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने मुद्दे उठाये हैं, उनका मुझे जवाब मिलेगा और विद्युत मंडल इस ओर ध्यान देगा और 65 से जिनकी सिक्योरिटी डिपोजिट हो गई है उनको शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन्स दिये जायेंगे और इस साल में काम करने के लिये वहां फन्ड्स ट्रान्स्फर किये जायेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथराम !

श्री नाथराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में······

श्री उपाध्यक्ष : मने क्रम से पुकारा है, नाथूरामजी बोले इसलिये नहीं पुकारा है।

श्री नाथूराम मागीडोरा : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाडा में पानी की कोई कमी नहीं है पर वहां बिजली का अभाव है। कुछ वर्ष बांसवाडा को चम्बल की बिजली देने का निर्णय बोर्ड ने लिया था। रतलाम से डायरेक्ट बांसवाडा को बिजली देने में कम खर्चा आता था पर पक्षपात के कारण, कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ और पक्षपात से बांसवाडा को बिजली कहां से मिलती है, वह उदाहरण में रखना चाहता हूं बांसवाडा से रतलाम 50 मील है और 20 मील अरदा के पास चम्बल की बिजली भी पहुंची है, वहां से बांसवाडा को बिजली न देकर मलावर से, सागवाड़ा से बांसवाडा को 100 मील का चक्कर लगा कर बिजली लाई गई और लाखों रुपया खर्च कर के मद्रास में कोई एक पुराना एंजिन पड़ा हुआ था, उस एंजिन को बांसवाडा में लगाया उस पर 40 लाख रुपया खर्च हुआ पर आज कृषि उत्पादन के लिए उससे कुओं को बिजली नहीं मिल रही है, वह एंजिन रुप पड़ा रहता है, कभी कभी तो इतना धुआं होता है कि सारे बांसवाड़ा शहर में धुंआ ही धुआं हो जाता है और इससे बीमारी पैदा होने का अन्देशा रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि बांसवाड़ा में जो इस प्रकार का बेकार एंजिन लगाया गया, यह किसकी गलती से लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देश का लाखों रुपया इस तरह से बर्बाद किया गया है। एंजिन में लाखों रुपया लगाया लम्बा चक्कर खा कर बांसवाड़ा में 50 लाख रुपया खर्च कर के बिजली लाये पर आज उससे 10 कुओं के लिये भी बिजली नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बांसवाड़ा में हजारों कुए ऐसे हैं जो पानी से भरे हैं। गये वर्ष वहां दुष्काल था, इस वर्ष भी दुष्काल है पर बरसात के शुरू में अगस्त के प्रथम सप्ताह में वहां काफी पानी बरसा कि माही, घाटोल, और बांसवाड़ा तहसील में माही नदी जो डूंगरपुर को बांसवाड़ा से अलग करती है, वह भी भरी हुई बह रही है, अणास नदी और चाप नदी भरी बह रही है पर बिजली के अभाव में कृषि उत्पादन में उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है और वहां लोगों को भयंकर दुष्काल का मुकाबला करना पड़ता है।

गत पांच वर्षों से वहां की डिस्ट्रिक्ट कमेटी और वहां के कार्यालय बराबर मांग करते आ रहे हैं कि भले ही माही डम इस समय मत बनाओ, भले ही माही डेम देरी से बनाओ पर माही नदी के दोनों तरफ बांसवाड़ा से डूंगरपुर तक जो सोना उगलने वाली भूमि है, वहां बिजली उपलब्ध करा कर कृषि उत्पादन की व्यवस्था की जाय, पर सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकी। माही नदी बांसवाड़ा के चारों तरफ से जा रही है और अणास नदी, चाप नदी और दूसरे नाले पानी से भरे रहते हैं, पर बिजली मांगते हैं तो बिजली नहीं मिलती है। जो रुपया खर्च किया बिजली के लिये डायरेक्ट चम्बल से बिजली लाते तो रुपया

(श्री नाथूराम)

भी बहुत कम खर्च होता और जितने कुए वहां हैं उनमें से आधे कुओं को बिजली मिल सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माही नदी के दोनों तरफ डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक जो गांव पड़ते हैं वहां एक एक गांव में हजारों बीघा उपजाऊ जमीन है वहां पर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अणास नदी और चाप नदी के आस पास समतल भूमि है, वहां पानी कम होता है, वहां पर लघु सिंचाई योजना चालू कर के बिजली देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गढ़ी तहसील कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने मांग की कि गढ़ी में बोरी, गढ़ी में आंजणा अथूण और खिया के लिये बिजली की मांग की, वहां के लोगों ने मांग की है, एक एक गांव में लोग बिजली लेने को तैयार हैं पर सरकार की तरफ से उनको बिजली देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिस क्षेत्र के मन्त्री महोदय हैं, उनके दबाव में आकर इन्जीनियर काम करते हैं। हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के मन्त्री खुद के गांव में बिजली पहुंचा देते हैं पर जिस गांव में मैं रहता हूं वहां 50 कुओं में बिजली लेने को तैयार हैं पर वहां बिजली नहीं दी जाती है बोरी, आंजणा, अथूण में कुए हैं, वहां बिजली नहीं दी जा रही है डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने प्रस्ताव पास कर के भेजे हैं लेकिन इस तरह से पक्षपात किया जा रहा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि गांवों में रोशनी के लिये भले ही बिजली मत दीजिये पर कृषि उत्पादन के लिये जहां कृषि सूख रही है वहां जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय।

इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो सरासर पक्षपात नजर आयेगा। एक तरफ आप कृषि उत्पादन का ढोल बजा रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करो, पर अनाज ज्यादा से ज्यादा कैसे पैदा करें, अनाज पैदा करने के लिये बिजली मांगते हैं तो बिजली नहीं दी जाती है। इसलिये आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह के पक्षपात के रवैये को छोड़ कर हमें बिजली दीजिये। गढ़ी से बागीदौरा बिजली गई है पर उस लाइन पर किसी कुए को बिजली नहीं मिली है। कई लोगों ने बिजली के कनेक्शन के लिये पैसे जमा करा दिये हैं, पास ही से लाइन गई है पर उन कुओं को बिजली नहीं मिल रही है। इस तरह की पक्षपात पूर्ण व्यवस्था को दूर करके सबको बिजली दी जाय

मन्त्री महोदय से निवेदन है कि सर्वे हो जाना चाहिए कि किन किन के पैसे जमा हैं, किस तरह पक्षपात हो रहा है, इस पक्षपात के रवये को दूर कर उन कुओं को बिजली देना चाहिए, उन्हें बिजली देने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वहां फसलें सूख रही हैं।

मेरा यह भी निवेदन है कि गढ़ी से मुखिया ••

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

के लिये डिस्ट्रिक्ट ने प्रस्ताव पास कर के दिया है, वहां से स्वीकृति भी हुई है, वहां के लिये जल्दी से जल्दी बिजली देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक कृषि उत्पादन बढ़ सके।

(अकने माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, मैं यह मानता हूं कि राजस्थान विद्युत् मंडल ने इन पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं और उसके दो वर्ष बाद जो प्रगति राजस्थान में की है उसको मैं स्वीकार करता हूं कि काफी नोटेबल है, काफी अच्छी प्रगति उसको कहा जा सकता है। खास तौर से जिस स्थिति में राजस्थान शुरू में था और जहां आज हम पहुंचे हैं, वह अवश्य एक अच्छी प्रगति है। परन्तु मेरी यह मान्यता है कि यदि राजस्थान विद्युत मंडल सही नीतियों के आधार पर अपनी प्लान्स तैयार करते तो यह प्रगति कहीं ज्यादा अधिक हो सकती थी। मेरी मान्यता है कि जो आज हमारे सामने दिक्कतें हैं, वे गलत नीतियों के कारण हमारे सामने हैं। मेरी यह भी मान्यता है कि इस प्रगति से हमारी सरकार में हमारे इस विद्युत मंडल में कम्पलेसेन्सी की भावना आ गई है। यदि आल-इंडिया की पिक्चर को देखें, आल इंडिया में जितना जेनरेशन होता है, आज जो जेनरेशन करते हैं, आज कहां हम खड़े हैं, हमारा जो कन्जम्पशन है, उसमें कहां खड़े हैं, तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रगति के बावजूद आज हिन्दुस्तान भर के हर प्रांत से चाहे जेनरेशन हो, चाहे कन्जम्पशन हो, पर कैपीटा में हमारे जेनरेशन का जो परसेन्टेज है, अगर आल-इंडिया को देखें तो हमारा प्रांत सब प्रांतों से आज भी पीछे है। आज जिस आधार पर हमारा विद्युत मंडल अपनी तमाम योजनाएं बना रहा है, जिसकी बुनियाद है। पहले मैनली हाइडल पावर पर अपने आपको बेस करना, दूसरे तमाम योजनाएं ज्यादातर राजस्थान से बाहर स्थित होना और तीसरे इन तमाम योजनाओं का भी राजस्थान के एक हिस्से के अन्दर कन्सन्ट्रेट होना, ये कुछ बुनियादी तीन बातें हैं जो प्लानिंग का आधारशिला विद्युत मंडल का है जिसको मैं बहुत खतरनाक, डिफेक्टिव और राजस्थान में सिक्योरिटी की दृष्टि से, बिजली के प्रसारण की दृष्टि से, इसको बुनियादी तौर से गलत मानता हूं और मैं समझता था कि अब जो पिछले तीन वर्षों में हमारा अनुभव रहा है कि केवल हाइडल पावर पर निर्भर रहने से जिस कैटास्ट्राफी से गुजरना पड़ा है, हम उसको भुला नहीं सकते। जो खामियां राजस्थान के इकोनोमिक पैटर्न में इन तीन वर्षों ने छोड़ी हैं, उसके पिछड़ेपन को हम भर नहीं पायेंगे। इसमें बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत थी। राजस्थान सरकार को एडवाइज करनी चाहिए कि प्लानिंग में केवल हाइडल पावर पर अपनी बुनियाद न बनाकर थर्मल पावर पर करे, दूसरे राजस्थान के बाहर मेन सोर्सेज अपने प्रोजक्टस के न बनाकर राजस्थान में हम अपनी योजनाओं को लाये, तीसरे हम केवल एक ही क्षेत्र के अन्दर तमाम कन्सट्रक्शन न करके दूसरे क्षेत्रों में खास तौर पर जोधपुर और बीकानेर जो राजस्थान में और तरह से भी पिछड़े हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान दें और थर्मल पावर के बड़े स्टेशनस लगाऐं। खास तौर से बीकानेर डिविजन में पलाना में लिग्नाइट है, वहां एक बड़ा फ्यूअल का भंडार है अगर हम उस क्षेत्र को थर्मल स्टेशन बनायें, तो वह जोधपुर डिविजन और बीकानेर डिविजन को फीड कर सकता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, राजस्थान का बैलेन्सड तरीके से विकास हो सकता है। बिजली के मामले में जो भी लोग टेल पर होंगे वे नुकसान में होंगे और जो हेड पर होंगे वह अच्छी तरह से फीड होंगे। मौजूदा प्लानिंग में आज स्थिति यह है कि कुछ लोग हेड पर हैं, बाकी सारे का सारा प्लान टेल पर है जिसके कारण इन प्रोजेक्ट्स से फायदा नहीं मिल सका। विद्युत् मन्डल को इस परम्परा को इस नीति को ब्रेक करना चाहिए। इन डिप्रेसिव नीतियों के कारण आज जो भी हमारे पास इनस्टालड केपेसिटी थी जो उपयोग तमाम साधनों का कर सकते थे, अपनी गलत नीतियों के कारण उन केपेसिटीज का पूरा उपयोग नहीं कर सके। यह एक्सीडेन्टल नहीं है। राजस्थान को जो भाखरा प्रोजेक्ट से हिस्सा मिलना चाहिए था उस हिस्से का हम पूरा उपयोग इस पीरियड में नहीं कर पाए बावजूद हमारे यहां पर बिजली का अकाल था क्योंकि उस क्षेत्र में हमने ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं डाली, हम हाईटेन्शन लाइन्स नहीं डाल पाए, अपना हिस्सा नहीं ले पाए। इस कारण सही उपयोग नहीं कर सके। आज भी यही स्थिति है कि जगह जगह माननीय सदस्य कनेक्शन्स की बात कर रहे हैं, हमारी गलत प्लानिंग की वजह से हमारा ज्यादा पैसा, हमारा कैपीटल इन्वेस्टमेन्ट डिस्ट्रिब्यूशन लाइन्स में बहुत कम पैसा लगा। हमारा दूसरे कामों में बहुत पैसे का बहुत नुकसान हुआ। हमें हाईटेन्शन लाइन्स खड़ी करनी चाहिए...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे तो अभी 10 मिनिट भी नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : समय का अभाव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके कारण आज जो बिजली का उपयोग हो सकता था वह नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि समय कम है। मैं लेबर समस्याओं पर कहना चाहूंगा। विद्युत् मन्डल के अन्दर लेबर के साथ सही तरीके का डील नहीं हो रहा है। आपने इसमें लेबर का प्रतिनिधि श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत को रखा है जिसके खिलाफ 5 लाख के गबन का केस मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, केन्द्रीय सरकार में चल रहा है, एक एक्यूज्ड को इस हाई बोर्ड के अन्दर रखा, आपने इस हाई बोडी की प्रतिष्ठा को कम किया है। इससे राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इसको होना चाहिए और लेबर के सही प्रतिनिधित्व को उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। लेबर के सम्बन्ध में विद्युत् मन्डल ने निर्णय लिया था, कुछ यार्डस्टिक्स वर्कलोड को तय करके निश्चित किया था कि इतने आदमी रखे जायेंगे, कुछ क्षेत्रों में एब्जोर्बशन हो गया, खास तौर से जोधपुर डिविजन में लेकिन दूसरे सर्किल्स में उसका अभी तक एब्जोर्बशन नहीं हुआ है और अब 107 वीं मीटिंग में विद्युत् मन्डल ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिससे 1-1-61 के बाद आने वाले जो मजदूर थे जिनका कुछ हराया हुआ, उन पर लागू नहीं होगा। उससे लोग एजीटेटेड हैं। मैं समझता हूं कि 107 वीं मीटिंग में जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार आवश्यक है, उसको रोकने की आवश्यकता है।

कृषि के बारे में निवेदन है कि राजस्थान में कृषि का बड़ा उपयोग है। आप इतने वर्षों बाद 1:1 प्रतिशत कन्जम्प्शन कृषि पर करते हैं। राजस्थान में कृषि को प्रधानता मिलनी

Page No. 160

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चाहिए लेकिन आपका तरीका है बिजली देने का उससे किसान बडा परेशान हो रहा है। आप मिनीमम चार्जेज लगाते हैं बिजली देते नहीं उधर उसको मजबूर करते हैं कि मिनीमम चार्जेज देनी पडेगी। मिनीमम चार्जेज की शर्त किसानों से हटा देनी चाहिए और जहां नाइट को कनेक्शन्स देते हैं उस बात को बिल्कुल खत्म करना चाहिए।

पिछले सदन में मैंने भी आपका ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि मुझे एतराज नहीं कि आप उद्योग को पनपायें, राजस्थान का औद्योगीकरण आवश्यक है परन्तु बेलन्स्ड तरीके से होना चाहिए लेकिन आप उद्योगों के अलावा भी दूसरे लोगों को पनपा रहे हैं। आप बिजली घर का शोषण का आधार बनाते हैं जैसे मैंने जिक्र किया था पिलानी के अन्दर बिडला एजूकेशन ट्रस्ट है और वहां की जो संस्था है उससे आपका एग्रीमेन्ट है 1959 का कि उसका 250 देंगे और दूसरी को 150 देंगे मैक्सीमम लेकिन कहीं उससे भी ज्यादा ले रहे हैं, आप चार्ज उन्हीं रेट्स पर कर रहे हैं, आपके आडिट ने एतराज किया है ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस तरह से 30 लाख रुपया बिडला इन्स्टीट्यूशन पर लगा। पब्लिक का महंगा दामों में देकर बिडला को सस्ती दे रहे हैं। इस तरह से आप अपने ही घर में घाटा दे रहे हैं।

चूंकि समय नहीं है इसलिए इस ओर अधिक नहीं कह कर यहीं पर इसको समाप्त करता हूं।

श्री आलम अली : सब को टाइम दिया। मुझे भी दीजिये। मेरी तो एक ही पार्टी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल ने जो सूची दी उसमें आपका आज नाम नहीं आया है।

श्री आलम अली : मैं अकेला राजस्थानी में बोलवा वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब ही जानते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय की लिमिट लगा रखी है उसमें चलना बडा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। दूसरी बातों को भूमिका में बांट कर जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आपके द्वारा मुख्य मन्त्री के सामने पेश करना चाहूंगा।

छः सात साल तो मुझे हो गये मेम्बर बने हुए जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में चर्चा होती है उस समय एक ही मांग बराबर होती है कि यहां के किसानों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाय जिससे कि पिछडा हुआ प्रदेश कुछ आगे बढ सके। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो तीन दलीलें दी जाती हैं। पहली दलील यह होती है कि राजस्थान जब बना उस समय हमारी स्टेट की क्या हालत थी उस तरफ निगाह करें। दूसरी बात यह कहा जाता है कि यहां की भौगोलिक स्थिति का ध्यान में रख कर यहां हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर को, सहूलियतें आसानी से नहीं हो सकता है और तीसरी बात यह कही जाती है कि फाइनन्शियल कन्डीशन यहां की ठीक नहीं है।

इन बातों में तथ्य है और वजनदार तथ्य है। आज हम कोई भी बैलेन्स्ड

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

रेसपोन्सिबिलिटी और मीनिंगफुल विश्लेषण यहां पर बिजली का करना चाहें तो उन बातों की ओर देखना होगा लेकिन आज जो आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी के पास बात पेश करना चाहता हूं वह यह है कि इन सीमाओं के अन्दर क्या राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से डिस्चार्ज की है या नहीं यह काइटेरिया होना चाहिए और उसके बाद में मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यह छोटी सी सीमायें थीं जिनमें वे काम कर सकते थे उनके अन्दर भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अकर्मण्यता के कारण कुछ नहीं कर पाये हैं। समय कम है इसलिए कान्क्रीट उदाहरण देता हूं।

मण्डावर का कस्बा पांच हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पर थाना है, तहसील हैडक्वार्टर है और पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है। वहां पर पब्लिक ड्रिंकिंग सिस्टम के लिये टंकी बन चुकी है, डेढ दो साल से टंकी बन चुकी है और डेढ-दो साल से बिजली उस कस्बे में पहुँच चुकी है। एक चीज पहले वहां बन जाती है और दूसरी चीज नहीं होती है तो दिक्कत हो सकती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां दोनों चीजें होते हुए भी कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया? कनेक्शन का मसला यदि थोड़े आदमियों के पीने के पानी से ही सम्बन्धित होता तो मैं उसको विशेष महत्व नहीं देता लेकिन जिस बात को मैं महत्व देना चाहता हूं वह यह है कि देश के सामने जो बडी समस्या है वह क्राइसिस ओफ कान्फिडेन्स है। आज गवर्नमेन्ट और जनता एक दूसरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकती। आज गवर्नमेन्ट लम्बी चौडी तकरीर करती है, उसके पास सब तरह के इन्सट्रमैन्ट हैं पब्लिकसिटी वगैरा के लेकिन फिर भी वह अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा सकती। इस स्थिति के लिये जिम्मेदारी ऐसी चीजों से आती है जहां दो साल से पानी की टंकी बनी हुई है, जहां पर दो साल से बिजली पहुंच चुकी है फिर किस हवाले से एक्सप्लेनेशन दे पायेंगे। अलवर जिले में बानसूर है वहां से विरोधी दल के माननीय सदस्य आये हैं, वहां पर भी टंकी बनी हुई है लेकिन बिजली नहीं दी गयी। जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वहां सरकार को वास्तव में ध्यान देना चाहिए। ज्यादा लम्बी-चौडी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है फिर भी एक दो अहम सवाल हैं। माननीय उप मन्त्रीजी बैठे हैं और माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी सदन में हैं।

यह सवाल मेरे लिये थोडा दुख और वेदना का सवाल है। सन् 1965 में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने केश प्रोग्राम के अन्तर्गत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये कुछ रकम भेजी। कुछ ग्रान्ट दी। मैं इसको फिर दोहराना चाहूंगा कि यह रकम जो भी दी गयी इनके डिस्क्रेशन पर खर्च करने के लिये नहीं दी गयी थी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिये केश प्रोग्राम के लिये दी गयी। उसका मतलब यह हुआ कि विदइन एफ्यू मन्थ्स, टाइम लिमिट थी उस काम को उसमें पूरा करना चाहिये था। दस मील का टुकडा था। 1965 में यह स्कीम ली गयी। मुख्य मंत्रीजी का और आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके रिकार्ड के अन्दर 1966 में यह लिखा हुआ है कि वह लाइन कम्पलीट हो गयी और जहां तक मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट ऑफ

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
इन्डिया को भी यह इन्फोर्मेशन भेजी होगी कि आपने जो कैश प्रोग्राम में रुपया भेजा उस रुपये को इस्तेमाल किया और जिस प्रोजक्ट में भेजा उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। वास्तविक स्थिति यह है कि दस मील की बात छोड़िये पांच छ: मील में भी एक भी खम्भा कभी भी नहीं गाडा गया। जिस स्कीम के लिये आप ग्रोनर वाउन्ड थे, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत एक किसी चीज के लिये पैसा दिया था जिसके लिये और कोई मजबूरियां प्रकट कर सकते थे लेकिन रिकार्ड में यह लिखा हुआ है कि 1966 में वह चीज कम्पलीट कर दी गयी। आज मैं यहां बताना चाहता हूं कि दस मील तक आज तक एक भी खम्भा नहीं गाडा गया। तार खींचने का तो सवाल ही नहीं और पावर जाने का भी सवाल ही नहीं। यह तो एक मोरल फ्राड सा ही है। आज अकाल की स्थिति में यहां खडे हुए हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से करोडों रुपयों की उम्मीद कर रहे हैं·····

श्री भीमदिग्विजय सिंह : एक घंटे के लिये समय बढाया वह पूरा हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अगर हमारे नाम से गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के सामने इस छोटी सी चीज को लेकर ही कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिये रुपया दिया उसमें एक भी रुपया खर्च न हो और उसके नाम से और कहीं खर्च हो जाय और उस रकम से वहां पर एक तार का खम्भा भी नहीं गड़े तो यह बड़ अफसोस की बात है····

(6 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय आध घन्टे के लिये और बढाया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहूंगा कि इस प्रोजक्ट को लेकर लोगों ने मोटरें खरीद डालीं। क्योंकि यह कैश प्रोग्राम था। लोगों ने छोटी छोटी मशीनें, मोटरें लीं। लेकिन आज तक व चली नहीं। बेकार पडी हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। किन्तु जनता के सामने आपका वायदा है। जो कमियां हैं भारतवर्ष की, उनके बारे में हमें गहराई से सोचना चाहिए। जनता और गवर्नमेन्ट के बीच में कान्फीडेंस की एक खायी है। मुख्य मंत्री जी शायद इसका जवाब न दे सकें, किन्तु गवर्नमेन्ट अन्डर बाउण्ड है कि इस स्कीम को अक्टूबर के पहले पहले खतम करें इसलिए आप क्लियर आश्वासन दें कि जिन लोगों ने मोटरें खरीद ली हैं, वे उनको काम में ले सकेंगे।

श्री ...वणलाल : उपाध्यक्ष महोदय एक मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री ...सिं (मकराना) :

क्यों देते हो मंत्री महोदय,
ये बिजली के झटके।
विद्युत में स्थिरता लाओ,
फिर दिखाओ झटके॥
जैसी है सरकार आपकी,
वैसी बिजली चलती।
धिमी क्यों रफतार पडी है,
कभी रुकती कभी जलती॥
भानु में स्वीकार करोगे,
अपनी सारी गलती॥

(श्री विजयसिंह)

लगनशील नहीं अधिकारी ,
ऐसी बात अखरती । ।
मकराने को आप निहारो,
लाकर खम्भे पटकें ।
क्यों देते हो मंत्री महोदय,
ये बिजली के झटके । ।

है राजस्थान का नाम कमाना,
तो मकराने को सफल बनाओ।
दुनियां को मालूम पडेगा ,
संगमरमर को अपनाओ । ।
छोटा है ट्रान्सफारमर आपका,
लेने वाले बहुत पडे हैं ।
दफ्तर नहीं चलता है वहां पर ,
विद्युत्तीकरण में क्या रगडे हैं ।
मकराने को चमन बनाओ,
नहीं चाहिए लटके झटके ।
क्यों देते हो मंत्री महोदय,
ये बिजली के झटके ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने यहां की बिजली के संबंध में तारीख 24 को एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ।

श्री श्रवणलाल : जिसके संबंध में स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं मिला है । मेरा नम्र निवेदन है कि पांच मिनिट में मुझे अपना निराकरण करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट में कह दीजिए ।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ······

एक माननीय सदस्य : औरों को भी समय देना होगा ।

श्री श्रवणलाल : मैं पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जिस आशा को लेकर हमारा जिला भी मंत्री महोदय से यह आशा करता था कि चम्बल और कोटा की बिजली नजदीक होने के कारण हमारे जिले को बिजली सुविधा से उपलब्ध हो सकेगी लेकिन दुःख के साथ कहना पडता है कि ग्राम खेडा में सब-स्टेशन होते हुए भी वहां से दूर ग्रामवासियों को बिजली दे दी जाती है । जिस गांव ने वहां पर जमीन दी, वहां की जनता से जो सहयोग विभाग को दिये जान के लिये मांगा गया, वहां की जनता ने वह सब दिया । किन्तु उस ग्राम के लिये, कुओं के लिये बिजली नहीं दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय जब समय आता है, चुनाव का, वोटों का, तो ये मंत्री महोदय वहां जाकर बिजली की लाइन डाल जाते हैं। मैं उदाहरण दूं महूवा से एक लाइन संगेटी व टोडाभीम से पाडोली बिजली की लाइन के खम्भे जाकर गाडे । आज उनका क्या हुआ ? इस प्रकार आपने वहां की जनता को धोखा देकर वोट प्राप्त किये। वहां के किसान बिजली की मांग करते हैं किन्तु कनेक्शन नहीं मिलते हैं। अधिकारी को खुश नहीं करते हैं, रिश्वत नहीं देते, रिश्वत देकर खुश नहीं करते हैं तब तक वहां के किसानों को बजली उपलब्ध नहीं होती है । इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि बिजली किसानों को रात के समय दी जाती है ।

श्री शिवचरणसिंह (उप मंत्री) : यह मेरे खेत की बात है । मैं निवेदन कर दूं कि वहां बिजली की लाइन गयी हुई है ।

Page No. 164

श्री श्रवणलाल : आपकी बात गलत है। यदि यह गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। वरना आप इस्तीफा दे दें।

श्री शिवचरणसिंह ' पाडोली और संगेटी लाइन गयी हुई है, वह वहां है।

श्री श्रवणलाल : मैं चेलेन्ज करता हूं। आप मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करें। या तो ये इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा दे दूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, विद्युत् विभाग में खरीद-फरोख्त के, चोरी के कई मामले हैं। हमारे जिले में गंगापुर में कई केसेज पकडे गये हैं। उनका क्या हुआ। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? उपाध्यक्ष जी, हमारी जिला परिषद् की जो बैठक हुई थी और जो झगडा वहां हुआ था, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे उपमंत्रीजी, जो अभी यहां पर उछल रहे थे, वे भी उसमें मौजूद थे। मैं पूछता हूं उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ ? क्या कार्यवाही की गयी ? जिला परिषद् में आरोप लगाया था। जो चीफ इन्जीनियर महोदय थे, उन्होंने इस आरोप को स्वीकार किया था। आरोप लगाया था करप्शन, भ्रष्टाचार का। बिजली विभाग के अन्दर यह सत्य है इसको, इस बात को स्वीकार किया है। उप मंत्रीजी मौजूद थे। लोकसभा के सदस्य, राजस्थान विधान सभा के सदस्य मौजूद थे। जो कार्यवाही हुई, उसके कुछ अंश पढकर सुनाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय चार्ज लगाया था। बिजली विभाग भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है। वामनवास पंचायत समिति व अन्य पंचायत समितियों में जो कनेक्शन दिये जाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। जब तक कोई घूस नहीं देता है तब तक कनेक्शन नहीं लगता है। यह विवाद खडा हुआ। बिजली विभाग भ्रष्टाचार की पराकाष्टा पर पहुंच गया है। सहायक अभियन्ता बिजली विभाग ने स्वीकार किया कि यह बात सही है। इस अभियन्ता ने यह बात सही मानी है। सभी सदस्यों ने रोष प्रकट किया कि बिजली विभाग का एक अधिकारी सदन के समक्ष जिसमें राज्य सरकार के उप मंत्री, लोक सभा तथा विधान सभा के सदस्य उपस्थित थे, इस तरह से कहे। भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं। यह बिजली विभाग तथा सरकार दोनों के लिये बडी ही शर्म की बात है। इसकी जांच शीघ्र करवाई जाते तथा सरकार के नोटिस में भी यह बात लाई जावे कि सदन के समक्ष बिजली विभाग के अधिकारी ने बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अत: इसकी शीघ्रातिशीघ्र जांच कराने के लिये राज्य सरकार तक पहुंचा दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां पर तारीख 23-7-68 को जिला परिषद् की बैठक हुई थी, उसकी कार्यवाही है। उप मन्त्री महोदय जो यहां अभी उछल रहे थे, इस मीटिंग में मौजूद थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया। इस प्रकार बिजली विभाग में भ्रष्टाचार होता है। यह किसी भी कीमत परमिट नहीं सकता इस राजस्थान की सरकार द्वारा···

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य ने प्रोसीडिंग्ज में से पढा है। वहां यह भी बात तय हुई थी कि जिन महानुभावों को शिकायत है लिखकर दें। लेकिन किसी ने लिखकर शिकायत नहीं दी फिर भी सम्बन्धित लोगों की शिकायत पर जांच करवायी है।

Page No. 165

श्री मक्खनलाल : दुनियां भर को कनेक्शन मिल रहे हैं बिना रिश्वत लिये दिये किसी को भी कनेक्शन नहीं मिलता। आज हालत यह है कि अगर ठेले में पोल पहुंचाने होते हैं तो ठेकेदार को जब तक कुछ नहीं मिलता वह ले जाता नहीं। इसी तरह से लाइनर की जेब गरम नहीं होती तब तक वह लाइन डालता नहीं। उसके बाद खम्भा गाडने वाले के पास कुछ नहीं पहुंचता तब तक वह पोल लगाता नहीं। यह हालत है इस विभाग की।

श्री देवीदत्त शर्मा : जैसी कि उप मंत्री जी ने बात कही कि किसी भी माननीय सदस्य ने लिखकर नहीं दिया। जिला परिषद् की मीटिंग में जो बात आती है और आपकी उपस्थिति में तो आपने क्या किया? क्या आपने सरकार को लिखा विभाग को लिखा कि जिला परिषद् में यह आरोप लगाये गये?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कल से सदन में विद्युत् मण्डल के बजट के संबंध में वाद-विवाद चल रहा है उस बारे में माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत से सुझाव और कुछ कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है राजस्थान में विद्युतिकरण का प्रश्न है एक प्रकार से पिछले 15 वर्षों के अन्दर विद्युतिकरण का काम शुरू हुआ। उसके बाद जो रूपरेखायें बनाई गई उसमें यह सही बात है कि जो हम आशा करते थे इन योजनाओं के जरिये किस वर्ष में कितना उत्पादन होगा इसमें भी अन्तर आया है। विशेष तौर पर गांधी सागर से जिस प्रकार के परफोर्मेंस की आशा करते थे उसमें पिछले तीन चार वर्षों में काफी परेशानियां रही हैं। प्रताप सागर डेम में समय ज्यादा लगा मैं इस बात को मानता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा भाखरा से जितनी बिजली का शेयर ले सकते थे 220 किलोवाट की लाइन न होने से शेयर नहीं ले पाये और न प्रयत्न किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो आज कमियां नजर आती हैं उसके दो मूल कारण हैं। एक तरफ बिजली का उत्पादन करके दूसरी तरफ ट्रान्समिशन सिस्टम में जितना खर्चा किया जाना चाहिये, 220 किलो वाट 132 या 66 के.वी. लाइन में और ज्यादा ट्रान्सफार्मर की केपेसिटी की कमी की वजह से परेशानियां सामने आती हैं। इसको दूर करने के लिये बोर्ड की तरफ से लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन्टरप्शन, वाल्टेज ड्राप करने के बारे में बातें उठाई गई। मैं इस बात को इन्कार नहीं करता कि वाल्टेज का ड्रोप नहीं होता या इन्टरप्शन की बात नहीं होती यह होती है इसके पीछे टेक्निकल प्लान्ट्स की केपेसिटी की वजह से रही है। हमारे टेक्निकल मेम्बर और चीफ इन्जीनियर ने दूसरों को इस बात पर जोर दिया जल्दी से जल्दी इन्टरप्शन की वजह से किसानों की मोटरें कारखानेदारों की मशीनों पर असर पड़ता है। इन्टरप्शन्स से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोस आफ रेवन्यू भी होता है। उसके लिये तत्परता से जो कुछ कदम हो सकता था उसको उठाने के बारे में सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जिक्र किया गया ... के कोयले के बारे में थर्मल पावर ... लिगनाइट के जरिये प्रायोरिटी

Page No. 166

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

दी जानी चाहिये। उससे खास तौर से बीकानेर जोधपुर रीजन को ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा पलाना के डिपोजिट्स के जरिये बिजली का उत्पादन क्षमता के बारे में रशियन एक्सपर्ट्स के जरिये हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी है। ओपन कास्ट माइनिंग की जाय इसके बारे में काफी मतभेद चलता है। आज उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस प्रश्न पर सोच रहे हैं तो हमारे सामने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखकर चलना होगा आज जो योजनायें चल रही हैं उसमें फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार से करें। आज हमारे सामने भाखरा डेम का परफोर्मेंस का जहां तक सवाल है कुल मिलाकर ठीक रहा है।

गांधी सागर में काफी पेचीदगियां खडी हुई हैं। गांधी सागर की पेचीदगियां के कारण सतपुडा थरमल पावर जनरेट करने के लिये किया गया। सारा सिस्टम का आधार ही उस पर टिका हुआ है वहीं से पावर की शुरूआत की गई है।

जो कोटा के पास में राणा प्रतापसागर के पास एटोमिक पावर स्टेशन बना है उसके बारे में पं. जवाहरलाल नेहरू के समय से बातचीत हुई कि राजस्थान के पास ऐसे कोई कोल के डिपोजिट्स नहीं न लिगनाइट के बारे में इतने डिपोजिट्स हैं जिससे जो योजनायें हमारे सामने आती हैं 30 हजार किलोवाट के सेटस लगे इस प्रकार की योजनायें सामने आती हैं। राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए कुल जो लिगनाइट के डिपोजिट हैं यह हमारे सामने नहीं है इसलिये एटोमिक पावर एक स्टेशनरी पावर देने का सिस्टम है इसको एडोप्ट करने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद 20 मेघावाट के सेटस लगाये जा रहे हैं सौभाग्य की बात है कि कई स्टेट्स में पावर सेक्टर चाहे थरमल हो या हाइडल पूरा इन्वेस्टमेन्ट खुद को करना पडा है। राजस्थान में एटोमिक पावर जनरेट होगा उसमें सौ करोड का इनवेस्टमेन्ट है जो पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है उनसे पावर परचेज करेंगे। इसका केपीटल इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान की प्लान में नहीं आयगा। जो आज एटोमिक पावर जनरेशन हजार हजार किलोवाट स्टेशन बनाने का लगा है। राजस्थान में लिगनाइट के जरिये फोर्थ प्लान में इस बात का प्रयत्न करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा है थरमल स्टेशन तो चाहते हैं फर्म केपेसिटी पावर की बढे।

लेकिन वह थर्मल स्टेशन लिगनाइट के जरिये चीपर होगा या और जगह कोल इम्पोर्ट करके अपना थर्मल स्टेशन रक्खें उसकी कास्ट आफ जनरेशन कम होगी इसको भी लक्ष्य में रक्खा जावे।

साथ साथ यह भी बोर्ड को हमने कहा है कि वह एग्जामिन करे कि हमें भाखरा पौंग डेम और व्यास रिवर के दोनों प्रोजेक्टों की स्टेज वन और टू से जो पावर जनरेट होगी उसको लाना होगा राजस्थान के अन्दर उसको लाने के लिए हमें 220 की लाइन से बीकानेर डिवीजन पर किस पोइन्ट पर लावें और बीकानेर जयपुर की लाइन से लिंक करें तो वह चीपर होगी या कोल बाहर से इम्पोर्ट करके लावें और नीयरेस्ट जहां ट्रान्सपोर्ट कम से कम लगे वहां स्टेशन इन्स्टाल करके जनरेट करें वह चीपर होगी या लिगनाइट से जनरेट करें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वह चीपर होगी। इसको भी इग्जामिन करने के लिए हमने कहा है। इन सारी बातों को एग्जामिन करना होगा। इसलिए कि लिगनाइट के प्रोजेक्ट में एक बात हमें समझकर चलना होगा कि पावर हाउस के अलावा हमें लिगनाइट के माइनिंग के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा।

हमारी कैपेसिटी फोर्थ प्लान की कितनी है, यह भी हमें देखना होगा। माही प्रोजेक्ट से हाइडल और मिल सके इसकी योजना है। यह भी सुझाव है आने वाले समय में कमर्शियल जैसलमेर में और दूसरे साइड में गैस भी हमें मिल जाय तो नया स्कोप थर्मल का आ सकेगा। ये सब मैथड हो सकते हैं और अण्डर इनवेस्टिगेशन हैं और भी आगे कार्यवाही करना चाहते हैं। पर जैसा मैंने निवेदन किया, आज दर असल हमारे सिस्टम पर पिछले अर्से में एक तरफ पावर का जनरेशन कम हो गया। अलग अलग लाइन्स पर लोड बढ़ गया और इससे टिपिंग शुरू हो गया। नये जनरेटिंग सेट शुरू हुए चाहे सतपुडा का था या प्रताप सागर का था इनके स्टेबिलाइजेशन में भी दिक्कत आई।

इन सब चीजों को ठीक करने के बारे में स्टेप पहले से लिये गये। आगे भी लेंगे आज हम जानते हैं कि जोधपुर में पावर की डिफिकल्टी है पाली में है, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो हम आज प्लान करके चल रहे हैं उसके मुताबिक 69 में पाली को 132 के. बी. लाइन से चम्बल सिस्टम से जोड देंगे इससे पाली के साथ जोधपुर जुडा है। पाली जोधपुर को पावर अवेलेबल हो सकता है। मैंने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों से बात की है जो 132 की लाइन दे बारी से सिरोही को जोडना चाहते हैं और इस तरह एक दूसरे जंकशन से पाली के लोड को जोधपुर के लोड से अलग कर दें। पाली जोधपुर की लाइन पर ज्यादा वजन न पडे और जोधपुर ज्यादा लोडेड न हो इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। यह भी हमारे सामने है।

भरतपुर में डिफिकल्टी है। अलवर में भी है। इस लिहाज से जो अलवर को हाइडल से जोडा गया है मार्च 69 तक भरतपुर को भी चम्बल की ग्रिड सिस्टम से जोड देना चाहते हैं जिससे भरतपुर की भी डिफिकल्टी कम कर सके।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो 220 के. बी. की लाइन खेतडी से हिसार तक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं मार्च 69 तक उस लाइन को ले आवें तो इसके बाद जो आज डिफिकल्टी खेतडी, झुंझुनू, सीकर और दूसरे आसपास के इलाकों में आ रही है उसको रिलीव कर सकेंगे।

पर इसके साथ साथ कूप सिस्टम में आगमेन्टेशन करना पडेगा और इसको करने के अन्दर कुछ समय लगेगा।

राजस्थान में पिछडे वर्षों में चाहे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन था, चाहे, इन्डस्ट्रियल लाइन का सवाल था काफी तेजी के साथ फैलाव हुआ। तेजी के माने यह नहीं कि हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेटों के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जितना हो गया हो। पर हमारा सिस्टम जितना बीयर कर सकता था उसके मुकाबले में एक्सपेन्शन ज्यादा हुआ इससे ज्यादा जगह दिक्कत आई। उनको दूर करने के लिए जैसा मैंने निवदन किया हम प्रयत्नशील हैं कि उनको दूर करें और उसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया, धीरे धीरे हालत में फर्क पडा है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

इस साल सौभाग्य से गांधीसागर में 1294 का लेवल अब तक पहुंच चुका है और उम्मीद थी कि अगस्त सितम्बर में और बढोतरी होगी। पर दुर्भाग्य से अब तक जो स्थिति रही है उससे वह आगे नहीं बढ पाई है। फिर भी पिछले साल के मुकाबले में वाटर लेवल ज्यादा है। हम इस बात को ध्यान में रखकर चलना चाहते हैं कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर 1241142 तक पहुंच गया था वह 1260 के आसपास ही जाने पावे जिससे अगले वर्ष भी अगर पानी की दिक्कत हो तो भी स्टेण्डर्ड को मेन्टेन किया जा सके। एक दम ऐसा भी न हो कि आज एक वर्ष में ज्यादा कन्जूम कर दें और दूसरे में उसको मेन्टेन करने में भी कसर रह जाय तो दिक्कत आवे। साथ ही हाइडल में जो जनरेट कर सकते हैं उसका इरिगेशन के साथ लिंकिंग हो इसलिए इस फेक्टर को भी सामने रखना होगा। अन्ततोगत्वा तो बेस्ट सिस्टम वही हो सकता है हाइडल पावर पीकवर में यूज किया जावे फर्म पावर की कैपेसिटी को बढाने के लिये। बाकी थर्मल और एटोमिक पावर के जरिये अपने सिस्टम को ठीक करें। पर इसको करने के लिये 73-74 में 400 मेगावाट पावर एटोमिक स्टेशन से आवेगा वह पूरा आने लगेगा 73.74 की डहर की स्कीम से 20 मेगावाट। इसके बाद पौंग डेम और बान्धों से पावर आवेगा तो कैपेसिटी ज्यादा ठीक होगी।

पर राजस्थान में थर्मल पावर के बडे यूनिट हों यह अत्यन्त आवश्यक है। उन आधारों पर भी कि जो पिछला अनुभव हमारा रहा है। आज थर्मल सतपुडा गांधीसागर मध्य प्रदेश में है पर इस के बाद प्रताप सागर राजस्थान में है, कोटा स्कीम हमारे एरिया में है जहां तक चम्बल पावर का सवाल है इरिगेटेड सिस्टम हो गया है जिसमें कुछ वर्षा हो तो दिक्कत की बात नहीं रहती है, पर थर्मल के सोर्सेज भी राजस्थान में रहें यह आवश्यक है। इसके अलावा मैं जब कभी डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंगें होती है तो उन में से भी उन लोगों में हूं जो यह मानकर चलते हैं कि देश के लिये यह जरूरी है कि केवल एक ग्रिड सिस्टम सारे देश का हो। एक स्टेट का अलग ग्रिड सिस्टम रखकर हम काम अच्छी तरह नहीं चला सकते। इसकी सख्त आवश्यकता है। रीजनल ग्रिड सिस्टम होने चाहिये जिसके अन्दर जैसे यू. पी. है, दिल्ली है, राजस्थान दूसरी स्टेट आसपास की हैं वे एक ग्रिड में आनी चाहिए और इन्टर स्टेट ग्रिड सिस्टम एक दूसरे से जोड दिये जाने चाहिये इसके पीछे जो खर्चा हो वह केन्द्रीय सरकार के जरिये किया जाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान एक सिस्टम में आ जाय। इससे जनरेटिंग सिस्टम जो स्टेण्ड बाई के तौर पर आइडल रहता है वह डुअल कपेसिटी का पार्ट बन जावे। तो यह विचार आल इण्डिया लेवल पर भी चल रहा है यहां तक कि रीजनल ग्रिड सिस्टम के लिये तो कमेटी भी एस्टेब्लिश की गई थी। आगे मैं समझता हूं कि फोर्थ प्लान के डिसक्सन के वक्त इसको और देखेंगे।

यह निवेदन इसलिये किया कि आज यह चर्चा होती है कि इन्डस्ट्रीज को कन्सेशन दिया और दूसरों को कन्सेशन क्यों नहीं। मैं इस वाद विवाद में पडे बिना इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक ही तरीका है जो जनरेशन एक्सपेक्ट करते थे भाखरा चम्बल, प्रताप सागर और सारे

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

सिस्टमों के जनरेशन से तो उसके हिसाब से पावर हमारे पास सरप्लस रह जाता। आज शार्टेज है इसलिये कि गांधी सागर में पावर जितना जनरेट करना चाहिये था पिछला परफोर्मेन्सेज के कारणों से नहीं कर सके, और जिसका अन्दाज चार पांच साल पहले करके भी नहीं चल सकते थे कि आगे ये परफोर्मेन्सेज भी आ सकते हैं तो राजस्थान में फिर उस समय इन्स्ट्रियलाइजेशन की शुरूआत भी थी। राजस्थान में पावर की अवेलेबिलिटी ठीक हो तो राजस्थान में काफी इन्स्ट्रियलिस्ट इन्डस्ट्रीज लगाने के लिये सामने आ सकते हैं। इस लिये हमारे एफटर्स होंगे कि राजस्थान के पावर की क्वालिटी भी इम्प्रूव करें, क्वालिटी से मेरा मतलब इन्टरप्शन न हो, लो वोल्टेज के फाल्ट्स न रहें दूर किये जावें ये और इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर परपज के लिये ज्यादा से ज्यादा ठीक तरह से बिजली उपलब्ध हो सके, प्रयत्न यह करके चलें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फंक्शन कर रहा है उसके अन्दर हम आज से करीब दो साल पहले यह मानकर चलते थे कि हमें जो एटोमिक पावर मिलेगा उससे सस्ती बिजली मिलेगी। इन्टर नेशनल पोवर की रेट के लिहाज से तीन साढे तीन नये पैसे के हिसाब से राजस्थान को बिजली उपलब्ध होगी लेकिन वह नहीं हो पाई। हमारे सामने इन्डस्ट्रियल लोन के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिये जो रि ं होना चाहिए उतना हुआ है। इसमें कई पेचीदगियां खडी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस बात पर विचा कर रहा है और उसके यह खयाल कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुये वोल्टेज बढ गया है। कुछ अर्से के अन्दर ·······

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय आधे घंटे क लिय और बढाया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां तक इन्डस्ट्रियल रेट का हिसाब है उसको रिवाइज करना पडेगा और उस में बढ़तरी करनी पडेगी। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी जानता हूं कि राजस्थान में लाइट, फैन्स और रेडियो के लिये बिजली हिन्दुस्तान में शायद सबसे महंगी है। इसलिए अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह सहमती प्रकट की है कि तीन पैसे का इसके अन्दर रिडक्शन कर दिया जायगा और वह 1 अक्टूबर, 1968 से राजस्थान में लागू हो जायगा। कुछ स्थानों में उपाध्यक्ष जी बिजली की कमी की वजह से नहीं लेकिन बिजली की कैपेसिटी पूरी नहीं होने से हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। पांच हजार का एक्सट्रा पावर लगाने के बाद यह फैसला किया है कि दिन रात को चाहे जब इन्डस्ट्री वाले उस पावर को ड्रा कर सकते हैं। आज उस पावर को ड्रा करने पर जो ओवर लोडेड का सवाल है, वह नहीं रहेगा। वहां के डीजल को हम आगमेंट करके चल रहे हैं। पाली में हम 69 तक अलवर और भरतपुर में भी कुछ दिक्कतें हैं··········

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर का भी नाम आना चाहिए साहब।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसको भी हम धीरे धीरे दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। सिरोही और जालोर में 132 के. वी. लाइन

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

जोडी जा रही है। उसी दृष्टि से जालोर सिरोही में इरिगेशन की काफी पोटेन्शियलिटी है उसका एडवान्टेज उठाया जा सके उस काम को भी हम इसी वर्ष चालू करने वाले हैं। पहले हमारा खयाल था कि इस क्षेत्र को गुजरात से बिजली दी जाय लेकिन उसमें लम्बे समय का कमिटमेन्ट नहीं था बल्कि यह सवाल भी था कि रात को देंगे, पीक आवर में नहीं देंगे और एक दो साल में पावर आना बन्द हो जायगा तो हमारा केपीटल इन्वेस्टमेन्ट बन्द हो जायगा इसलिये कोई स्थाई हल निकल जाय उस दृष्टि से यह काम किया जा रहा है।

फलोदी और जसलमेर क्षेत्र में पीने के पानी के बारे में इस सदन में चर्चाएं आती रही हैं। हमने इस बात का फैसला किया है कि इसको चम्बल ग्रिड से जोडा जाय और वहां से बिजली की संभावना बाडमेर, फलौदी को देने का विचार चल रहा है"

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बीकानेर को भी मिलनी चाहिए साहब।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। 500 सेट्स के लिये और ऑर्डर दे रखा है ताकि एडीक्वेट सेट्स लग जायें। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि अलग अलग जगह जो भाखरा और चम्बल से जोडा हुआ नहीं है डीजल सेट्स को हटा कर उससे जोडें। कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर आबादी भी है, कुछ कुए भी हैं लेकिन बिजली उन तहसीलों में नहीं मिलती उन सेट्स को हटाकर उस जगह पहुंचायें।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के संबंध में यहां पर काफी चर्चायें हुई स्वाभाविक भी है कि हम 12 नये पैसे उनसे चार्ज करते हैं। यह ज्यादती है कि एक से ज्यादा चार्ज करते हैं और दूसरों से कम चार्ज करते हैं। नेगोशियेशन से यह टेरिफ तय किया गया था। इसका समय समाप्त होगा तो रूरल इलेक्ट्रिफिकशन में जो उचित कदम होगा वह करेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आपके जरिये यह निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष जी, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अब तक राजस्थान में किया गया है जिसको अपन कम समझ कर चलते हैं उसमें 90 लाख रुपये का डेफिसिट है। आज 12 नये पैसे लोडफेक्टर है और दूसरे सरकमस्टान्सेज होते हैं कन्टीनुअस लोड के मुकाबले उसमें हमेशा फर्क रहेगा। एक का कम समय में होता है, एक का ज्यादा समय में होता है यह फर्क पडता है हम उस प्रोग्राम को कृषि की पैदावार की दृष्टि से पीछे नहीं चलाना चाहते हैं। हमारे पास फाईनेन्सेस की कमी रही है उसके बारे में एल. आई. सी. को मूव किया है और एक करोड रुपया एल. आई. सी. के जरिये प्राप्त हुआ है। उसको आगे काम में लाया जाय। मैं, उपाध्यक्ष जी इस बात के लिये भी प्रयत्नशील हूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की योजनाओं को ज्यादा बडे पैमाने पर लिया जाय। डिबेन्चर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड की कैपेसिटि को बढाना चाहते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड को घाटा होता है। मैंने उनसे कहा है कि इस बारे में प्रावधान करेंगे कि जो गवर्मेन्ट को लोन मिलता है दूसरी फाइनेन्स एजन्सी के जरिये एक-आध का फर्क पडता होगा उस एक्सटेन्ट तक गवर्मेन्ट सब्सीडाईज कर देगी लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हाथ में लिया जाना चाहिए।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अगर हमें साधन मिल सके तो उसका प्रयास करना ह । माननीय उपाध्यक्ष जी इन सब के लिये जहां हम प्रयत्न करना चाहत है वहां एक बात मानकर चलें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, इसका प्रश्न नहीं है । मैं जानता हूं कि गांव गांव में इसकी मांग है और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए काफी इधर-उधर से खींचतान करके इस वर्ष यह तय किया है कि 11 क. वी. लाइन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये खींची जायगी । इस वर्ष 1000 माइल का प्रोग्राम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और साथ में शुरू कर दिया जायगा इस तरह 1300-1400 का प्लान करक अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये इस आधार को लेकर हम चलना चाहते हैं । इसके साथ में आपके जरिये माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसे योजना को लागू करना चाहते हैं वहां बिजली नजदीक नहीं पहुंच सकी है और जहां पर दो-तीन माइल में काफी कुए हैं उनको प्रायोरिटीज देना होगा कुछ इलाके ऐसे हैं जो दूर हैं उसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये उन गांवों के लिए पंचायत समितियों से मिल जुलकर वहां की लाइन में जितना खर्च होता है अगर 50 पर्सेन्ट डिपोजिट के तौर पर वहां के लोग मिल कर दें तो बिजली पहुंचने में बडी आसानी होगी 5 साल बाद उनको 25 पर्सेन्ट रिटर्न करना शुरू कर देंगे । फरदर पार्टिसिपेशन से जहां ऐसी सम्भावना है तो उस सम्भावना को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, लेबर के बारे में प्रस्ताव उठाये गये । राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के जरिये लेबर पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है

मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष जी कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिन्दुस्तान के उन पहले बोर्ड्स में से है जो ज्वाइन्ट मेनेजमेन्ट कौंसिल को स्वीकर करके चला है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिन्दुस्तान के शायद उन दो या तीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में से है जिसने कम्पलसरी बोनस को माना है और वहां की लेबर को कम्पलसरी बोनस दिया जा रहा है और शायद दूसरे बोर्ड्स होंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता यह हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन बोर्ड्स म से है जहां डी. ए. के साथ लिंकिंग करने के फार्मूले को लेकर चले हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो पहले वेज बोर्ड ने सिफारिश की उस वेज बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक शायद 20 रुपया मैक्सिमम देना पडता उसके मुकाबले में आज कहीं ज्यादा लोगों को प्राप्त हुआ है । जिस फार्मूला को हमने एडाप्ट किया है उससे आज कहीं फिक्सेशन के या दूसरे छोटेमोटे मामले हैं उनकी तरफ भी बोर्ड सतर्कता के साथ काम कर रहा है । जहां एक्सीडेन्ट्स और दूसरे सवालों के बारे में जिक्र किया गया है एक्सीडेन्ट के लिए कई श्रेणी के कम्पन्सेशन के मामले तो ई. एस. आइ. डील करता है और कुछ एक्सीडेन्ट्स के कम्पन्सेशन के मामले बोर्ड डील करता है और मुझे बताया गया है कि 40,000 रु. पिछले वर्ष ही इसके अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा दिये गये हैं और बाकी जो केसेज ई. एस. आई. के जरिये डील किये गये उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा एस.ई. की लेवल पर जो केसेज डिसाइड हुए हैं और जिनमें कम्पन्सेशन मिला

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

है उसके भी आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं और वे अलग से हैं। जो ज्वाइन्ट मेनेजमेन्ट कौंसिल है उसके लिए लेबर वैलफेयर के लिए करीब करीब इस वर्ष में 6-7 लाख रुपये लेबर वैलफेयर के कन्ट्रोल के लिए उनके हाथ में देकर चले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी इस अकाल के मौके पर जो बिजली की बात आई इसके लिए तो मुझे क्षमा करेंगे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि रेगिस्तान से लडने के लिए बिजली की आवश्यकता है। मैं उनसे क्षमा याचनन करूंगा कि बिजली रेगिस्तान के साथ तो नहीं लड सकती लेकिन जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जहां काफी जगह पानी पडा हुआ है वहां से पानी निकालकर के जो बाहर खेत है खेती के लिये पानी उपलब्ध कर सकें तो हम चाहेंगे कि अपनी तरफ से कुछ कर सकें और भारत सरकार के सामन भी एक फेज प्रोग्राम के तौर पर उनके सामने रख कर विशेष अनुदान की मांग करें कि जिस से इस योजना को चाहे वह बांसवाडा जिले की हो, बाडमेर की हो, चाहे भीलवाडा की हो उन जगहों पर जहां काफी 5-5 सौ बीघा इर्रीगेशन हो सकती है उसके बारे में हम विचार करके चलना चाहते हैं जिससे उसका लाभ उठाया जा सके।

यहां माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहा गया कि जहां वाटर वर्क्स है वहां बिजली नहीं पहुंची और उसकी वजह से नल कूप चालू नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले हमने यह फैसला किया है कि जहां भी पम्पिंग स्टेशन लगे हुए होंगे अगर एक मील का डिस्टेन्स होग हाउस से याने डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से तो वह लाइन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्री ड्रा करके देगा और अगर एक मील से ज्यादा होगी तो मैंने पब्लिक हैल्थ वालों से भी साथ बैठकर बात की है कि एक मील के बाद बाकी जितना फासला होगा वह एडीशनल कास्ट उनकी तरफ से लगाकर कनेक्शन्स लगवा लेंगे। इस बात की व्यवस्था वहां पर की गई है . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई: हमारा तो 1½ मील दूर है वाटर वर्क्स का।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: तो एक मील तक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले लाइन ड्रा करेंगे और बाकी की पब्लिक हैल्थ वाले करेंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: कुम्हेर में तो एक ही लठठा लगना है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैंने इसी लिए कहा ह कि एक मील के अन्दर अन्दर होगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ही खींचेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस बारे में भी काफी चर्चा सामने आई कि जहां किसी जगह बिजली पहुंच गई है कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार काफी होता है। इस बारे में सदन के बाहर भी और सदन में भी काफी चर्चायें उठाई गईं। जहां तक कि रजिस्टर मेन्टेन्ड करने का सवाल है 'फर्स्ट कम फर्स्ट' के तौर पर मुझे बताया गया है कि यह रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है लेकिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा है कि यही पर्याप्त नहीं होना चाहिए कि वह असिस्टेन्ट इन्जीनियर या किसी ऑफिस में ही वह रजिस्टर रहे। अव्वल तो वह नम्बर्ड हो, दूसरे उसके अलावा जो रजिस्टर के अन्दर महीने में दरख्वास्तें

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

आयें और जिस प्रायोरिटी के अन्दर आयें उसकी लिस्ट उस पंचायत समिति को भी भेज दी जायगी कि इस प्रायोरिटी के अन्दर एप्लीकेशन्स यहां आई हैं कि जिससे दोनों जगह वह लिस्ट रहे और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को भी फारवर्ड कर दी जायेगी।

दूसरी दिक्कत जो आती है वह 'एल' फार्म की आती है जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उसके मिलने में कहीं ऑफिसर और दूसरे ठेकेदार मिलकर डिले करते हैं। और एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि इस फार्म की एक जगह पर एक ही ठेकेदार की मोनापाली नहीं हो और एक अतिरिक्त से हो। उसके बजाय ज्यादा लोग लाइसेन्स वाले हों तो यह भ्रष्टाचार कम हो सकता है। तो इस पर भी ध्यान रखकर चला जायगा कि एक जूरिस्डिक्शन में एक लाइसेन्सी न होकर अगर ऐसी रुकावट आती है तो इसको हटा दिया जाये और ज्यादा लाइसेन्सी वाले हों और साथ ही। साथ जो इनकाम्पीटेन्ट हैं उनके लाइसेन्स कैंसिल करके इस बारे में कदम उठाया जायेगा और कहीं पर कोई शिकायत आपके भी नजर में आये तो इलेक्ट्रिसिटी इन्सपेक्टोरेट के स्टाफ को कहा जायेगा कि इमीडियेटली एक्शन लें। अगर कहीं आपके सामने इस प्रकार की बात आये तो आप भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और गवर्नमेन्ट को भी लिखकर भेज सकते हैं और कान्क्रीट और स्पेसिफिक एगजाम्पल के साथ बतायें कि वहां पर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नम्बर होते हुए भी उनको 'एल' फार्म की वजह से दिक्कत आ रही हैं तो एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं लिया जाता हो एसी बात नहीं है। कई लेवल पर ऑफिसर्स सस्पेन्ड हुए हैं, विजिलेन्स स्क्वेड बनाया गया है और कार्यवाही भी की गई है जिससे उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दिमाग उसकी तरफ भी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर इसका भी जिक्र किया गया कि जो पावर उनको मिलती है उसके मिलने में ब्रेक डाउन काफी होते हैं। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम कदम उठायेंगे लेकिन विशेष तौर पर इन महीनों में जब कि बाजरा और मक्का की फसल खडी है औरजिनके कनेक्शन्स मौजूद हैं उनको पावर की कमी की वजह से दिक्कत नहीं आये उसके लिए मैं भी चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन आने वाले महीने दो महीने में पूरे स्टाफ को लगाकर यह देखे कि किसी प्रकार की दिक्कत खडी न हो और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को हल किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ उसके फीगर्स आपको मालूम हैं। इस वर्ष में हम 5000 कुओं को एनरजाइज करना चाहते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजनैतिक दृष्टिकोण से बिजली दी जाती है और दूसरे कई इलाकों के अन्दर नहीं दी जाती है। मैं उन आंकडों को आप चाहें तो बातऊं कि राजस्थान के अन्दर कुएं किस किस जिले में कितने हैं और कितने इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं। मैं उनको संक्षेप में आपके सामने रखूंगा जिससे कि सदन को यह भ्रम न रहे कि किसी इलाके को तो बिजली कम दी है और किसी को

Page No. 174

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
ज्यादा। मैं समझता हूं कि जयपुर के इलाके के बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं बिजली के कनेक्शन कुओं के ऊपर उपलब्ध हुए हैं, 4 हजार के ऊपर, तो वह जयपुर जिले के अन्दर हुए हैं और जयपुर जिले के अन्दर 4 हजार कुओं पर जो बिजली उपलब्ध हुई है उस 4 हजार के कुओं की तादाद में जिनको बिजली दी गई है कुल कुओं की संख्या 74,000 के करीब है। अलवर में 11 हजार के ऊपर कुए हैं उनके अन्दर जो वहां पर बिजली उपलब्ध हुई है वह 1218 पर हुई है। माननीय उपाध्यक्षजी, उसी प्रकार से दूसरी जगह जो राजस्थान में कहीं कुए कम हैं और कहीं ज्यादा। तो मैं निवेदन कर दूं कि सबसे ज्यादा कुए राजस्थान के अन्दर जयपुर जिले के अन्दर हैं कि जहां पर कुओं की तादाद 74,000 के करीब हैं और उसके बाद में दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा कुए उदयपुर जिले में हैं जिनकी संख्या 64 हजार है और तीसरे नम्बर पर भीलवाडा आता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत (भीम) : उदयपुर में कितनों को बिजली दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: 349 कुओं पर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: क्या जयपुर के मुकाबले में उदयपुर के साथ अन्याय नहीं हुआ है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अन्याय तो हम किसी के साथ नहीं करते हैं। अलवर जिले में 11 हजार कुओं में 1218 पर बिजली मिली है। भीलवाडा में 55,337 कुए हैं जिनमें से 544 पर बिजली मिली है और जयपुर में 72,867 कुओं की कुल सख्या में 4,233 कुओं पर बिजली मिली है।

श्री श्रवणलाल : सवाई माधोपुर में कितनों को मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: सवाई माधोपुर में कुल मिलाकर 21,258 कुए हैं जिनमें 285 को बिजली मिली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: जालोर का नम्बर भी मौजूद है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जालोर जिले में कुओं की संख्या 11,721 है और बिजली 86 कुओं को मिली है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें राजनैतिक दृष्टि से या और दृष्टि वाली बात नहीं आती है। इसके अन्दर जहां नजदीक सोर्सेज थे वहां आसानी से बिजली उपलब्ध हो सकती थी उस दृष्टि से किया गया है।

श्री केसरीसिंह हाडा: जिला बूंदी में बिजली नजदीक है वहां पर बिजली के लिए दरख्वास्तें होते हुए भी बिजली नहीं दी गई हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: बूंदी में जितनी इर्रीगेशन का पर्सेन्टेज है उतना राजस्थान में किसी जगह नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): नहरों से है कुओं से नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: कुओं के बारे में यह है कि कुओं की तादाद 12,805 है और बिजली वहां पर 172 कुओं को दी गई है।

श्री केसरीसिंह हाडा : 172 ज्यादा हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा हैं। कम मिली हैं। एक बात समझलें कि जो राजनैतिक दृष्टि से भेद भाव किया जाता है यह सवाल उठाया गया था, वह दिमाग में न रहे। मैं इसलिए यह पहलू आपके सामने रखता हूं।

श्री केसरीसिंह हाडा: मैं यह निवेदन कर रहा हूं ...

श्री विट्ठल भाई: जिलावाइज आपके पास लिस्ट है तो बता दें कि बांसवाडा जिले में कितने कुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: 38 हजार कुओं में से 475 को दी गई है।

एक माननीय सदस्य: टोंक जिले म ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: गंगानगर जिले में कुओं की तादाद कितनी है यह तो फीगर्स मेरे पास एवेलेबल नहीं है लेकिन 338 कुओं पर बिजली लगाई गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य: मनफूलसिंह के गांव में बिजली लगाई है उसमें 13 हजार रुपये खर्च किये गये हैं और रावतसर में बिजली लगाने में इन्कारी क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: माननीय उपाध्यक्षजी, यह (कई माननीय सदस्यों के बीच में खडे होकर बोलने पर) मैं आपके बीच में नहीं बोला था।

माननीय उपाध्यक्षजी, गंगानगर जिले के बारे में नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने पीलीबंगा में बिजली लगाने के बारे में जिक्र किया तो बिजली की आवश्यकता है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्यूबवैल के बारे में जिक्र किया है कि पानी को और आगमेंट किया जा सकता है। मैंने निवेदन किया कि हमारे सिस्टम को आगमेंट करते हुए अलग अलग जगह जितने ज्यादा फाइनेन्सेज एवेलेबल हैं और जितना सबका सहयोग उपलब्ध होगा उतनी ही तेजी से इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा।

अलग अलग जगहों के लिए जो अलग अलग प्रश्न उठाये गये हैं उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से जाऊंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा। उन सारी चीजों में जाना मैं ठीक नहीं समझता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय हरिप्रसादजी ने, पाली से आने वाले, अलवर वाले माननीय सदस्य और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो जो प्रश्न यहां पर रखे हैं। मकराने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तुकबन्दी की है उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बिट्ठल भाई: बांसवाडे के लिये नाम नहीं लिया गया है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: उपाध्यक्ष महोदय··

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय··

श्री बिजयसिंह (मकराना) : राजस्थान के अन्दर अगर राजस्थान का नाम रोशन करना है तो मकराना ऐसा स्थान है जो कि राजस्थान के नाम को ऊंचा कर सकता है, इसलिए मकराने का विद्युतिकरण अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह दुनियां में नाम करके राजस्थान का नाम ऊंचा कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्नों की तरफ मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाया था। बिरला एज्युकेशन ट्रस्ट के बारे में पिछली बार भी कहा था

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं जानकारी करके I will communicate to you.

श्री रामानन्द अग्रवाल: श्री दुर्गावत को बोर्ड का मेम्बर बनाने के बारे में ऐतराज किया गया था, दुर्गाशंकरजी दुर्गावत को जो बोर्ड में रखा हुआ है उनके खिलाफ क्रिमिनल मिस-एप्रोप्रियेशन का केस चलाने के बाद उनको बोर्ड में रखना बहुत इम्प्रोपर है। उसके लिए मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी उनको वहां से हटा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आपने जो बात कही है उसके केस की डिटेल्ड जानकारी की जा रही है।

श्री केदारनाथ: सिरसा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: हर लाइन के बारे में नहीं कह सकता हूं इमीजियेटली।

श्री केदारनाथ: एपॉइंटमेन्ट्स के बारे में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: एपाइंटमेन्ट्स के लिए जो बुलाये गये हैं उनमें फर्स्ट डिविजनर्स राजस्थान के हैं और जो आउटसाइडर्स हैं उनमें जिनके 70 परसेंट मार्क्स हैं उनको ही इन्टरव्यू की जा रही है।

श्री श्रवणलाल: माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने आपके द्वारा सब-स्टेशन की तरफ ध्यान दिलाया था। वहां पर सब-स्टेशन के मौजूद होते हुए भी न तो किसानों के लिए और न गांव वालों के लिए आज तक बिजली दी जा रही है, इसका क्या कारण है? कब तक उस गांव में बिजली उपलब्ध करा दी जायगी।

दूसरा यह है कि वहां पर चुनाव के समय में लाइन ले जाई गई थी और लट्ठे गाड़े गये थे। उन गांवों में जहां लाइन मौजूद है कब तक कनेक्शन दे देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: अगले चुनाव तक।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भरतपुर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा और एक बात पूछूंगा कि आपने यह पहले बताया था कि मार्च 69 तक भरतपुर को चम्बल से जोड़ देंगे, परन्तु जिस गति से यह काम वहां पर चल रहा है उससे यह महसूस होता है कि वहां पर डेढ़ साल में बिजली नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस कार्य में गति लाई जाय।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि (××××) जो भरतपुर में है उस पर ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उसको बार बार मत बोलिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: उसके लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए और दूसरी चीजों के लिए जल्दी से कदम उठाये जाने चाहिए।

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि × × × × × × बात को कम से कम रेकार्ड से हटा दें।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल: मैं रजामन्द हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपन्जड।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: चम्बल से भरतपुर को जोड़ने के आधार पर पहले से ही ट्रान्समीशन लाइन उपलब्ध करा दें ताकि बिजली से सम्बन्ध स्थापित होते ही उसका युटिलाइजेशन प्रापर्ली समय पर हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: दोनों सवाल अलग अलग हैं। वह 4300 से 400 के.वीं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पार्ट है और यह ट्रान्समिशन लाइन का पार्ट है।

श्री उपाध्यक्ष: मेजर फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह: मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मुख्यमन्त्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि ब्यावर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी है वह 64 से लिक्वीडेशन में है और जिसके सारे ऐसेट्स राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ले लिये हैं तो उसकी भुगतान कब तक हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उस कम्पनी के बारे में मैंने समझा है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी नहीं है कि उस कम्पनी को भुगतान कब होगी।

श्री श्रवणलाल: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जो दो प्रश्न पूछ हैं उनका मुझे यहां पर जवाब दिलवाया जाय, और दूसरा उसके साथ साथ ही मैं आपके द्वारा यह एक प्रश्न और पूछूंगा कि जिला परिषद् की बैठक में जिस प्रकार से···

श्री उपाध्यक्ष: वह बात आपने कह दी।

श्री देवीदत्त गाडिया: माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी व्यक्तिगत तौर से बिजली दिये जाने के बारे में जो मोनोपोली है उसके बारे में यह घोषणा करेंगे।

दूसरा मैं यह चाहूंगा कि किशनगढ़ और शाहबाद जो कोटा डिविजन के आदिवासि इलाके हैं जहां पर आदिवासियों की 40 पर्सेन्ट आबादी है वहां पर बिजली कब तक दे दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरा लिए अलग अलग जगह जो 11 के. वीं. लाइन हो रूरल इलेक्ट्रिसफिकेशन की उसके सम्बन्ध में कमिट करना आसान नहीं है और न मैं करना चाहूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया: चम्बल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: सुन लीजिये। जहांतक माउन्ट आबू का सवाल है उसके पावर हाउस को टेक ओवर की बात है इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट तब सोचेगी जब आबू को हम अपने सिस्टम के साथ में जोड़ देंगे।

श्री श्रवणलाल: उपाध्यक्ष महोदय, बार बार आग्रह करने पर भी मेरे प्रश्न का जवाब न दिया जाना ...

× × × अध्यक्ष पीठके आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देना अब सम्भव नहीं है। अब समय हो गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पांच सात मिनिट और बढ़ा दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बज कर 1 मिनिट पर बुधवार दिनांक 11-9-68 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 301 की सूची)

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ को गत 6 वर्षों में दिये जाने वाले अनुदान की सूची।

क्रमांक	वर्ष	धनराशि
1		2
1.	1962-63	63,376.89
2.	1963-64	5,137.42
3.	1964-65	69,348.40
4.	1965-66	68,767.00
5.	1966-67	65,445.52
6.	1967-68	66,369.00

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम जंजेऊ के हरिजन परिवारों को बसाने की व्यवस्था

310. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम जंजेऊ के पन्द्रह हरिजन परिवार इस समय आबाद नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पन्द्रह हरिजन परिवारों को राजस्थान सरकार ने उजाड दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन परिवारों को राज्य सरकार ने अभी तक नहीं बसाया है ?

(4) इन पन्द्रह परिवारों के कितने सदस्य हैं ? जिनमें कितने पुरुष व कितनी स्त्रियां व कितने बच्चे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इन पन्द्रह परिवारों का आज तक पता नहीं कि वे किस जगह पर हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त हरिजन परिवारों के मुखियाओं के नाम ग्राम जंजेऊ में खातेदारी भूमि है ? यदि है तो किस किस के नाम कितने कितने बीघा ? खसरा नम्बर बताया जाय व सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़ ग्राम जंजेऊ के हरिजन परिवार ग्राम जंजेऊ से ग्राम पीरदेसर पुरोहितान में आबाद हो गये हैं।

(2) जी नहीं। वह लोग स्वेच्छा से दूसरी जगह जाकर आबाद हो गये।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये लोग ग्राम पीरदेसर पुरोहितान व ढलवां ग्राम में आबाद हो चुके हैं।

(4) इन पन्द्रह परिवारों के कुल 65 सदस्य हैं, जिनमें से 13 मर्द, 14 औरतें व 38 बच्चे हैं।

(5) जी नहीं। इसका उत्तर प्रश्न के भाग 3 में दिया जा चुका है।

(6) सूची संलग्न है।

सूची हरिजन परिवारों की जिनकी खातेदारी भूमि है

क्र. सं.	नाम मुखिया जिनकी खातेदारी भूमि है	ग्राम जिसमें खातेदारी भूमि है	खसरा संख्या	तादाद जमीन
1	2	3	4	5
1.	श्री तेजा	जंजेऊ	322	15)
2.	,, ...	,,	320	351) 3

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
3.	श्री उमा	जोघासर	9-621	73॥।)
4.	श्री तेजा	„	386-387	113॥) 4
5.	श्री दुरगा	„	405	84।) 2
6.	श्री बुडिया	„	415	22॥) 4
7.	श्री मूला जेठा पिसरान मघा ..	„	385-390-391 488-487-385 427-445	310।) 3
8.	श्री लादूराम	„	443-444-618	114) 2
9.	श्री मैरा	„	701	27॥) 4
10.	श्री सवण पुत्र जुवानराम ..	डेलवा	291	35)
11.	श्री भीमा पुत्र जुवानराम ..	„	251	35)

माफी की जमीन का अलाटमेन्ट

311, **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 21 बी. बी. तहसील पदमपुरा जिला श्री गंगानगर में गुरुद्वारा व खाती (कारपेण्टर) की माफी की जमीन किस आधार पर श्री नरंजनसिंह पुत्र हरनामसिंह को पुख्ता एलोट कर दी गई है ?

(2) क्या यह सच है कि गुरुद्वारे की जमीन पहले से माफीदार के नाम मंजूर थी ?

(3) क्या यह सच है कि इस अलॉटमेन्ट के आदेश से पहले सरकार का आदेश कि अगले आदेश तक माफीदारों की जमीन का पक्का अलॉटमेन्ट बन्द कर दिया है, एस. डी. ओ. करनपुर को मिल चुका था ?

(4) क्या यह सच है कि उसी दिन माफीदार के नाम से जमीन केन्सल करके श्री नरंजनसिंह पुत्र हरनामसिंह को अलोट कर दी गई ?

(स्थगित करने की प्रार्थना की गई)

ग्राम नुवालिया की चरागाह की भूमि पर नाजायज कब्जा

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नुवालिया पटवार सर्कल जालरिया, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में आराजी नं. 117।209 रकबा 314॥)बीघा 1962 में चरागाह मुकर्रर की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तय शुदा चरागाह की नक्शा व ट्रेस बनाकर जिलाधीश द्वारा यह चरागाह स्वीकृत हुई थी ?

(3) क्या उक्त चरागाह पर गांव वालों ने नाजायज कब्जे कर लिए मगर तहसील ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि इस चरागाह पर नाजायज कब्जों को हटाने के संबंध में जिलाधीश व उप-जिलाधीश भीलवाडा व गुलाब पुरा को निवेदन किया गया ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई व नाजायज कब्जे हटाये गये या नहीं ?

Page No. 182

(श्री गिरधारीलाल व्यास) | उत्तर[illegible])

(5) क्या यह सही है कि इस चरागाह के पुराने नक्शे व ट्रेस निकाल कर दूसरे फर्जी नक्शा व ट्रेस लगा दिया और मुकर्रर शुदा चरागाह का नम्बर बदल दिया है? अगर हां, तो जिन अधिकारियों ने इसके तब्दील करने में सहयोग दिया उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा चरागाह पर नाजायज कब्जा करने वालों व कराने वालों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी?

(दिनांक 16-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

(1) जी हां, इन्जिन खराब हो गया था।

(2) गाडी ड्राईवर चला रहा था। गाडी तखतगढ़, सांढेराव, बी[illegible] आकदडा एवं ढोला प्रधान से परामर्श एवं भूसंरक्षण कार्यों के अवलोकन के लिये जा रही थी। गाडी में कार्यवाहक विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी एवं सहकारिता प्रसार अधिकारी बैठे थे। गाडी ढोला पर खराब हुई।

(3) जी हां, प्रधान से स्वीकृति ली गई।

(4) औपचारिक जांच नहीं की गई।

पंचायत समिति सुमेरपुर की जीप

313. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुमेरपुर की जीप गाडी नं. आर. जे. टी. 966 की इन्जिन दिनांक 16-5-67 को फट गया?

(2) यदि हां, तो गाडी कौन चला रहा था? गाडी किस कार्य के लिये कहां जा रही थी? गाडी में कौन कौन बैठे थे? एक्सीडेन्ट किस स्थान पर हुआ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह फटा हुआ इन्जिन पंचायत समिति की दूसरी गाडी नम्बर आर. जे. एल. 2440 के इन्जिन से बदला गया? यदि हां, तो यह किसकी स्वीकृति से किया गया?

(4) क्या उपरोक्त सारे मामले की कभी किसी ने जांच की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि

314. श्री बालसिंह लोढा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जो जिले आते हैं उनके भूतपूर्व जागीरदारों को नहरी क्षेत्र में भूमि दी जावेगी, ऐसा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है?

(2) जैसलमेर व बाडमेर के कितने भूतपूर्व जागीरदारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि दी गई है और भविष्य में देने के लिये कितनी भूमि आरक्षित रखी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एक जैसलमेर और एक बाडमेर के भूतपूर्व जागीरदार को भूमि आवंटित की गई थी। भूतपूर्व जागीरदारों के लिए आरक्षित भूमि शेष नहीं है।

भूमिहीन आदिवासियों एवं हरिजनों को भूमि का आवंटन

315. श्री हीरा भाई (कुशलगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1968 में यह घोषणा की कि भूमिहीन आदिवासियों और हरिजनों को एलाट किये जाने के लिये जमीन रिजर्व की गई है? यदि हां, तो ऐसी जमीन कहां कहां रिजर्व की गई थी?

(2) क्या इस प्रकार रिजर्व की गई जमीन घोषणा के अनुसार एलॉट करदी गई है? यदि हां, तो कितने आदिवासियों व कितने हरिजनों को भूमि एलॉट हुई है?

(3) क्या इस प्रकार रिजर्व की गई भूमि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की सूचना हरिजनों और आदिवासियों को दी गई थी और क्या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कोई निश्चित अवधि भी निर्धारित की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो हरिजनों और आदिवासियों को इस प्रकार की सूचना समय पर मिल सके इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी?

(4) क्या प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई केन्द्र भी स्थापित किये गये थे? यदि हां, तो कहां कहां और नहीं, तो क्यों?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

खैरथल डिस्पेन्सरी में मिडवाइफ की नियुक्ति

316. श्री **गोकलचन्द** (खैरथल-सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर जिले में खैरथल मंडी व कस्बे की तरफ से व्यापार समिति व ग्राम पचायत की ओर से यह मांग की गई है कि खैरथल डिस्पेन्सरी में मिडवाइफ का पद स्वीकार किया जाये?

(2) यदि हां, तो यह मांग कब से सरकार के विचाराधीन है और अभी तक वहां पर मिडवाइफ नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं?

(3) खैरथल की आबादी को देखते हुए क्या सरकार उचित मानती है कि वहां पर प्रसूताओं की देखभाल के लिये एक योग्य मिडवाइफ नियुक्त की जाय? यदि हां, तो मिडवाइफ कब तक नियुक्त करदी जावेगी?

(1) जी हां।

(2) यह मांग सितम्बर सन् 1967 से विचाराधीन है। नया पद स्वीकृत होने पर ही मिडवाइफ लगाई जा सकेगी।

(3) निर्धारित माप दंड के अनुसार मिडवाइफ का पद स्वीकृति हेतु निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जो विचाराधीन है।

सुजानगढ एवं रतनगढ तहसील में आराजी राज जमीन पर कब्जा।

317. श्री **रावत राम** (छापर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सुजानगढ एवं रतनगढ (जिला चूरू) में कितने ऐसे लोग हैं जिनका आराजी राज जमीन पर कब्जा है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 184

(श्री रावनराम)

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों का आराजी राज जमीन पर कब्जा है उन्हें सरकार खातेदारी प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिये लेटेस्ट जो भी आदेश सबंधित अधिकारियों को भिजवाये हैं, उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार क आदेश देने के बाद जिन किसानों को खातेदारी दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास आराजी राज जमीनें हैं परन्तु खातेदारी हकूक नहीं दिये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(स्थगित करने का अनुरोध सरकार की ओर से किया गया)

पंचायत समिति डीडवाना में निर्माण कार्यों पर व्यय

318. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं): **क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में दिनांक 2 अक्टूबर, 1959 से लेकर अब तक कुल कितन निर्माण कार्यों में आर्थिक सहायता दी तथा किस किस काय के लिये ? सूची सदन को मेज पर रखन की कृपा करें।

(2) क्या जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनको समिति के ओवरसीयर द्वारा पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र दे दिया गया है ?

(3) क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों में से कुछ कार्य अधूरे भी पडे हैं। यदि हां, तो कौन कौन से कार्य को कब से तथा उनमें कितना कितना रुपया खर्च हो चुका तथा अधूरा रहने का कारण क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(4) क्या जो निर्माण कार्य नहीं हुए उनमें से किसी ने रकम वापिस जमा भी करवाई है ? यदि हां, तो किस किस निर्माण कार्य के लिये दी गई रकम किस किस व्यक्ति ने वापिस कितनी कितनी कितने कितने समय बाद जमा कराई ? और उनसे व्याज कितना कितना किस किस दर से कब कब जमा करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जिनके संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया है उनका उल्लेख सूची में कर दिया गया है।

(3) जी हां, अपूर्ण कार्य का ब्योरा सूची में दे दिया गया है। निर्माण कार्य बहुधा श्रमदान प्राप्त नहीं होने से अपूर्ण रहे।

(4) जो निर्माण कार्य नहीं हुए, उनकी अनुदान राशि वापस जमा होने का दिनांक और व्याज का विवरण भी सूची में दे दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकाल में रखी गई)

बगड मेवात में प्राथमिक शाला

319. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर-सु.): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगड मेवात (अलवर) में प्राथमिक शाला नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि बगड मेवात से 40-50 बच्चे पढ़ने बगड राजपूत जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बगड राजपूत बगड मेवात से 1 मील की दूरी पर है और छोट छोट बच्चों को इतनी दूर जाने में कठिनाई होती है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्षाकाल में हंस सरोवर बांध का पानी आने के कारण बच्चे पढने नहीं जा सकते ?

(5) क्या यह सही है कि बगड मेवात के नागरिक शाला के लिये भवन देने को तयार हैं जिसके साथ में पक्का कुआ भी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। केवल 29 छात्र पढने जाते हैं।

(3) पक्की सडक से दूरी 1 मील और कच्चे रास्ते से आधा मील है।

(4) जी नहीं, पक्के रास्ते से बच्चे पढने जा सकते हैं।

(5) जी हां।

जिला झुंझुनू के परिवारों को भूमि

320. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की कोई योजना भूमिहीन हरिजन परिवारों को काश्त के लिये भूमि देने की है ? यदि हां, तो क्या जिला झुंझुनू में भी इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित किया गया है ?

(2) जिला झुंझुनू में कितने हरिजन परिवारों को इस प्रकार की भूमियां बांटी गई हैं और क्या भूमि का कब्जा उन परिवारों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितनों को कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को भूमियां दे दी गई हैं जिनके पास पहले से ही काश्त योग्य भूमियां थीं तथा भूमिहीन परिवार इस योजना से वंचित रह गये ?

(4) भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि देने के संबंध में सरकार की आगे क्या योजना है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सरकार की योजना भूमिहीन हरिजन परिवारों को काश्त के लिये जमीन देने की है और इस जिले में इसे क्रियान्वित किया गया है।

(2) इस जिले में 191 परिवारों को 692 एकड भूमि बांटी गई है ?

(3) इस जिले में भूमिहीन परिवारों को भूमि दी गई है।

(राजस्व मंत्री)

(4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम, 1957 के नियम 6 (4) के अनुसार 25 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्व रखी जाती है ।

फोरेस्ट डिवीजन के लिए मीनारों की खरीद

321. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा, बारां, बूंदी व टोंक फोरेस्ट डिविजनों के लिये भी मीनारें (स्टोन) मोनोलिथ झालावाड फोरेस्ट डिवीजन के द्वारा सप्लाई किये जाने की व्यवस्था की गई है और पेमेन्ट भी झालावाड डिवीजन से ही होना है ?

(2) सन् 66-67 में व 67-68 में कितनी कितनी मीनारें कहां कहां भेजी गईं और किस किस रेट में किन किन ठेकेदारों से खरीदे गये ? कृपया लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या इन मीनारों के खरीदने का कोई एग्रीमेन्ट किया गया है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजियेगा ।

(4) क्या यह सही है कि मीनारें बाला बाला खान से ही लेकर भेजी जाती हैं ? क्या यह भी सही है कि मीनारों की झालावाड में ही डिलीवरी देने की शर्त है ?

(5) क्या इनके स्टोक का हिसाब बाकायदा रखा गया है कि मीनारें झालावाड में कहां 2 कितनी कितनी काम में ली गईं ? और बाहर कहां कहां कितनी कितनी भेजी गईं ? अभी स्टाक में कितनी मीनारें हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस वर्ष एसी व्यवस्था नहीं की गई ।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है ।

(4) जी नहीं, डिलिवरी झालावाड देने की शर्त थी ।

(5) जी हां, झालावाड में मीनारें संलग्न सूची के अनुसार काम में आईं । झालावाड में स्टाक में मीनारें नहीं हैं ।

तालिका (अ)

सूची खरीद मीनारें 1966-67 व 1967-68 झालावाड वन मण्डल द्वारा

वर्ष	नाम ठेकेदार	स्वीकृत दर	मीनारों की संख्या	क्रय करने की स्वीकृति
1966-67	श्री मांगी लाल पुत्र धन्नालाल निवासी झालावाड	प्रति मीनार 2.40	1232	एफ. 19(वि) 66, दिनांक।मुकम.।1410 दिनांक 24-2-67.
	" "	3.00		एफ. 19(वि)विकास।380 3-5 दिनांक 15-5-67 संख्यक पूर्वी वृत, कोटा
1967-68	" "	3.75		19(2)विकास।मुवस।3540-42 दिनांक 20-1-68 (झालावाड) 19(9) 67।विकास।3998-4007 दिनांक 22-1-68 (बारां) एफ. 19(9) 67।विकास।15849-51 दिनांक 20-1-68 (कोटा)

(पंचायत मंत्री)

इकरारनामा

मैं मांगीलाल पुत्र धन्नालाल यादव ठेकेदार मोटर स्टेण्ड झालावाड का हूं :—

जो कि वन विभाग को पत्थर के मीनारें जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं बनवाने हैं।

लम्बाई 4 फीट

चौडाई 5 इंच से 6 इंच

मोटाई 5 इंच से 6 इंच

ऊपरी हिस्से पर एच. डी. गुदा हुआ होगा।

वह मीनारें 3-75 तीन रुपये पचेत्तर पैसे प्रति मीनारे पर निम्न निर्दिष्ट वन मंडलों को झालावाड में सप्लाई करने को तैयार हूं:-

1.	कोटा वन मंडल	400
2.	बांरा वन मंडल	1200
3.	बूंदी वन मंडल	508
		2108

यह समस्त मीनारें दिनांक 10-3-68 तक मैं सप्लाई कर दूंगा। यदि समय पर मीनारें सप्लाई न कर सका तो मेरी जमा शुदा पूरी रकम अर्नेस्टमनी डिपोजिट उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा जप्त कर ली जाये इसमें मुझे कोई उज्र नहीं होगा।

यह तहरीर लिख दी के सनद रहे।

मांगी लाल

हस्ताक्षर।

आइटम नं. 5 की सूची

वर्ष	गत वर्ष के बाकी	इस वर्ष खरीद	मीनारें लगाने का विवरण	
66-67	837	1292	विडावा रेंज	275
			झालावाड रेंज	20
			मनोहर थाना रेंज	1605
			"	372
			पिडावा रेंज	1274
			अकलेरा रेंज	45
			झालावाड रेंज	90
	837	2842 3679		3679

बाहर निम्नानुसार भिजवाये गये :—

वर्ष	वन मण्डल जहां भिजवाये गये	मीनारों की संख्या
1966-67	टोंक	120
	कोटा	220
		340
1167-68	कोटा	400
	बारां	1200
	बूंदी	210
		1810

होस्पिटल विजीटिंग कमेटियों का गठन

322. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) होस्पीटल विजिटिंग कमेटी किन किन शफाखानों के लिये है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इसका गठन किस आधार पर किया जाता है व इसके सदस्य कौन और कितने होते हैं ?

(3) क्या इसके मेम्बर रिटायर्ड डाक्टर, एम. एल. ए., अध्यक्ष नगरपालिका, जिलाधीश इत्यादि भी होते हैं ?

(4) इस कमेटी की क्या ड्यूटीज हैं तथा इसके क्या नियम हैं ?

(5) क्या महात्मा गांधी अस्पताल व उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के लिये ऐसी कमेटी है ? यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

(6) गत दो वर्षों में इस कमेटी ने कितने दफे अस्पतालों का निरीक्षण किया व सुझाव दिये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान समय में राज्य के किसी भी चिकित्सालय में कहीं भी होस्पीटिल विजिटिंग कमेटी नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) इन कमेटियों का गठन संबंधित जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस कार्य में रुचि रखने वाले जनता के व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करते हैं जिस पर राज्य सरकार उचित विचार कर अनुमोदन करती है ।

(3) जी हां ।

(4) कमेटी की ड्यूटीज व उनके नियमों की सूची संलग्न है ।

(5) जी नहीं ।

(6) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

Copy of letter No. 3050/ML dated the 11th June, 1951 from the Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur to the Secretary to the Govt. of Rajasthan, Local Self Govt. Medical & Pub. Health Deptt., Jaipur.

SUB.:—Honorary Visitors to the Hospital.

With reference to your Memorandum No. 3304/ML. dated the 7/10th May, 1951, the following Rules for the Honorary Visitors to the Hospital are sent to you for Government Sanction.

Kindly accord early sanction so that it can be sent to all the Principal Medical Officers for their guidance.

Rules for Honorary Visitors to the Hospitals.

1. In order to know the difficulties of the general Public and to facilitate co-operation between the Medical Administration and the Public in matters affecting the treatment and care of the patients in the Hospitals. The Govt. have approved of the constitution of a Hospitals, Visitor Committee.

(चिकित्सा मंत्री)

2. The Members of the Committee shall be nominated by the Government and the committee shall consist of as many persons as the Govt. may think fit to appoint from time to time. Important matters concerning the Hospital Administration may, however be considered by the Committees and their suggestions submitted to the Govt. through the Principal Medical Officer.

3. Ordinarily the term of the members of the Committee shall be two year but the Govt. may in its discretion increase the period.

4. Every visitor shall be afforded every facility for observing the State of the Hospitals and the management thereof and shall be allowed access under proper regulations to all parts of the Hospitals and to every patient admitted therein.

5. Visitors at any visit may inspect the wards, dispensing rooms, consulting rooms, Store Rooms, Kitchen and other building of the Hospitals, generally and the cooked food served to the patients.

6. Any visitor is at liberty to go round the Hospitals, unattended if he so desires, provided in the Women's Hospitals, only women visitors will be allowed to visit the wards.

7. Every visitor shall after he or she has completed his or her visit to the hospitals record in the visitors book, which shall be maintained for the purpose, the date and hour of his or her visit may enter therein any remarks or suggestions he or she may wish to make. The Principal Medical Officer shall send a copy of the visitors remarks together with his own, if any to the Director of Medical & Health Services, Rajasthan.

8. Any remarks made by a visitor under the rule shall be limited to a statement and fair criticism or actual facts which may come to his or her knowledge and to such suggestions as he or she may desire the Hospitals, Authorities to consider. Criticism should be confined to such aspects of the ordinary administration of the Hospitals as the visitors may consider necessary for the removal of the difficulties of the general public and shall, on no account, directly reflect either favourably or adversely on the character or conduct of any of the Hospitals staff. It is very desirable that he should first discuss the matter with the Principal Medical Officer.

9. The Principal Medical Officer may pass any orders on the record by a visitor and shall, if any question of importance is raised, submit the case to the Medical Directorate.

Medical & Health Directorate, Rajasthan, Jaipur.

No. 1854/M. *L./D.* *dated* 5-11-51.

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. All the Principal Medical Officers.
2. All the A. D. M. & H. S./ Principal Medical College, Jaipur.
3. Manager, C. M. S. Deptt., Rajasthan, Jaipur.

Sd/-

Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न सं. 319 की सूची)

Statement showing the expenditure incurred in connection with the First and Second Family Planning fortnight during the year 1967-68.

S. No.	*Name of District*	*Expenditure* Incentive	*Expenditure* Celebration
1	2	3	4
1.	Ajmer	25,931	27,352
2.	Alwar	19,722	3,500
3.	Bharatpur	8,991	2,107
4.	Bikaner	6,394	2,071
5.	Tonk	6,950	824
6.	Sawai Madhopur	6,738	1,784
7.	Sikar	35,597	1,221
8.	Churu	9,000	2,000
9.	Jhunjhunu	29,495	206
10.	Pali	12,249	752
11.	Nagaur	16,077	2,315
12.	Ganganagar	22,102	360
13.	Kotah	21,157	6,121
14.	Bundi	5,687	973
15.	Udaipur	23,183	3,702
16.	Jaipur	12,221	2,181
17.	Jodhpur	12,954	2,643
18.	Jaisalmer	1,376	825
19.	Jalore	6,992	1,785
20.	Barmer	5,712	1,348
21.	Dungarpur	14,909	900
22.	Banswara	10,270	1,198
23.	Sirohi	8,380	1,372
24.	Bhilwara	13,857	937
25.	Jhalawar	16,974	1,075
26.		Information not available.	

Total expenditure incurred under Family Planning Programme.

	1966-67	1967-68
1. Pay of Officers	1,41,812.05	6,62,150.14
2. Pay of Estt.	4,99,331.51	20,73,219.98
3. Allowaces and Honoraria		
1. Travelling Allowance	46,738.08	4,29,378.80
2. Other Allowances	2,85,576.60	16,17,670.93
4. Other Charges	19,79,256.68	37,23,030.01
TOTAL	29,52,714.92	85,05,449.86
Grant-in-aid	21,36,402.00	1,12,730.00
GRAND TOTAL	50,89,116.92	86,18,179.86

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 323 की सूची)

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निम्नलिखित सहायता यूनीसेफ से प्रदान कराई जाती है :—

1. जीप गाड़ियां।
2. इन्स्ट्रूमेन्ट्स एण्ड इक्विपमेंटस
   जैसे:—रेफरीजिरेटर, माइकोस्कोप व औजार आदि।
3. डी. डी. एस. सेट्स
   जैसे:—दवाइयां, सूखा दूध आदि।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

विभिन्न वन मण्डलों की वर्किंग प्लान आरम्भ होते समय की आय तथा वर्किंग प्लान के प्रावधान पूर्ण होने पर होने वाली अपेक्षित आय:--

क्रम सं.	वन मण्डल	वर्किंग प्लान के आरम्भ की आय	वर्किंग प्लान के प्रावधान की पूर्ति होने पर होने वाली अपेक्षित आय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	9,75,739/-	15,12,000/-	
2.	टोंक	3,02,926/-	6,50,000/-	
3.	बांसवाडा	5,87,372/-	14,15,000/-	
4.	चित्तोडगढ	14,51,843/-	21,75,000/-	
5.	भरतपुर	9,24,830/-	15,00,000/-	
6.	कोटा	1,85,624/-	5,73,000/-	
7.	बूंदी	2,48,121/-	5,33,200/-	
8.	जयपुर	3,59,960/-	5,00,000/-	
9.	अजमेर	5,68,226/-	5,68,000/-	
10.	सिरोही	3,98,519/-	4,35,000/-	
11.	जोधपुर	6,14,124/-	11,60,000/-	
12.	बारां	3,06,058/-	9,49,000/-	
13.	झालावाड	2,65,241/-	5,30,000/-	
	योग	71,88,583/-	1,25,00,200/-	

विभिन्न वन मन्डलों के वन क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय योजना (1951-55) से 1967-68 तक किये गए प्लान्टेशनों का विवरण:—

क्र. सं.	वन मन्डल	प्लान्टेशन्स का क्षेत्रफल / लम्बाई
1	2	3
1.	जयपुर	4,242 हैक्टर्स वन क्षेत्र में 51,62 किलो मीटर सडकों के किनारे
2.	अजमेर	1,536 हैक्टर्स वन क्षेत्र में 16 किलो मीटर सडकों के किनारे
3.	भरतपुर	3,444 हैक्टर्स वन क्षेत्र में 6.6 किलो मीटर सडकों के किनारे

Page No. 195

1	2	3
4.	कोटा	1,650 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
5.	झालावाड	1,064 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
6.	बूंदी	1,913 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
7.	बारां	1,220 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
8.	जोधपुर	6,005 हैक्टर्स वन क्षेत्र में और 188.8 किलो मीटर सड़क व नहरों के किनारे
9.	उदयपुर	1,898 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
10.	चित्तोडगढ	616 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
11.	सिरोही	150 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
12.	टोंक	730 हैक्टर्स वन क्षेत्र में
13.	बांसवाडा	1,260 हैक्टर्स वन क्षेत्र में

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची)

योजनान्तर्गत व्यय

(पूर्ण लाख रुपयों में)

जिला	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	तृतीय पंचवर्षीय योजना
1	2	3	4
1. अजमेर		647	501
2. अलवर		264	361
3. बांसवाड़ा		173	236
4. बाड़मेर		115	187
5. भरतपुर		339	511
6. भीलवाड़ा		326	353
7. बीकानेर		392	339
8. बूंदी		572	500
9. चित्तौड़गढ़		232	386
10. चूरू		258	207
11. डूंगरपुर		175	176
12. गंगानगर		1,173	831
13. जयपुर		928	1,240
14. जैसलमेर		60	78
15. जालौर		112	157
16. झालावाड़		155	215
17. झुन्झुनू		213	234
18. जोधपुर		458	561
19. कोटा		1,134	993
20. नागौर		215	304
21. पाली		209	404
22. सवाईमाधोपुर		283	258
23. सीकर		192	240
24. सिरोही		149	216
25. टोंक		207	182
26. उदयपुर		637	896
अन्य		692	10,704
राज्य योग	5,414.43	10,310	21,270

जिलावार प्रति व्यक्ति योजना व्यय (1961 की जनसंख्या के अनुपात में)

(रुपये)

जिले	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
1	2	3
1. अजमेर	66.24	51.33
2. अलवर	24.20	33.07
3. बांसवाडा	36.56	49.77
4. बाडमेर	17.65	28.89
5. भरतपुर	29.50	44.47
6. भीलवाडा	37.69	40.75
7. बीकानेर	88.34	77.27
8. बूंदी	164.94	147.88
9. चित्तौडगढ	32.69	51.63
10. चूरू	39.09	31.41
11. डूंगरपुर	42.98	43.15
12. गंगानगर	113.01	80.16
13. जयपुर	48.80	65.20
14. जैसलमेर	43.72	55.78
15. जालौर	20.57	28.73
16. झालावाड	31.48	43.85
17. झुन्झुनू	29.67	32.52
18. जोधपुर	51.91	63.27
19. कोटा	133.87	117.06
20. नागौर	23.01	32.56
21. पाली	25.94	50.08
22. सवाई माधोपुर	29.57	27.35
23. सीकर	23.46	29.28
24. सिरोही	42.29	61.23
25. टोंक	41.50	36.54
26. उदयपुर	43.47	62.81

Page No. 198

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची)

सन् 1967 में विदेशी मदिरा के लाइसेन्स जो दिये गये हैं उनकी सूची।

क्र. सं.	किस्म लाइसेन्स	नाम लाइसेंसधारी	स्थान	जिला	शर्तें	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रिटेल आफ	आफिसर कमांडिग, 8 बटालियन, जाट रेजीमेंट जयपुर।	जयपुर	जयपुर	लाइसेन्स फार्म संलग्न है।	
2.	"	कमान्डेन्ट, 20 लान्सर्स नं. 6163 एप्रो। (056 ए. पी. ग्रो., जयपुर)।	"	"	"	
3.	"	आफिसर कमांडिग, 215 फील्ड वर्कशोप कम्पनी, इ. एम. आई. जयपुर।	"	"	"	
4.	"	कमांडर, एन. सी. सी. हैड क्वार्टर, अजमेर।	अजमेर	अजमेर	"	
5.	"	कमांडिग आफिसर, 12 आर्टिलरी, बी.डी.आई. जोधपुर।	जोधपुर	जोधपुर	"	
6.	"	कमांडिग आफिसर, 30 इन्फेन्टरी बी.डी.ई., जोधपुर।	"	"	"	
7.	"	आफिसर इन्चार्ज, एयर-फोर्स केन्टीन, बीकानेर।	बीकानेर	बीकानेर	"	
8.	"	आफिसर कमांडिग, 185 लाइट रेजीमेंट (पेक) (1056 ए.पी. ग्रो. बीकानेर)।	"	"	"	
9.	"	मार्डन वाईन स्टोर, जोधपुर।	जोधपुर	जोधपुर	"	

Page No. 199

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 165 द्वारा श्री जयनारायण सालोदिया एम. एल. ए.

क्रमांक	विभाग का नाम	बकाया कर्जा	ओवर ड्यू राशि
1.	जागीर विमाग (31-12-67)	7,20,102	46,820
2.	अकाल सहायता विभाग (31-12-67)	1,23,93,902	46,65,851
3.	श्रम विभाग	10,60,423	70,129
4.	कोटा पोलीटैक्निक	5,400	—
5.	जिलाधीश, सिरोही	97,492	34,976
6.	देवस्थान विभाग	19,75,236	2,25,236
7.	जिलाधीश, भीलवाड़ा	20,09,829 5,99,507	73,809
8.	राजस्व मंडल, अजमेर	23,04,080	21,71,103
9.	जिलाधीश, झालावाड़	4,88,492	1,05,614
10.	जिलाधीश, अजमेर	49,07,124	35,09,492
11.	उपनिवेश आयुक्त, बीकानेर.. ..	4,33,350	5,,800
12.	जिलाधीश, जालौर	2,69,755	1,28,385
13.	जिलाधीश, डूंगरपुर	8,53,132	4,01,204
14.	जिलाधीश, उदयपुर	76,52,391	8,61,999
15.	खनिज एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर ..	2,62,720	60,392
16.	शिक्षा विभाग बीकानेर	18,22,881	1,45,873
17.	जिलाधीश, झुंझुनू	10,76,979	4,33,590
18.	जिलाधीश, भरतपुर	27,34,719	26,73,188
19.	जिलाधीश, गंगानगर	11,97,860	5,59,809
20.	जिलाधीश, सीकर	12,23,557	9,22,440
21.	जिलाधीश, बून्दी	7,89,366	3,31,628
22.	जिलाधीश, चित्तौड़गढ़	12,71,983	2,35,201
23.	जिलाधीश, कोटा	6,81,983	2,53,873
24.	जिलाधीश, पाली	16,36,406	16,09,900
25.	सिंचाई विभाग	31,75,819 15,442	—
26.	जयपुर दुग्ध वितरण योजना ..	8,07,549	4,13,993
27.	जिलाधीश, बीकानेर	7,76,549	6,80,147
28.	जिलाधीश, बाड़मेर	9,75,766	4,78,607
29.	जिलाधीश, टोंक	10,64,180	3,74,727
30.	उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग ..	60,62,837	15,76,035
31.	सहायता एवं पुनर्वास विभाग ..	1,60,45,412	1,26,40,400
32.	जिलाधीश, सवाई माधोपुर ..	1,45,106	1,34,979
33.	सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर..	1,15,91,306	8,96,990
34.	जिलाधीश, अलवर	2,87,666	73,220
35.	जिलाधीश, जैसलमेर	13,63,593	13,33,138
	योग :—	9,09,70,894	3,81,27,608

Page No. 200

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

प्रति,

समस्त जिलाधीश

संख्या एफ. 6 (19) राज /ख/ 67

जयपुर दिनांक जून 23, 1967

विषय:—भूमि अलोटमेंट कमेटी की मीटिंग विधान सभा के अधिवेशन के समय नहीं रखने हेतु।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि इस वर्ष तहसीलदारों ने भूमि आवंटन कमेटी की उन दिनों बैठक रखी जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा था और इस वजह से विधायक भूमि आवंटन कमेटी की बैठकों में शामिल नहीं हो पाये।

अत: निदेशानुसार निवेदन है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो भूमि आवंटन कमेटी की बैठक नहीं रखी जाय। तारीख 20 जून से 5 जुलाई के बीच में इस प्रकार की बैठक रखी जाय और यदि इससे पहले आवंटन कमेटी की बैठक हो चुकी हो तो उसके निर्णयों के बारे में अगर किसी विधायक को कोई आपत्ति हो तो संबंधित विधायक से पुनः विचार–विमर्श किया जाय।

ह. सहायक राजस्व सचिव।

प्रश्न संख्या 110 रा. मं. द्वारा श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा के भाग 2 से संबंधित उत्तर की सूची।

नाम जिला	
टोंक	तहसीलदार उनियारा द्वारा विधायक की अनुपस्थिति में आवंटन करने पर विधायक की आपत्ति पर आवंटन रद्द कर दिया गया।
पाली	तहसील बाली की ग्राम पंचायत मोखमपुरा में किये गये आवंटन बाबत श्री फूलचन्द विधायक द्वारा आपत्ति की गई है। इस मामले की अपील अतिरिक्त जिलाधीश, पाली के यहां विचाराधीन है।
जयपुर	विधायक श्री सुवालाल चौधरी द्वारा फरवरी, 68 में आपत्ति उठाने पर तहसीलदार दूदू (मौजमाबाद) को सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को छोड कर अन्य सब अलाटमेंट जो विधान सभा सत्र में किये गये उन्हें रद्द समझा जाने तथा सत्र की समाप्ति के पश्चात् आगामी होने वाली मीटिंग में उन पर निर्णय लेने के आदेश जिलाधीश, जयपुर द्वारा दिये गये।

Page No. 201

भीलवाडा	श्री मनोहर सिंह मेहता, विधायक ने तहसील माण्डलगढ के ग्राम थडोदा और भोपतपुरा में भूमि आवंटन के बारे में एतराज किया था। दोनों स्थानों के अलाटमेंट के संबंध में पुन: आवंटन के आदेश दिये गये व आवंटन पुन: विधायक की उपस्थिति में किया गया।
कोटा	तहसील अटरू के अलाटमेंट बाबत विधायक की आपत्ति होने पर जिला स्तर पर कार्यवाही चल रही है।
सीकर	सूचना एकत्र की जा रही है।
चूरू	भूमि वितरण संबंधी कोई आपत्ति विधायकों से प्राप्त नहीं हुई।
अजमेर	उक्त ,, ,, ,,
झुंझुनू	,, ,, ,,
डूंगरपुर	ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।
सिरोही	,, ,, ,,
सवाईमाधोपुर	विधायकों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई।
नागौर	,, ,, ,,
बूंदी	,, ,, ,,
उदयपुर	विधायकों द्वारा कोई आपत्ति उठाया जाना ज्ञात नहीं।
भरतपुर	किसी विधायक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।
बाडमेर	,, ,, ,,
झालावाड	,, ,, ,,
चितौडगढ	,, ,, ,,
जोधपुर	,, ,, ,,
अलवर	,, ,, ,,
जालोर	,, ,, ,,
जैसलमेर	,, ,, ,,
बीकानेर	,, ,, ,,
बांसवाडा	,, ,, ,,
गंगानगर	,, ,, ,,

परिशिष्ट 10

[अतारांकित प्रश्न संख्या 340 की सूची (क)]

क्रमांक संख्या 1	नाम कर्मचारी 2	पद 3
1.	श्री मूलसिंह	पटवारी
2.	श्री गिरधारीसिंह	पटवारी
3.	श्री कुन्जबिहारी	पटवारी
4.	श्री हरीसिंह	पटवारी
5.	श्री मूरसिंह	पटवारी
6.	श्री फाउलाल	पटवारी
7.	श्री उगमसिंह	पटवारी
8.	श्री छतरसिंह	पटवारी
9.	श्री मगनसिंह	पटवारी
10.	श्री मूलचन्द	पटवारी
11.	श्री देवीसिंह	पटवारी
12.	श्री घीसालाल	पटवारी
13.	श्री जुगराज	पटवारी
14.	श्री सुमेरसिंह	पटवारी
15.	श्री पूनमचन्द	पटवारी
16.	श्री नाथूसिंह	पटवारी
17.	श्री मगसिंह	पटवारी
18.	श्री प्रेमसिंह	पटवारी
19.	श्री हमीरसिंह	पटवारी
20.	श्री करतार बक्स	पटवारी
21.	श्री उगमसिंह	पटवारी

सूची (ख)

क्रमांक संख्या	नाम कर्मचारी	पद
1.	श्री कानसिंह	रेवेन्यू इन्सपेक्टर
2.	श्री तेजसिंह	रेवेन्यू इन्सपेक्टर
3.	श्री भोपालसिंह	रेवेन्यू इन्सपेक्टर
4.	श्री अक्षयकुमार	तहसीलदार
5.	श्री किशन गोपाल	तहसीलदार
6.	श्री किशनमल	तहसीलदार
7.	श्री श्री नारायण	नायब तहसीलदार

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची)

सूची (अ)

राजस्थान अनुसूचित जाति सेवा संघ, जयपुर की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री दिनेश राय डांगी	अध्यक्ष
2.	श्री रामचन्द्र चौहान	उपाध्यक्ष
3.	श्री छोटूराम	महामंत्री
		देहावसान के कारण स्थान रिक्त है
4.	श्री मुल्कराज थिन्द	मंत्री
5.	श्री नत्थीलाल, सदस्य, विधान सभा	संयुक्त मंत्री, प्रचार
6.	श्री माघोलाल खानपुरिया	संयुक्त मंत्री, संगठन
7.	श्री भगवान दास बोया	सहायक मंत्री, प्रचार
8.	श्री गोमा राम जटिया	सहायक मंत्री, संगठन
9.	श्री पूनमचन्द परमार	कार्यालय मंत्री एवं कोषाध्यक्ष
10.	श्री जगन्नाथ पहाडिया	सदस्य
11.	श्री काना राम रेगर	सदस्य
12.	श्री गोपीलाल गोठवाल	सदस्य
13.	श्री गणेशलाल रेगर	सदस्य
14.	श्री जुगल लाल	सदस्य
15.	श्री सांवलियाराम	सदस्य
16.	श्री धर्मराय जी आर्य	सदस्य
17.	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल एडवोकेट	सदस्य
18.	श्री हरिप्रसाद यादव	सदस्य
19.	श्री तोलाराम भारतीय	सदस्य
20.	श्री भंवरलाल कल्ला	सदस्य
21.	श्री बाला सहाय चौहान	सदस्य
22.	श्री रावतराम	सहवृत्त सदस्य
23.	श्री हर ूल	"
24.	श्री रामगोपाल गोठवाल	"
25.	श्री भूराराम	"

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची)

सूची तालाब व तलाइयां जिनकी भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा बेची गई है ।

क्र. सं.	नाम ग्राम	किस्म जमीन उपनिवेशन	किस्म जमीन सेटलमेन्ट	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6
			तहसील मांगरोल		
1.	माल बम्बोरी	माल । कमाण्ड	तालाब गैर मुमकिन	312 418	23।।।) 1 4।।)
			तहसील दी गोद		
1.	सुल्तानपुर	माल ।।	तालाब	212।1	11।) 4
	"	माल ।	"	231।1	25)
	"	—	"	231।2	2) 3
2.	खेडली काल्या	माल ।।	तालाब	363	2।।) 1
	"	—	—	368	।।) 1
	"	—	—	369।1	।।।) 4
	"	—	—	370।1	1) 4
3.	थारला	माल ।।	तालाब	122।1	।।।) 1
4.	कचोलिया	माल ।	तालाब	117।3	3।।।) 3
5.	तोरण	माल ।	तालाब	48।22	10।) 3
	"	"	"	48।3	25)
	"	"	"	48।4	2) 1
	"	"	"	48।5	2।।) 4
6.	मुला	माल ।	तालाब	100।2	12) 1
	"	"	"	100।3	15।।) 2
7.	चार	माल ।।	तालाब	226	12।।) 4
8.	दीगोद	माल ।	तालाब	1259।1	15)
9.	घोली	माल ।।	तालाब	358।2	3।।)
	"	"	"	358।3	3।।।) 2
10.	कल्याणपुरा	माल ।	तालाब	575।1	15)
11.	जालिमपुरा	माल ।।।	तलाई	50	9) 1
	"	"	"	142।1	7।।।) 3
12.	कंवरपुरा	माल ।	तलाई	182।2	3) 1
	"	"	"	182।3	17)
			"	184।4	8।।) 4
	"	"	"	185।5	5।) 3

Page No. 205

1	2	3	4	5	6
13.	उम्मेदपुरा	माल I	तलाई	15	1111) 3
14.	आटोन	माल II	तलाई	59	81) 3
15.	रीछाहेडी	माल II	तलाई	172	51)
	,,	माल II	,,	1	4)
16.	नयागांव	माल I	तलाई	165	7)
17.	रामपुरा उर्फ नयागांव	माल I	तलाई	106	) 3
18.	अमरपुरा	माल I	तलाई	401	11) 3
19.	किशोरपुरा	माल II	तलाई	374190	1111) 2
20.	मदनपुरा	माल III	तलाई	141	1111) 1
21.	हरीपुरा	माल I	तलाई	51	6) 3
22.	मोरवा	माल I	तलाई	224	41) 2
	,,	,,	,,	241	2) 2
23.	बड़ोद	माल II	तलाई	117	9111) 2
	,,	,,	,,	193	11)
24.	बम्बलिया रावतान	माल I	तलाई	285115	511) 2
25.	ल्यावदा	तलाई	तलाई	10	611) 3
26.	दीगोद	माल II	तलाई	1078	91) 1
27.	देवपुरा	माल II	तलाई	14311	2111)
28.	शोली	माल II	तलाई	17011	5111) 3
29.	गुमानपुरा	माल I	तलाई	3211	7) 1
	,,	,,	,,	3212	31) 3
30.	सीमिल्या	माल I	तलाई	105	711)
31.	ढाबा	माल I	तलाई	425	91) 1
32.	कालारेवा	माल I	तलाई	781112	1) 2
	,,	,,	,,	7813	8)
	,,	माल II	,,	781111	5111)
	,,	,,	,,	7812	11) 2
33.	अतरालिया	माल I	तलाई	526	91)
34.	झाडगांव	माल I	तलाई	5	31)
	,,	,,	,,	9	7) 1
	,,	,,	,,	18	11) 2
35.	मंडावरा	माल I	तलाई	419	2) 3
36.	बाली	तलाई	तलाई	4	911) 4
37.	चौपडखेली	माल II	तलाई	42	2111) 1

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची)

पंचायत सुमेरपुर जिला पाली के वर्तमान सरपंच के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों का तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति का दिनांक	कार्यवाही जो की गई
2 9-1965 3 5-1967	जिलाधीश, पाली से जांच करवाई गई । कोष के दुरुपयोग के संबंधित शिकायतें प्रारम्भिक जांच से प्रमाणित हुई, 6-4-66 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, 1-9-66 को आरोप-पत्र दिया गया, 17-11-66 जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जांच रिपोर्ट 27-5-68 प्राप्त हो चुकी है, सुनवाई के लिये 9-10-68 निश्चित है । 3-5-67 में अंकित शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।
12-3-68 13-3-68 18-4-68	ये शिकायतें अवैध रूप से भूमि विक्रय के संबंधित थीं जांच के लिये जिलाधीश को निर्देश दिये गये हैं तथा पंचायत को 27-3-68 के आदेश द्वारा अन्य आदेश तक भूमि विक्रय से रोका गया है ।
13-5-68	कोष के दुरुपयोग तथा अनधिकृत कार्यवाही के लिये सरपंच को 18-6-68 को आरोप-पत्र दिया गया तथा 30-8-68 को जांच अधिकारी नियुक्त किया है । जांच जारी है ।

शुद्धि पत्र

(मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1968)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	अन्तिम	भी है	भी की है
3	4	( )	(1)
,,	अन्तिम से 13	राय	राज्य
5	17	निदशानुसार	निदेशानुसार
,,	अन्तिम से 7	श्री मती समित्रा	श्रीमती सुमित्रा
6	1	आयेग	आयोग
,,	अन्तिम से 12	थ,	था,
,,	अन्तिम से 8	कसे	कैसे
,,	अन्तिम से 5	थ,	था,
7	शीर्षक	रांकित	तारांकित
,,	अन्तिम से 2	हैल	हैल्थ
8	अन्तिम से 1	नक्स्ट	नेक्स्ट
10	अन्तिम से 4	श्री मनोह सिंह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
15	12	श्री सतशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
17	17 व 20	ी	श्री
25	अन्तिम से 5	मत्री	मन्त्री
27	16	च र्टर्ड	चार्टर्ड
29	शीर्षक	0 सितम्बर	10 सितम्बर
31	6	श्री सतशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	अन्तिम से 10	म	में
38	13	जता	जाता
46	अन्तिम से 10	श्र केशरीसिंह हाडा	श्री केसरीसिंह हाडा
55	11	ह	है
58	2	म	में
59	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
60	5	खरीदन	खरीदने
68	16	काड	कोड
70	शीर्षक	प्रश ा त्त	प्रश्नोत्तर
80	,,	स्थगित प्रश्न	तारांकित प्रश्नोत्तर
85	16	स र्‍	सर्प
99	13	उपलयुक्त	उपयुक्त
,,	अन्तिम से 7	वक्षा रोपण	वृक्षारोपण
101	2	जिलवार	जिलेवार
103	अन्तिम से 3	वि रण	वितरण
104	15	ह	है

1	2	3	4
105	अन्तिम से 5	श्री ंगसहा	श्री गंगा सहाय
113	15	अनमें	उनमें
114	8	छात्रवत्ति	छात्रवृत्ति
121	10	सव	सर्वे
125	शीर्ष	(विकाकस मंत्री)	(विकास मंत्री)
129	,,	(पंचायर मंत्री)	(पंचायत मंत्री)
130	अन्तिम से 2	समति	समिति
131	अन्तिम से 2	दिय	दिये
133	अन्तिम से 10	गहूं	गेहूं
134	से 17	विक्रता	विक्रेता
136	अन्तिम से 13	खोतेदारी	खातेदारी
137	से 13	—	श्री अध्यक्ष
145	1	श्री गिरधरी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
146	10	बुला	बुलाई
151	4	चुक	चुके
152	10, 12	ग्रॉडर	आर्डर
153	शीर्ष	(मे र श्री फतेहसिंह)	(मेजर श्री फतेह सिंह)
154	5	कनो	करनी
,,	9	क	के
,,	10,13	क	कर
,,	अन्तिम से 11	कना	करना
155	अन्तिम से 14	श्रं नत्थीसि	श्री नत्थीसिंह
,,	अन्तिम से 7	ी	भी
,,	अन्तिम से 4	द तखत	दस्तखत
157	अन्तिम से 13	श्र रामकिशन	श्री रामकिशन
158	अन्तिम से 8	घिसूचनायें	अधिसूचनायें
170	2	ह	हैं
171	3	कान्स्ट्रियूयेन्स	कान्स्टीट्यूएन्सी
172	4	रामनन्द	रामानन्द
176	19	प्र ताव	प्रस्ताव
180	3	विचारते	विचरते
,,	5	विचाराणीय	विचारणीय
184	5	क ा	कहा
185	6	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से 12	हाड़	हाडा
186	4	श्री केरीसिह ंडा	श्री केसरीसिंह हाडा
186	8	पर जायं	पर आ जायें
,,	अन्तिम से 3	वाहर	बारह
187	8	गई	गया
,,	अन्तिम से 13	तह	तरह
,,	अन्तिम से 12	से भी बांधने	से बांधने
190	अन्तिम से 6	स्पटीकरण	स्पष्टीकरण

1	2	3	4
191	11	चकीदार	चौकीदार
,,	12	थाने ार	थानेदार
193	अन्तिम से 6	जल्म	जुल्म
,,	अन्तिम से 5	आपने	आपके
194	अन्तिम से 4	निदोष	निर्दोष
204	7	डिफेन्स	डिफेन्ड
205	9	कृप्या गृहण	कृपया स्थान ग्रहण
208	2	सदन	सड़न
,,	15	मुकर्र	मुकर्रर
209	8	मं	में
210	10	यह	या
216	अन्तिम से 2	को	कोई
218	अन्तिम से 4 व 1	ह	है
225	5	एवाड	एवोइड
28	6	श्री भैरोंहि	श्री भैरोंसिह
9	अन्तिम से 9	इम्पोर्न्टेंट	इम्पार्टेन्ट
,	अन्तिम से 4	बचों	पक्ष
1	अन्तिम से 6	रिपट	रिपोट
,,	,,	ह	है
236	अन्तिम से 4	करन	करने
237	अन्तिम से 15	स्ट्रे	स्ट्रेस
238	अन्तिम से 7	म	मैं
,,	अन्तिम से 2	श्री सतीशचन्द्र अग्रवा	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
239	अन्तिम से 12	करन	करने
,,	अन्तिम से 6	कहा	कहना
,,	अन्तिम से 6	चाहता कि	चाहता था कि
,,	अन्तिम से 5	ल्स	रूल्स
,,	अन्तिम से 4	नी	नई
240	अन्तिम से 4	श्री गिरधारी लाल यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
241	3	चलत	चलनी
249	4	तोष	संतोष
252	अन्तिम से 11	स्बे	कस्बे
257	अन्तिम से 7	पसा	पैसा
,,	,,	य	यह
258	,,	दगे	देंगे
304	अन्तिम से 2	घण्ट	घन्टे
310	अन्तिम से 2 व 3	श्री नाथराम	श्री नाथूराम
315	1	अकने	अनेक
317	11	डिप्रेक्टिव	डिफेक्टिव
322	19	केश	क्लेश
323	अन्तिम से 11	श्री श्री दिग्विजयसिह	श्री दिग्विजयसिह
337	-	उसक	उसके

1	2	3	4
337	अन्तिम से 2	रिर्न	रिटर्न
338	1	विचा	विचार
"	9	बढतरी	बढ़ोतरी
339	5	वाल	वाले
341	4	चाहत	चाहते
"	10	11 क० वी०	11 के०वी०
343	शीर्षक	सितम्र	सितम्बर
344	शीर्षक	विजार	विचार
"	14	श्री मुकुटविहायी लाल	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
"	अन्तिम से 9	रजिम्टर	रजिस्टर
245	शीर्षक	01	10
351	अन्तिम से 2	पसेंट	पर्सेंट
352	18	दगे	देंगे
353	अन्तिम से 2	पूछ	पूछे
"	"	पीढ	पीठ
355	1	सम्म	समय
361	अन्तिम से 3	(घेरथल सु०)	(खैरथल-सु०)
363	10	छोट छोट	छोटे छोटे
"	16	तयार	तैयार
381	अन्तिम से 3	श्री हरूल	श्री हरफूल